राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,

1 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दराम चौहान।

बीकानेर क्षेत्र के राजकीय विद्यालय

1. **श्री गोविन्दराम मेघवाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (बालक बालिका) विद्यालय हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की पदवार संख्या कितनी कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बीकानेर शहर में कार्यरत सभी श्रेणी के अध्यापक कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? उनके ठहराव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षो से कार्यरत अध्यापकों को शहरी क्षेत्र में पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) बीकानेर शहर में राजकीय क्षेत्र में 17 माध्यमिक एवं 16 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्यात्यक सूचना परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) बीकानेर शहर में कार्यरत अध्यापकों के ठहराव का विवरण परिशिष्ट ''ख'' अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ग्रामीण ठहराव के आधार पर शहरी क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त पदों एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ठहराव वालों को हटाकर लगाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : अध्यक्षजी, मैं इसमें सप्लीमैंटरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से शहर के अन्दर स्कूलें हैं उसी तरह से मैं शहर व देहात की उच्च प्राथमिक और प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की संख्या और उसमें मास्टरों की संख्या चाहता हूं। मेरा मूल प्रश्न इसमें तुलनात्मक यह है कि शहर के अन्दर, जो सदन में जानकारी आयी है, स्कूल क्रमोन्नत हो गया, 80 बच्चे हैं और वह सीनियर सैकण्डरी स्कूल बन गया, जबकि गांव की हालत यह है कि जहां 400 बच्चे हैं, स्कूल अभी तक मिडल पड़ी है और मात्र एक या दो मास्टर स्कूल चला रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि देश का विकास कब होगा? हमारी आबादी अधिकतर गांव में रह रही है और गांव के अन्दर जो मिडल स्कूल हैं उन स्कूलों को एक-दो मास्टर चला रहे हैं। शहर के अन्दर जो मिडल और प्राइमरी स्कूल हैं उनमें दस लड़कों पर एक मास्टर है और देहात के अन्दर सौ लड़कों या दो सौ सड़कों पर एक टीचर है। यह कोई आज से नहीं हुआ, यह वर्षों से चला आ रहा है। यह सूची साफ इंगित कर रही है कि शहर के अन्दर एक-एक स्कूल में 80 बच्चों पर 20-20, 15-15 मास्टर बैठे हैं और पिछले 15 या 20 साल की अवधि से बैठे हैं।

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

घनश्यामजी तिवाड़ी के मंत्री बनने के बाद हमें बहुत कुछ इसमें लाभ मिला है, गांव में बहुत भयंकर तादाद में स्कूलें खोली गयी हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं सदन के अन्दर कि तिवाड़ीजी जैसे विद्वान आदमी हमारे मंत्री हैं। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह हमारे देश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जब तक हमारा गांव आबाद नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भाषण दे रहे है कि सवाल पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं दें, आप प्रश्न पूछिये।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : मेरा प्रश्न यही है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लिस्ट, छात्रों की संख्या और मास्टरों की संख्या सदन के पटल पर आनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अच्छी बातें आप सुन नहीं सकते।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : मैं पूछ रहा हूं, माननीय सदस्य, आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो हम आप वाले क्वेशन में डिस्टर्ब करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, वह बैठेंगे तब मैं दूसरे का नाम पुकारूंगी।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : मेरा प्रश्न यह है कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल, इनके मास्टरों की संख्या और छात्रों की संख्या सदन के पटल पर लायी जावे।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर चौहान, आप प्रश्न पूछें। आप भाषण नहीं दें, प्रश्न पूछें आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : भाषण नहीं दे रहे हैं। यह जो आपके 5 सालों में हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : अध्यक्षजी, मेरा प्रश्न यह है पिछले 5 साल के अन्दर हमारे बीकानेर जिले में गांवों की हालत यह है, यह मैं रिकार्ड लेकर आया हूं प्राइमरी स्कूल, जिसमें पिछले 5 साल से 12 स्कूलें बंद पड़ी हैं, 67

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)

स्कूलें ऐसी हैं प्राथमिक जो मात्र एक-एक मास्टर चला रहा है। इनकी मेहरबानी रही है, इसलिये मेरा आग्रह है कि प्राथमिक, मिडिल स्कूल गांव और शहरों की और साथ में माध्यमिक स्कूल गांव की, इन तीनों की जानकारी मास्टरों की और छात्रों की संख्या, सदन के पटल पर लायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे मिलता-जुलता प्रश्न 22 नम्बर पर है और मेरी भी यहीं मांग थी मंत्री महोदय से कि लम्बे समय से, कोई आपका ही नहीं है, हमारी सरकार में भी और हमारे से पहले आपकी सरकार में भी पिछले 15-20 वर्षों से...

श्री अध्यक्ष : सरकारें तो आएंगी-जाएंगी, आप प्रश्न कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आएंगी-जाएंगी तो मैं उनको भेज थोड़े ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो प्रश्न पूछिये न आप। भेज नहीं रहे हो, वे तो आएंगी, जाएंगी।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन गांवों में मास्टर नहीं जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आज क्या यह सही है कि जो शहर के अन्दर अध्यापक लगे हुए हैं, अपाइंटमेंट से लेकर अभी तक शहर में ही बैठे हैं? गांवों में जहां 2-3 सौ बच्चे हैं वहां मात्र एक-दो मास्टर से ही काम चल रहा है? क्या आप का शहर और गांव की बच्चों की संख्या को देखकर अध्यापक लगाने का विचार है? नम्बर-एक ? क्या यह सही है कि स्कूलें जो गांव में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी हैं वहां पर सब्जैक्टवाइज अध्यापक नहीं हैं, उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भारी असर पड़ता है। जो बच्चे 80-90 प्रतिशत नम्बर लाते हैं वे गांव के बच्चे महरूम रह जाते हैं क्योंकि उनको अध्यापक नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप जो शहरों के अन्दर लम्बे समय से बैठे हैं, उन्हें गांवों में स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं? नम्बर-तीन, क्या यह सही है कि शहर में बच्चे कम होने के बावजूद अध्यापक लोग शहर में रहने के लिये 50 बच्चों की संख्या 200 तक बढ़ा देते हैं और

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गांव में जब बच्चे 2-3 सौ होते हैं और मास्टर नहीं होता है तो बाध्य होकर उन्हें दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है? नम्बर-चार, क्या शहरी भत्ता जो आप दे रहे हैं, एक तो शहर का एट्रेक्शन और दूसरा शहरी भत्ता।

श्री अध्यक्ष : आप तो खुद भाषण दे रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्रश्न है, न साहब।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्रीजी बहुत ट्रेण्ड हैं, क्या आप शहरी भत्ता बंद करके ग्रामीण भत्ता देने का विचार रखते हैं?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : केवल लम्बी-लम्बी डींगें मार रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं पूछ लूं, इजाजत है आपकी?

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछिये। उनका जवाब तो आने दीजिए पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आ जाने दें, साथ आ जाने दो।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बोले, इसलिये मैंने पूछा, आपसे मैं पूछ सकता हूं क्या?

श्री अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये, आप।

डा. एन.एस.गुर्जर (टोडारायसिंह) : मैंने इसलिये आपसे इजाजत ली है, इसलिये पहले आ जाने दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, हां, पूछिये, आप पूछिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पहले इजाजत ली है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में, शहर में और देहात में कितने छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए, समय-समय पर चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, नीतियां बनायी गयी हैं। लेकिन वे नीतियां लागू नहीं होती, कोई पोलिटिकल दबाव के कारण या अन्य कारणों से। मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या स्ट्रिक्टली शहर और गांवों में छात्रों के रेशों को इक्वाल करते हुए आप इस पॉलिसी को लागू करेंगे? गांवों में सौ विद्यार्थियों पर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

एक टीचर रहता है और शहर में सौ विद्यार्थियों पर 6-6 टीचर लगे हुए हैं, क्या इस विसंगति को दूर करने के लिये आप कोई नीतिगत फैसला करके उसको कड़ाई से लागू करेंगे, मेरा प्रश्न केवल इतना-सा है?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता श्री बुलाकीदासजी कल्ला जब शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने बीकानेर शहर में 16 माध्यमिक और 17 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की जो नियुक्तियां की या स्थानान्तरण किये, औसतन पांच या छह बालकों पर एक अध्यापक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों बच्चों के ऊपर भी अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। राज्य में वर्तमान सरकार अध्यापकों को छात्रों के अनुपात में लगाने की क्या व्यवस्था और नीति निर्धारित की है, यह बताने का कष्ट करें?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बीकानेर का ही नहीं है, पूरे राजस्थान का है।

श्री नन्दलाल मीणा : विधायकजी, आप स्पीकर नहीं है। (व्यवधान) मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह सवाल पूछा है। ज्यादा फुदक-फुदक करने की जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आने दीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा : यह सारे के सारे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह तो वैसे ही पंक्चर हुए पड़े हैं सारे के सारे, विधान सभा और लोक सभा में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री नहीं बना रहे हैं, उसका गुस्सा हमारे बीच में क्यों निकाल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : कल्लाजी, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों के साथ जो शैक्षणिक अन्याय किया है उसका सवाल है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब कहिये आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन के वक्त में कम से कम 25 हजार से अधिक अध्यापकों को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में समानीकरण करके भेजा गया। इनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं जानना चाहता हूं... (व्यवधान) बीकानेर शहर में है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई जानकारी नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : वे नियुक्त हैं उसका सवाल है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपको क्या पता?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय कल्लाजी, आपको भी क्या पता है? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बीकानेर शहर में छह-छह बालकों पर एक अध्यापक है (व्यवधान) और ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 बालकों पर एक भी अध्यापक नहीं है। (व्यवधान) यह जो शैक्षणिक पक्षपात बुलाकीदासजी कल्ला ने अपने कार्यकाल में किया है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा : धन्य है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कल्लाजी के आरोप चुनावी हार से उत्पन्न कुंठा के प्रति...(व्यवधान) आप हार से कुंठित हो रहे हैं, कल्लाजी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कल्लाजी हार से कुंठित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक प्रश्न मैं भी आपको बता रही हूं जिसके बारे में आप जवाब दे दीजिए। आपने अपने नम्बर-5 में लिखा है कि ठहराव वालों को हटाकर अधिकतम ठहराव वाले, शहरी क्षेत्रों में अधिकतम

(श्री अध्यक्ष)

ठहराव वालों को हटाकर लगाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। "हो सकेगा।" आप ऐसा कहिये कि "ऐसा होगा।" ऐसा बताइये। यानि यह... (व्यवधान) अब आप शोर नहीं मचाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश की पूरी पालना करने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : फिर भी प्रयत्न आ गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रयास नहीं, उनके निर्देश का तो अक्षरशः पालन होना चाहिए। प्रयास नहीं, प्रयास नहीं, आसन के निर्देश का पालन होना चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : वही हाल रहना है जो पिछले 20 सालों से रह रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी : इनके तो भरसक प्रयास होने नहीं हैं और पांच साल पूरे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यह भरसक आप काम करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको कहने दीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आसन के निर्देशों की पालना करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, प्रयत्न नहीं, प्रयत्न नहीं, ऐसा करना पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आसन के निर्देशों की पालना करूंगा।

एक माननीय सदस्य : एक तो यह घोषणा कर दें कि आप जो नये अध्यापक ले रहे हैं उनको पहले ग्रामीण क्षेत्र में आप कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी नीति है कि अधिकतम ठहराव वालों को आप ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे। यह आपकी नीति है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आसन के निर्देशों की पालना करूंगा। सरकार आसन के निर्देशों की पालना करेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, यह कहो। प्रयास नहीं, पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब आने दीजिए। आप जवाब आने दीजिए इनका।

श्री महीपाल सिंह यादव : कब तक करेगी? अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि मन्दिर वहीं बनाएंगे तो यह... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आपके आश्वासन की सत्यता क्या है? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिन्दुवार जवाब दे रहा हूं। माननीय गोविन्दरामजी ने, माननीय रामसिंहजी ने, माननीय नाथूसिंहजी ने और माननीय नन्दलालजी ने जो बातें रखी हैं वे यथार्थ हैं। राजस्थान में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रीय औसत हमारा 40 का है : एक अध्यापक और चालीस बच्चे जबकि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में 1 : 60 का है और शहरी क्षेत्रों में जो प्रश्न पूछा गया है 1 : 10 से भी कम है, यानि, पांच से लेकर दस बच्चों पर एक अध्यापक है। बीकानेर शहर में यह बात सही है, जिस प्रकार की सूचना मेरे पास है, अध्यक्ष महोदय, यह केवल बीकानेर में ही नहीं, इसको केवल बीकानेर शहर तक ही... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : शेम-शेम से क्या चलेगा?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : ठीक तो करना है आपको।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं। मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप इनको जवाब पूरा देने दीजिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपकी इजाजत से कह रहा हूं कि यह केवल बीकानेर में नहीं है, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बीकानेर से सम्बन्धित है इसलिए बीकानेर का ही जवाब देंगे वह। प्रश्न सम्बन्धित बीकानेर से है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बीकानेर का ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के आने के बाद में मैंने सारा मंगा कर देखा, यह केवल बीकानेर शहर में ही नहीं, जयपुर, अजमेर में भी, राजस्थान के जो बड़े शहर हैं उनमें मुख्य रूप से, जोधपुर भी, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल में बच्चों और अध्यापकों के औसत में बहुत फरक है। एक तरह से मैं कहूं कि कई स्कूलें तो ऐसी हैं कि जो इसलिए चलाई जा रही हैं कि केवल अध्यापकों को रखना है, बच्चों को नहीं रखना है, यह स्थिति उनमें है। मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समानीकरण होगा और इन विद्यालयों के अध्यापकों को दो प्रकार से जो मैंने पहले भी कहा था, जिनका ठहराव अधिक है और जिनके आने के बाद में नामांकन कम हो गया, स्कूलों में रिजल्ट गिर गया है, उन अध्यापकों को दूरस्थ स्थानों पर शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, एक। और जो लम्बे समय से गांव में हैं और जिनके प्रयत्नों से स्कूलों में संख्या बढ़ी है और रिजल्ट अच्छा रहा है, उनको शहरों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि शहरों के नामांकन भी बढ़ सकें, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनार्थिक विद्यालय हैं, इनमें जो अनार्थिक विद्यालय हो गये उनके बारे में साफ-साफ राज्य सरकार का मानस है कि इनके पास के जो स्कूल होंगे, जैसे एक स्कूल में 100 है और दूसरी में 50 है तो उन स्कूलों को समाहित किया जाए। उन बच्चों को उन स्कूलों में भेजकर एक स्कूल की स्ट्रेंथ की जाएगी और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की आवश्यकता है वहां पर, या शहर में जो नये क्षेत्र बने हैं, जहां पर कच्ची-बस्तियां हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, वहां उन विद्यालयों को स्थानांतरित करने का राज्य सरकार का मानस है। यह दूसरी बात मेरे पास आयी।

तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि अधिकतम कितना रहा है, तो जो बीकानेर के बारे में मेरे पास रिकार्ड आया है, अधिकतम 39 वर्ष 8 माह शहर के अन्दर रहने का रिकार्ड आया है। कइयों का 38 वर्ष का भी है, कोई का 25 वर्ष का भी है, कोई का 30 वर्ष का भी है, इस प्रकार का रिकार्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा, शिक्षा के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में वैंकेंसी की बात उठायी, यह सही है कि 37000 वेकेंसी है उनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इसके हिसाब से जो हमने कार्यवाही की है, 28571 लोगों की नियुक्ति, पहली नियुक्ति, नियम बना रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी और प्रमोशन में ग्रामीण क्षेत्र के ठहराव को मान्यता दी जाएगी और पांच साल पहले ग्रामीण क्षेत्र से किसी भी शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार इस पर चलेगी। (व्यवधान) यह हमारा मानना है।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसे पांच क्लास हैं तो उसमें क्या बताया आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उनका नाम पुकारा है तो उसमें आप बीच में क्यों खड़े हो गये ?

श्री रामसिंह विश्नोई : उन्होंने सुना नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासन में पूरे राज्य में समानीकरण किया गया था और उसमें लगभग 25 हजार अध्यापकों को... (व्यवधान) पहले आप बोल लो। हाउस को आर्डर में तो लाइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप प्रश्न पूछिये न, प्रश्न पूछिये। पूछिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने समानीकरण करके लगभग 25 हजार अध्यापकों को शहरों से गांवों में भेजा था? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रश्न केवल बीकानेर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या यह भी सही है कि बीकानेर जिले में 52 स्कूलें कांग्रेस की सरकार में बन्द हुई थीं? क्या यह सही है कि बीकानेर शहर से 650 अध्यापक समानीकरण के नाम पर शहर से गांव भेजे गये थे?

एक माननीय सदस्य : वे सब बीजेपी वाले थे जिनको गांवों में भेजा गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। मंत्रीजी खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अलग से प्रश्न है, लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, अलग से है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या अलग प्रश्न है, अलग से कैसे है? बीकानेर से सम्बन्धित प्रश्न है। बीकानेर का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीकानेर का प्रश्न है लेकिन अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं अभी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर से 650 टीचर गांवों में भेजे गये, इनको पता ही नहीं है। बीकानेर से सम्बन्धित प्रश्न है, मैंने बीकानेर का प्रश्न किया है कि समानीकरण में बीकानेर से क्या 650 अध्यापक शहर से गांवों में भेजे गये और क्या 52 स्कूलें बन्द की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बता रहा हूं न । बैठो तो बताऊं। आपको गलतफहमी है कि आप शिक्षा मंत्री हो। और कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हो। सौभाग्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने समानीकरण किया। इसका मैं बता रहा हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाबूसरी में 1:10 का एवरेज है, इनके समानीकरण के पश्चात् है। राजकीय सैकण्डरी स्कूल गोगा गेट में 1:5 का अनुपात है, समानीकरण के पश्चात यह समानीकरण के पश्चात् है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल का जवाब बिलकुल गलत दे रहे हैं। क्या बीकानेर शहर से 650 टीचर गांवों में नहीं भेजे गये? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैठो दो मिनट, जवाब दे रहा हूं। सुनो दो मिनट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? आपको डांटने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पोल खुल रही है तो गलत हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरी बात सुनो। आपको यह गलतफहमी है कि आप विपक्ष में हो। (व्यवधान) एक—एक चीज टिप्स पर है मेरे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता। महोदय, यदि वह गलत जवाब दे रहे हैं तो आपके पास बाकायदा इस बात का विशेषाधिकार है कि जो गलत... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि 650 अध्यापक बीकानेर शहर से गांवों में गये या नहीं गये? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पसन्द का जवाब...(व्यवधान) यह गलत बात हुई कि नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं, सुनो तो सही। आपके समानीकरण के पश्चात् यह स्थिति है, जो मैं बता रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप फालतू की बात कर रहे हैं। जो मैं पूछ रहा हूं वह जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके कारण हुआ कि नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सात महीने में हुआ है।

श्री हेमाराम चौधरी : आपके शासन काल में क्या स्थिति हो गयी? कल्पना करो उस समय क्या था।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : आप शासन की बात करते हैं, राजनैतिक द्वेषता के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूल बन्द करवा दिया इन लोगों ने। राजनैतिक द्वेषता के कारण एक स्कूल बन्द करवाकर बैठे हैं, जो आज तक बन्द है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग क्यों खड़े होते हैं, आपके मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में। आप लोग ख्वामाख्वाह खड़े होते हैं बीच में।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया नहीं कि शहरी भत्ता जो आकर्षण शहरों की ओर है, उसको बंद करने के लिये कि गांवों में लोग जाएं, ऐसा आकर्षण पैदा करने के लिये आपने क्या नीति बनायी? दूसरा जो राजकीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनकी सूची लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है?

श्री अध्यक्ष : वह तो शुरू कर दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : शुरू कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं शहरी भत्तों के बारे में जो सारे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का आकर्षण बने इसलिए नौकरी में लगने को ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। पहली नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में होगी, पांच वर्ष पहले शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं होगा और प्रमोशन में ग्रामीण क्षेत्र में ठहराव को प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय कल्ला साहब का जो मूल प्रश्न था उसका मैं जवाब दे रहा था विनम्रतापूर्वक, लेकिन वह सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं अब सुना देता हूं। माननीय कल्ला साहब, आपके शासन काल में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ही समानीकरण हुआ है, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में समानीकरण नहीं किया गया। आपने तो 25 हजार ट्रांसफर किये और राजनीतिक कारण से लोगों को दूरस्थ स्थान पर भेजने के लिये किये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई 25 हजार ट्रांसफर नहीं किये, पांच हजार भी नहीं हुए और कुल मिलाकर हमारे शासन के वक्त में समानीकरण किया गया और बीकानेर शहर से 650 टीचर गांवों में गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजनीतिक कारणों से ट्रांसफर किये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा। (व्यवधान) देखिये, एक प्रश्न पर 24 मिनट हो गये हैं, और लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। 24 मिनट हो गये हैं। एक प्रश्न पर 24 मिनट हो गये हैं। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : हम इतनी देर से निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमराज मीणा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत योजनाएं

2. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (बारां) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में सरकार ने किस-किस गांव में किस-किस प्रकार के पेयजल कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य कितनी कितनी राशि के कब कब पूर्ण कराये गये तथा उन पर कितनी कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) क्या यह सही है कि करवाये गये सभी कार्यों से अब शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो कौन कौनसे कार्य कब-कब से किन किन कारणों से बन्द हैं? क्या सरकार बन्द कार्यों को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन कौनसे कार्य स्वीकृत कर पूर्ण कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) जी हां। सूची परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(श्री सांवर लाल)

(2) वांछित विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं.	पूर्ण कराये गये कार्य	व्यय राशि (रु. लाखों में)	विशेष विवरण
1.	हैण्ड पम्प 856 नग	336.84	कार्य पूर्ण
2.	पेयजल योजनाओं के 37 कार्य	375.94	7 योजनाओं का कार्य प्रगति पर
3.	सिंगल फेज पम्प सैट 18	6.39	कार्य पूर्ण
	कुल व्यय रुपये	719.17	

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-(अ) पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) आवश्यकता होने पर विचार किया जाएगा।

(5) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण:

क्र.सं.	कार्य	कराये गये कार्य	विशेष विवरण
1.	ग्रामीण स्कूलों में जल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प (प्रधानमंत्री कार्यक्रम)	2	
2.	समस्याग्रस्त गांवों में हैण्ड पम्प से जल व्यवस्था (प्रधानमंत्री कार्यक्रम)	56	
3.	पूर्व में खुद नलकूपों को चालू करना	5	
4.	ग्रामीण स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प ग्रामवार सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।	41	

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किशनगंज-शाहबाद पेयजल योजना के बारे में मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी ने यह बताया है कि 37 परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं और 7 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है. लेकिन वे 7 परियोजनाएं कौन-कौनसी हैं जिनका कार्य प्रगति पर है? वास्तव में मेरे यहां तो कई सारी योजनाओं का काम बन्द पड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा, मंत्रीजी मुझे यह जानकारी तो दें कि कौनसी योजनाएं हैं जिनका कार्य प्रगति पर है और वह कब तक पूरा हो जाएगा? मेरा दूसरा सवाल यह है कि शाहबाद में पी. एण्ड टी. की स्कीम लागू की गयी थी, उस पी. एण्ड टी. स्कीम में टंकी बन गयी, पाइप लाइन डल गयी, लेकिन अभी तक वाटर सोर्स नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पी. एण्ड टी. की स्कीम में सारा पैसा पहले ही खर्च हो चुका है और वाटर सोर्स अभी तक नहीं है और गांवों को पानी नहीं मिल रहा है लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी। मंत्री महोदय, स्कीम के बारे में कब तक वाटर सोर्स ढूंढा जाएगा? किन अधिकारियों ने वाटर सोर्स ढूंढे बिना ही स्कीम बनाना शुरु कर दिया और सरकार का पैसा वेस्ट हुआ और उस गांव को अभी तक पीने का पानी नहीं मिल रहा? अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सवाल है...

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : कौनसा गांव है?

श्री हेमराज मीणा : देवरी। पिछले दो सालों में दो रीजनल स्कीम मेरे यहां बनी थीं बदाना धतूरिया और हलानी महाल, दोनों गांवों में करीबन 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। दो करोड़ खर्च होने के बाद भी, दोनों स्कीमों के लगभग 13 गांव थे. 13 गांवों में जब से उसका टेस्टिंग हुआ है तब से सारे पाइप बर्स्ट हो गये। स्कीम एक दिन भी चालू नहीं हुई और दो करोड़ रुपया सरकार का व्यथ खर्च हुआ। वे कौन अधिकारी थे जिन्होंने यह स्कीम बनाई थी, कौन अधिकारी थे जिन्होंने तकनीकी योजना बनाई, कौन ठैकेदार थे? टैस्टिंग करने के बाद भी सरकार का पैसा बेकार चला गया और एक भी गांव को पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पायी, कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

इसी तरह शाहबाद में पेयजल की बहुत किल्लत है। शाहबाद में एक योजना सरकार को बनाकर भेजी गयी थी, वहां पर सरयू तलहटी में पेयजल के कुए बनाने का प्रस्ताव था, वह सरकार के विचाराधीन है उसका भी उल्लेख

(श्री हेमराज मीणा)

इसमें नहीं किया गया है। क्या सरकार शाहबाद कस्बा जो सब डिवीजन हैडक्वार्टर है, वहां पर वाटर सोर्स के लिये जो प्रस्ताव गये थे सरयू तलहटी से पानी सप्लाई के, क्या उनको मजूंर करने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक करेगी?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक तो यह जानना चाहा कि 7 योजनाएं कौन-कौनसी हैं, ये हैं – परानिया, नराड़ा, मुकनपुरा, जलवाड़ा, किशनगंज, शाहबाद समरिया, गदरेड़ा, कस्बा खाना। ये चल रही हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य सम्पन्न होकर जिस प्रकार विधायक महोदय की भावना है, लोगों को पानी मिले। इसी प्रकार दूसरा इन्होंने कहा कि टैस्टिंग के समय पाइप लाइन बर्स्ट हो गयी, पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक महीने के अंदर इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भरत सिंह।

सुल्तानपुर-इटावा (दीगोद) की क्षतिग्रस्त सड़क

3. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद के सुल्तानपुर कस्बे में पंचायत समिति मुख्यालय व कृषि उपज मण्डी होने के कारण यातायात का भारी दबाव रहता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कस्बे से उप-खण्ड इटावा जाने वाला मार्ग कस्बे के अन्दर से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ताकि वर्षा ऋतु में इस मार्ग पर पानी व कीचड़ भरा रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर सी. सी. कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां।

(2) जी हां। इस सड़क पर सीमेंट कंक्रीट का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का मैंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है वह सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और दो विधान सभा क्षेत्रों दीगोद और इटावा को जोड़ती है। कम से कम 250 गांवों के लोगबाग इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में यही मुख्य सड़क है। इस पर कोई स्टेट हाई-वे या नेशनल हाई-वे इन दोनों विधान सभाओं में नहीं है और इसी सड़क का उपयोग करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इन्होंने उत्तर में दिया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा, एक तो यह बताएं कि आप प्राथमिकता किस आधार पर तय करते हैं? सड़क के जिस पोर्शन का मैंने उल्लेख किया है, जो सुल्तानपुर कस्बे में से होकर निकलती है, सरकार ने पिछले 15 साल में इस पर्टीकुलर पैच पर कितनी राशि खर्च की? कमाण्ड एरिया का क्षेत्र है, इसी में से यातायात निकलता है पूरा और आपने इसको स्वीकार किया है कि इस पर दबाव है, तो प्राथमिकता कब तय करेंगे आप? पिछले 15 साल में यह प्राथमिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा?

मैं यहां आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, यह दुर्भाग्य है, सड़क बनाने का काम एक तो पी. ड़ब्ल्यू. डी. और दूसरा कृषि विपणन बोर्ड दोनों करते हैं और दोनों ने इस विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का काम किया है, मगर इनमें आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से पी. डब्ल्यू. डी. को भी यह पता नहीं है कि कौनसी मरम्मत का कार्य कृषि विपणन बोर्ड लेगा। इन्होंने पैसा तो करोड़ों रुपया खर्च किया है मगर प्राथमिकता स्वयं यह तय नहीं कर पाते और इसी वजह से 15 साल के अन्दर इस सड़क के ऊपर एक पैसा नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री भरत सिंह : प्रश्न यही है कि यह प्राथमिकता कैसे तय करेंगे, आपका आधार क्या है प्राथमिकता तय करने का। कृषि विपणन बोर्ड पैसा खर्च कर रहा है, पी. डब्ल्यू. डी. पैसा खर्च कर रही है मगर प्राथमिकता यह तय नहीं कर पाते, आप इसका उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है यह कोटा सुल्तानपुर इटावा रोड है एम.डी.आर. 51 नम्बर पर इस सड़क की कुल लम्बाइ 93 किलोमीटर है। जिस चीज का आपने उल्लेख किया है सच हे. 16 वर्षो से जिस पोशन की आप बात कर रहे हो वहां खरजा बनाया है, दोनों तरफ दुकान है और यातायात का दबाव भी है। इसीलिए. अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के पश्चात् 20 फरवरी. 2004 को इसी सड़क पर 14 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक 15.40 किलोमीटर पर 158 लाख रुपय की स्वीकृनि जारी की गयी है, कार्य प्रगति पर है। इसमें जो दीगोद कस्बा है उसके अन्दर भी सी.सी. रोड बनायी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मे कुल मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की लम्बाई 6806 किलोमीटर है और इनमें नवीनीकरण के लिए जो मापदण्ड तय किये, 1200 किलोमीटर सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण होना चाहिए। इतनी राशि न तो बजट उपलब्ध है और इन सारी चीजों को हम एक साथ कर नहीं पाएंगे. पर शनै. शनै: कोशिश करेगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो जब आपकी डिमाण्ड आए तब आप कहना. इनके क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया आपने. खतम हुई बात। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 16 साल में इस पटीकुलर पाशन पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ है मैं इनसे यही तो कह रहा हूं कि आप प्राथमिकता किस आधार पर तय करेंगे, आप यह बताएं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सुल्तानपुर में खरंजा तो बना है पिछले 5 साल में। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मैं स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं, यह पर्टीकुलर पोर्शन जो खराब है, इसको कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो आ गया। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय. हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री भरत सिंह : मैं मंत्रीजी से एक अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्री भरत सिंह : मेरा मंत्रीजी से एक अनुरोध है कि यह आएं और उस सड़क को स्वयं निगाह में निकालें कोटा आकर तब मेरी बात समझ में आएगी, आपको।

श्री अध्यक्ष : वह तो उन्होंने प्रावधान बता दिया न। उन्होंने तो प्रावधान बता दिया कि इतना प्रावधान किया गया है। और कर रहे हैं, काम चालू है, बता दिया न उन्होंने।

श्री रामनारायण मीणा : खातौली होकर बड़ौद-श्योपुर तक जाती है और स्टेट हाई-वे की श्रेणी में आती है, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है कि स्टेट हाई-वे घोषित नहीं हो सका।

दूसरी मेरी एक साधारण बात है कि जब माननीय भैरोंसिंहजी तत्कालीन मुख्य मंत्री थे और ललित किशोर चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तो उनका घेराव इसलिए किया गया था कि इस सड़क की दुर्दशा है। इतने वर्षों से नहीं हुआ तो क्या आप इसको स्टेट हाई-वे, चूंकि मध्य प्रदेश से... (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद 5 वर्ष. 6 वर्ष बीत गये। उन बातों को 6 वर्ष बीत गये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप, सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा निवेदन है कि क्या इस सड़क को आप स्टेट हाई-वे घोषित करेंगे? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपकी सरकार थी, 5 साल में कुछ किया नहीं, भैरोंसिंहजी का नाम ले रहे हो। 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। (व्यवधान) 5 साल में आपकी सरकार थी. क्या हुआ? 5 साल में कुछ नहीं किया... (व्यवधान) भैरोंसिंहजी का नाम ले रहे हो।

श्री रामनारायण मीणा : ठीक नहीं हो तो आप भी आ जाना वहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, राव राजेन्द्र सिंह।

श्री हीरालाल (निवाई) : क्या किया 5 साल में? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की बात कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, आप विराजें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं, हमारा प्रश्न है इसलिए मेरी बात तो सुनियेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने चूंकि नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है इसलिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : हम यहां पर यह बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे?

श्री अध्यक्ष : नो, नो, I am not going to listen you.

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैडम, मेरी बात तो सुनियेगा, मैं इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, माननीय दुर्गा प्रसादजी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैडम, हमारी बात कभी तो सुनें आप।

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है इसलिए आप अब स्थान ग्रहण कर लें तो अच्छा होगा।

शहीदों के आश्रितों को प्रदत्त सुविधाएं

4. **श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)** : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार कारगिल युद्ध के अलावा अन्य सैनिक अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के परिवारों को कारगिल युद्ध के शहीदों की भांति भारत सरकार से विचार विमर्श कर पैट्रोल पम्प\गैस एर्जेसी आवंटन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री रामनारायण डूडी) : (1) राज्य सरकार द्वारा कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

शहीद की धर्म पत्नी को आर्थिक लाभ

1. एक लाख रूपये+25 बीघा भूमि (इंदिरा गांधी नहर परियोजना फेज 2) या एक लाख रूपये+हाउसिंग बोर्ड का एम. आई. जी. मकान या पांच लाख रूपये नकद।

माता पिता को आर्थिक लाभ

2. अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता-पिता के नाम से 1.50 लाख रुपये स्थायी जमा।

नियोजन

3. शहीद की धर्म पत्नी या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को नियोजन। पुत्र/पुत्री के नौकरी योग्य होने तक शहीद की धर्म पत्नी द्वारा यह अधिकार सुरक्षित रखा जा सकता है।

शिक्षा

4. राजकीय विद्यालय, कालेज, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल, इंजीनियरिंग में निः शुल्क शिक्षा।

5. विद्यालय जाने वाले बच्चे प्रति वर्ष 1800 रुपये छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। कालेज, तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रति वर्ष 3600 रुपये होगी। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाएगी।

(श्री रामनारायण डूडी)

शहीद का सम्मान

6. एक विद्यालय/औषधालय/चिकित्सालय/पंचायत भवन/मार्ग/पार्क/ अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद सैनिक के नाम किया जाएगा। (इनमें से एक)

अन्य सुविधाएं

7. रा.रा.वि.मं. द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो कि शहीद की धर्मपत्नी के नाम से हो, के लिए "आहट आफ टर्न" एक विधुत कनेक्शन दिया जाएगा।

8. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शहीद की धर्मपत्नी एवं उसके आश्रित बच्चों को डिलक्स का साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी किया जाएगा।

अपंग सैनिकों के लिए

9. 25000 रुपये+25 बीघा भूमि (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज 2) या 25000 रुपये+भूमि के ऐवज में 4 लाख रुपये या

10. स्थायी अवंगता की स्थिति में स्वयं सैनिक या उसके आश्रितों को नियोजित किया जाएगा।

कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों के आश्रितों (माता-पिता/पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) एवं विकलांग सैनिकों/अधिकारियों के नाम धारित सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त रखा गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्षजी, भाषा और व्याकरण की अनिवार्यता से इसकी भावना मैं शायद पूरी स्पष्ट नहीं कर पाया। भौतिक संसाधन आपने उत्पन्न करवा कर नकद में सहायता कर दी लेकिन भावना यह थी, क्या सिर्फ नकद सहायता दे कर हम किसी शहीद के बलिदान स्वरूप में जो भावना होनी चाहिए वह अंकित कर रहे हैं? इसके साथ जितने भी आपने बिन्दु लगाये हैं उसमें भिन्न-भिन्न राज्य स्तर के डिपार्टमेंट, एजेंसी या अधिकारियों का सहयोग होता है तब जाकर कहीं आपको जमीन मिलती है या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तब जाकर आपको वह चीज मिलती है। बाकी चीज, नकद जैसी चीज सहायता पर नहीं आती। क्या कहीं सरकार के पास में ऐसा मसौदा है या ऐसा सिस्टम है कि इन आश्रितों को दर-दर भटकना नहीं पड़े? अगर जमीन मिलनी है तो पटवारी और अधिकारी आकर जमीन का पट्टा दे जाए और विद्यालय क्रमोन्नत होना है या नामपटट् होना है तो वहां का डी.ई.ओ., वहां का सैक्रेटरी आकर नामपटट् लगा जाए? होता यह है कि विद्यालय उनके नाम पर हो जाते हैं और पहली ही पुण्य तिथि पर उस परिवार को भूल जाते हैं और हमारे जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एस.डी.ओ आकर झण्डा रोहण कर लेता है। भावना इस बात की थी लेकिन जो हम सहायता दे रहे हैं उसके बलिदान की कीमत आंक रहे हैं। कारगिल एक मुद्दा था, कारगिल एक इश्यू था, कारगिल के नाम पर लाखों रुपये आपने दे दिये, लेकिन जिस परिवार में मौत रोज हो रही है, आतंकवाद के नाम पर एक-एक परिवार का बच्चा शहीद हो रहा है उसके लिए तो वह भी कारगिल है। हम आज इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, 1998 से आज तक इस बात को, इस सोच को हम व्यावहारिक रूप नहीं दे पाये कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जितने भी लोग बाग शहीद हुए, उनके नाम पर केन्द्र सरकार की कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं लेकिन राज्य सरकार के असहयोग से, राज्य सरकार के अधिकारियों के असहयोग से वो लोग बाग आज की तारीख में उस सुविधा को...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा-सा यह है कि भावना और स्पिरिट क्या व्यावहारिक रूप से लागू कर पाएंगे, या नहीं? अगर आपकी इजाजत हो तो एक उदाहरण दे दूं।

श्री अध्यक्ष : कहें आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : एक अर्द्ध सैनिक बल का जवान 1976 में शहीद हो गया, 1978 के अन्दर राष्ट्रपति महोदय ने उसे पदक दिया। इस वर्ष की शुरूआत में एक पैट्रोल पम्प उसे अलाट हुआ एक स्पेशल स्कीम में, आज तक डी. एस. ओ. के यहां फाइल पड़ी हुई है, उसको सैक्शन नहीं मिली।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अगर सहायता पहुंचाने की यह भावना है तो ऐसे शहीद जो रोज हमारे घरों के अन्दर इस देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, इसके लिए हमारे पास में क्या कार्यक्रम है? शायद सभी सदस्य इस भावना को आपके सामने समर्पित करते हैं। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये, श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने अभी उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने ऐसे शहीदों के सम्मान में भवन के नामकरण का फैसला किया है, राज्य में ऐसे कितने शहीद हैं जिनके नाम पर किसी भवन का नामकरण अभी तक नहीं किया जा सका है?

दूसरा, सिरोही जिले में हुए शहीद...

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : चतरा राम मेघवाल के नाम पर उसके गांव के भवन का नामकरण इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि पहले से ही उस भवन का नाम किसी अन्य नाम पर किया हुआ था। उस चतरा राम मेघवाल के नाम पर क्या राज्य सरकार आसपास के किसी गांव के विद्यालय का या किसी भवन का नामकरण का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सवाल अलग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय संयम लोढ़ा, आपका प्रश्न अलग से है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं किसी शहीद की बात कर रहा हूं। सरकार ने फैसला किया, कार्यवाही नहीं हुई तो आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करो। कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यह कौनसी बात हुई?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है आपका। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक शहीद के नाम पर सरकार के फैसले के मुताबिक अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस गलती को ठीक करे, उस पर कार्यवाही करें?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गलती सुधार दें तो तभी साफ हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : यदि किसी प्रकार की कार्यवाही नही हुई तो कांग्रेस सरकार ने नहीं की। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पिछले साल इस सर्वोच्च सदन में यह मामला उठाया था, डी आर.डी.ए. के हॉल में मैंने यह मामला उठाया था। प्रभारी सचिव को तब भी लिखवाया था कि एक अनुसूचित जाति का...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : पहले तो पक्षपात किया। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ गद्दारी करके दो साल पहले इन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया, क्या आपकी सरकार नहीं थी? (व्यवधान) अनुसूचित जाति के वोटों पर आप राज करते हो, आप वोट बैंक बढाते हो, दो साल पहले रोना क्यों नहीं आया था? अब आप बोल रहे हो, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दो साल पहले क्या आपको सांप सूंघ गया था? अभी बोल रहे हो आप लोग।

श्री सांगसिंह भाटी : गलती आप करते हो दूसरों को कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके गांव में उनकी प्रतिमा लगायी गयी थी चौके पर, और एक काम सरकार की घोषणा के अनुरूप है।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : जो नहीं हो सका तो वह कब तक हो जाएगा, आप यह बता दो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) आप शांत रहें।

माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल का यह सिस्टम है कि मंत्री जवाब देंगे और प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेंगे, सदस्य प्रश्न पूछेंगे। आप खामख्वाह जवाब देने के

(श्री अध्यक्ष)

लिए खड़े हो जाते हैं। भाटी साहब ने भी यही किया, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही किया। यह गलत परम्परा है। आप गलत परम्परा डाल रहे हैं, मै बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं आपसे कह रही हूं। प्रश्नकाल का मतलब है मंत्री जवाब देंगे, जिसे प्रश्न पूछना हैं वे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जवाब देने का अधिकार आपको नहीं है, केवल मंत्रीजी को है। इसलिए इस तरह का विवाद पैदा नहीं करें आप कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। ऐसा नहीं होगा। माननीय बृजकिशोर शर्मा प्रश्न पूछेंगे। श्री संयम लोढ़ा, आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा : जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : हां, जवाब देंगे आपका। उनको भी पूछ लेने दीजिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा इन शहीदों को जो सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, क्या वे सुविधाएं उनको दे दी गयी और अगर नहीं दी गयीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : बिलकुल दे दी गयी, सब दे दी गयीं। (व्यवधान) देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पश्न पूछा है जवाब आने दीजिए।

श्री टीकमचंद कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं भी महत्वपूर्ण पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बीच में खड़े हैं? अब आप विराजिए। उनका जवाब आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री टीकमचंद कान्त : मैं यह पूछ रहा हूं, संयमजी ने यह कहा है कि कांग्रेस सरकार ने गलती की है, शहीदों का सम्मान नहीं कर सकी कांग्रेस सरकार, इसलिए क्या मंत्री महोदय शहीदों का सम्मान करेंगे? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : शहीदों के लिए विशेष पैकेज दिया था, माननीय सदस्य को कोई भवन का नामकरण करेंगे क्या? जानकारी नहीं है।

श्री जुबेर खान : हिन्दुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया जितना कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने कारगिल शहीदों के लिए किया है और पूरे देश में इसकी सराहना हुई है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सरासर गलत है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप जानते हैं अच्छी तरह कि राजस्थान सरकार ने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री गहलोत साहब के नेतृत्व में इतना काम किया है, किसी प्रदेश में नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप हिन्दुस्तान के आंकड़े मंगवा लीजिए... (व्यवधान) पांच साल में देश को बरबाद कर दिया आपकी सरकार ने... (व्यवधान)।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह हिन्दुस्तान में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी...(व्यवधान) इन्होंने शहीदों का सम्मान किया, स्टेट्स दिया और आज राजस्थान से ज्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारगिल के शहीदों के शव गांव-गांव में भेजकर शहीदों का सम्मान किया। (व्यवधान) आप सम्मान की बात करते हो...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके कार्यकाल में आप काम करवा नहीं सके, आज मेघवालों के ठेकेदार बनकर बैठ गये हैं यहां पर... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके एस. सी. के कितने एम. एल. ए. है बताओ पहले।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप मेरी बात सुनिये पहले। नो, नो।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : यह बहुत गलत बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप उनसे नहीं जानेंगे, मुझसे जानेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री टीकमचंद कान्त ×××

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों उत्तेजित होते हैं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। (व्यवधान) माननीय कल्ला साहब आप भी नियंत्रित करें इन्हें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे तो नियंत्रित ही हैं। चुप बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : कहां नियंत्रित हैं आपके? गलत बात है। मैं आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगी। नये आने वाले, पहली बार आने वाले माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि वह इस प्रश्नकाल की गम्भीरता को समझे। (व्यवधान) गलत बात है। आप बीच में क्यों बोलते हैं? यह क्या तरीका है आपका? आप बीच में क्यों बोलते हैं? मिस्टर भाटी, मुझे मजबूर न करें आप। मैं निवेदन कर रही थी कि प्रश्नकाल की गम्भीरता को समझें। आपको प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो उस हिसाब से आप प्रश्न पूछिए लेकिन इस प्रकार से जवाब देने कोई खड़ा हो, बीच में कोई बोले तो प्रश्नकाल की गम्भीरता खतम हो जाती है। फिर आप कहें तो इस प्रश्नकाल को खतम कर दिया जाए और यों ही सब कर दिया जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगी, इसकी गम्भीरता को समझते हुए आप एक-एक करके बोलें, जवाब मंत्रीजी देंगे। मंत्रीजी, जो आपने सुना हो और जो रेलेवेंट प्रश्न हो आप उसका कृपया उत्तर दे दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने पूछ लिया, अब आप नहीं पूछेगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : पहले वालों का तो जवाब आने दीजिए, वह भूल जाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह भूल जाएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब, आसन की आज्ञा हो चुकी है, आप विराजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान में जो पैकेज दिया गया है वह पैकेज...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, वह चाहते ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान ने जो पैकेज दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्लाजी जैसे जिसके नेता हो, अपने को जवाब देने की जरूरत ही नहीं। अपना काम वह खुद ही सलटा रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, हां, मैं सलटा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो पैकेज दिया था वह देश में सर्वाधिक था और सबको मिला? आपने सात महीने में कौनसा नया पैकेज दिया, वह बता दें?

श्री धर्मपाल चौधरी : पूर्व में दिया वह सर्वाधिक नहीं था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पहले तो इनको मंत्री बना दें ताकि यह जवाब दे सकें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता की भावना को देखते हुए सीमा पर जो हमारे जवान शहीद होते हैं देश की रक्षा के लिए, उनको भौतिक साधन उपलब्ध कराना वास्तव में कम मात्रा में मायने रखता है फिर भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार उनके आश्रितों को उच्च आर्थिक संबल दे ताकि वे भविष्य अपना बना सकें। उन्हीं के संदर्भ के अन्दर प्रश्न में जो जो बातें कहीं, जो माननीय सदस्य मूल प्रश्नकर्ता ने कहा कि जो अर्द्ध सैनिक शहीद हुए हैं भारत सरकार द्वारा जिनको पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी दी गयी मगर राज्य सरकार उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, अधिकारी लेबल पर और दूसरी जो एजेंसीज हैं, माननीय सदस्यों को जो भी भावनाएं आयी हैं, उन भावनाओं की कद्र करते हुए राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की

(श्री रामनारायण डूडी)

सरकार द्वारा उन शहीदों के सम्मान के अन्दर यदि किसी स्तर पर भी कोताही बरती जाएगी तो उन अधिकारियों के विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा। साथ ही हमारे सिरोही से आने वाले भाई संयम लोढ़ा ने यह कहा कि शिडयूल्ड कास्ट के शहीदों के नाम पर कोई भी नामकरण नहीं हुआ, यदि उस गांव के अन्दर पंचायत भवन, मार्ग, क्योंकि शहीद के नाम पर एक नामकरण ही किया जाता है वह स्कूल भवन का नामकरण करा लें चाहे मार्ग का नामकरण करवा लें और चाहे दूसरा जो भी उस गांव के अन्दर है, जो प्रायोरिटी ताराचंद शहीद के परिवार वाले और आप चाहते हैं, आपकी भावनाएं लिखित के अन्दर सरकार को दे दें ताकि उनके नाम से शहीद का नामकरण उस गांव के अन्दर चाहे पंचायत भवन हो, उसका कर दिया जाएगा।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आज सही बात है कि जिस भी स्टेज पर कार्यवाही नहीं होती है, उनको दर दर भटकना पड़ता है। हम यह चाहेंगे कि वह कार्यवाही हमारे स्तर पर कि उन शहीदों के आश्रित कहीं नही जाएं, साथ ही घर पर कर दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था जो माननीय मूल प्रश्नकर्ता ने भावना व्यक्त की है, उसका आदर करते हुए वहां की जाएगी। जितना भी शहीद को भारत सरकार से प्राप्त पैकेज है और जो राज्य सरकार को लागू करना है, मैंने यह सारा आपके प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दे दिया। यदि किसी प्रकार की कमी बेशी है तो कोई भी माननीय सदस्य आकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराए ताकि उसी के अनुरूप काम किया जा सके।

श्री बृजकिशोर शर्मा : जो मैंने प्रश्न किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

(प्रश्नकाल समाप्त)

अनुरोध

उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में पुलिस की गोली से हुई दो आदिवासियों की मृत्यु पर वक्तव्य की मांग

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान अब उदयपुर की बात सुन लें, अध्यक्ष महोदय, आप।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे गये हैं, एक घायल हो गया है इसलिये हम चाहेंगे, गृह मंत्रीजी इस बारे में वक्तव्य दें और सदन को स्थिति से अवगत कराएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आज तो जीरो आवर नहीं है...

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी : गृह मंत्री हमारे सम्भाग के ही हैं और माननीय गृह मंत्रीजी सारी सामाजिक परिस्थिति से भलीभांति परिचति हैं। मुझे कहते हुए दु:ख है, आप स्वयं जब विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष के नेता थे तब आपके मन में कल्पना थी कि पुलिस जिस तरह की ज्यादती करती है उसमें सरकार को आकर अपने आप वक्तव्य देना चाहिये। आज हम आशा कर रहे थे कि आप गृह मंत्री के रूप में आकर सदन को यह कहते कि एक इस तरह की घटना हो गयी जिसमें बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के पुलिस ने वहां पर गोली चलायी, आदिवासी आदमी मर गया। एक आदमी नहीं मरा, दो आदमी मर गये, माननीय अध्यक्ष महोदय। कहते हुए तकलीफ है कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले गृह मंत्रीजी जो कि बहुत सम्माननीय हैं, जिनके मन में आदिवासी के प्रति पीड़ा है, लेकिन आज गृह मंत्री बनने के बाद आपके मुंह पर ताला लग गया है। मुझे कहते हुए तकलीफ है, माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया साहब...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज जीरो आवर का प्रश्न नहीं है...

डा. सी. पी. जोशी : आपको खड़े होकर सदन में कहना चाहिये था कि

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार के हिसाब से गलती हुई है। डीवाई. एस. पी. को सस्पैण्ड करते, थानेदार को सस्पैण्ड करते और गरीब आदमी को मदद के लिये पांच लाख, दस लाख रुपये की सहायता करते। तब लोगों के मन में यह कल्पना होती कि यह सरकार गरीब के प्रति संवेदनशील है। आप संवेदनशील नहीं हैं। आपके मन में कल्पना नहीं है कि गरीब की मदद कैसे की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठी हैं। (व्यवधान) आपको सदन में यह कहना चाहिये कि गरीब लोगों के प्रति इस तरह की ज्यादती नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आंसर ही नहीं आएगा... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई इस समय प्रश्न नहीं है। जीरो आवर नहीं है... (व्यवधान) यह अपूर्ण ही रहेगा। यदि आपने व्यवस्था नहीं की तो यह मर्जी आए जो आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सरकार कुछ नहीं बोले, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं . . (व्यवधान) सरकार से मांग कर रहा हूं कि पुलिस ने जो ज्यादती की है, क्या पुलिस के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान) उस गरीब परिवार के लिए आप सहायता करेंगे? (व्यवधान) गृह मंत्री के रूप में आपको जो जिम्मेदारी दी गयी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप ठीक ढंग से कर रहे हैं, और आपसे आशा भी करते हैं कि आप निश्चित तौर पर खड़े होकर सदन को आश्वस्त करेंगे कि गरीब आदमी को मदद देने के लिये आप आगे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : एक सैकण्ड, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आज यद्यपि जीरो आवर नहीं था लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, मैं चाहूंगी कि यदि आप दे सकते हों तो शाम को 5.00 बजे के आस पास इस बारे में स्टेटमेंट... (व्यवधान) दे सकते हों तो। मैंने आपसे प्रश्न पूछा। अगर आप...

श्री महावीर प्रसाद जैन : तत्काल कुछ... (व्यवधान) तत्काल कौन देना चाहेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप और कोई समय तय कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज अभी इस एक घटना के बारे में सदन का ध्यान माननीय सदस्य ने आकर्षित किया है और इसके अलावा आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहस होगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : देखिये, सामूहिक रूप से तय होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हां, बोलिये, गृह मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज जीरो आवर नहीं था इस कारण से सीधा मुझे आकर कहने का कोई समय नहीं था, पर मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं, वक्तव्य तो आप जब आसन से व्यवस्था करेंगे तो मैं निश्चित रूप से दूंगा, पर मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि जिसने भी कोई गलती की उसकी जांच करके निश्चित रूप से वह व्यक्ति दण्डित होगा जिसने अपने नियमों की अवहेलना की। लेकिन बिना जांच के मैं सजा देने की स्थिति में नहीं हूं। जांच करा कर निश्चित रूप से इसमें जिसका अपराध होगा उसे दण्डित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : मुआवजे के लिये, सहायता के लिये आप जरूर घोषणा करें। आदमी मरा है, यह तो सत्य है, दो आदमी मरे हैं, उसके सम्बन्ध में आप कुछ बात कहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी यह सारा विषय इस समय नहीं होगा, थोड़ा ठहर जाएं, इतनी जल्दी क्या है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह इस स्थिति में नहीं है... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : उन्होंने कहा है, मैं देने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : कब तैयार हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि उसमें कई चीजें बाकी हैं। पोस्टमार्टम उसका अभी हो रहा है और वह भी गुजरात की सीमा में उसके हास्पिटल में हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक आएगी उसके बाद जाकर पता लगेगा कि वह गोली से मरा या किससे मरा। इसलिये अभी...(व्यवधान) जांच कराके जो भी जितना जिसका दंड है उसको सजा मिलेगी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कोटड़ा पी. एच. सी. में हो रहा है, गुजरात में नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको परमीशन लेनी है तो मुख्यमंत्री से लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसे नियमों में चर्चा चल रही है? सदन नियमों से चलता है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : उनके सम्बन्ध में तो कुछ कहना चाहिये . . (व्यवधान) कम से कम आदिवासी की मौत हुई है . . (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कम्पनसेशन, एडहॉक कम्पनसेशन के बारे में तो आप कह सकते हैं। एडहॉक कम्पनसेशन की तो आप घोषणा कर सकते हैं। कम्पनसेशन नहीं करें लेकिन एडहॉक कम्पनसेशन तो कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत पुराने हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बाद कुछ तो होगा। आपने कुछ भी कह दिया, कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बार बार खड़े हो रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं हुआ।

डा. सी. पी. जोशी : गलती हो गयी। 24 घण्टे हो गये...(व्यवधान) इधर मालूम ही नहीं है, 24 घंटे हो गये। गलती सरकार की है और मालूम ही नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अभी इस बारे में दो विचार हैं, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति की डैथ हो गयी,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन लोगों का कहना है कि दो की हुई। अब इस विषय की जब तक पुख्ता जांच होकर नहीं आए, फिर पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी गुजरात के अन्दर गयी और इसके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो सुनिये मंत्रीजी का। मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप बीच में ही खड़े हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आदिवासी की मौत हो जाती है, उस आदिवासी के बारे में किसी प्रकार की बात नहीं कही जाए, यदि यही मौत किसी उच्च जाति के लोगों की हो जाती तो आज ही पांच लाख का हो जाता। मैं इसी टाइम कहना चाहता हूं कि आदिवासी की मौत के पीछे हमारे मंत्री महोदय किसी प्रकार का दखल नहीं दे रहे हैं जबकि यह मौत हुई है, पुलिस की गोली से मौत हुई है। हमारे एस. टी., एस. सी. के प्रति इन लोगों का यही हाल है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास है...(व्यवधान) मैं इसके जो हमारे पास...(व्यवधान) एक सैकण्ड...

श्री मुरारी लाल मीणा : तब कुछ हो जाता है मंत्रीजी को। वहां एस. पी. सस्पैण्ड हो तब ही मानें हम इस बात को। एस. टी., एस. सी. के लोगों के खिलाफ यही आपका चलता रहा तो इस चीज को हम बरदाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़े हैं। माननीय मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा : मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मरे हैं दो आदिवासी, वहां के कलेक्टर और एस. पी. को सस्पैण्ड किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी खड़े हुए हैं, वह कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिये तो सही उनको। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : मैं भीख नहीं मांगता, हमारे लोग मरे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो एक डैथ के बारे में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी जानकारी है उनको एक लाख रूपया हम पहले से ही दे चुके हैं, लेकिन दूसरी के बारे में कन्फर्म नहीं हुआ है, कन्फर्म होने के बाद उसे भी देंगे। एक लाख तो हम दे चुके हैं।

श्री मुरारी लाल मीणा : सस्पैण्ड करो, पांच लाख दो उस आदिवासी को। पांच लाख रूपये एक एक को दो। एस. पी. और कलेक्टर को सस्पैण्ड करने के बाद ही सारा काम हो सकेगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, दो मरा, एक मरा, आपको यही पता नहीं है? एक मरा, दो मरा, यही जानकारी नहीं है?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन... (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-3)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 30 जून, 2004 को मध्याह्न पूर्व 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने दिनांक 1 जुलाई, 2004 से 16 जुलाई, 2004 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :

गुरुवार, दिनांक 1 जुलाई, 2004	शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई, 2004 से रविवार, दिनांक 11 जुलाई, 2004 तक	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2004	परिवर्तित आय व्यस्क अनुमान वर्ष 2004 2005 का उपस्थापन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मंगलवार, दिनांक 13 जुलाई, 2004	परिवर्तित आय व्यस्क अनुमान वर्ष
बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004	2004 2005 पर सामान्य वाद विवाद
गुरूवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004	
शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई, 2004	परिवर्तित आय व्यस्क अनुमान वर्ष 2004 2005 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद विवाद एवं सायं 4.00 बजे सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

शासकीय संकल्प। श्रीमती वसुन्धरा राजे।

शासकीय संकल्प

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्पन्न आशंकाओं के मध्येनजर रावी व्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब विधान सभा में रावी व्यास नदियों से मिलने वाले राजस्थान के हिस्से के संदर्भ में पारित प्रस्ताव की गंभीरता को देखते हुए 28 जून, 2004 को शासन सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी थी। बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों ने यह विचार किया और विमर्श के उपरान्त सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया। सर्वदलीय कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से तैयार किये गये संकल्प को सदन के सामने विचारार्थ पेश कर रही हूं।

देश का कुल 1.16 प्रतिशत सतही जल ही राजस्थान में उपलब्ध है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जबकि भौगोलिक क्षेत्र 10.4 प्रतिशत है तथा प्रदेश के जल संसाधन सीमित एवं कम हैं। रावी व्यास नदियों का जल थार रेगिस्तान के एक बड़े भू भाग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह जल इस क्षेत्र की वस्तुतः जीवनदायिनी तथा आर्थिक विकास का मूल आधार है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की लगभग एक करोड़ जनसंख्या इस पानी के स्रोत पर सिंचाई एवं पेयजल हेतु निर्भर है।

राजस्थान वीरों की भूमि है। इसके जवान देश की रक्षा करने एवं बलिदान देने में अग्रणी हैं। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रूपये व्यय हो जाने के उपरान्त भी राज्य को अपने हिस्से के अनुसार पूरा पानी उपलब्ध न हो पाने के कारण राज्य के किसानों को भारी कठिनाई व आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तथा देश के कृषि उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे राज्य के वीरान व दुर्गम रेगिस्तानी इलाके को अन्न भण्डार बनाने, पेयजल, उपलब्ध कराने व हरा भरा करने के भागीरथी प्रयासों को धक्का पहुंच रहा है।

राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी राज्य को बहुपक्षीय समझौते के हिस्से का पूर्ण 8.60 एम. ए. एफ. पानी नही मिल पाया है। प्राप्त हो रहे पानी की मात्रा में भी उतार चढाव आ रहे हैं, जिससे फसलों को आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिल पाने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विश्व बैंक के सानिध्य में हुई "इंडस वाटर ट्रीटी 1960" पर तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने हस्ताक्षर किये थे। इस संधि के अंतर्गत "इंडस बेसिन" की 3 पूर्वी नदियों, रावी, ब्यास एवं सतलुज का पानी भारत को प्राप्त हुआ। इन नदियों को असीमित उपयोग हेतु भारत को आवंटन में, राजस्थान के पश्चिमी भू भाग में पानी की आवश्यकता की निर्णायक भूमिका रही थी। 1955 में हुए रावी ब्यास नदी के जल के बंटवारे में राजस्थान को 52.63 प्रतिशत पानी (जम्मू और कश्मीर के हिस्से को छोड़कर) आवंटित हुआ था, जिसकी पुष्टि 1981 के समझौते में की गई तथा राजस्थान का हिस्सा पुनः 52.69 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर एवं दिल्ली के आवंटन को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

छोड़कर रखा गया था। खेद का विषय है कि अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग करने में वर्षों पूर्व से ही सक्षम होने के उपरान्त भी तथा निरन्तर आग्रह के पश्चात् भी, राजस्थान का हिस्सा 8.60 एम. ए. एफ. न माना जाकर 8. 00 एम. ए. एफ. के आधार पर 49 प्रतिशत पानी ही दिया जा रहा है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 (1) (सी) के अनुसार नहरों के सभी हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब से भाखड़ा ब्यास नियंत्रण मण्डल (बी. बी. एम. बी.) को हस्तान्तरित करना था जो अब तक नहीं हुआ है। इन हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब के पास होने से राजस्थान के किसानों को समय पर एवं आवश्यकतानुसार पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि सभी हैडवर्क्स का नियंत्रण बी. बी. एम. बी. के पास हो। यह सदन पुरजोर शब्दों मे केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि रोपड़ हरि के एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण बी. बी. एम. बी. के अधीन अतिशीघ्र किया जाए।

पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में किये गये समझौतों के अंतर्गत राजस्थान को आबंटित पूरा जल प्राप्त करने का अधिकार है। सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनुमोदित इन समझौतों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इनका उल्लंघन एवं एकपक्षीय पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है। ये अन्तरराज्यीय जल समझौते हैं तथा इन पर राइपेरियन सिद्धांत लागू नहीं होता है। अन्तरराज्यीय समझौतों को राइपेरियन सिद्धान्त के आधार पर चुनौती देना तर्कसंगत नहीं है। समझौते अधिकतम क्षेत्र एवं जनसंख्या के लाभ को ध्यान में रखते हुए किये गये है, जो एक मान्य सिद्धांत है, अतः इन्हें किसी भी तरह तदर्थ पर परिस्थितिवश किये गये होना नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त परिदृश्य में पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, राजस्थान की जनता एवं राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। अतः यह सदन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करता है कि :

1. राजस्थान राज्य इंडस बेसिन का भाग है। 1955 एवं 1981 के अनुबंध पुण्यमय (sacrosanc), सर्वमान्य, स्थायी, अन्तरराज्यीय जल बंटवारे के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्थापित सिद्धान्तों पर आधारित है, तथा इन पर राइपेरियन सिद्धान्त निष्प्रभावी है।

2. रावी व्यास नदियों के 1981 के समझौते के अनुरूप 52.69 प्रतिशत (18.60 एम. ए. एफ.) जल की प्राप्ति एवं इस अहस्तान्तरणीय अधिकार। (inalienable right) की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।

3. राज्य सरकार को निम्न मामलों में आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता है :-

(1) 1981 अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान के पूरे हिस्से को सुरक्षित रखने एवं अभी तक न मिल रहे 0.60 एम. ए. एफ. हिस्से को मिलाकर 52.69 प्रतिशत पानी प्राप्त करने हेतु एवं

(2) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79(1) (सी) के अन्तर्गत रोपड़ हरिके एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स को बी.बी.एम.बी. को हस्तान्तरण करवाये जाने हेतु।

4. दृढता से घोषित करता है कि राजस्थान को रावी ब्यास के जल में प्राप्त अधिकार के पुनर्विचार या पुनराकलन की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही राजस्थान वैध समझौतों के पुनर्विचार को स्वीकार करेगा और यह सदन ऐसे सभी प्रस्तावों के पूर्णता विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण जी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा, उसका अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 23 फरवरी, 1983 को इसी सदन में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था और वह प्रस्ताव मैने सदन के सम्मुख मुख्य मंत्री की हैसियत से रखा था। 22 साल और 6 महीने के अंतराल के बाद यह दूसरा प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हो रहा है, परिस्थितियां करीब करीब वही हैं। उस समय अकाली दल ने यह बात उठायी थी कि राजस्थान को जो पानी दिया जा रहा है वह वाजिब नहीं है और पंजाब के किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी भी अन्य प्रदेश को पानी नहीं दिया

(श्री शिवचरण माथुर)

जा सकता है। उस वक्त यह भी कहा गया था कि इसके लिए जो कुछ भी कार्यवाही करनी पड़े यहां तक कि अकाली दल ने आंदोलन की धमकी भी दी थी। हमारे पंजाब से सदैव बहुत मधुर सम्बन्ध रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि पानी के बंटवारे के सिलसिले में जो अंतरराज्यीय समझौते हुए और जो इतिहास की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं, उनको किसी प्रकार से हम छेड़छाड़ करें। पानी की थोड़ी बहुत कमी और अधिकता के प्रश्न को हम आपस में बैठकर सुलझा लिया करते थे। ऐसी कोई नौबत नहीं आयी जबकि हमें आमने सामने कन्सफन्टेशन का सामना करना पडे। हालांकि हैडवर्क्स उनके कब्जे में थे, फिर भी उनके कांटेक्ट पाइंटस को देखने के बाद में हमारे चीफ इंजीनियर ओर हमारे मैम्बर्स जाते थे और आपस की बातचीत से मामला सुलझ जाता था। लेकिन हमारी चिंता उस वक्त बढ़ गयी जब अभी हाल पंजाब की विधानसभा ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया और उसमें इस अंतरराज्यीय समझौते के मूलभूत सिद्धान्त को और उसकी भावना को एक चुनौती दी गयी और यह कहा गया है कि किन्ही परिस्थितिवश यह समझौते किये गये थे जो उनकी दृष्टि से एडहॉक हैं। उन्होंने यह भी कहा और उसमें राजस्थान का भी नाम लिया कि राजस्थान को भी जो पानी अतिरिक्त दिया जा रहा है उसको देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं और इसलिए उन्होंने यह मांग की कि भारत सरकार संविधान की धारा 252 के अंतर्गत इस मामले का पुनरीक्षण करे और नये सिरे से एक वाटर ट्रिब्यूनल का गठन करे जो इस अतिरिक्त पानी के बारे में जांच करे और यह निर्णय दे कि किस-किस प्रदेश को कितना कितना पानी मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की चिंता खास तौर से इसलिए भी बढ़ गई कि पंजाब की सरकार ने भी और पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी जगह-जगह अखबारों में बयान दिये मेरे पास पंजाब केसरी की एक कटिंग है, कितनी सच है, कितनी गलत है, मैं नहीं कहता लेकिन यहां तक कहा गया पंजाब के नेताओं द्वारा कि यदि इमर्जेन्सी का भी सामना करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। ऐसी भावनाओं को जब उभार देने का सवाल आया तो राजस्थान जैसा प्रदेश, जिसका आधार पानी है और जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, यहां की भूमि करीब 10 प्रतिशत से ज्यादा है और पानी मुश्किल से 1.16 प्रतिशत सारे देश का है। हमारे पास जमीन खूब है।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं जिनमें इण्डस वाटर ट्रीटी, 1960 में सम्पन्न हुई थी। 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने। उस समय सारा पानी, हिमालय से निकलने वाली पांच नदियां, बल्कि छह कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, चिनाब, झेलम, यह सब पानी लेकर समुद्र में गिर जाया करती थी। कुछ काम इस पर हुआ। हमारे हिन्दुस्तान के क्षेत्र में भी कई जगह पर नदियों को बांधा गया, नहरें निकाली गई और उससे राजस्थान की भूमि पर पानी लाया गया। गंग कैनाल उसका एक उदाहरण है।

मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन बीकानेर स्टेट के शासक महाराजा गंगासिंहजी ने 1914 से पहले इस बात को सोचा कि सतलुज नदी के पानी को यदि डाइवर्ट कर दिया जाए तो राजस्थान के पास इतनी भूमि है कि उसका उपयोग करके हम अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। उनके इस प्रस्ताव पर बहस हुई और यह वायसराय के पास गया। तत्कालीन वायसराय ने इस प्रस्ताव पर उनके कौंसिल के एक मैम्बर, क्लार्ड हिल को नियुक्त किया। इस सारी समस्या को जानने के लिए, विभिन्न पार्टियों से चर्चा करने के लिए और उस पर कुछ रिकमण्डेशन करने के लिए भी बात कही गई। लगातार चार साल तक, 1914 से 1918 तक चर्चाएं चलती रही, दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्ताव रखे, अपने विचार रखे। बहावलपुर जो तत्कालीन रयासत थी, उसने एतराज क्या कि चूंकि बहावलपुर लोअर राइपेरियन स्टेट है, इसलिए यदि पानी ऊपर बांध दिया जाता है तो उसके पानी को नुकसान होगा। इस बात को बहुत जोरदार तरीके से बीकानेर रियासत के गंगासिंह जी ने विरोध किया और कहा कि राइपेरियन सिद्धांत कोई खास मानने वाला सिद्धान्त नहीं है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राइपेरियन सिद्धान्त की जो बात पंजाब कहता है, एक ऐसा पुराना, दकियानूसी सिद्धान्त लाकर उन्होंने सामने रखा है जिसका कोई आधार आज के युग में नहीं है। वायसराय का जो क्लाई हिल कमीशन था उसने निर्णय किया कि राइपेरियन सिद्धान्त लागू नहीं होता है और राजस्थान को पानी दिया जा सकता है, गंगानगर बीकानेर को पानी दिया जा सकता है। उसके बाद वायसराय ने कहा कि तीनों पार्टियां एग्रीमेंट करें। तीनों पार्टियां बैठी, तत्कालीन बीक़ानेर रियासत की तरफ से एक त्रिपक्षीय

(श्री शिवचरण माथुर)

समझौता हुआ 1920 में, जिसके द्वारा गंग कैनाल बनाने का आधार निश्चित किया गया और करीब पांच छह साल के बाद 1927 में गंग कैनाल चालू हुई। यह राइपेरियन सिद्धान्त उसी वक्त खतम हो गया था।

इसी प्रकार का आब्जेक्शन अनडिवाइडेड इण्डिया के सिंध प्रांत ने उठाया था। सिंध ने यह कहा कि चूंकि ऊपर नदियों को बांधा जाएगा तो हम जो लोअर राइपेरियन स्टेट हैं, उनके पानी का पूरा उपयोग करने का हमारा अधिकार छिन्न जाएगा, इसलिए ऊपर नहीं बनना चाहिए। इस पर भी बातचीत हुई और एक कमीशन मुकर्रर किया गया। उसी ने 1903 में यह फैसला दिया कि यह बात सही नहीं है और इस पानी का उपयोग ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट पर्सन के सिद्धान्त पर किया जा सकता है। उसी आधार पर भाखड़ा डैम का काम स्वीकृत हुआ। आजादी के पहले उस काम को शुरू कर दिया गया था, सिद्धान्ततः शुरू कर दिया गया था, हालांकि उसका निर्माण बाद में हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि राइपेरियन सिद्धान्त और इण्डस बेसिन की बात जो उन्होंने कही है, राइपेरियन, इण्डस बेसिन, दोनों बातें पंजाब के प्रस्ताव में कही गई हैं। राइपेरियन सिद्धान्त तो किसी प्रकार से भी उस क्षेत्र में लागू नहीं होता है। यदि राइपेरियन सिद्धान्त को लागू करने की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं कि अपर रीचेज से जो पानी आता है, उस पर भी राइपेरियन सिद्धान्त लागू होता है। पंजाब के जो लोअर रीचेज हैं उनमें भी उस पानी को नहीं लिया जा सकता। यदि यह सिद्धान्त लागू होता है तो सब नदियां तो हिमाचल से निकलती हैं, हिमाचल भी कह सकता है कि राइपेरियन सिद्धान्त के आधार पर हमारे पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर हिमाचल कहां ले जाएगा उस पानी को ? आखिर पानी तो अपने बहाव के अनुसार नीचे आएगा ही। राइपेरियन सिद्धान्त का पंजाब ने अपनी दलील में कहा है, मैं यह मानता हूं कि समय की कसौटी पर वह खरा नहीं उतरा है और उसका आज कोई वैचारिक आधार नहीं है, एक बात तो यह साफ हो गई।

दूसरी बात, पंजाब ने यह भी कहा कि राजस्थान इण्डस बेसिन का भाग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से निर्णयों में, खास तौर से मैं कोट करना चाहता हूं, तीन बेसिन हमारे देश में बनाये गये हैं,

(श्री शिवचरण माथुर)

इण्डस बेसिन, गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन और दक्षिण बेसिन, 1972 में इर्रिगेशन कमीशन अजीत प्रसादजी जैन की अध्यक्षता में कायम हुआ था. उन्होंने भी इस प्रश्न को देखा और 1972 में इण्डस बेसिन की जो व्याख्या उन्होंने की है, आज वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

''The Indus basin is bounded on the east by Himalayas, on the north by the karakoram and Haramosh ranges, on the west by the Sulaiman and Kirthar ranges and on the south by the Arabian sea. The basin in Indian territory has a maximum east-west length of about 855 km along 75^0 east longtitude and a maximum width of about 560 km along $34^0$25' north latitude. The basin has double fan or palm shape. The upper portion of basin lying in Tibet (China), Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and part of Pakistan comprises mostly mountain ranges and narrow valleys. in Punjab, Haryana and Rajasthan in India and West Punjab and Sindh in Pakistan is one flat vast stretch of what was once a desert and waste land but which is now the renowned and fertile granary of both countries. Down south in Sindh, the basin includes some delta areas."

राजस्थान को इण्डस बेसिन का पार्ट माना गया है।

"The Tribunal examined all the objections of the Punjab Government and came to the following conclusions:

(1) it is clear from the above paragraph that parts of Punjab Haryana and Rajasthan are within the Indus basin.

इसलिए पंजाब का यह कहना कि राजस्थान का हिस्सा इण्डस बेसिन का पार्ट नहीं है, यह इर्रिगेशन कमीशन जो 1972 में बना था, उससे बिलकुल निश्चित हो गया है और मैं समझता हूं कि उसका कोई आधार नही है।

इसी प्रकार से 1960 में जो इण्डस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले डाक्टर एन. डी. गुलाटी जो हमारी तरफ से एक प्रिंसीपल निगोशिएटर थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि Rajasthan is part of the Indus basin.

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थित में पंजाब का यह दावा कि पंजाब राइपेरियन स्टेट है, सिद्धान्ततः गलत है। उसके विरोध में बहुत से तालाब बने, बांध बने हैं, निर्माण हुए हैं और उनमें गंग कैनाल तथा भाखड़ा डैम बहुत साफ

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रमाण है। इसलिए दोनों बातें जो पंजाब ने इस सम्बन्ध में कही है, वे निराधार हैं। और उनको मानने का कोई आधार नहीं बनता है।

अध्यक्ष महोदय, 23 फरवरी, 1983 को जो प्रस्ताव यहां सदन में प्रस्तुत किया गया, उसको मैंने प्रस्तुत किया था और जिस पर इतनी लम्बी-चौड़ी बहस हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया। आज के प्रस्ताव में और उस दिन के प्रस्ताव में अंतर केवल एक है और वह अंतर यह है कि उस समय के हमारे विपक्ष के नेता...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : आज के प्रस्ताव में और उस दिन के प्रस्ताव में केवल एक अंतर है कि इस प्रस्ताव के बाद में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

डा. सी. पी. जोशी : कल बदल जाओगे। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका सम्मान करता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : तिवाड़ी जी, इसकी गम्भीरता को समाप्त मत कीजिएगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बहुत गम्भीर मसला है, डाइवर्ट न करें।

श्री शिवचरण माथुर : बहस की गम्भीरता को समाप्त मत कीजिए मेहरबानी करके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गम्भीरता को नहीं, मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपने दो समझौते किये। उस प्रस्ताव के बाद आपने दो समझौते किये, उन पर भी बोलिये आप। (व्यवधान) सदन के सामने चर्चा तो करिये आप।

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। संकल्प को सर्वसम्मति से पास होना है, छींटाकशी करेंगे तो खामखाह में कटुता आएगी, क्या फायदा।

श्री शिवचरण माथुर : आज तो केवल 1981 के समझौते का सवाल है उस दिन के प्रस्ताव में और आज के प्रस्ताव में अंतर केवल यह है कि उस दिन कुछ शंकाएं व्यक्त की गई, उस वक्त के विपक्ष के नेता, जो आज हमारे सम्माननीय उप राष्ट्रपति हैं, आज हमारे बीच में सदन में नहीं हैं। अगर होते तो मैं उनको निवेदन करता कि आपकी जो शंका थी उसका कोई मूल आधार नहीं था। उनके द्वारा जो शंकाएं व्यक्त की गई थीं, उसका कहीं पर कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने यह कहा था कि मैं मूलतः इस प्रस्ताव की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं डरता हूं, कहीं केन्द्र की सरकार अकाली दल के दबाव में न आ जाए। यह उन्होंने कहा, केन्द्र की सरकार हमारे सब समझौतों को एनल करके अपने आप कोई ऐसा एकपक्षीय आर्डर न निकाल दे जिससे कि हमको नुकसान हो। उसके बाद में अकाली दल भी रहा, आप भी सदन में करीब नौ साल तक सत्ता पक्ष में रहें और 1998 से 2004 तक इस चुनाव तक अकाली दल आपके गठबंधन का सदस्य भी रहा है, न कोई किसी के दबाव में आया और न कोई ऐसी परिस्थितियां बनी। उस वक्त यह भी कहा गया कि मैं चूंकि गुलाम हूं, किसी ऊपर के नेता के दबाव में आकर समझौता किया है। बाद में विपक्षी नेता ने इसको स्वीकार किया कि कोई शर्त रखना नहीं चाहता और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आखिर में इस बात को स्वीकार किया कि इसकी गंभीरता को समझकर हम एकमत से इस प्रस्ताव को पारित करें। मैं इस सदन की मार्फत उप राष्ट्रपतिजी को निवेदन करना चाहता हूं, सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने दिमाग से उस शंका को निकाल दें, हम कोई किसी के दबाव में नहीं आये, हमने राजस्थान के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यकता नहीं है अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसका स्पष्टीकरण क्यों देते हो?

श्री शिवचरण माथुर : सुनिए तो सही, संदर्भ देना जरूरी होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह बहुत हो गया, उस वक्त तो हम लोग स्कूलों में पढ़ा करते थे, बहुत पुरानी बात हो गई।

श्री शिवचरण माथुर : अगर आप बीच बीच में टोकेंगे तो मैं समझता हूं...(व्यवधान) 1981 का जो समझौता हम लोग...

श्री अध्यक्ष : आप बोलने तो दीजिए, बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा था कि 1981 में आपने जो समझौता किया, दशमलव 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जब तक हम हमारे इंटरेस्ट यूज नहीं करेंगे, वे देते। इस गलती की ओर उन्होंने इशारा किया था कि आप यह गलती कर बैठे उस समय।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आ रहा हूं, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

यह नहीं कहा...

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रोसिडिंग्स में है, यह कहा है।

श्री शिवचरण माथुर : प्रोसिडिंग मैंने भी पढ़ी हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं उस समय रहा हूं, सदन में था।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बोलने के बाद आप जितना बोलना चाहें, बोलिएगा, आप स्वतंत्र है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान न करें।

श्री शिवचरण माथुर : आप जो गंभीरता इस प्रस्ताव की है, जैसी गंभीरता उस समय विपक्ष के नेता ने बतायी और जो बहस हुई उसको पढ़ेगे आप तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सारा राजस्थान कटिंग एक्रांस दी पार्टी बैरियर्स, एक प्रश्न पर एक था और हमने उस वक्त यह कहा था कि किसी भी चुनौती का हम सामना करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आज भी वैसा ही होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : वही मैं कर रहा हूं, लेकिन ये टोकाटाकी कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : टोकाटाकी न करें। अब आप कोई टोकाटाकी न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्पष्टीकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवचरण माथुर : स्पष्टीकरण बाद में मांग लेना, तिवाड़ी जी।

डा. सी. पी. जोशी : आप दोनों तो लायलटी बता रहे हैं लीडर के प्रति। दोनों कम्पीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : 1981 के समझौते में एक ऐसी परिस्थिति थी, 8.60 मिलियन एकड़ फुट पानी तो तय हो गया और उसका आधार बना 1955 का जो एग्रीमेंट था, उसमें जो प्री पार्टीशन यूज था करीब 3.13 मिलियन एकड़ फुट का, पार्टिशन के पहले उसको निकालते हुए रावी ब्यास, सतलुज नदियों में जितना पानी उपलब्ध था 15.85 मिलियन एकड़ फुट उसका जो बंटवारा हुआ उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान को पानी मिला। 15.85 में 8 मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को मिला, जो करीब 52.69, प्रस्ताव में पढ़ा, उसका हिस्सा बनता था। लेकिन उसके बाद में जो 7.2 मिलियन एकड़ फुट पानी अनडिवाइडेड पंजाब को मिला, जिसमें हरियाणा के बनने के बाद दोनों प्रदेशों को बराबर का हिस्सा दिया, 3.5 मिलियन एकड़ फुट हरियाणा और 3.5 मिलियन एकड़ फुट पंजाब को दिया गया, पंजाब ने इस पर एतराज किया और हरियाणा ने कहा कि नहीं वह सुप्रीम कोर्ट में गया। उसने कहा कि इस प्रस्ताव को इंप्लीमेंट कीजिएगा। इस पर बहुत बहस चली, कोर्ट में मामला चला, अंत में यह निर्णय किया गया कि इन सारी फलोसीरिज को फिर से देखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, 15.85 मिलियन एकड फुट का जो आकलन था तीन नदियों के पानी का वो 25 साल की फलोसीरिज के आधार पर हुआ था। 1921 से 1945 तक की जो 25 साल की फलोसीरिज होती है उसके आधार पर जो पानी का आकलन किया गया उसका बंटवारा उस प्रकार से किया गया। लेकिन पंजाब ने आब्जेक्ट किया, हरियाणा ने उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही तो फिर से फलोसीरिज का अध्ययन किया गया और फलोसीरिज का अध्ययन करने के बाद 40 साल की फलोसीरिज का आकलन किया गया। उसके मुताबिक 40 साल की फलोसीरिज में 15.85 मिलियन एकड़ फुट की बजाय जो पानी उपलब्ध था वह 17.17 मिलियन एकड़ फुट था। फिर से सभी प्रदेशों के बंटवारे का सवाल आया उसमें भी राजस्थान को ज्यादा मिला। 17.17 में हमको 8.60 मिलियन एकड़ फुट मिला। लेकिन सवाल यह था कि उस समय हमारी कैपेसिटी उसको लेने की नहीं थी। मुझे याद है, आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुत गंभीरता से और बिना किसी हिचक के कि

(श्री शिवचरण माथुर)

जो पानी इन तीन नदियों में जाता था उसका काफी बड़ा हिस्सा उस समय पाकिस्तान को जा रहा था। अंदाज था कि करीब चार या पांच मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान को जा रहा था लेकिन क्योंकि हमारे पास उसको कंटेन करने के लिए साधन नहीं थे, ऐसा तंत्र हमारा डवलप नहीं हुआ था इसलिए हमने सोचा कि व्यापक रूप से जब हमारे पास वह तंत्र नहीं है, अगर उसका उपयोग पंजाब करे, पंजाब हमारे देश का एक हिस्सा है इसलिए हमने उसको ट्रांजिशनल पीरियड में थोड़े समय के लिए जब तक कि राजस्थान वह सारी सुविधाएं डवलप नहीं करता तब तक के लिए पंजाब को उसका उपयोग करने के लिए दे दिया।

श्री विष्णु मोदी : अब तो वापस ले आएंगे?

श्री शिवचरण माथुर : आप और हम तब लाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बीच में आप टोकाटाकी न करें।

श्री शिवचरण माथुर : आप और हम सब लाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले यह अपना वक्तव्य दे दें फिर इनसे कोई प्रश्न करना हो, जानकारी लेनी हो, ले लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बीच में नहीं। व्यवधान ठीक नहीं है बीच में।

श्री शिवचरण माथुर : मोदीजी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज जो प्रस्ताव आया है उसमें मैं कोई कांग्रेस की तरफ से अलग नहीं हूं, आप बी.जे.पी. की तरफ से अलग नहीं है, सारा सदन एकमत है। इस प्रस्ताव में भी कहा गया है, जो भी संभव उपाय होंगे, कानूनी, प्रशासनिक, किसी से मिलने का सवाल आता है, हम सामूहिक रूप से जाएंगे, प्रधान मंत्रीजी को निवेदन करेंगे राष्ट्रपति जी को निवेदन करेंगे और हमारे हिस्से को पूरा लेने की हमारी कोशिश होगी, जैसा कि पंजाब ने कहा है। इसलिए इसमें केवल मेरा सवाल नहीं है, अब तो आपका सवाल है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप जाकर कहिए कि हमारे हिस्से का आप पानी दीजिएगा। हम आपके साथ हैं। हमारी सरकार पंजाब में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे कहना चाहेंगे कि राजस्थान के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम इस सदन के

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रस्ताव के मार्फत उठाया जाएगा, हम आपके साथ हैं और संपूर्ण रूप से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी हमको मिले, यह हमारी चेष्टा होगी।

हमारे हिस्से का 0.60 मिलियन एकड़ फुट पानी आज तक भी नहीं दिया गया है, यह हमारी मांग है। इस प्रस्ताव में हम कहते हैं, उस पानी को हमें दीजिए।

और उसके बाद कुछ दिनों बाद में पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई, 1984 में पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई। उसको कन्टेन करने के लिए राजीव गांधी जी ने जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे, लोंगोवाल साहब उनसे बैठकर समझौता किया। उसमें निर्णय किया कि एडहॉक बेसिस पर कुछ पानी पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को अभी तय कर लिया जाए और उसके बाद में जो भी निर्णय हो अंतिम रूप से, उसके हिसाब से पानी उनको दे दिया जाए। वहां भी चूंकि पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा शामिल नहीं थे लोंगोवाल अकार्ड में, इसलिए भारत सरकार ने उसको एक कानूनी स्वरूप देने के लिए सुओमोटो निर्णय किया और एक आर्डिनेंस बनाया 1986 में, उस आर्डिनेंस में यह तय किया कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाए। उस कमीशन के जो चेयरमैन थे। वे जस्टिस इराड़ी थे और दो और जस्टिस अलमदी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और एक शायद मिस्टर नारायण, ये तीन मैम्बर्स उसके बने। सुप्रीम कोर्ट के जजेज थे, उनको यह अधिकार दिया गया कि सब बातों का निर्णय करके एक रिकमंडेशन दें कि अलग अलग किस-किस को कितना-कितना पानी मिलना चाहिए। इराड़ी कमीशन ने सब चीजों को देखकर, तीनों स्टेटस में वे गये, पानी का उपयोग कैसे हो रहा है इस बात की उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद यह तय किया कि एडहाक बेबिस पर 30 परसेंट पंजाब को, 21 परसेंट हरियाणा को और 49 परसेंट राजस्थान को पानी दिया जाना चाहिए। हमने उस पर एतराज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एडहॉक अलाटमेंट है, इसको अंतिम रूप देने के लिए और इसमें निर्णय किया जाएगा। हमने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। आप कहेंगे, साहब, आपने क्या किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने स्वीकार किया था, माथुर साहब, आपने स्वीकार किया, राजस्थान पार्टी भी नहीं था, राजस्थान को पार्टी बनाया गया। 52 परसेंट से घटाकर आपने 49 परसेंट शेयर किया, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) क्योंकि यह बात सही है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या सही है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन में सही बात आएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई सही बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के हित की लड़ाई है, उसको लड़ना पड़ेगा सब को मिलकर। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उसका तरीका यह है। दोनों का तरीका यह है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी। (व्यवधान) नहीं, मेरी सुनिए आप पहले। पहले आप मेरी सुनेंगे। पहले मेरी व्यवस्था सुनेंगे आप।

श्री शिवचरण माथुर : आप तो पुराने सदस्य हैं, नियम यह है कि जब तक...

श्री अध्यक्ष : माथुर साहब, एक सैकण्ड को आप बिराजें। मैं आपसे कह रही हूं कि जब बोलना खत्म कर दे उसके बाद आपको यदि कुछ बात कहनी हो तो कह दीजिएगा लेकिन बीच में आप टोका टोकी नहीं करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : वैसे तो मैं घनश्याम जी तिवाडी को बहुत अच्छा विधायक मानता हूं पार्लियामेंटेरियन मानता हूं, शायद यह नियमों से भी परिचित होंगे। सभा में बैठने का नियम यह है कि जब तक बोलने वाला यील्ड नहीं करे, यह नहीं कहे कि आप बोल सकते हैं तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप यील्ड नहीं कर रहे हैं?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यील्ड नहीं किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो ठीक है फिर।

श्री शिवचरण माथुर : आप अगर बाद में कहें, मेरे कहने के बाद खूब बोलिए न आप। अध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर बोलिए।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बोलें। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों का पालन कराने में बहुत सख्त हैं, कम से कम मैं बोलूं...

श्री जीतमल खांट : जब आप खुद ही बोल रहे हैं तो हमको क्या सिखाएंगे। यही सिखाएंगे? (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : जब तक कोई बोलने वाला यील्ड नही करे तब तक आप किसी को इजाजत मत दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छा, नही बोलेंगे, बोलें आप।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर यहां पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक बात है।

श्री शिवचरण माथुर : जिसमें अगर हमने कोई गलती की हो तो मानते हैं, उसको स्वीकार करेंगे, अगर गलती नहीं की हो तो कैसे स्वीकार करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : अब मैं कोई स्थिति में हूं कि स्वीकार करूंगा आज?

श्री अध्यक्ष : बोलिए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, आधा घंटा हो गया, कनक्लूड करिये आप।

श्री शिवचरण माथुर : आज मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री तो नहीं हूं, मुझसे आप बराबर कह रहे है।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा तो हो गया, कनक्लूड भी करिए।

श्री शिवचरण माथुर : एक राजस्थान के व्यापक हित में हमने यह समझौता किया और उसके बाद निरन्तर यह कहते रहे कि कैपेसिटी डवलप कर ली है इस पानी को कन्टेन करने की, आप हमारा पूरा पानी दे दीजिए। 1990 के बाद जब बी. जे. पी. की सरकार आई तो मैं आपको फाइल्स दिखा सकता हूं और रिकार्डस दिखा सकता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप किसकी सरकार आई और गई, छोड़ दीजिए और आज के संकल्प पर बात कीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : ऐतिहासिक पाइंट तो कहना ही पड़ेगा। अगर कोई बात नहीं कहनी हो तो दो मिनट में प्रस्ताव पास कर दीजिए, क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा है, अब आप पांच मिनट में कनक्लूड करिए, आप आधे घंटे से कह रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : पांच मिनट में नहीं करूंगा, पांच मिनट में बिलकुल नहीं करूंगा। अगर सदन के वरिष्ठ सदस्य चाहते है...

श्री अध्यक्ष : तो कितनी देर में करेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : घंटा भी लग सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माथुर साहब बोल रहे हैं, लोग कम बोलेंगे, हमारा टाइम माथुर साहब को दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बोलने वालों की आपके यहां से भी लम्बी सूची दी है।

श्री शिवचरण माथुर : तो रात भर बैठेगे, हम लोग रात भर बैठेंगे लेकिन इसको फाइनल करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : संजीदा बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप अनुभवी हैं, आपने 1981 का भी समझौता किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, बाकी कम बोल लेंगे, आपको सारा ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, हम भी इंतजार कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आज रात भर चलाइये इसको।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, बोलिए।

श्री शिवचरण माथुर : हम तैयार हैं, आप खाने का इंतजाम कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज कन्टीन्यू करिए। आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं। वह बोल रहे हैं और बीच-बीच खड़े हो रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : 1981 के समझौते के बाद में जो पंजाब की स्थितियां बनी ला एण्ड आर्डर की, उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके बाद में इराडी कमीशन बना, उसने सारा अध्ययन करने के बाद में रिपोर्ट दी। उसमें भी यह कहा गया था कि पंजाब का और राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इराडी कमीशन ने हमको सपोर्ट दिया, हमारे निर्णय को अपहोल्ड किया। अजीत प्रसाद जैन ने हमको अपहोल्ड किया। इंडस बेसिन में हम लोग आते हैं, इस बात को स्वीकार किया गया। सब तरफ से राजस्थान के केस को किसी ने भी डिसप्यूट नहीं किया। यह जगह-जगह विपक्ष के नेता महोदय ने उस पर भी कहा है। आप अगर प्रोसिडिंग्स को पढ़े तो आपने यही बात कही है कि राजस्थान का किसी ने डिसप्यूट ही नहीं किया है। जब राजस्थान का डिसप्यूट किसी ने नहीं किया है तो यहां सवाल क्या होता है, प्रोवोकेटिंग लैंग्वेज में एक प्रस्ताव पारित करने मैं समझता हूं उसी कारण वे आज हमको एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करने की जरूरत पड़ गई।

अध्यक्ष जी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जब यह ट्रीटी हुई थीं, जिस पर कि भारत सरकार की ओर से हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और पाकिस्तान की ओर से उस समय के राष्ट्रपति चीफ एयर मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान ने दस्तख्त किये थे। उसके पहले से वर्ल्ड बैंक के और हमारे बीच में पत्र व्यवहार हुआ। उन्होंने कई शंकाएं उत्पन्न की और उन्होंने यह भी कहा कि पानी इतना है आपको और पंजाब के पास जमीन

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं है इसलिए आप उसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। उस समय अगर राजस्थान की जमीन का हवाला नहीं होता तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान को पानी मिलता ही नहीं। अपने मूल प्रस्ताव में जो बात कही है, उसमें राजस्थान की भूमि को किंग पिग माना है। उसमें मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा है "The requirements of irrigation of arid areas of Rajasthan from major and important part. in fact, Rajasthan's needs were the kingpin of the whole case of India."

अगर राजस्थान की भूमि इतनी उपलब्ध नहीं होती तो पानी का उपयोग ही नहीं हो सकता था क्योंकि पंजाब में पहले से ही पानी का उपयोग हो रहा था, स्थिति यह थी कि 1981 में जब हम समझौता करने की स्थिति में आ रहे थे उस समय पंजाब में जबरदस्त वाटर लागिंग की समस्या बन रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, स्मरण आता है, दरबारा सिंह जी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहां इतनी ज्यादा वाटर लागिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है कि हमने एंटी वाटर लालिंग प्रोजेक्ट बनाये हैं। जिन पर उस समय में करीब 200 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। अगर इतनी जमीन नही होती राजस्थान की तो शायद यह इंडस वाटर ट्रीटी नहीं होती और उसमें इन तीनों नदियों का पानी हमको मिलने में दिक्कत आती। इस ट्रीटी को करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि केवल बातचीत से हमने हल कर लिया होता। पाकिस्तान ने पैसा मांगा। उन्होंने कहा कि साहब, हमने इससे पहले से ही बहुत से वर्क्स तैयार कर लिये हैं उनके रिप्लेसमेंट का सवाल आएगा तो हिन्दुस्तान को कुछ मुआवजा देना चाहिए। उस समय भी मैंने ट्रीटी के बिन्दुओं को पढ़ा है उसमें 62 लाख हजार स्टर्लिंग पाउण्ड, यह करीब करीब 110 करोड़ रूपये उस समय की इंडियन करेंसी में होता है। 110 करोड रूपया हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को मुआवजे के तौर पर दिया था और यह कहा था कि आप उसके रिप्सलेसमेंट पर खर्च कीजिये। उस पैसे को देने के बाद में एक्सक्लूजिव राइट हिन्दुस्तान को मिले।

श्री नरपत सिंह राजवी : सतलुज का था क्योंकि बहावलपुर का जो था सतलुज वाले पार्ट में था।

श्री शिवचरण माथुर : सतलुज के पानी का तो पहले कन्टेनमैण्ट हो ही चुका था।

श्री नरपत सिंह राजवी : उसी को दिया, डेढ सौ करोड़, 140 करोड़।

श्री शिवचरण माथुर : 110 तो हमने दिया और उसके बाद हमारे को इसके एक्सक्लूजिव राइट मिले इस पानी को उपयोग करने के उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर जो बनी, मैं समझता हूं दुनिया के अन्दर सबसे बड़ा एक इर्रिगेशन चैनल है। दुनिया में इतना बड़ा कहीं भी सिंचाई का तंत्र नहीं है जितना कि यहां है। 204 किलोमीटर तो हमारा फीडर आता है जिसका एक्सक्लूसिव राइट हमको है और कोई बीच में उस पानी को नहीं ले सकता। उसके बाद में हमारा फर्स्ट स्टेज, सैकण्ड स्टेज और आज तो आपसे कहना चाहूंगा, जब हम 1981 का समझौता कर रहे थे उस समय मुश्किल से हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म होने वाला था, सैकिण्ड स्टेज में हम काम शुरू करने वाले थे, लेकिन आज तो मैं देखता हूं कि हमारा पानी गडरा रोड तक पहुंच गया है। सागरमल गोपा और शहीद बीरबल कैनाल्स के बनने के बाद में, और लैफ्ट की तरफ हमारी 7-8 जो लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम बनी है जिसमें चूरू की स्कीम है, कोलायत की स्कीम है, लूणकरणसर की स्कीम है, इन सब के बनने के बाद में आज हमारी स्थिति ऐसी है कि सिंचाई का तंत्र हमने क्रियेट कर लिया है, उसको कोई पानी नहीं मिलेगा तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि राजस्थान के बहुत बडे हिस्से में इसका बुरा असर पड़ेगा।

पंजाब के प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब देश का स्वोर्डआर्म है, तलवार है देश की जो रक्षा करती है। शायद यह भूल गये कि हमारी जो पाकिस्तान की सीमा है वह एक हजार किलोमीटर है जो उनसे ज्यादा बड़ी सीमा है। और उनकी सीमा में तो ऐसा है कि मैन टू मैन फाइट होती है। हमारी सीमा तो आप बाड़मेर, जैसलमेर में जाइये तो वहां हैबिटेशन ही नहीं है। एक बात आपको मालूम हो कि 1971 के वार में पाकिस्तान का एक पूरा टैंक्स का दस्ता हिन्दुस्तान में आ गया था, वह तो हमारे नौजवानों ने, खास तौर से हमारी वायु सेना ने उस पर जो हमला किया उससे हमने उन टैंको की वही शवयात्रा बना दी थी, इसलिए राजस्थान के वीरों ने कुर्बानियां दी हैं हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने में। कारगिल का अभी युद्ध हुआ, राजस्थान के कितने लोग शहीद हुए, मैं समझता हूं कि राजस्थान की भूमि तो वीरप्रसविनी

(श्री शिवचरण माथुर)

भूमि है। यहां से तो वीर पैदा होते हैं, वीरों की जननी भूमि है इसलिए उनका यह कहना कि केवल हम ही देश की सुरक्षा करते हैं, मैं समझता हूं कि सही तर्क नहीं है। हां, वो भी करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि पंजाब के भी बहादुर नौजवान देश की रक्षा में उतने ही अच्छे हैं, लेकिन राजस्थान भी किसी से कम नहीं है। इसलिए दोनों बातों पर राजस्थान का हिस्सा इनएलिनेबल है, अनअसेलेवल है, आनरेबल है, कोई उस पर प्रश्न नही उठा सकता।

मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि इस सदन के सामने जो आज प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैंने यहां निवेदन किया। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से, पंजाब की विधान सभा के सभी सदस्यों से और जितने भी लोग कन्सर्न हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाएं। जो देश की संघीय संरचना के विपरीत पड़ते हों। हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है उसके विपरीत जाते हों और उसकी मूल भावना के आधार पर जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है उसको किसी भी प्रकार से कहीं भी ठेस पहुंचाते हो। नहीं तो कल तो फिर यह होगा कि गुजरात के लोग कहेंगे कि गुजरात में गैस पैदा होती है या गुजरात में तेल पैदा होता है, हम तो राजस्थान को, देश के अन्य हिस्सों को तेल नहीं देंगे। राजस्थान का हिस्सा उतना ही है। कल राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी यदि तेल और गैस निकल सकती है तो हम यह नहीं कह सकते कि केवल राजस्थान का ही वह तेल और गैस हैं हमको हिन्दुस्तान के लिए पूरे अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करने के लिए जितना अधिक से अधिक उसका उपयोग हो सकता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह सदन इस बात को स्वीकार करता है कि हम हर मायने में टेल एंड पर हैं, रिसीविंग एंड पर हैं। जितने भी पानी के समझौते हुए, हम प्राप्त करने वाले लोग हैं। चाहे वह गांधी सागर का समझौता हो, चम्बल बेसिन का समझौता हो, उसमें भी मध्यप्रदेश से पानी हमको आता है। अब मध्य प्रदेश यह कहने लगे कि राइपेरियन स्टेट तो हम है, हम राजस्थान को पानी नहीं देगे। माही में भी उसी प्रकार का हिस्सा है, नर्मदा में भी उस प्रकार की स्थिति आती है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि किसी प्रदेश की टेरिटरी के आधार पर सुलझाना संभव नहीं है और इसमें व्यापक राष्ट्र के हित में और प्रदेश के हित में हमको सोचकर कोई फैसले लेने होंगे और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वो फैसले लिये हैं जिन पर

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारी कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन है कि हम उनको स्वीकार करें और उन पर चलकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सब विकसित हों और सारा देश एक प्रकार से फले-फूले।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के अलग-अलग हिस्सों की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंजाब की यह दलील कि चूंकि 1981 का समझौता एडहॉक था, किन्ही परिस्थितियोंवश किया गया था इसलिए 0.60 मिलियन एकड़ फीट जो पानी उन्होंने ट्रांजिशनल पीरियड़ के लिए उपयोग करने के लिए दिया था, उसको हम नहीं देना चाहते। 1981 के समझौते में 3.50 मिलियन एकड़ फीट पंजाब को मिला था और 3.50 मिलियन एकड़ फीट हरियाणा को मिला था। उन्होंने शिकायत की तो 1981 में पंजाब का हिस्सा बढ़ाकर 4.22 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया। अब पंजाब यह कहता है कि हमारे 4.22 मिलियन एकड़ फीट के अलावा जो राजस्थान का 0.60 मिलियन एकड़ फीट है वह भी हमको मिलना चाहिए और उनकी मांग है कि 4.82 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस सदन ने अधिकार दिये हैं राजस्थान की सरकार को, बल्कि मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता को कि वह हर सम्भव प्रयास करे अपने पानी को प्राप्त करने का। इसलिए 0.60 मिलियन एकड़ फीट पानी को नहीं लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कुछ भ्रांतियां पैदा हुई, अखबारों में कुछ ऐसी टिप्पणियां निकल गई, उसका मैं समझता हूं कि हमको सब को खण्डन करना चाहिए। सरकार के प्रचार तंत्र को उसी दिन खण्डन करना चाहिए था। हिन्दू अखबार में निकला कि 8.06 मिलियन एकड़ फीट, राजस्थान पत्रिका में 8.06 मिलियन एकड़ फीट, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट को उसी दिन इसका खण्डन करना चाहिए था कि 8.06 नहीं है, 8.60 है। इससे भ्रांतियां पैदा होती है। पता नहीं क्यों आपके नोटिस में नहीं आया, मुख्य मंत्रीजी को यह बताया नहीं गया और वो करीब करीब सभी अखबारों में इस प्रकार की बात गई जिससे ऐसा आभास हुआ कि राजस्थान का हिस्सा 8.06 मिलियन एकड़ फीट है, 8.60 मिलियन एकड़ फीट नहीं है। मैं समझता हूं कि अब तो जरुरत भी नहीं है,इस प्रस्ताव के द्वारा वह स्थिति साफ हो गई है और उसकी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं।

(श्री शिवचरण माथुर)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आना चाहूंगा पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 79 के ऊपर। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ, अलग—अलग स्टेट बनी उस समय एक एक्ट पारित किया गया। यह कोई एग्रीमेंट नहीं है, यह तो एक्ट है। उस एक्ट की धारा 79 के "सी" में निर्णय किया गया है कि तीन हैडवर्क्स हैं, हरिके के, रोपड़ के और फिरोजपुर के, इन तीनों हैडवर्क्स पर जो आज पंजाब का कब्जा है उसका कब्जा हटाकर भांखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को दिया जाना चाहिए। उस एक्ट के जरिये से एक बोर्ड का निर्माण किया गया। उस बोर्ड में सभी सम्बन्धित जो पार्टी थी, सम्बन्धित स्टेट थी उसका हिस्सा बनी, उसकी सदस्य बनी और उस बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो हैडवर्क्स को कंट्रोल करे, उसके नियंत्रण में रहे। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि हमारे सब के प्रयत्नों के बावजूद भी, हम लोगों ने भी प्रयत्न किया, आपने भी प्रयत्न किये, प्रधान मंत्रीजी मोरारजी भाई के वक्त पूरा प्रयास किया, हो भी गया था लेकिन नोटिफिकेशन उसका नहीं निकला और अध्यक्ष महोदय, मैं एक निर्णय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक जो भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सभापतित्व में हुई थी उसमें एक ड्राफ्ट डिसीजन लिया गया जो इस प्रकार है—

"As work on Indira Gandhi Nahar Project is now well advanced, the Rajasthan's share of 0.6 MAF temporarily made available to Punjab out of its share of 8.6 MAF will be restored".

यह तीनों मुख्य मंत्रियों की भारत सरकार के प्रतिनिधि के सभापतित्व में हुई बैठक का एक निर्णय है जिसको कि सर्कुलेट किया गया और पंजाब ने जो हमारा हिस्सा ले रखा है उसको रेस्टोर करने की बात स्पष्ट रूप से कही गई थी, लेकिन मुझे दुख है कि इस पर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। इसलिए मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन सारे प्रश्नों को गम्भीरता से लीजियेगा, बल्कि मैं समझता हूं कि इसको अगर जुडिशियल चैलेंज भी देना पड़े तो हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे वकील को हमें नियुक्त करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। हर तरह के प्रशासनिक तौर पर भी हमारे प्रयत्न होने चाहिए। हमें प्रधान मंत्रीजी से भी मिलना चाहिए, राष्ट्रपतिजी से भी मिलना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से भी क्यों न एक बार चर्चा करें, उनसे कहें कि इस देश के

(श्री शिवचरण माथुर)

व्यापक हित में आप इस समझौते का आदर कीजिये। राजस्थान जो एरिड भूमि है, अगर पानी नहीं आएगा।

(13.00 बजे)

हम 2600 करोड़ रुपये इस कैनाल के सारे सिस्टम पर आज खर्च कर चुके हैं। 2600 करोड़ तो सरकार ने खर्च किये हैं लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे 1983 में उस समय, 600 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार का खर्चा हुआ था और करीब 2000 करोड़ रुपया जनता के लिए लोगों ने खर्च किया था। मैं समझता हूं, आज तो वह खर्चा और बढ़कर करीब 3-4 हजार करोड़ रुपये हो गया होगा। यह 5-6 हजार करोड़ रुपये की राशि इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि यह पानी राजस्थान की सूखी धरती पर पहुंचकर देश के अन्दर जो धान्य की स्थिति है, उसमें सुधार करेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां एक दाना पैदा नहीं होता था, वहां आज इस इन्दिरा गांधी कैनाल के बनने के बाद में 37 लाख टन अनाज पैदा हुआ है। जहां पर बस्तियां नहीं थीं, आज बड़ी-बड़ी मण्डियां बन गई, आबादी आ गई और लोगों की हिम्मत हो गई कि अगर पाकिस्तान किसी प्रकार से हमला करता है तो हम, हिन्दूमल कोट में लड़ाई हुई, हमारी मैन-टू-मैन फाइट हुई।

इसलिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव की गम्भीरता को महसूस करते हुए हम इस बात का निर्णय करें कि इसमें सब हम एक हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से, मेरे सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जो भी सहयोग चाहिए, हम आपको देना चाहेंगे। हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम मुख्य मंत्री जी की मंशा पर भी कोई संदेह नहीं करते हैं, अच्छी भावना से उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण दिया, हमको बुलाया और खुलकर अपनी बात कहने का मौका दिया और उसके बाद में प्रस्ताव को बनाने के लिए भी उन्होंने सबको शामिल रखकर प्रस्ताव बनाने का निर्णय किया। यहां पर आज वह आई हैं, मैं समझता हूं, अच्छी भावना से हम इस प्रस्ताव को पारित करें और प्रस्ताव को पारित करने के बाद में एक लाइन आफ एक्शन चार्टर करें कि हमको पहले क्या करना है। इस प्रस्ताव को पहले आप भारत सरकार के पास भेजिएगा, प्रधान मंत्रीजी से समय लीजिएगा, राष्ट्रपति जी से समय लीजिएगा। मैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

समझता हूं कि अभी प्रधान मंत्रीजी ने जो कावेरी जल विवाद का कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा था, उसको बड़ी सहुलियत से निपटाया है।

इस प्रकार से प्रधान मंत्रीजी बहुत सदाशय व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि सभी की समस्याओं को बहुत गम्भीरता से समझते हैं इसलिए उनके पास में हम जाएं और जाकर उनसे निवेदन करें कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर वह गम्भीरता से देखें और देखने के बाद में हमको राहत देने की कोशिश करें। बहुत दृढ़ता से हमको यह भी कहना चाहिए कि यह सब पूरा होने के बाद भी कोई भी परिस्थिति आती हो तो साढ़े पांच करोड़ राजस्थान की जनता का सवाल है।

एक बात मैं आपसे और कहूं, अध्यक्ष महोदय की इन्दिरा गांधी कैनाल का जो इरिगेशन का सिस्टम है, उसमें हमारी जो शक्ति थी खर्च करने की, उससे ज्यादा हमने खर्च किया है और यह भी हकीकत है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको दूसरे हिस्से के विकास को रोकना पड़ा है, दक्षिण राजस्थान के हिस्से को रोकना पड़ा है। हम यह समझते थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए राजस्थान में जितने भी साधन हैं उनको लगाना चाहिए और हमने उन साधनों को लगाया भी है, जिसके कारण हमारे प्रदेश का कुछ हिस्सा एक प्रकार से पिछड़ गया और उनका जितना विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हुआ। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को आप सर्वसम्मति से पारित करें और पारित करने के बाद में लाइन आफ एक्शन बनाइये, बल्कि उस दिन सर्वदलीय समिति में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री पहाड़ियाजी ने एक प्रश्न किया था और यह सुझाव दिया था कि परमानेंट इस हाउस की कमेटी आप बना दें जिससे कि वह हमेशा इन प्रश्नों को देखती रहे, जो भी डवलपमेंट्स हैं, उसको पास करके, आगे उस पर जो कुछ भी काम करना है, उसको तय करती रहे। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो इस प्रस्ताव की मूल भावना है, उसका हम समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं, आपके जो भी वक्तव्य होंगे, वे भी उसी भावना से प्रेरित होने चाहिए। पिछले दिनों में किसने क्या किया, किसने क्या किया, तिवाड़ीजी, आप मत उठाइये, एकता का प्रदर्शन करने के लिए आप भी ऐसी बातें कहें। जब हम उठें तब सर्वसम्मति से

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रस्ताव पास करते हुए हम सब मिलकर भारत सरकार के पास जाएं। और जरुरत हो तो कानूनी कार्यवाही करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लें, यह मेरा निवेदन है। मैं इस निवेदन के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब सत्ता पक्ष के बोलेंगे। (व्यवधान) आप एक मिनट बोलेंगे? बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट। मुझे इसलिए नहीं बोलना है, माननीय हमारे जो पूर्व मुख्य मंत्रीजी हैं शिवचरण जी माथुर साहब, इनको पूरी जानकारी है, वैसे सदन के नेता की मौजूदगी में इनसे पूछूं तो अच्छा तो नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने बोला है, मेरा तो इतना ही कहना है, जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना, उसके बाद में ये पांचों नदियों के पानी का जो बंटवारा हुआ, उस समय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ और सारा किस-किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा, यह फैसला भी हो गया और हैडवर्क्स किसके कंट्रोल में होगा, इसका फैसला भी हो गया, उसके बाद क्या स्थिति बनी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और अधिवक्ता बनाने के लिए यह सब प्रक्रिया करने की आवश्यकता पड़ी है? जब सारा फैसला हो चुका है और पंजाब मान नहीं रहा है, अब प्रधान मंत्रीजी क्या करेंगे, राष्ट्रपतिजी क्या करेंगे? जब सारा फैसला पूर्व में हो चुका है, उस फैसले की पालना नहीं करा सकते...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं, तो आप भाषण दे रहे हैं न ?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, भाषण थोड़े ही दे रहा हूं, मैं तो इनको पूछ रहा हूं, आखिर आपने जब उस समय स्थिति थी तो अब क्या स्थिति है, अब आखिर अपने को क्या करना चाहिए, यह बात होनी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी पर विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, झगड़ा हरियाणा और पंजाब का था, एस. वाई. एल. नहर बन नहीं पा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला मैंने पढ़ा नहीं है,

(श्री विष्णु मोदी)

लेकिन अखबारों से जो एक्सट्रेक्ट पढ़ा है, उन्होंने सेन्ट्रल एर्जेसी को कहा है कि आप एक टाइमबाउण्ड फ्रेम प्रोग्राम में इसको पूरा करेंगे। उसके बाद हरियाणा विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और फिर पंजाब ने अपनी विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया। उसी श्रृंखला में हम यह प्रस्ताव लाये हैं और मुझे खुशी है कि सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से पास होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी के कमिटमेंट का, उन्होंने जोधपुर में बयान दिया कि राजस्थान के हितों की रक्षा होगी, बूंद-बूंद पानी भी हम लेकर आएंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव में बम्बई जाना था, वहां से सीधा दिल्ली गई, प्रधान मंत्रीजी से मिलीं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलीं, यहां आकर सर्वदलीय बैठक बुलाई, सर्वानुमति बनाई, उन्होंने बता दिया कि वह राजस्थान जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है, मरू प्रदेश है, बीमार प्रदेश है, इसको वह सर्वानुमति बनाकर, सबको साथ लेकर आगे चलना चाहती हैं और इस प्रदेश का विकास करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का सवाल है, समझौते का सवाल है, अगर रावी-सतलज-ब्यास की बात करें और हम गंगासिंहजी को खाली मेंशन करने के लिए मेंशन कर दें तो मैं समझता हूं कि उस जैसे व्यक्ति के प्रति यह सदन में ठीक नहीं होगा। जब छपनिया अकाल पड़ा, तब उस सदी में बहुत-सी मौतें हुई इस देश में। उसके पहले भी तीन साल अकाल था। उसने महाराजा गंगासिंहजी को झकझोर दिया। वह मजबूर हो गये इस बात के लिए कि इस मरू प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए। देश-विदेश के इंजीनियरों से उन्होंने सम्पर्क किया। सब्जैक्ट टू करेक्शन, माथुर साहब, आठ साल तक उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, बहावलपुर नवाब से उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में लार्ड इरविन ने उनके पक्ष में फैसला दिया। मिस्टर एच. बी. कैनेडी जो एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने तीन साल तक सर्वे किया और फिर चार साल बाद में गंग कैनाल पूरी हुई और 1927 में द दैन गवर्नर इरविन साहब ने उसका फिरोजवाला में उदघाटन किया और इतना ही नहीं किया, महाराजा गंगासिंह जी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी पंजाब और हरियाणा के हिस्से से वह नहर निकलती है, उसको बीकानेर कैनाल कहते हैं और 244 किलोमीटर का फासला तय करके जब पानी राजस्थान में आता है, उसे तब

(श्री विष्णु मोदी)

गंग कैनाल कहते हैं। तो उन्होंने तब लड़ाई लड़ी, तब नहर का सर्वे कराया। उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर सिक्ख समुदाय के लोगों को बसाया क्योंकि वे खेती में एक्सपर्ट थे। उनको भी उन्होंने बसाया, चकों के चक बताये, फ्री जमीन दी, और सुविधाएं दीं। उसी का नतीजा है कि इस सदन में भाई सुरेन्द्रपाल सिंहजी टी. टी. बैठे हैं, भाई गुरजंट सिंहजी बैठे हैं। जहां तक पानी का सवाल है, सतलुज, यमुना, और यह आई जी. एन. पी. का मुझे अफसोस है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह संकल्प आने की बात मैंने पढ़ी तब मैं देख रहा था कि विधान सभा में कब-कब इसमें चर्चा हुई। माथुर साहब जिक्र कर रहे थे कि 23 फरवरी, 1983 को इसी तरह का संकल्प इस विधान सभा में लाया गया। सभी लोगों ने अपनी शंका जताई थी, उत्तेजना भी थी। उसके बाद में जब लोंगोवाल एकोर्ड हुआ तब की सारी यह कार्यवाही मैंने पढ़ी, लेकिन हाउस में बोलने के बाद अफसोस है मुझे यह कहते हुए कि साढ़े तेईस साल हो गये, हरियाणा ने मुकदमा किया, मैंने जोशीजी का अभिभाषण पढ़ा है, मैंने आदरणीय भैरोंसिंहजी का भी पढ़ा है और अभी माथुर साहब की आखिर में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी मैंने सुनी है, लेकिन संकल्प पारित हो जाएगा, आपने जिक्र किया कि एक प्रोग्राम बनाएं, मैं तो यह कहता हूं कि हम हैडवर्क्स की बात करें, कोई और बात करें। सरकारें आयीं और चली गयीं, आज इधर से भी, उधर से भी सभी खड़े होकर राजस्थान के हितों की रक्षा करने की बात करेंगे लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह संकल्प पारित होने से राजस्थान के हितों की रक्षा हो जाएगी? तेईस साल से किस संशय में थे आप, किस दुविधा में थे? लेकिन किस को दोष दें, दोष तो हम सब का ही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, लार्ड इरविन ने जब इनोगरेशन किया बीकानेर कैनाल का तो उन्होंने कहा, यह मैंने आपका ही बीकानेर से मंगवाया है, ठीक प्रिंट नहीं आया, लेकिन उसकी मूल भावना- 26 अक्टूबर, 1927 हुसैनवाला हैड पर गंगासिंहजी, द देन वायसराय और वहां जो लुमिनरीज थीं उनके बीच में उन्होंने कहा कि एक नदी निकलती थी वह नदी लुप्त हो गई और आज महाराजा गंगासिंहजी ने जो उस नदी को रेस्टोर किया है वह अब बदलने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सिर्फ यह जरुरी नहीं है, हमारी तो यह लाइफ लाइन बन चुकी है, और जहां तक राजस्थान के हिस्से का सवाल है, वह चाहे इण्डस ट्रीटी हो, चाहे 1955 का समझौता हो, चाहे 1981 का समझौता हो, पोंग डैम बना

(श्री विष्णु मोदी)

तब हमने पैसा दिया। पोंग विस्थापितों का हमने छह हजार बीघा जमीन इस कैचमेंट एरिया में दी। जहां तक भाखड़ा का सवाल है तो कोई अदालत हो दुनिया की, किसी तरह की कोई बात हो, जहां तक राजस्थान के हिस्से का सवाल है उस हिस्से को कोई रोक नहीं सकता है। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बन गये तो सीमाएं तो बन गई, देश बन गये, लेकिन कुछ मसले हल होने के लिए रह गये। जैसा माथुर साहब ने जिक्र किया कि झेलम, सिंध, चिनाब ये पाकिस्तान को चली गईं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज भी इन नदियों का पानी ढाई सौ किलोमीटर हिन्दुस्तान की टेरिटरी में से होकर जा रहा है, ढाई सौ से तीन सौ किलोमीटर, और चूंकि इन्टरनेशनल ट्रीटी है तो हम उसको रोक कर बिजली भी नहीं बना सकते, वह पानी हिन्दुस्तान की सीमा से होकर जा रहा है। तो ऐसा कोई लगता नहीं है कि कोई भी प्रीपार्टीशन का कोई शेयर है। जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान एक था उसका आज भी मिल रहा है। महाराजा गंगा सिंहजी ने जब कैनाल बन गई तो एक रिप्रजेंटेशन दिया वायसराय को और द दैन जो हिन्दुस्तान के चीफ इंजीनियर, इरिगेशन थे मिस्टर एन्डरसन, उनका वन मैन कमीशन बना। वन मैन कमीशन बनने के बाद में, छह महीने के लिए जो बारिश में पानी आता है वह उस वक्त भी महाराजा गंगा सिंह जी ने एडिशनल पानी दिया, तो जहां तक पानी के हिस्से का सवाल है वह हमारा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहीं इसमें राजनीति नहीं हो जाए। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह कोइंसीडेंस हो सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कह दिया, हरियाणा और राजस्थान को पानी नहीं देंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में इनेलो की सरकार है, और दूसरे दिन कर्नाटक कहता है कि हम तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे, तो मुझे तो अगर डर है तो इस बात का डर है कि इसमें राजनीति नहीं करें। संयोगवश हो सकता है, कोइंसीडेंस हो कसता है लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है तो यह है कि राजनीति नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी माथुर साहब ने भी बहुत पुरजोर शब्दों से कहा कि हम राइपेरियन थ्योरी को नहीं मानते, हम बेसिन स्टेट हैं। जो इण्डस ट्रीटी हुई उसमें भी बेसिन स्टेट कहा गया। गुलाटी साहब का भी

(श्री विष्णु मोदी)

जिक्र हुआ, वह उस वक्त इंजीनियर थे, लेकिन हम राइपेरियन स्टेट हैं इसमें कहां शंका की बात है। कल ही इंटरनेट पर जब मैं देख रहा था, राइपेरियन क्या है, बेसिन क्या है, तो राजस्थान के सन्दर्भ में मैं कोट कर रहा हूं, मैडम,

"Long before recorded history, many thousands of years ago, there was a city on the banks of a river called Saraswati. Agriculture flourished here, as did commerce and the industries of pottery, iron and beads. And then, the mighty river changed its course and finally dried up due to the immensity of the encroaching desert. The winds of change buried the city under the sands of time and for the next four thousand years or more, it lay entombed below the dunes as millenniums slipped silently by on the hot desert surface. And the ancient city was forever lost to memory.

And then one day in 1962 it was rediscovered as much by accident as by design. After nearly 5000 years it was dug out from the womb of the earth near sand bound village in north Rajasthan called Kalibanga."

काली बंगा के अंदर सिंधु सभ्यता के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। उसमें खुदाई हुई, उस बात की पुष्टि हुई तो सरस्वती नदी यहां बहती थी। जैसलमेर में भी अभी जो पानी मिला था, इस बात की पुष्टि हुई है कि सरस्वती जैसलमेर होकर बहती थी। माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ सालों पहले एक जियोलोजीकल डिस्टरबेंस हुआ कि चण्डीगढ़ के पास शिवालिक हिल्स हैं वे हिन्दुस्तान के सबसे कम उम्र के हिल्स हैं, वे बने और उस जियोलोजिकल डिस्टरबेंस से सरस्वती लुप्त हो गई नहीं तो चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास ये सब सरस्वती की डिस्ट्रीब्यूटरीज थीं। अच्छा, सरस्वती की बात भी नहीं करें तो आज जो घग्घर रिवर है, बारिश के अन्दर हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए जो पानी पाकिस्तान को जाता है वह भी पेरीनियल रिवर है और जो सेटेलाइट इमेजरी की पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें क्लीयर कट मार्क है, it is a perennial river. माननीय अध्यक्ष महोदया, जो राइपेरियन थ्योरी है वह किस तरह से बनी कि जिस राज में बहेगी, अमेरिका में भी फैडरल स्ट्रक्चर है, हिन्दुस्तान में भी फैडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फैडरल स्ट्रक्चर में बिलकुल भिन्नता है। भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर को एक स्टेट बना सकती है। सारे

(श्री विष्णु मोदी)

स्टेट खतम करके चार स्टेट बना सकती है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयीजी ने उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तीन स्टेट बनाये। लेकिन अमेरिका की सीनेट यह कानून पास नहीं कर सकती कि न्यूयार्क और दूसरे जो केलिफोर्निया का एडजोइनिंग स्टेट हैं उनको एक बनाकर एक स्टेट बनाए। तो यह राइपेरियन जो वर्ड है वह अमेरिकन सिस्टम में है।

हमारे यहां जो सिस्टम है...

``An Inter:State river is one which flows to more than one state or it forms boundary between two or more States. In a question relating to the sharing or utilization of the water of inter State river, the concept of a river valley or a river basin, which embrases the main river and all its tributaries and includes the catchment of the main river and its tributaries, has to be born in mind.''

Further :

``The major rivers of this country are almost all inter State rivers. In the North West, Indus Basin, which includes parts of India and Pakistan. In India, it includes Kashmir, Punjab, parts of Himachal Pradesh, Haryana and Rajasthan.''

(13.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जो हिन्दुस्तान की नदियां हैं वो तो सब इन्टर स्टेट में बहने वाली नदियों हैं। माननीय सभापति महोदय, ये नदियां पंजाब से तो निकलती नहीं हैं, हिमाचल से निकलती हैं, तिब्बत से निकलती हैं और अगर हिमाचल, जैसा माथुर साहब ने जिक्र किया, वो बंद कर देगा तो क्या होगा? मैंने डिबेट में पढ़ा है जो इसी हाउस में हुई है कि एक बार हिमाचल प्रदेश ने रायल्टी मांगी थी, 40 करोड़ रुपये की रायल्टी उन्होंने पंजाब और दूसरे स्टेट्स से मांगी थी तो जहाँ तक सवाल है पंजाब में पानी की राजनीति है, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो वो इसकी राजनीति करते हैं। वैसे अगर पंजाब ने पानी रोका और बाढ़ आ गयी तो आधा पंजाब तो डूब जाएगा, पाकिस्तान तो पानी बहुत बाद में पहुंचेगा। तो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से यह शंका निर्मूल है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं हो, इसका डर निश्चित

(श्री विष्णु मोदी)

रूप से है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक और निवेदन करूंगा कि जितने इन्टर स्टेट मसले हैं, जितने सेन्टर स्टेट रिलेशन हैं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से आप चाहेंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्टर स्टेट का हमारा रावी-व्यास-सतलुज भी देख लेगा, I fail to understand जो पिछले 50 साल में हुआ वो ही होगा, एक चिट्ठी मात्र साल दो साल में चली जाएगी और उसकी इतिश्री हो जाएगी। तो आप एक चीफ सैक्रेटरी लेवल के आदमी को सिर्फ इस काम के लिए लगाएं कि वो इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स और स्टेट-सेन्टर रिलेशन चाहे वो एन्वायरनमेंट हो, फोरेस्ट हो, चाहे वो माइन्स हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ये वाटर डिस्प्यूट्स हों, और मुझे तो अफसोस हुआ, मैं उम्मीद कर रहा था कि माथुर साहब इस पानी से बिजली बनाने की भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ समझौते किये थे, इसी पानी के थीम, पोंग पार्वती, कोल इसमें जो हमारा पानी का हिस्सा है, उन पॉवर हाउसेज में भी हमारा बिजली का हिस्सा था। तो उस हिस्से की भी चूंकि आज पानी का पंजाब का यह... मैंने गलत कहा, साहब?

श्री शिवचरण माथुर : इस पर अलग बहस रख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : अलग दिन रख लें लेकिन उसका भी इफैक्ट हो रहा है कि आपने दस्तख्त किये और राजस्थान को बिजली की आवश्यकता है, लेकिन इन बांधों पर इस पानी पर जो बिजली राजस्थान को मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। तो उसमें भी जो डर है वो सिर्फ राजनीति का डर है। तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा पहला सुझाव तो है कि एक उच्चाधिकारी इन सब मसलों को देखें। दूसरा मेरा सुझाव है कि गंगासिंहजी से लेकर लार्ड इरविन और जितनी खतोकिताबत और जितने इसके इन्दर डाक्यूमेंट्स हैं, ऑर्काइव्ज में तो मैंने कोशिश की, वहां कुछ मिला नहीं, तो उसको प्रिजर्व कराएं। तीसरा पाइंट सिक्स मिलियन एकड़ फुट, मैं बहुत पेशोपेश में था कि यह मिलियन एकड़ फुट क्या होता है, मैंने कुछ इधर-उधर जानकारी करने की कोशिश की तो पता लगा कि करीब 900 क्यूसेक्स पानी इसका बनता है, माननीय सभापति महोदय, जब फिर मैंने आगे जानकारी करने की कोशिश की तो पता लगा कि एक क्यूसेक्स पानी से 40 लाख की फसल हो जाती है। तो,

(श्री विष्णु मोदी)

माथुर साहब, क्या स्थितियां रही होंगी और राजस्थान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैं यहाँ राजनीति करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन कितने सालों से यह 900 क्यूसेक्स पानी नहीं मिल रहा है और कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह तो भगवान ही तय करेगा कि कौन जिम्मेदार है। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हम लंबी-चौड़ी बातें हैडवर्क्स के बारे में कर लें, लेकिन हैडवर्क्स का कंट्रोल बी. एम. बी. में होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ कार्यवाही करें। क्या कार्यवाही हो गयी? 1983 में संकल्प पारित हो गया। आज 2004 में फिर संकल्प पारित कर रहे हैं और फिर वो ही मांग दोहरा रहे हैं। हरियाणा भी तो सुप्रीम कोर्ट गया था, क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। असली जड़ जो झगड़े की है वो तो ये हैडवर्क्स हैं। खाली आज संकल्प पारित होने के बाद में इतिश्री करें तो आपकी मर्जी। तो मेरा अंत में यही सुझाव है कि आपको लीगल रेमेडी अपनानी चाहिए। बी. बी. एम. बी. हैडवर्क्स के लिए जितनी देर हो चुकी है वो काफी देर हो चुकी है। जो राइपेरियन थ्योरी के बारे में हम यह मानते हैं कि हम राइपेरियन नहीं हैं, उसमें जो कालीबंगा के डाक्यूमेंट्स हैं, कालीबंगा में खुदाई भी बंद हो गयी है, माननीय मुख्य मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वो भारत सरकार से बात करके इसको भी वापस शुरू करावें, इसको प्रिजर्व कराएं। और रायपेरियन के हम नहीं हैं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि हम रायपेरियन स्टेट भी हैं हम बेसिन स्टेट भी हैं और पानी हमारा हक है। इंडस ट्रीटी जब हुई तब भारत को यह पानी मिला तो उसमें राजस्थान का हक था। तो यह हमारा हक कोई कोर्ट कचहरी, अदालत, कमीशन, ट्रिब्यूनल कोई खतम नहीं कर सकता। राजनीति में अगर कुछ हो जाए तो वो संशय जरुर है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, यह ऐतिहासिक समय है। आज से 20-21 साल पहले मुख्य मंत्री थे श्री शिवचरण माथुर, उस समय इस ऑगस्ट सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया था और आज मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी हैं और उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके आधार पर राजनीतिक दलों की अपनी सीमाएं छोडकर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लाने का जो तय किया है, यह संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय होगा, मैं दोनों वर्तमान मुख्य मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

1920 से इतिहास दोहराया है। बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन 1920 और 1935 के बीच में जब भी पानी की कमी रही है, उसमें राजनीति कभी नहीं आयी। और उसके बाद जब 1955 का समझौता हुआ, कभी राजनीति बीच में नहीं आयी। अकाली दल ने मांग रखी कि पंजाब से पानी नहीं देंगे, ये सारी बातें आरंभ हुईं पंजाब के पार्टीशन के बाद। झगड़े की जड़ तो वहां से हुई। अब जितने समझौते हुए हैं, बीच-बीच में केन्द्र सरकार ने भी डाइरेक्शंस दिये हैं, और स्थिति तो यहाँ तक है कि आज हरियाणा तो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना कैनाल के बारे में कहा है क्योंकि 1981 के समझौते में उसका विवरण है, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में भी विवरण आ जाएगा कि किसको कितना पानी दिया जाए, लेकिन मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हिस्से का 52.7% पानी था। मील फ्लो उस समय सीरीज मानी थी, 1981 के समझौते से पहले 1921 से 1945 तक की सीरीज थी, उस सीरीज में तो 15.85 हमारा शेयर था। 1981 के समझौते में बढ़ गया हमारा शेयर। कई बार पानी आया भी है नदियों में. 17.17 एम.ए.एफ. से ज्यादा, लेकिन, माथुर साहब, आपको निवेदन यह करना चाहता हूं, गहलोत साहब अभी विराजे हुए नहीं हैं, उस क्षेत्र में खेती मैं भी करता हूं, सन् 1967 से लेकर जितना पानी मिला है, इन पिछले पाँच वर्षों में जितना कम पानी मिला है उसके पीछे भी कारण है और कारण यह है कि डैम की जो क्षमता है उससे कम उसको भरते हैं। 10 फीट पोंग डैम खाली रखा जाता है और कम से कम 5 फीट भाखड़ा डैम खाली रखा जाता है। जब तक उसको पूरा नहीं भरेंगे, सदन प्रस्ताव पारित करता रहेगा, पंजाब भी पारित करता रहेगा, यह झगड़ा बढ़ता जाएगा। हमारे को वहां से गांठ खोलनी पड़ेगी तब जाकर पता लगेगा कि काश्तकार को पूरा पानी मिलता है या नहीं मिलता। पानी की कमी नहीं है, बरसात आएगी तो नदियों में पानी इकट्ठा होगा। लेकिन उसको डाइवर्स करके एक बार चीफ इंजीनियर को गोली से मार दिया

(श्री नरपत सिंह राजवी)

गया था, एक बार आर्मी ने भी शायद फ्लडिंग करके उस बैल्ट में टेररिस्ट को बाहर निकालने के लिये उसका उपयोग किया था, रेनी सीजन में किया था, उसमें लाशें पाकिस्तान तक गई थीं। पंजाब के विरोध में मैं बात नहीं कहना चाहता हूं। जब जब पंजाब से बात की है पानी दिया है । इस बार भी काश्तकारों ने जब आकर बार बार सम्पर्क किया, मुझ से भी सम्पर्क किया, माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क किया, 15 दिन में पंजाब ने पानी की व्यवस्था कर दी थी। अब रैगुलेशन बीच में तो घटना-बढ़ना हो नहीं सकता, बी. बी. एम. बी. की बैठक होगी उसके बाद में ही पानी बढ़ेगा, उसके बाद में ही घटेगा। लेकिन आज जो अख़बारों में हमको पढ़ने को मिला है कि पानी बढ़ा है, यह आज से दो महीने पहले मिलता तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का किसान निहाल हो जाता। वह कम से कम अपनी 90 प्रतिशत खेती कर लेता। लेकिन हैडवर्क्स कंट्रोल में और भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो प्रतिनिधित्व हम करना चाहते हैं, जिस लेवल के अधिकारी को जाना चाहिये, न पूर्व सरकार में कभी गया। 1990 से 98 तक पानी की कमी नहीं थी, पानी उस समय भी 5 फीट कम भरता था, 1997-98 के बाद 10 फीट कम करना शुरू कर दिया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी कितना मिले वह तो डैम पर डिपेंड करेगा, लेकिन, डैम पूरा भरे, उसका पानी बाहर नहीं निकले।

लोअर रेन स्टेशन के बारे में इराडी ट्रिब्यूनल ने भी खूब कहा है, अभी तक हमने कितना कैलकुलेशन कर लिया? माथुर साहब, न तो आपके टाइम में हुआ, न गहलोत साहब के टाइम में हुआ और न शेखावत साहब के टाइम में हुआ। बिलो रेन एरिया का पानी यूटिलाइज कर लें, पंजाब के साथ मिलकर समझौता कर लें। यह लड़ाई तो बेसिकली पंजाब और हरियाणा की है, इसकी एक एक चीज की मैं आपको डिटेल दूंगा कि किस आधार पर एक बार केन्द्र सरकार ने उनको 35 परसेंट पानी दे दिया, 65 प्रतिशत दिया पंजाब को, हरियाणा ने नहीं माना। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बैठी, कमेटी की बैठक में भी नहीं माना। मिस्टर धर साहब वहां पर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, उनको भी लगाया, उन्होंने भी हरियाणा को अधिक पानी दिया। पंजाब का हक अगर मारा जाएगा तो वह निश्चित रूप से चिल्लाएगा। लेकिन राजस्थान के खिलाफ पंजाब हो, यह शब्दों में जरुर झलकता है, कहीं राजस्थान

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राजस्थान का नाम नहीं है। लेकिन हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। पिछली बार तो था कि हमको पानी का हिस्सा कितना मिलेगा। हिस्सा तो इराड़ी ट्रिब्यूनल ने भी फिक्स कर दिया। जस्टीफियेबली उसको मान लिया कि यह तो खुल नहीं सकता। लेकिन फिर भी ध्यान रखा जाना चाहिये। 252 आर्टिकल का उन्होंने हवाला दिया है। उससे पहले इराड़ी ट्रिब्यूनल का जब समय आया था उस समय 299 का भी हवाला दिया था। इन आर्टिकल्स से हमें बचना है। इनसे इसलिए बचना है कि अगर हमारी शेयर कम्पलीट रहती है, इन डिस्प्यूटेबल रहती है तो हमारी शेयर पूरी मिलनी चाहिये, इस पर हमको लड़ाई लड़नी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा प्रस्ताव में लाया गया है, पूरा सदन इस सरकार को, हमारी मुख्य मंत्री जी को इस प्रकार की शक्ति दे, कानूनी लड़ाई लड़नी हो तो लड़े, आंदोलन करने हों तो करें, लेकिन दशमलव 6 एम. ए. एफ. जो हमने 1981 में खोया है वह हमारे को पूरा वापस मिलना चाहिये।

माथुर साहब, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, इराड़ी ट्रिब्यूनल में 81 के एग्रीमेंट में 17.17 एम. ए. एफ. पानी होगा उस स्थिति में पंजाब सरप्लस वाटर जो दशमलव 6 एम. ए. एफ. है वह यूज करेगा। जिन वर्षों में नहीं है उसको करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बी. बी. एम. बी. ने उस चीज को कभी नहीं माना। अगर एक लाइन आप एड कर देते तो उसमें हमारा हित साधन हो जाता। लेकिन उस समय यह गलती रह गई। आपने कहा था, शेखावत साहब ने उस समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कई ऐसे संशय पैदा किये थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह विरोध में हों। संशय होते हैं तो संशय पैदा करना पड़ता है। ये नोट्स मैंने उन दिनों में बनाये थे इसलिए मेरे को पूरा याद है। मैं आपकी जानकारी के लिये एक निवेदन करना चाहूंगा कि 52.7 परसेंट हमारा शेयर होते हुए भी 49 परसेंट से कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, 52 परसेंट से हमारा शेयर कैलकुलेट हो। अगर 17.17 एम. ए. एफ. पानी उपलब्ध है तो पंजाब उपयोग में ले, उससे कम है तो लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार उस वक्त सोती रही, उसने उस बारे में कुछ नहीं किया। उसके बाद पचासों पत्र लिखे हैं, लेकिन पत्र लिखने से ही यह मामला छूट जाए, इतना आसान नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप तो उस समय मुख्य मंत्री

(श्री नरपत सिंह राजवी)

थे, दरबारा सिंहजी पंजाब में मुख्य मंत्री थे जिनके साथ आपने समझौता साइन किया है, मेरे खयाल से 23 अप्रैल, 1982 में दरबारा सिंहजी ने असैम्बली में यह प्रस्ताव रखा है और असैम्बली ने उसको बहुत उत्साह के साथ लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1.32 एम. ए. एफ. पानी हम ज्यादा लेकर आये हैं। उन्होंने अपना अधिकार उसी दिन से मान लिया था कि अब यह दशमलव 6 एम ए एफ पानी हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए शेखावत साहब को शक था और आज तक वह शक कंटीन्यू कर रहा है। उस समय भी हमारे दल ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 1981 के समझौते को स्वीकार नहीं करती है, आज भी वही स्थिति है। दशमलव 6 एम. ए. एफ. पानी हमारे को मिल जाएगा, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दशमलव 6 एम. ए. एफ. पानी के लिये हमको लड़ाई लड़नी होगी। हरिके, रोपड़ ये जितने भी हैडवर्क्स हैं इनके कंट्रोल के लिये सैक्शन 79 (1) (सी) में विवरण दिया हुआ है। केन्द्र सरकार ने एक बार कोशिश की थी लेकिन वह राजनीतिक कारणों से रूक गई। उसके बाद कौनसी कोशिश हुई? पत्र लिखते रहे, लेकिन कोई भी इस गंभीर मामले में हाथ डालना नहीं चाहेगा। हमारे यहां से भी इर्रिगेशन सैक्रेटरी वहां पर बन गये, या इर्रिगेशन मिनिस्टर बन गये तो उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी लेकिन राजस्थान का हित तो वहां पर गिरवी रख गया। पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट अगर लागू नहीं होता तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होतीं। यह तो पंजाब और हरियाणा के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, लड़ाई तो उसी की है। राजस्थान को डिस्प्यूट कोई नहीं करना चाहता। मैंने स्वयं ने बादल साहब से दो-तीन बार बात की थी, उन्होंने कहा, आपको पानी चाहिये, ले ले। गहलोत साहब के टाइम में तो स्थिति यह थी कि पानी ज्यादा मिल रहा है और यहां से वायरलैस किया कि पानी जितना हम इंडेंड कर रहे हैं उतना ही दीजिए, हमको ज्यादा पानी नहीं चाहिये। वह भी रेकार्ड के अंदर है, आप चाहें तो वह वायरलैस की कापी भी आपके रेकार्ड में लाकर रख सकता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : वह कौनसा सीजन था?

श्री नरपत सिंह राजवी : गेहूं की बुआई का सीजन था। हम वहां गये थे, मैं तारीख भी दे दूंगा, समय भी दे दूंगा कि इस समय छोड़ा है। सूरतगढ़ पधारें थें उस समय की बात है जब वायरलैस दिया था।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जैसा हमारे मोदी साहब ने कहा, एण्डरसन कमेटी ने बीकानेर कैनाल को पानी कम मिल रहा था उसको बढ़ाया, और गंग कैनाल को 5 लाख 14 हजार सी. सी. ए. था उससे बढ़ा है। 1938 तक नहीं, 1947 तक बढ़ता गया, अतिरिक्त पानी मिलता गया। हमारा यह एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी धीरे-धीरे कम हुआ, गंग कैनाल को अतिरिक्त पानी मिलता गया। भाखड़ा को भी अतिरिक्त पानी मिलता गया और एरिया आफ कल्टीवेशन बढ़ता गया। लेकिन 1968 के बाद में पानी घटता गया। माथुर साहब, मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह दशमलव 6 एम. ए. एफ. पानी पंजाब में यूज हो रहा है, वह यहां पर भाखड़ा सिस्टम में यूज हो सकता था उस समय भी। डिमांड भी आपकी थी। 47 एम. ए. एफ. पानी सिद्धमुख नोहर के लिये आपने डिमांड रखी थी, हमने साउथ घग्घर का पानी काटा। 500 कुछ क्यूसेक पानी काटकर उसकी पूर्ति की है। नया कुछ नहीं दिया भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने, न केन्द्र ने।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बार-बार इस पानी के इश्यू को उठाया जा रहा है, बार-बार पंजाब इस पर राजनीति करेगा, उनकी मजबूरियां हैं। जैसे पाकिस्तान में भारत विरोधी नारा नहीं लगाए, भारत विरोधी दृष्टिकोण कोई नहीं दिखाए तो या तो उसको मार दिया जाता है या उसको सत्ता से हटा दिया जाता है। वह की वह स्थिति पंजाब में है। पंजाब में अगर वह स्थिति है तो हमेशा इस प्रकार की कार्यवाही होती रहेगी। लेकिन हम तो आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने समय पर सब दलों को साथ लेकर इस प्रकार के प्रस्ताव की अगुवाई की। आगे इसकी कंटीन्यूटी के लिये जैसा माथुर साहब ने कहा, एक कमेटी ऐसी बनायी जाए कि इस पर आगे क्या लीगल एक्शन लेना है। पोलिटिकली मेरे ख्याल से सारे दलों के हमारे एम. पीज को साथ ले जाना चाहिये 25 के 25 जाएं प्रधान मंत्री जी से मिलें, राष्ट्रपति जी से मिलें, सिंचाई मंत्री जी से मिलें। अगर यह मैटर आज वापस खुलने की स्थिति में आता है तो न कावेरी का समझौता सुधरेगा और यह जो फैडरल स्ट्रक्चर है भारत का, इसके ऊपर गम्भीर आंच आएगी। जैसा आपने फर्माया, यह वास्तव में गम्भीर मामला है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ये जितने समझौते हुए हैं

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उनसे पहले पंजाब के साथ में एक समझौता हुआ था सिर्फ राजस्थान का और वह 1955 के समझौते से पहले हुआ था। उसमें दोनों स्टेटस अपने-अपने कौन से क्षेत्र में खेती करेंगे, कितना क्षेत्र कल्चरेबल कमाण्ड एरिया में कवर होगा, कितने पानी की आवश्यकता होगी, वह भी लिखा हुआ है। उसका भी पूरा अध्ययन कर लिया जाए, ताकि वर्ल्ड-बैंक से, जो हमारे प्रोजेक्शंस दिये हैं 1953 में सी. डब्ल्यू. सी., सेण्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन था उस समय, उनके चेयरमैन को अपाइंट किया गया था, उन्होंने 1953 में रिपोर्ट दी है, उसमें कल्चरेबल कमाण्ड एरिया दिया है पूरा इण्डस बेसिन का, वर्ल्ड बैंक ने खुद ने क्या माना है। वर्ल्ड बैंक का स्वयं का यह मानना है कि 1951 तक तो कितना पानी, कौनसा पानी, कौन लेना चाहेगा, झगड़ा चलता रहा उस झगड़े के चलते-चलते वेस्टर्न रिवर्स. हमारे को जो पानी मिल रहा है रावी, व्यास और सतलज नदियों का इण्डस वाटर ट्रीटी के आधार पर, वे वैस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं, उसमें भी 100 प्रतिशत शेयर का क्लेम था और ईस्टर्न रिवर्स में क्लेम था 60 प्रतिशत पानी का। पाकिस्तान का वैस्टर्न रिवर्स में 100 प्रतिशत पानी का और 70 प्रतिशत ईस्टर्न रिवर्स में क्लेम था। वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट ने तब अपने गुड आफिसेज आफर किये थे कि आप चाहें तो हम समझौता करवा दें। उस समय नेहरुजी ने यहां पर सर्वे करवाया था, 1953 में उस सर्वे की रिपोर्ट आयी है, सब्मिट भी हो गयी है। सब्मिट होने के बाद में हमने हमारा केस रखा वर्ल्ड बैंक के सामने, तब जाकर तीन ईस्टर्न रिवर्स में हमारे को पानी मिला और वैस्टर्न रिवर्स में दोनों का पानी उधर मिला। 620 मिलियन पाउण्ड्स हमने पाकिस्तान को दिये ताकि वह बहावलपुर को जाने वाली नदियों का सिस्टम बना ले ताकि जहां से पानी रुकेगा, उसका लाभ वापस उठा ले। गंग कैनाल का एरिया भी उससे बढ़ा है। पंजाब और पेप्सू में भी उसका बढ़ा है लेकिन 53 में जब यह समझौता हो गया, नेगोसिएशंस 53 में हुए, सैण्ट्रल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, 1958 में रिपोर्ट सौंप दी, उसके बाद में उस क्षेत्र के बारे में कभी चर्चा नहीं आयी। आज हमारे को उन पुराने कागजों को भी निकालना पड़ेगा। अगर रिवर राइपेरियन थ्योरी पर ही ये लागू करना चाहते हैं, दुनिया में आज की तारीख में कहीं नहीं है, माथुर साहब ने सही कहा है। वर्ल्ड बैंक ने तो बिलकुल क्लीयर कहा है कि इण्डस बेसिन एज ए सिंगल कम्पोनेंट, इसको आप डवलप करें। तब जाकर यह समझौता जो हुआ

(श्री नरपत सिंह राजवी)

है, तो फिर दूसरा पंजाब का यह कहना, यह कहना जरूर है लेकिन वास्तव में लागू कभी होने वाला नहीं है न डर है हमारे को कि वह लागू कर लेगा। डर है सिर्फ एक कि केन्द्र सरकार का, तब भी वहम था कि घुटना नहीं टेक दे और आज भी वहम है क्योंकि वहां पर कोएलिएशन गवर्नमेंट है। डर यह है कि कहीं घुटने नहीं टेक दे और कोई न कोई झूठा-सच्चा नोटिफिकेशन ऐसा निकाल दे जिससे राजस्थान की जनता को त्राहि-त्राहि करनी पड़े। हमारे पानी के शेयर में फलक्चुएशंस बहुत आ रही हैं। यह शुरू से ही, आरम्भ से ही प्राब्लम रही है। कण्ट्रोल आफ हैडवर्क्स जब तक हमारे पास नहीं होंगे, भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास नहीं होगा, फलक्चुएशंस आते रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, रेनी सीजन में पानी आपको ज्यादा मिलेगा और जब पानी ज्यादा की आवश्यकता है उस समय कम मिलेगा। उस स्थिति से निपटने के लिये और खास तौर पर ये दो मुद्दे हैं 0.6 एम.ए.एफ. पानी हमारा वापस लेना, क्योंकि हमने हमारी यूटिलाइज करने की कैपेसिटी डवलप कर ली। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कमिश्नर किसी को अपाइण्ट करना चाहे, यहां आकर देख ले, अरबों रुपये खर्च करके गंगानगर के पूरे कमाण्ड एरिये को, सी.सी.ए. को पूरा डवलप किया है, सड़कें बनी हैं, नैटवर्क बना है। जैसलमेर को देख लें, पूरे जैसलमेर में जहां तक पानी गया है पूरा नैटवर्क डवलप हुआ है, बार्डर रोडस भी वहां पर बनी हैं। लेकिन उसमें अगर पानी आज नहीं जा रहा है, नहीं जाने के कारण पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति पैदा हुई है, वह यह है कि सरकार जो नामिनल रेट्स पर सीधे अलाटमेंट कर रही है उस पर भी काश्तकार लेने को तैयार नहीं है। गंगारामजी का अच्छी तरह से पता है, रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब आप जब आपने अलाटमेंट करवाया था, गरीब ने यह सोचा था कि मुझे यह पानी मिल जाएगा, पानी मिलेगा तो मैं अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। आज वही परिवार जिन्होंने जोधपुर से उठकर जैसलमेर में जमीनें अलाट करवायी हैं, आज उनको अलाटेड प्राइस से भी कम, आधे दाम पर भी कोई लेने वाला नहीं है। वह इसलिये कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। राजस्थान कैनाल आगे कहां तक बढ़े, कहां तक नहीं बढ़े लेकिन जितने एरिया तक हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लिया है उसमें कम से कम पूरा वहां पर आबाद हो जाए, उसमें काश्तकार सैटल हो जाएं तो उस प्रोडक्टिविटी का लाभ स्टेट को भी मिलेगा, राष्ट्र को भी मिलेगा और यहां निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि हैं

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उनको भी संतोष होगा कि हमने जो काम किया है, वह अच्छा किया है। आज मोहनगढ़ की तरफ पधार जाएं, रामगढ़ की तरफ पधार जाएं, पीने को पानी उपलब्ध नहीं है। गंगानगर में पानी की जिस प्रकार से अभी कमी आयी है, जिले में गंग कैनाल के क्षेत्र को छोड़कर हनुमानगढ़ बैल्ट में तो फिर भी सब-सॉइल वाटर है, पीने लायक पानी है, उसमें स्थिति अगर यह रही तो लोग वहां पलायन कर रहे हैं। खेतिहर मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, 1967, 68, 70 में जिसको जमीन अलाट हुई है, उसके अगर 3-4 बच्चे हो गये, 6-6 बीघा जमीन पांती आयी है, उस जमीन पर वह अपना पेट पाल ले, वह बहुत बड़ी बात है। लेकिन वह पीने के पानी के लिये और अपने पशुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था करने के लिये भागता फिर रहा है। साढ़े-तीन रोज पानी भी पूरा नहीं मिल पा रहा है रोटेशन में। इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज मैनुअल बना है उसके बाद अमैंडमेंट कभी नहीं हुआ है। मजबूरन रोटेशन टूटा, इसलिये टूटा कि पानी नहीं आ रहा है। उस पानी की व्यवस्था हमको करनी है। अगर पूरा दशमलव 6 एम.ए.एफ. पूरा पानी मिल जाए, अगर यह गेट्स में पानी का जितना रिसाव हो रहा है, वह पानी पाकिस्तान जाता हुआ रुक जाए तो निश्चित तौर पर लाभ होगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री महोदया, थीन डैम तक एक समिति को भेजिये आप। थीन डैम तक भेजेंगे तो 2 एम.ए.एफ. पानी आज भी पाकिस्तान जा रहा है, हम केन्द्र सरकार को उसको प्रैशराइज कर सकते हैं कि वह पाकिस्तान जाने वाले पानी को पहले रोकें तब जाकर इन सारी समस्याओं का समाधान होगा।

श्री शिवचरण माथुर : इससे ज्यादा हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राज़वी : मैंने तो दो-ढ़ाई, दो-ढाई का ही अंदाज देखा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : 3.5 और सतलज का पानी पूरा जा रहा है वहां।

श्री नरपत सिंह राजवी : थीन डैम से जो पानी निकल रहा है उसको रोकना हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है। राजस्थान सरकार का जो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कंट्रीब्यूशन है वह कंट्रीब्यूशन देने को हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान जाता हुआ पानी रुकना चाहिए। ब्लूरिन स्टेशन में जितना अनकैलकुलेटेड वाटर है, जो सिर्फ एक अकेला पंजाब इस्तेमाल कर रहा है उसका भी हमारे को हिसाब लेना है। गंग कैनाल एरिया के कमाण्ड में उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले भी इसकी स्टडी हुई है लेकिन पूरी विस्तृत स्टडी नहीं हुई है। सिर्फ डैम्स को लेने से, कण्ट्रोल मिल गया, हेडवर्क्स पर कण्ट्रोल मिल गया, तब भी इतिश्री नहीं होती है। आजकल कम्प्यूटराइज्ड गेजिंग सिस्टम है, आपका अपना वहां पर ए. ईएन. जो बैठता है, मैं 2 साल पहले वहां पर गया था तो वहां पर तो स्थिति यह है किसकी टेबल पूरी तरह से हिलती है। तब मैंने कहा, यह हालत है आपकी टेबल की, टेबल तो ठीक करवा लो। तो उन्होंने कहा, कील भी चार ठोकीं हैं तो जेब से लाकर ठोकी हैं। 64 लाख रुपये प्रति वर्ष का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडीचर जो पंजाब को हमको देना पड़ता है, वह नहीं दिया था पिछले 5 वर्ष में। इन्दिरा गांधी मेन फीडर भी जगह-जगह से जर्जर हालत में हो रही है। अपना ध्यान अपने खुद के घर का दे लें तब भी हम पानी की बचत कर लेंगे।

अब एक निवेदन और करना चाहूंगा। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन इसकी निरन्तरता रहनी चाहिए और कोशिश यह रहनी चाहिए कि 52.7 प्रतिशत पानी हमको मिला है, डैम में अगर एक लोटा पानी है तो उसमें भी 52 प्रतिशत हमको मिले तब जाकर हमको लाभ मिलेगा। अभी 49 प्रतिशत से कैलकुलेशन होता है, पानी की कमी ज्यादा इस कारण से हो रही है। मैंने पहले भी इर्रिगेशन सैक्रेटरी और चीफ इंजीनियर से एक बार बात की थी, लेकिन बी.बी.एम.बी. वाले मानते नहीं हैं। नहीं मानते हैं तो इस इश्यू को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, राष्ट्रपतिजी के पास ले जाएं, प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएं कि हमारे हिस्से को, प्रतिशत को काटने का अधिकार 81 के समझौते में भी नहीं दिया है। अब वह दशमलव 6 एम.ए.एफ. कम करके सीधा प्रतिशत कम कर दिया है। 17.17 एम.ए.एफ. पानी होगा उस स्थिति में पंजाब सरप्लस पानी दशमलव 6 एम.ए.एफ. है वह काम में लेगा, वर्ना नहीं लेगा। लेकिन इस्तेमाल करता आ रहा है। एतराज कोई करता है तो मानते नहीं हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर इसका समझौता अगर नहीं होता है, हल नहीं निकलता है

(श्री नरपत सिंह राजवी)

तो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जाकर सारे सदन की अनुमति से वहां हमको केस दायर करना चाहिए ताकि हमारा हिस्सा हमको मिले। भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कब्जा जो हैडवर्क्स पर होना चाहिए, सैक्शन 79 1 (सी) के तहत वह सारा उनमें हो तब जाकर लाभ होगा।

आज जो प्रस्ताव आया है उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और बहुत खुशी प्रदर्शित करता हूं कि सभी दलों के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव में सहभागी बनकर पूरे राजस्थान को एक दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन का एक अनूठा दूसरी बार उदाहरण पेश किया है। इसके लिये सभी को बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं यहां पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 28 और 29 जून को सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गयी उस विज्ञप्ति के अन्दर एक मेजर मिस्टेक है, एक खास खामी रह गयी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, राजस्थान सरकार, सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 1981 में रावी-व्यास नदी जल समझौते के तहत—in place of 8.6, it is mentioned 8.06.

और यह सरकारी विज्ञप्ति है, सरकारी विज्ञप्ति का मतलब यह सारे न्यूज पेपर में गयी है। यह दिल्ली के सारे अखबारों में गयी है। यह सरकार द्वारा जो डी.आई.पी.आर. की वैबसाइट बनायी जाती है, उस वैबसाइट के अन्दर दर्ज है। उस वैबसाइट का नम्बर और किस समय उसको उसमें डाला गया, यह भी मालूम है। तो इस तरह की गलती, अब यह सब लोगों ने पढ़ा, राजस्थान के साढ़े पांच करोड़ लोगों ने पढ़ा, दिल्ली के लोगों ने पढ़ा, देश के दूसरे लोगों ने पढ़ा और दुनिया में कहीं कोई बैठा है और उसने वैबसाइट के ऊपर पढ़ा है इसको, तो इस तरह की गलती से हम क्या मैसेज दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हम पानी की समस्या के बारे में, हो सकता है कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गयी हो, लेकिन 28 तारीख को आया, 29 तारीख को आया, अंग्रेजी के एडिशन में, वैबसाइट में 29 तारीख को आया और आज तक इसका

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो मैं यह समझता हूं कि सरकार द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सरकारी डाकूमेंट है। यह वह डाक्यूमेंट नहीं है जो आपने पेपर के अन्दर दे दिया। यह सरकारी डाक्यूमेंट है, इसको कभी भी कोर्ट के अन्दर कोट किया जा सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और दूसरे जो लोग बैठे हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इसको करैक्ट करके सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि फलां तारीख को 28 और 29 तारीख को डी.आई.पी.आर. द्वारा, सरकार द्वारा सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा यह जारी किया गया है, उसमें स्पष्टीकरण करके इसको 8.06 की जगह 8.6 पढ़ा जाए। 8.6 एम.ए.एफ. पढ़ा जाए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : इसको तो माथुर साहब ने भी अभी मेंशन किया था, यह क्लीयरली ओवरसाइट है और आज के संकल्प में उसको क्लैरीफाई कर दिया है, तो मैं समझती हूं कि इसमें कोई दुविधा में पड़ने की किसी को जरूरत नहीं होगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा निवेदन बस इतना-सा था कि...

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हो गया अब और क्या ?

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण दे दिया। आज जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें 8.6 कर दिया है तो फिर खुद अखबारों में आ जाएगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जो पंजाब द्वारा रिजोल्यूशन एज अमेंडेड पेश किया गया, उसके अन्दर प्रिंसेपल आफ राइपेरियन का दो या तीन बार जिक्र किया गया है, सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करूं कि यह जो राइपेरियन प्रिंसिपल का इन्होंने जिक्र किया है, इसका अपनी कण्ट्री हिन्दुस्तान के अन्दर कोई महत्व नहीं है। राइपेरियन ला वह ला है जिसके अन्दर कि किसी हलके से अगर नदी का पानी जाता है तो उस हलके के लोगों को उस नदी के पानी को सदुपयोग करने का पूरा अधिकार है। उसके बाहर वाले लोगों को उसके सदुपयोग करने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 1897 के अन्दर जो घग्घर वाटर है वह सबसे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

पहले पंजाब से बीकानेर स्टेट में आया। ओट्रवियर हैड से यह बीकानेर स्टेट में लाया गया और इस समझौते के तहत जब पंजाब ने घग्घर का पानी बीकानेर स्टेट को दिया तब राइपेरियन ला किस तरफ चला गया था? बीकानेर तो राइपेरियन स्टेट नहीं है घग्घर का, तो वह राइपेरियन कहां चला गया था? माननीय सभापति महोदय, सिलसिलेवार अगर आप इतिहास को देखें, सितम्बर 4, 1920-Agreement signed between the Punjab, Bhawalpur and Bikaner.

अब–Bikaner is not riparian State.

सबसे पहले राइपेरियन प्रिंसिपल को ठोकर लगी, वह सितम्बर 4, 1920 को लगी और इसके अन्दर यह तय किया गया कि गंग कैनाल का निर्माण किया जाएगा। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, अक्टूबर, 1926-1927, लार्ड इरविन ने जब गंग कैनाल का इनोगरेशन किया तो यह स्थापित हो गया समझौते के बाद में, क्योंकि एग्रीमैंट तो सिर्फ पेपर पर था, इसके बाद में यह स्थापित हो गया कि राइपेरियन प्रिंसिपल अपने देश में एप्लीकेबल नहीं है। मैं उस समय सरकार द्वारा 1927 में दिये हुए कुछ उद्धरण आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

"....That the Government of India ruled that surplus water available should be utilized without any regard to boundaries between British ..."

ब्रिटीश इस समय पंजाब स्टेट को माना गया है -

"... and Indian State territories in the best interest of all possible participants and that they saw no reason why Bikaner should be excluded from the benefits of the irrigation schemes merely on the ground that it was not a riparian State. This historic decision paved the way for bringing water of Indus Basin rivers to the parched thirsty sands of Bikaner."

यह है 1927 की सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति जिसके अन्दर यह साफ जाहिर होता है कि यह राइपेरियन प्रिंसिपल अपने देश के अन्दर एप्लीकेबल नहीं है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करूं कि इर्रिगेशन कमीशन की रिपोर्ट, 1972, जिसको कि सारे देश में माना गया, इंटरनेशनल लेवल पर माना गया, वह यह कहती है-Riparian principal is not at all applicable in India.

इसके पहले जैसा कि बीच में भी उदाहरण आया था, 23 फरवरी, 1983 को तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने राइपेरियन के बारे में यहां पर कुछ बातें बोली थीं, उसमें से एक बात का मैं यहां पर उदाहरण देना उचित समझता हूं। उन्होंने यह कहा था कि राइपेरियन लॉ जो है वह अमरीका के अन्दर एप्लीकेबल है। क्यों है अमरीका के अन्दर एप्लीकेबल ? क्योंकि वहां सारे स्टेट्स की जो बाउण्ड्री है वह पक्के तौर पर बनायी गयी है, उसमें चेंज कभी भी नहीं होता। अपने देश के अन्दर अलग-अलग जो राज्य हैं उनकी बाउण्ड्री और उनका विलय और उनका विघटन कालान्तर में होता रहा है। जैसे कि पंजाब का पंजाब और हरियाणा का हो गया और अगर केन्द्र सरकार कभी चाहे और उसका बहुमत हो तो हो सकता है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों एक हो जाएं। तब राइपेरियन प्रिंसिपल किधर जाएगा? उसमें यह भी मेंशन किया गया है, 1972 की इर्रिगेशन कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर कि—The major rivers of India are inter:State rivers North West Indus Basin.

यहां बेसिन का भी जिक्र किया गया है। North West Indus Basin includes part of India and Pakistan. और इसमें आगे यह बोलते हैं – In India, it includes Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan.

तो राजस्थान इंडस बेसिन का हिस्सा माना गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिये राइपेरियन प्रिंसिपल को। कर्नाटक पानी देता है तमिलनाडु को। Tamil Nadu is not a riparian State, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी देना पड़ता है। इससे और ज्यादा इण्ट्रेस्टिंग एविडेंस यह है, आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं इण्टर लिंकिंग आफ रिवर, जिसको अपने राष्ट्रपति महोदय ने नैटवर्किंग आफ रिवर्स नाम दिया है, उसके अन्दर ब्रह्मपुत्र का पानी पूरे देश के अन्दर, गंगा का पानी, यमुना का पानी, सारी बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा। वहां पर राइपेरियन प्रिंसिपल का क्या होगा? तो राइपेरियन प्रिंसिपल इन सब उदाहरणों के अनुसार – it is not applicable.

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

और जिसका जिक्र वहां पंजाब के अन्दर दो या तीन बार इसके अन्दर किया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब 1960 में पानी का डिवीजन हुआ तो मैं आपस यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो चार लाइनें वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट को लिखकर दी थीं, क्योंकि उस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ और नदियों का जब बंटवारा हुआ तो दो नदियां पाकिस्तान की तरफ गयीं और तीन नदियां हिन्दुस्तान की तरफ आयीं उसमें राजस्थान का जिक्र स्पेसिफिकली किया गया है। यह कह कर किया गया है कि यह इतना बड़ा मरू भाग जिसके अन्दर इतने लोग रहते हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए इस पानी का इस एरिया में आना बहुत जरुरी है। जवाहरलाल जी ने जो चार लाइने उस समय लिखकर वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट को भेजी थीं, वे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा—Rajasthan Canal is of vital importance to us and that our planning is based on it.'' सारी प्लानिंग इसके ऊपर बेस्ड बतायी है। "There is yielding, yielding very intense desire all over the area served by Rajasthan Canal for water and any great delay in providing adequate supply would create very difficult political, social and economic problems for us.''

(14.00 बजे)

राजस्थान की मरू भूमि जहां बिलकुल पानी नहीं है, इसको इतना ज्यादा महत्व उस समय दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है? तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी द्वारा। किसको दिया गया है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट के। तो ये सारी चीजें यह दर्शाती है कि जो सारा पानी का बंटवारा हुआ उसमें शुरू से लेकर अब तक राजस्थान की मरूभूमि का पूरा ध्यान रखा गया है। पंजाब के अंदर जिस नहर का निर्माण हुआ और जो हैडवर्क्स बने उसमें राजस्थान का भी पैसा लगा है। राजस्थान के अंदर नहरों का निर्माण हुआ उसमें भी राजस्थान का पैसा लगा है। सारी प्लानिंग करके किया है। पंजाब के अंदर अपने ने पैसा क्यों लगाया? यह सोचकर लगाया कि एक दिन हमको आठ एम.ए.एफ. पानी मिलेगा। अब अगर उस पानी के ऊपर कोई कुठाराघात होता है तो वह असहनीय है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इतने सारे उदाहरण देने के बाद, सिलसिलेवार इतिहास के एक-एक पाइंट बताने के बाद में, मारवाड़ी में एक कहावत है कि पूरी रामायण बांच दी और बीके (उसके) बाद पूछे सीता कौन, वह वाली बात हो गयी। राइपेरियन प्रिंसिपल का यहां पर किसी भी तरह का एप्लीकेशन बिलकुल इनवैलिड है। उन्होंने अपने जो पारित किया है, एडहाक डिसीजन का यूज किया है, यह डिसीजन एडहाक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता एडहाक? यह परमार्नेट, फिक्स डिसीजन है। ये एडहाक डिसीजन कैसे हो गये? अब आप देखें, 29 जनवरी, 1955 को जो एग्रीमेंट हुआ उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जारी किया 24 मार्च, 1976 को और इस नोटिफिकेशन के तहत जो फ्लो सीरिज, जो बेसिक लिया गया था वह लिया गया था 1921 से लेकर 1940 तक का, जो फ्लो सीरिज है उसमें पानी की क्वांटिटी का आकलन किया गया था कि कितना पानी है और उस समय यह आया कि पानी है 15.85 एम. ए. एफ., और उसके डिवीजन के अन्दर राजस्थान का हिस्सा आंका गया 8 एम.ए.एफ. जो कि परसंटेजवाइज अगर आप निकालें तो यह आता है 52.63 प्रतिशत।

1966 में जब पंजाब का डिवीजन हुआ और पंजाब और हरियाणा बने तो रिआर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनाया गया, उसको न तो पंजाब ने स्वीकार किया और न हरियाणा ने उसको स्वीकार किया। 24 मार्च, 1976 को हरियाणा को 3.5, पंजाब को 3.5 and the rest was given to the Delhi water supply.

आप देखें कि 1981 को जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ उस त्रिपक्षीय समझौते में, उस महत्वपूर्ण समझौते में हरियाणा के श्री भजनलाल जी, राजस्थान के श्री शिवचरण जी माथुर और पंजाब के श्री दरबारा सिंहजी के हस्ताक्षर हैं और ये हस्ताक्षर हुए हैं इन प्रजेंस आफ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मिसेज इन्दिरा गांधी। आप देखें, इस समझौते के तहत, जब यह समझौता हुआ उस समय पानी की आवक पहले से थोड़ी ज्यादा थी और उसमें जो फ्लो-सीरिज ली गयी वह (1921) से लेकर 1960 तक की ली गयी, मतलब 40 साल की फ्लो सीरिज ली गयी। उस फ्लो-सीरिज में पानी का जो आकलन किया गया वह 17.17 था। 17.17 का उस समय जो समझौता हुआ, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का हिस्सा 8 एम.ए.एफ. से बढ़ाकर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

8.6 एम.ए.एफ. कर दिया गया जो कि पहले आपका प्रतिशत था, राजस्थान का जो हिस्से का प्रतिशत था वह था 52.63 प्रतिशत और उस समझौते के तहत यह हिस्सा हो गया 52.69 प्रतिशत। प्रतिशतवाइज राजस्थान का हिस्सा उस समय भी बढ़ा। उस समय जो चीज चर्चा में आई वह यह आई कि 8.6 एम.ए.एफ. के अंदर से पाइंट 6 एम.ए.एफ. राजस्थान को तभी उपलब्ध करवाया जाएगा जब वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीट हो जाएगा। 1991-92 से राजस्थान के अलग-अलग नेता अलग-अलग समय पर दिल्ली में और अलग-अलग जगह यह बार-बार कहते आये हैं पंजाब सरकार को, कि हमारा पाइंट 6 एम.ए.एफ. पानी हमको वापस दिया जाए लेकिन आज तक हम इस चीज के अंदर सफल नहीं हुए हैं जबकि यह पानी मिलना बहुत जरूरी है। पाइंट 6 एम.ए.एफ. का मतलब क्या होता है यह मैं आपको थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा। पाइंट एम.ए.एफ. का मतलब है 828 क्यूसेक्स पानी और 828 क्यूसेक्स पानी का मतलब है, 2 क्यूसेक्स पानी एक हजार एकड़ भूमि को सिंचित करता है और उसमें आप देखें कि यह पानी अपने को अगर मिलना शुरू हो जाता है, राजस्थान को तो 67 लाख बीघा सिंचाई की जा सकती है और यह कमाण्ड एरिया होता है 6,683 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इससे तकरीबन पचास हजार परिवार लाभान्वित होंगे इस प्रदेश के।

दूसरा पाइंट जो मैंने आपसे निवेदन किया जो एडहाक वर्ड का यूज किया गया है एडहाक एग्रीमेंट, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है एडहाक डिसीजन एण्ड एग्रीमेंट्स तो यह एडहाक नहीं है, ये पक्के डिसीजन हैं जिसमें देश के प्रधान मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री, सबके हस्ताक्षर हैं। यह पक्के एग्रीमेंट हैं। ये एडहाक डिसीजन उस टाइम नहीं लिये गये, ये पक्के डिसीजन लिये गये हैं।

एक उन्होंने आर्टिकल का जिक्र किया है क्लाज एक आर्टिकल 252 कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की पहले दो बार रूलिंग आ चुकी है कि रिवर के मामले में इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट हो जिसके अंदर दो स्टेट का आपस में झगड़ा हो या सैंट्रल और स्टेट का झगड़ा हो या सैन्ट्रल और अनेक स्टेट्स का झगड़ा हो उसमें सुप्रीम कोर्ट

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

की रूलिंग सुप्रीम मानी जाएगी, उसको कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद में यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ है, 4 जून को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बी.बी.एम.बी. का कन्ट्रोल उनको जल्दी दिया जाए। नम्बर दो– उन्होंने कहा है कि जो एस. वाई. एल. का निर्माण पंजाब के हिस्से को करना है उस हिस्से को पंजाब को कई बार निवेदन करने के बाद भी वह नहीं कर पायी है तो उसका निर्माण केन्द्र सरकार की देखरेख में किया जाए और उसकी सिक्योरिटी पंजाब सरकार प्रदान करे।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने प्रदेश के अंदर अगर वास्तव में पानी को बढ़ाकर 8.6 एम.ए.एफ. करना है और बी. बी. एम. बी. को उसका हक दिलाना है तो इस बारे में एक हाई लेवल कमेटी का निर्माण होना बहुत जरूरी है जो कि पिरियोडिकली इसको मानीटर करती रहे। पीरियोडिकली जब इसको मानीटर करेगी तब ही मालूम पड़ेगा। जैसा कि मेरे से पूर्व मंत्री महोदय, श्री नरपत सिंह जी ने फरमाया, यह जो पानी आता है, जब तक बी. बी. एम. बी. का कंट्रोल, राजस्थान का प्रजन्टेशन उसके अंदर नहीं होगा तब तक पंजाब अपने हिसाब से ही पानी को छोड़ेगा। पंजाब में पानी की आवक पूरे साल में देखी जाए, जैसे कि कल-परसों स्टेटमेंट आया था पंजाब के मुख्य मंत्री महोदय का कि मैं पानी दूं कहां से, मेरे पास पानी है ही नहीं। आप कह रहे हैं 17.17 एम.ए.एफ. पानी है, इस बार पानी की आवक 14 पाइंट समथिंग एम.ए.एफ. हुई है। तो जब यह स्थिति है, पंजाब पानी छोड़ता है ऐसे समय में जब हो सकता है आपको पानी की जरूरत हो, हो सकता है आपको पानी की जरूरत न हो तो बी. बी. एम. बी. का कंट्रोल और राजस्थान को अपने हिस्से का 8.6 एम.ए.एफ. पानी मिलने के लिये हाई लेवल कमेटी इज टू बी फार्म्ड जो कि पीरियोडिकली इसको एसेस करके एंश्योर करती रहे कि राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह बहुत ही सराहनीय...

श्री सभापति : बैद साहब, कंक्लूड करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : यह बहुत ही सराहनीय कदम है कि इन्होंने इस

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारे सदन को कान्फिडेंस में लिया। इसी तरह अब कान्फिडेंस में लेकर सारे सदन के लोग अपने हर तरीके से प्रयास करें। प्रयास दो तरीके से ही किये जा सकते हैं, पब्लिकली किये जा सकते हैं और लीगली किये जा सकते हैं। लीगली भी करें, पब्लिकली भी करें। सारे लोग अपने-अपने एफ्टर्स इस्तेमाल करें। इसमें कोई शक नहीं कि सारे मैम्बर अगर मिल जाएंगे तो पहले की तरह जैसे यह कहते आये हैं हमको 8.6 एम.ए.एफ. मिलना चाहिये, 8.6 एम.ए.एफ. मिले और इनके कार्यकाल में ही मिले, हम यह आशा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, साढ़े 21 वर्ष बाद इस सदन में वापस वह ऐतिहासिक क्षण आया है जब सभी दलों के सदस्य दल की सीमाओं को तोड़कर राजस्थान के हक-हकूब के लिये, विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने की कल्पना के साथ आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सर्वसम्मत प्रस्ताव जो सदन की नेता मुख्य मंत्रीजी ने रखा, उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन की नेता को और प्रतिपक्ष के नेता महोदय सहित पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को कि जब 28 जून को समाचारपत्रों के माध्यम से और जन चर्चाओं के माध्यम से बार-बार ये वक्तव्य आने प्रारम्भ हुए, पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य, पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री का वक्तव्य कि पंजाब उन सारे समझौतों को, जो समझौते 1920 से लेकर 1985 तक समय-समय पर हुए, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समझौते हुए, उन सारे समझौतों को अपने एक सर्वसम्मत संकल्प के माध्यम से चुनौती दे रहा है, उस समय सबने चिंता व्यक्त की। उस चिंता के साथ सब के मन में एक ही विचार आया कि चाहे कुछ भी हो हमें पंजाब सरकार द्वारा पारित वह संकल्प, जो एक तरह से हमारे फैडरल सिस्टम पर चोट है, संवैधानिक मान्यता और परम्पराओं पर चोट है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को भी एकजुट होकर कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मुझ से पहले पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने राइपेरियन शब्द की व्याख्या की, पंजाब विधान सभा ने जो मूल प्रस्ताव पारित किया है, मैं उसकी चार लाइनें सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा-"Unfortunately, so far the allocation of Ravi-Beas Waters have been effected by adhoc decisions and agreements, dictated by prevalent circumstances, rather than by the internationally recognized principles of the riparian basin States." मतलब, अब से पहले जो फैसले हुए, वे सारे फैसले तदर्थ थे और उन सारे फैसलों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया वह सिद्धांत इंटरनेशनल रिकोग्नाइज्ड प्रिंसिपल आफ राइपेरियन के विपरीत था, इसलिए लम्बी-चौड़ी बात उन्होंने की पर आखिर में जो बात कहते हैं—"Therefore, in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this assembly hereby resolves to take all possible administrative and legal measures to safeguard the States interest keeping ni view the internationally accepted principles of riparian rights."

मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि एक राइपेरियन शब्द का इस्तेमाल कर के अब कई लोग यह भी चर्चा करते हैं कि राजस्थान का कहीं नाम नहीं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी फैसले पर, किसी भी समझौते पर 1920 से लेकर 1955 और 1981 की व्याख्या अगर करें तो उन सब में राइपेरियन सिद्धांत को कहीं माना नहीं गया, हमें बेसिन स्टेट मानते हुए ये समझौते हुए हैं।

अभी मुझ से पहले माननीय विष्णु मोदी कह रहे थे कि हम राइपेरियन स्टेट हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में अति विद्वान लोग बैठे हैं, इस राइपेरियन स्टेट शब्द को इस्तेमाल करके हमें एक नया विवाद नहीं खोलना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राइपेरियन शब्द जो है, अगर इस शब्द की व्याख्या देखें तो, सभापति महोदय, मोटा-सा शब्द है आन दी बैंक आफ रीवर। राइपेरियन राइट्स, यानि जहां से नदी गुजरे, पानी का हक उसी प्रदेश को। अगर इसी सिद्धांत को लेकर चलें तो, सभापति महोदय, 1960 की "इंडस वाटर ट्रीटी" है, उसको भी पुन: खोलना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं, जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जब नदी के जल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का विवाद पैदा हुआ उस समय संयुक्त पंजाब था। आज भी रावी, व्यास और सतलज का बहुत बड़ा बहाव क्षेत्र पाकिस्तान के अन्दर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं इसकी गम्भीरता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय शिवचरणजी माथुर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पंजाब के मुख्य मंत्री कै. अमरिंदर सिंह जी के उस वक्तव्य की ओर जो उन्होंने हाल ही में पंजाब की विधान सभा में जब वो अपनी बात कह रहे थे तो कहा। मैं उद्धृत करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि राइपेरियन सिद्धांत विश्वभर में मान्य सिद्धांत है। नदी का पानी उसी राज्य की मिल्कियत होती है जहां से वह नदी गुजरती है। उन्होंने साफ कहा है, माननीय शिवचरणजी माथुर साहब इससे राजस्थान और हरियाणा का पंजाब के दरिया के पानी पर अब कोई कानूनी या सैद्धांतिक अधिकार नहीं है।

मतलब, जो हम चिंता कर रहे थे कि अगर इस तरह का प्रस्ताव आया और इस तरह का वक्तव्य अगर पंजाब के मुख्य मंत्री देते हैं तो उनकी मंशा सामने आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समझौतें कालान्तर में हुए, जो आज इतिहास के पन्ने में सुरक्षित हैं, उन सब को चुनौती देने का काम पंजाब की विधान सभा ने कर लिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1950 में जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरु प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देखा कि रावी, व्यास, सतलज का पानी पाकिस्तान में जा रहा है और इसका बंटवारा कैसे हो, तो उन्होंने एक "नटराजन कमीशन" बनाया। नटराजन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसने यह कहा कि इसमें बेसिन सिद्धांत को इस्तेमाल किया जाए जिस बेसिन सिद्धांत के आधार पर आज तक के समझौते हुए। सभापति महोदय, आज तो लोग पोस्ट बेसिन की बात कहने लग गये। बेसिन सिद्धांत पानी की आवश्यकता, नीड के अनुसार है, जहां पानी की आवश्यकता हो, पानी का उपयोग, उपभोग हो उसके आधार पर पानी का बंटवारा होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है उसके अन्दर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बेसिन की जगह पर पोस्ट बेसिन सिद्धांत की बात भी लोग कहने लग गयं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पंजाब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधान सभा ने पारित किया, इसकी क्रियान्विति की कल्पना भी अगर मन में आए, सभापति महोदय, तो रौंगटै खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के बारे में जिस तरह मुझ से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा, एक दो नहीं, 13.72 लाख हैक्टेयर भूमि जो आज राजस्थान के उन जिलों में है जिनको राजस्थान में अन्नदाता कहते हैं, आज चाहे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, चूरू हो, जोधपुर, जैसलमेर जिले हों, वे जिले आज अन्न पैदा करने में सर्वाधिक योगदान करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा तिलहन पैदा करने के शानदार कीर्तिमान स्थापित किये हैं। अगर इसके पीछे किसी की देन है तो उस पानी की देन है जो आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जाता है। सभापति महोदय, इसके अलावा 1 करोड़ 25 लाख जनसंख्या इन जिलों में रहती है, उनके सामने सिंचाई के पानी की बात ही नहीं, पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हमें गम्भीरता से बात करनी चाहिए।

इंदिरा गांधी परियोजना कोई छोटी परियोजना नहीं है, एशिया में अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली परियोजना है। 26 सौ करोड़ रुपये प्लान एक्सपेंडीचर से खर्च हो गया और वहां किसानों ने एक आशा और उम्मीद के साथ जमीनें लीं। उनके मन में यह था कि इस जमीन से मैं अन्न पैदा करूंगा, धरती का सीना चीरूंगा, जिन्होंने अपने सपने संजोये उनकी पूरी राशि अगर जोड़ें तो 20 हजार करोड़ से भी ज्यादा हो जाए, ऐसा मैं समझता हूं ।

इस तरफ तो हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जहां आज यह किसी से छिपा हुआ नहीं कि राजस्थान में सरफेस वाटर कितना है। किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर इसके साथ सबसे बड़ा जो संकट और चिंता की बात इस राजस्थान में है, अभी भूजल विभाग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है, पिछले 10 वर्षों के आधार पर राजस्थान में 32 जिलों में से 29 जिलों में वाटर टेबल 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक नीचे चला गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ हम बूंद-बूंद पानी के संरक्षण के लिए कह रहे हैं, अभी सरकार ने नाबार्ड से 150 करोड़ रुपये उधार लेकर इस योजना को राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में लागू करने का काम किया, वहां इस तरह से हमारे देखते-देखते हमारा पानी चला जाए, मैं समझता हूं, यह हम सब के लिए एक चिंता की बात है।

मैं ऐतिहासिक तथ्यों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, प्रदेश के सब लोग जानते हैं और यह सत्य भी है कि राजस्थान में पहली अगर कोई ट्रीटी हुई तो 04.09.1920 को, 1.11 एम.ए.एफ. पानी बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह लेकर आये थे। तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजतंत्र में काम करने वाला एक राजा जन हित के लिए ऐसा कदम उठाएगा और आज उसी का परिणाम है कि गंग कैनाल कह दें, बीकानेर कैनाल कह दें, उस गंग कैनाल, बीकानेर कैनाल के माध्यम से वहां के लोगों की तकदीर बदल गयी, तस्वीर और सामाजिक परिवेश बदल गया। वो लोग जो कभी पंजाब में रहा करते थे, जो पंजाब में जीवन-यापन किया करते थे उनको लेकर आने का अगर किसी ने काम किया है, आज हम से रम गये, हमारे बस गये, तो वह गंगासिंहजी ने किया था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, इंडिया इन्डिपेंडेंट एक्ट, 1947 में जब यह बना उस समय विवाद चला था कि भारत और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध क्षेत्र में जो 6 नदियां बह रही हैं, उनका विभाजन कैसे हो। उस समय, जिस चीज का उल्लेख माननीय शिवचरणजी ने किया, एन. डी. गुलाटी की अध्यक्षता में इस पूरे विवाद को हल करने के लिए एक डेलीगेशन गया। एन. डी. गुलाटी की पुस्तक "इण्डस ट्रीटी" उसके अन्दर जो बात कही गयी है उसकी मैं दो लाइनें पढ़कर, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम रावी, व्यास और सतलज का पानी चाहते हैं तो हमें विश्व बैंक के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि इस जल के उपयोग की क्षमता हमारे पास है तथा राजस्थान और पंजाब के मध्य किसी प्रकार का जल विवाद नहीं है। इसके पहले 1955 में हमारा रावी व्यास के जल को लेकर समझौता हुआ, जिसका उल्लेख अभी माननीय माथुर साहब कर रहे थे, उसमें 25 वर्षों के नदी के बहाव का एक औसत निकाला कि इसमें कितना जल प्रभावित होता है। उसमें 15.85 एम.ए.एफ. पानी आंका गया, उसके अन्दर जो हमारा हिस्सा था वह था 52.63 परसेंट, 8 एम.ए.एफ. पानी। इसके अन्दर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि पंजाब को 5.90 एम.ए.एफ. मिला, राजस्थान को 8

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एम.ए.एफ. मिला, और जम्मू कश्मीर को भी फिक्स मिला, पूरा जो अपरिवर्तनीय था। दशमलव 65 एम.ए.एफ. देय था उसको 15.85 एम.ए.एफ. पानी उस समय मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त इण्डस वाटर ट्रीटी हुई उस समय हमने पाकिस्तान का मुआवजे के रूप में 62.06 मिलियन पौण्ड इसलिए दिये कि पाकिस्तान के क्षेत्र में जहां ये नदियां जाती थीं वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, उस समय 110 करोड़ रुपये मुआवजा पाकिस्तान को देकर हमने सारे अधिकार को हासिल किया था। सभापति महोदय, इसी कारण से उस समय हिन्दुस्तान की संसद में पण्डित जवाहर लाल नेहरू और एस. के. पाटिल ने यह कहा था कि हमें राजस्थान नहर और सरहिन्द फीडर को 1962 तक पूरा कर लेना चाहिए।

अब झगड़ा कहां से चालू होता है, सभापति महोदय? 1966 के अन्दर पंजाब के दो टुकड़े हुए। पंजाब में रिआर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके तहत हरियाणा एक नया राज्य बन गया। अब हरियाणा और पंजाब में पानी का विवाद चला। पानी के विवाद का जब कोई तार्किक परिणाम नहीं निकला तब एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जारी किया 24.3.76 को और उसमें आधार बनाया 1955 के उस अन्तरराज्यीय समझौते को और उस आधार पर संयुक्त पंजाब को जो पानी मिल रहा था उसका पंजाब को 3.55 एम.ए.एफ. दे दिया, हरियाणा को 3.5 एम.ए.एफ. दे दिया और दशमलव 20 एम.ए.एफ. ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिल्ली को दे दिया। मैं यह सारी बात इसलिए कह रहा हूं कि झगड़ा है मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के बीच में और झगड़ा है एस. वाई. एल. नहर के निर्माण को लेकर, अभी 04 जून को उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया। परन्तु, सभापति महोदय, किसी से छिपा हुआ नहीं कि पंजाब के अन्दर जब-जब कोई मुख्य मंत्री विवादों में घिरे हैं, पंजाब की राजनीति में जब-जब भूचाल आया, हमेशा पानी की बात को लेकर पंजाब ने राजस्थान की तरफ गुर्राना प्रारम्भ कर दिया। उसके पीछे मुख्य कारण है कि पंजाब के अन्दर जौ हैडवर्क्स हैं जिनका नियंत्रण बहुत पहले ही हमारे समझौतों के अनुसार भाखड़ा-व्यास-नांगल मैंनेजमेंट बोर्ड को मिल जाना चाहिए था, आज भी उनके पास अधिकार हैं।

1981 के फैसले की बात कही, पंजाब-हरियाणा विवाद तो इन दोनों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बीच है, तत्कालीन क्या परिस्थितियां रहीं, उनके बारे में तो माथुर साहब ज्यादा बता सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। परन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने बुलाकर कहा कि दुबारा आप समझौता करें और समझौते के अन्दर कुल बहाव क्षेत्र था उसका आधार था 40 वर्ष का। 1921 से लेकर 1960 तक 17.17 एम.ए.एफ. पानी आपने आंका और उसमें हमारा जो हिस्सा है 52.6 प्रतिशत उसके अनुसार हमारा पानी बनता है 8.6 एम.ए.एफ. और इसमें भी आधार अगर कोई था तो 1955 का वह फैसला था, परन्तु 21 दिसम्बर, 1981 को जो फैसला हुआ, मैं समझता हूं वह फैसला राजस्थान के लिए, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, परन्तु उस फैसले के अनुसार जो हमारा प्रतिशत था वह 52 प्राइंट कुछ था उससे घटकर 49 पाइंट कुछ हुआ, जिस पर हस्ताक्षर तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधीजी, दरबारा सिंहजी, भजन लालजी और माथुर साहब के हैं। उसमें हमारा दशमलव 6 एम.ए.एफ. का हिस्सा उस समय यह कहकर छोड़ दिया गया कि हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन्फ्रास्ट्रक्चर जब हमारे पास होगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त जो फैसला हुआ मैं उसकी आपको अनुमति से चार लाइनें सुनाना चाहता हूं :
"Until such time as Rajasthan is not in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements."

मतलब हमारी आवश्यकता नहीं थी। उस समय यह कहना कि हमारी आवश्यकता पर दशमलव 6 एम.ए.एफ. पानी हमें और मिले, इसकी आवश्यकता नहीं थी। किन परिस्थितियों में कहा गया, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब में आज की तारीख में, मुख्य मंत्री जी, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय एक ही है कि आपका दशमलव 6 एम.ए.एफ. पानी है इसको यूटिलाइज करने के लिए सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। आज पंजाब किसी भी स्थिति में हो वह पानी आपको देने की बात पंजाब करता है तो पंजाब के अन्दर चाहे कोई राजनीतिक दल की सरकार हो, वह पानी वहां के राजनीतिक हालात से मिलना मुश्किल है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माथुर साहब, उस समय जो चीज हमारे हाथ से निकल गयी आज वह चीज हमें कैसे मिले, वह हमारा अधिकार कैसे मिले इस पर सबसे बडी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 79 (1-सी) जिसका उल्लेख अभी मुझसे पहले राजवी साहब कर रहे थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सतलज-व्यास हैडवर्क्स, भाखड़ा-व्यास मैंनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को सौंपा जाना चाहिए था। सौंपा नहीं, सबको मालूम है। पंजाब अपर रीच पर बैठा है, सबसे पहले अपनी आवश्यकतानुसार पानी ड्रा करता है। आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी कृपा की, हमें 7500 क्यूसेक्स पानी जुलाई में देने की बात है। जुलाई बरसात का मौसम। नरमा और कपास की बुवाई, माननीय सुरेन्द्र पालसिंह जी अच्छी तरह जानते हैं, मई के आखिरी में तथा जून महीने में अगर पानी मिलता तो आज नरमा और कपास की बुवाई राजस्थान के उस हिस्से में जो सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर में हो जाती, उस समय हमें दिया 4600 क्यूसेक्स पानी और आज हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमें 7500 क्यूसेक्स पानी छोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी। पानी का हिस्सा हमारा उस दरिया में सुरक्षित है। पोंग डैम के निर्माण के अन्दर धनराशि लगी हुई है। पोंग डैम के विस्थापितों को हमने एक-दो नहीं हजारों बीघा जमीन दी है मुआवजे के रूप में, और यह कृपा करते हैं कि आपको हम पानी देंगे।

इसके साथ सबसे बड़ा जो संकट आया वह भी उस समय आया जब 1985 में आन्दोलन चला, अकाली आन्दोलन। मैं उस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता परन्तु यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने पंजाब-हरियाणा के जल के बंटवारे को लेकर जो एकार्ड किया, उसको लोगोंवाल एकार्ड कह दें उसको या पंजाब सैटलमेंट कह दें, जिसने इराडी कमीशन को जन्म दिया, इराडी कमीशन ने अपनी इन्टरिम रिपोर्ट में क्या कहा है, सभापति महोदय, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। चैप्टर 11 पेज 69-70 –

On the issue of validity of agreements:

The Tribunal has observed as under : ...

इराड़ी कमीशन की इन्टरिम रिपोर्ट है, जोशी साहब।

"We have carefully considered the rival points of view canvassed before us and we are of the view that the contention urged by the Rajasthan must prevail. Else where in this report we have upheld the

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

legality and the validity of the 1955 and 1981 agreements where under Rajasthan became entitled to 8.00 M.A.F. of water from the Ravi-Beas system.''

अब इसी के अन्दर चैप्टर 22 पेज 272 –

On the issue of re-determination Rajasthan's share; Since we are not concerned with the question of allocation of water to Rajasthan under Item No.2 of the reference, we are merely required to adjudicate the shares of Punjab and Haryana in their remaining waters which under the 1981 agreement comes to 7.72 M.A.F."

इसका मतलब है इराडी कमीशन ने अपनी इन्टरिम रिपोर्ट में कह दिया, जिस कमीशन की बात बार-बार उठती है। यह कमीशन बैठा है हरियाणा और पंजाब के पानी के विवाद को हल करने के लिए जो हिस्सा राजस्थान को 1955 के समझौते में मिला, जो हिस्सा राजस्थान को 1981 के समझौते में मिला वह हिस्सा पूर्णतः सुरक्षित है, भारत सरकार ने जो इराडी कमीशन बनाया है वह भी यह कह रहा है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, जब हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा तो इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, 1955 है, इसके तहत हमें क्यों नहीं केन्द्र सरकार के पास जाकर कहना चाहिए कि फैसला किया था हैडवर्क्स सौंपने का, फैसला किया था हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो जाएगा उस वक्त पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. पानी हमें देने का? अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट की धारा 3-सी क्या कहती है?

"The failure of the other State to implement the terms of any agreement relating to the use, distribution or control of such waters, the State Government may in such form and manner as may be prescribed, request the Central Government to refer the water dispute to a Tribunal for adjudication.''

मैं सारी चीजों को खोलने की बात नहीं कहता, पर सिर्फ इन दो बातों को लेकर कि पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. का हमारा हिस्सा और उसके साथ हमारे हैडवर्क्स जो पंजाब सैटलमेंट एक्ट के सैक्शन 79(1) सी के अनुसार सौंपे जाने चाहिए थे, पंजाब के कंट्रोल से बाहर निकलने चाहिए थे वे हैडवर्क्स बी.बी.एम.बी. को सौंपे जाएं, इसको लेकर हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हम इसमें चले जाएं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह ट्रीटी हुई उस समय यह बात हुई थी कि हमारा 52.6 परसेंट जो हिस्सा है वह नदी के जल में यानी जल और जल से उत्पन्न सभी वस्तुओं पर है वाटर एण्ड प्रोड्यूस बाई वाटर। अब 1955 और 1981 के फैसले के बाद पंजाब ने आलंदपुर के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, मुकेरिया में बना लिया, इन पन बिजलीघरों के अन्दर भी हमारा हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए, इनमें जो बिजली पैदा कर रहे हैं, क्योंकि यह वाटर प्रोड्यूस है। हमें मांग करनी चाहिए, सदन को इस पर विचार करना चाहिए कि इन बिजलीघरों के अन्दर हमारा हिस्सा क्यों नहीं हो, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी हमें निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करूंगा हालांकि तथ्य वही हैं, बात वही है, चाहे 1920 के समझौते की बात करें, 1955 के समझौते की बात करें, 1981 के समझौते की बात करें, चाहे हम इराडी कमीशन की बात करें, परन्तु सवाल इस बात का है कि आज एक तरह से न्यायपालिका को आंख दिखाने का काम पंजाब कर रहा है, एक तरह से हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों पर कुठाराघात करने की पंजाब सरकार कोशिश कर रही है। मैं सहमत हूं माननीय शिवचरण जी के उस प्रस्ताव से, कई बार ऐसा समय आता है जब हमें अपने राजनीतिक द्वारों को तोड़ना पड़ता है। आज राजस्थान के अन्दर जन चर्चा है, परसों पंजाब के मुख्य मंत्री का वक्तव्य छपा कि राजस्थान को पानी दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है, आज उनके सिंचाई मंत्री का वक्तव्य दूसरा आया है, इसी का परिणाम है कि दो-तीन दिनों से यह चर्चा चली और राजस्थान का आम-अवाम राजनीतिक दलों के द्वार को तोड़कर राजस्थान के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज वातावरण बना है, इसलिए, मुख्य मंत्री महोदय, यह सारी ताकत आपके पीछे खड़ी है, यह ऐतिहासिक क्षण है, आप इसकी अगुवाई करें। हम सब लोग अलग-अलग राजनीतिक दलों में हो सकते हैं पर यहां राजस्थान के मामले में कोई ऐसी बात नहीं। हमारा जो अधिकार है, समझौते में जो पानी हमें मिला है वह अधिकार सुरक्षित है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, कानून के अनुसार चुनौती नहीं दे सकता। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय जो इंटर-वाटर-डिस्प्यूट-एक्ट बने हैं उनमें कोई चुनौती नहीं दे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सकता। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, इस वक्त जो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है उसका सर्वसम्मति से हम पारित करें। मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक सामाजिक कदम उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माथुर साहब को कि इन्होंने पूरा इनको जो ज्ञान था, अनुभव था, आज उस ज्ञान और अनुभव के अनुसार इस सदन के अन्दर अपनी बात रखी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह जी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री साहब, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं। पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. जो पानी मिलेगा उससे सबसे ज्यादा फायदा चूरू डिस्ट्रिक्ट को होने वाला है। आप सरकार में हो, चूरू-बिसाऊ योजना, साहबा-गंधेली योजना, तारानगर नहर का पानी सब इसी से मिलने वाला है, आप स्पेशल प्रयास करेंगे क्योंकि आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है करने की। यह पानी मिले तो आज जो लोग चूरू के यहां विधान सभा में बैठे हैं, इनको कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज सरकार तो है ही नहीं, आज तो हम सब सदन के सारे एक ही हैं। आज तो एक ही रंग में रंगे हुए हैं, आज तो सरकार क्या? आज तो आप और हम सब एक ही मत हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, आज जो सदन की नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष के साथ मिलकर जो प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही गम्भीर...

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर इस पानी से चूरू को ही फायदा होने वाला है तो हमारा क्यों समय खराब किया जाए?

श्री सभापति : चूरू को ही नहीं, पूरे राजस्थान को फायदा होगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं से बातचीत करके एक सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा है सदन में। जैसा सदन में बताया गया, दूसरी बार हम इस तरह का प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं, यह बहुत ही गम्भीर है और इसका प्रभाव राजस्थान पर दूरगामी पड़ेगा।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

यहां पर बहुत सारी बातें आयीं। जितने भी कानून विज्ञ हैं, यह जो प्रस्ताव विधान सभा पंजाब ने पास किया है उस पर दो तरह की राय दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका राजस्थान से सम्बन्धित कोई जिक्र नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया हरियाणा में सतलज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) कैनाल बनाने का, उसके ऊपर पंजाब विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया है। 1981 में और जितने भी पहले समझौते हुए उनमें दिया हुआ है, कितना-कितना किस किसको पानी दिया, मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं। पचास प्रतिशत पानी जो हरियाणा को दे दिया उस पर बड़ा एतराज है पंजाब का, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसका राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान पर इसलिए असर पड़ेगा कि उन्होंने यह कह दिया कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं ये सब अस्थाई हैं। लेकिन आज कोई स्टेट यह कह दे कि हम भारत के कांस्टीट्यूशन को नहीं मानेंगे तो क्या उससे भारत के कांस्टीट्यूशन को नहीं मानने का उसको अधिकार मिल जाएगा? जो कानून एग्रीमेंट हुए हैं स्टेट्स के बीच में, पंजाब को वह मानना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि हमें इतनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। इतनी हमें चिन्ता जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब एक तरफा यह कह देगा कि मैं तो कुछ नहीं मानूंगा। कल को पंजाब यह कह देगा कि मैं तो भारत में ही नहीं रहना चाहूंगा, तो क्या वह प्रस्ताव पास हो जाएगा? असैम्बली में प्रस्ताव पास कर लें कि पंजाब भारत में नहीं रहना चाहेगा, क्या इससे पंजाब भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? इसलिए कानून में प्रोवीजन है, एक बार एग्रीमेंट हो गया तो वह एग्रीमेंट की शर्तें पंजाब को भी मान्य होंगी, राजस्थान को भी मान्य होंगी और दूसरे प्रदेशों को भी मान्य होंगी और केन्द्र को भी मान्य होंगी। लेकिन इसमें चिन्ता का विषय यह है कि यह जो पानी हमें पंजाब नहीं दे रहा है, माथुर साहब यहां से चले गये हैं, पंजाब बार-बार राइपेरियन सिद्धांत की बात कर रहा है। 1972 में इर्रिगेशन कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर अजीत प्रसाद जैन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1972 में यह कहा कि ये सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होते हैं। 1972 में ही उन्होंने इसको क्लीयर कर दिया कि भारत पर लागू नहीं होगा यह सिद्धान्त। यदि यह सिद्धान्त लागू होता और जिस तरह से पांच नदियों में से तीन नदियां

(डा. एन. एस. गुर्जर)

हमने रख लीं, दो पाकिस्तान में चली गयीं, वे नदियां हमारे जिम्मे आ जातीं तो फिर पंजाब के ऊपर भी क्या यह लागू होता? इसलिए इस पर तो चर्चा करना ही बेकार है।

यहाँ बार-बार राइपेरियन थ्योरी की बात की जा रही है, इण्डस बेसिन की बात की जा रही है, मैं उस प्रश्न में ही नहीं जाना चाहता। कानूनी रूप से उनका कोई आधार नहीं है। आज जल को राष्ट्रीय सम्पदा मानने की एक आम राय पूरे देश में बन चुकी है कि पानी एक राष्ट्रीय सम्पदा है और इसी आधार पर देश ने एक निर्णय लिया कि सारे देश की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए जिससे आसाम में जो बाढ़ आती है उसका नियंत्रण हो सके और राजस्थान में जो सूखा पड़ता है उस सूखे का मुकाबला हो सके। इसलिए ये सब थ्योरीज कूड़ेदान में चली गयीं, पुरानी थ्योरीज, आज जल को राष्ट्रीय सम्पदा मान लिया गया है, तो हमको बहुत ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिन्ता इस बात की है कि हमको जो हरियाणा से पानी अभी बढ़ा दिया, पंजाब ने कह दिया, इसका कारण यही है कि सब बार-बार कह रहे हैं कि बी.बी.एम.बी. पर पंजाब का अधिकार है, इस पर हमारा अधिकार इस तरह का नहीं है जिससे हम पानी ले सकें। तो यह उनके हित में है, जब बरसात आती है तो ज्यादा पानी छोड़ देते हैं। यदि राजस्थान यह निर्णय ले ले कि बरसात के दिनों में यदि बाढ़ आ जाए और बाढ़ का पानी हम राजस्थान में नहीं घुसने देंगे, उस स्थिति में पंजाब की क्या स्थिति हो जाएगी? पंजाब तो पूरा बह जाएगा। इसलिए पंजाब एक तरफा कोई दादागीरी नहीं कर सकता। यह कोई इतनी चिन्ताजनक स्थिति मैं नहीं मानता हूं।

ऐसी स्थिति कभी आ सकती है कि बाढ़ आ जाए और राजस्थान कह दे कि हम भी नहीं मानते, आप कानून नहीं मानते हो तो, तो पंजाब की क्या स्थिति होगी? लेकिन डर इस बात का है कि इससे जो हरियाणा का पानी हमारे हिस्से का है यमुना का पानी, जो समझौता हुआ था चार स्टेट्स के बीच में, उसमें से हमको पानी अगर नहीं मिला, मई, 1994 में यू. पी., हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच में पश्चिम यमुना जल के बंटवारे का जो समझौता हुआ था उसके अनुसार ओखला बैराज तथा ताजेवाला हैड से यमुना नदी को उपलब्ध अतिरिक्त पानी का इन राज्यों में बंटवारा होना था,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उसमें राजस्थान को 1.119 बी.सी.एम. पानी मिलना था। आज बार-बार हरियाणा पंजाब का बहाना लेकर कि पंजाब हमको वह पानी नहीं दे रहा है, यमुना लिंक नहर नहीं बना रहा है इसलिये हम राजस्थान को पानी नहीं दे सकते।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनवरी में भी पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई परिणाम आज तक नहीं आया। इसलिये खतरा यही है कि पंजाब हमारी जो पानी से बिजली पैदा करता है, हरियाणा जो पानी हमको देना चाहिये था, उसने वह नहीं बनाया तो हरियाणा ने एक बहाना ले लिया कि पंजाब सतलज-यमुना लिंक नहर नहीं बना रहा है तो हरियाणा ताजेबाला हैड से लोहारू तक अपने कैनाल सिस्टम का आधुनिकरण नहीं कर रहा, गुडगांव फीडर कैनाल को आज तक वह सुधार नहीं रहा, खर्चा राजस्थान सरकार दे रही है, पंजाब को खर्चा राजस्थान सरकार ने दिया। इसका असर पानी और बिजली परियोजनाओं पर पड़ेगा जिससे सीधे-सीधे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होगा. यह महत्वपूर्ण इसका बिंदु है।

मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये हिस्टोरिकल बैक ग्राउण्ड्स, माथुर साहब ने बहुत सारा बता दिया है, ये मसले क्यों उठते हैं बार-बार। जब भी दिल्ली में सरकार दबाव में होती है, कोई भी सरकार, तब-तब पंजाब ये मामले उठाता रहता है और इसका उदाहरण आपने देखा होगा। पंजाब के अन्दर आतंकवाद का बोलबाला शुरू हुआ, दिल्ली सरकार दबाव में आ गयी और उस समय पंजाब ने यह मामला उठा दिया और उसी समय यह निवाणा का समझौता करना पड़ा, उस समय पंजाब एग्रीमेंट करना पड़ा अकालियों के दबाव में। वह कोई सरकार के साथ समझौता नहीं था। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं, और अभी भी वहां दिल्ली के अन्दर कांग्रेस की सरकार है, जो गठबन्धन सरकार है यू.पी.ए., जो भी सरकार दिल्ली में है वह मजबूत नहीं है, इसका लाभ पंजाब सरकार उठाना चाहती है। इसलिये जब-जब दिल्ली दबाव में आया है, पंजाब ने हमेशा इस तरह की मांग उठाना शुरू कर दिया। इसलिये राजस्थान को भी बराबर दिल्ली के ऊपर दबाव बनाये रखना चाहिये ताकि हमारे हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो।

माथुर साहब यहां से चले गये, वह कह रहे थे कि 1981 का समझौता

(डा. एन. एस. गुर्जर)

करके हमने बहुत अच्छा किया। जब 1955 के समझौते में हमारा हिस्सा तय हो गया 52.69 या 63 परसेंट, तो उसके बाद 1981 में हमको समझौते का हिस्सा बनने की आवश्यकता क्या थी? उसका हिस्सा बनने के कारण यह हुआ कि इराडी ट्रिब्यूनल बीच में आ गया ओर इराड़ी ट्रिब्यूनल ने राजस्थान को बीच में घसीट लिया। 81 के समझौते में 0.6 एम.ए.एफ. वाटर जो राजस्थान सरकार ने उस समय मान लिया, उस समझौते को मान लिया शिवचरणजी माथुर ने, सबसे बड़ी भूल राजस्थान से उस समय हो गयी। आज उस भूल को हमें स्वीकार करना चाहिये कि हमसे भूल हुई है। वह जो 0.6 एम.ए.एफ. पानी हमें पंजाब को देना है, जब तक यूज नहीं करेंगे पंजाब को देते जाएंगे। उसके बाद बी.बी.एम.बी. भी राजस्थान को पानी 8 एम.ए.एफ. मान कर ही उसका बंटवारा करता रहा। उसी के अनुसार पानी देता रहा, 0.6 एम.ए.एफ. पानी को भूल गया। और आज पंजाब ने इतना तंत्र विकसित करके किसानों को यह पानी देना शुरू कर दिया। आज वह 0.6 एम.ए.एफ. पानी चाह कर भी गवर्नमेंट राजस्थान को देगी तो वहां के किसान उस सरकार को चलने नहीं देंगे।

यदि उस समय यह समझौता नहीं किया होता, उसका परिणाम मैं बताना चाहता हूं। महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस सदन में आशंका प्रकट की थी, हम सब लोगों ने आशंका प्रकट की थी। 1983 के अन्दर जब यह प्रस्ताव आया, 1981 का समझौता किया उसके बाद यहां सदन में चर्चा हुई। यह 1983 की प्रोसीडिंग है जिसमें शेखावत साहब ने कहा है कि मंत्रीजी से स्पष्ट कहना चाहूंगा, अभी माथुर साहब बोल रहे थे कि किसी ने उसकी आलोचना नहीं की, मैं बता रहा हूं इस समय तो उप राष्ट्रपतिजी हैं उस समय सदन में प्रतिपक्ष के नेता थे, ने कहा— मुख्य मंत्रीजी, स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि 1981 का हमने समझौता नहीं किया होता तो न भारत सरकार का दम होता त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने का और न अकालियों का दम होता कि राजस्थान के पानी के ऊपर वह ललचाई नजर से देख लें। हमने एक गलती की, हमसे गलती करायी गयी और उस गलती का लाभ उठा रहा है अकाली दल, उस गलती का लाभ उठा रही है भारत सरकार ओर उस गलती के कारण परेशान हुई राजस्थान की जनता। सभापति महोदय,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

उस समय यह आशंका प्रकट की गयी थी। मुझे याद है कि 81 का समझौता, मैंने उस समय डिबेट में भी कहा था कि माथुर साहब ने दबाव में किया था। माथुर साहब को प्रधान मंत्रीजी ने बुलाया दिल्ली में और कहा कि एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो और इनको दबाव में साइन करने पड़े और उसी दिन 0.6 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान का जो हिस्सा था, हमारे हाथ-पांव काटकर हम दिल्ली के हाथों में दे आये, पंजाब के हाथों में दे आये। आज हम कितने ही प्रस्ताव पास कर लें, वह पानी हमको मिलने वाला नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। उसका परिणाम यह हुआ कि जो झगड़े हुए, पंजाब उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, हरियाणा उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, क्लैरीफिकेशन में सब चले गये। क्लैरीफिकेशन में जाने के बाद 1986 के अन्दर इराड़ी कमीशन बिठाना पड़ा। 1987 में इराडी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, पैरा 9.1 और 9.2 में दो चीजें उन्होंने तय कीं। उन्होंने 399 पृष्ठ की रिपोर्ट दी है, उसके ये दो पैरा बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। केवल दो चीजों पर डिसीजन लेना है, दो चीजें ये हैं। अप्रैल, 1986 में इस ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, तीन जजेज थे उसमें। चेयरमैन बालकृष्ण इराड़ी थे, ए.एम. अहमदी और पी.सी. बालकृष्ण मेनन उसके सदस्य थे। छह महीने के बजाय दस महीने उन्होंने लिये और 30 जनवरी, 1987 को 399 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 9.1 पैरा में सन्दर्भ बिंदु – वन, इसमें स्पष्ट कह दिया, 1 जुलाई, 1985 तक जितना पानी ले रहे थे, तीनों राज्यों को उतना ही पानी मिलता रहेगा। इसका क्या कांसीक्वेंस हुआ? क्या परिणाम हुआ? दूसरा उन्होंने 9.2 में कहा, पंजाब और हरियाणा के शेष पानी पर, जो पंजाब और हरियाणा के बीच में डिसप्यूट है शेष पानी का, उसका ट्रिब्यूनल निर्णय करेगा। "काम ले रहे थे", के स्थान पर "काम ले रहे हैं", शब्द यूज किया। इसी से हमारे राजस्थान को नुकसान हुआ। इराड़ी ट्रिब्यूनल को पंजाब और हरियाणा में हुए पानी का हिस्सा तय करने का प्रावधान था, नदियों में अतिरिक्त पानी के बंटवारे का इसको अधिकार नहीं था, लेकिन उसका फायदा उठाकर यह कह दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस समय यह 1955 का हमारा समझौता था उसमें राजस्थान का हिस्सा था 8 एम.ए.एफ., जम्मू कश्मीर का 0.6 एम.ए.एफ., पंजाब का 7.20 जब एक ही था कुल मिलाकर 15.85, ये सब आंकड़े दे रहे हैं। 24 मार्च, 1976 को

(डा. एन. एस. गुर्जर)

नोटिफिकेशन किया,गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड जारी किया। उसमें राजस्थान का हिस्सा उतना का उतना रख दिया, जम्मू-कश्मीर का भी उतना ही 0.65 रख दिया, दिल्ली को पेयजल के लिए उन्होंने 0.20 एम.ए.एफ. और एड कर दिया, पंजाब का और हरियाणा का 3.50 - 3.50 एम.ए.एफ. कर दिया और यह टोटल 15.85 हो गया। यहीं से डिस्प्यूट शुरू हो गया। लेकिन 1981 का जो समझौता हुआ इसके अनुसार राजस्थान का 8.60 एम.ए.एफ. हो गया, जम्मू कश्मीर का वही 0.65 एम.ए.एफ. रहा, दिल्ली का 0.20 रहा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पंजाब का बढ़ाकर 4.22 एम.ए.एफ. पानी हो गया, यह 1981 का समझौता है, पंजाब का 4.22 हो गया, हरियाणा का 3.50 एम.ए.एफ. रहा और इस तरह से बढ़कर 17.17 एम.ए.एफ. पानी हो गया। हमारा तो केवल 0.6 एम.ए.एफ. पानी बढ़ा और पंजाब का 3.50 से 4.22 एम.ए.एफ. पानी हो गया। इसी के आधार पर जब इराड़ी ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट दी उस समय उसने और बड़ी गड़बड़ कर दी, उसके अनुसार उसने राजस्थान का हिस्सा तो उतना ही रख दिया 8.60 एम.ए.एफ. और इसके साथ शर्त लगा दी कि एक जुलाई 1985 को जितना पानी यूज कर रहे थे उतना ही इन स्टेट्स को मिलेगा। चूंकि उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं था, हम ज्यादा पानी का यूज नहीं कर पाये और जो वह समझौते में लिखकर आये उस एग्रीमेंट को आधार बनाकर इराड़ी ट्रिब्यूनल ने यह सिफारिश कर दी जिसके आधार पर 1 जुलाई, 1985 को जो पानी मिल रहा था स्टेट्स को, उसके आधार पर उसने अपनी एडहाक रिपोर्ट में यह हिस्सा तय कर दिया जिसमें उन्होंने राजस्थान का तो 8.60 एम.ए.एफ., जम्मू कश्मीर का 0.65 एम.ए.एफ., दिल्ली को पेयजल के लिए उन्होंने 0.20 एम.ए.एफ., पंजाब का 4.22 से 5.00 एम.ए.एफ. पानी कर दिया। तो लगातार पानी पंजाब का बढ़ता रहा। हरियाणा का वही 3.83 एम.ए.एफ. रहा, हरियाणा का भी बढ़ा दिया। यह कुल योग होता है 18.28 एम.ए.एफ.। उसमें सिस्टम यह था कि पानी बढ़ेगा तो पानी बढ़ेगा, घट जाएगा तो घट जाएगा। आज मुझे बताएं कि यदि 1981 का समझौता उन्होंने नहीं किया होता तो आज इस ट्रैप में राजस्थान नहीं आता। इसलिए माथुर साहब यहाँ से चले गये, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता था कि इराडी ट्रिब्युनल ने किस आधार पर यह फैसला कर दिया। पहाड़ियाजी

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बैठे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, यह बता दें। कल्लाजी लीडर आफ अपोजिशन हैं, वह बता दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपने 1981 का समझौता नहीं किया होता और 1955 का ही समझौता लागू रहता तो हमारा शेयर 52.69 प्रतिशत जो भी है वह रहता और पंजाब के साथ-साथ राजस्थान का हिस्सा भी बढ़ता, जो कि इसमें नहीं बढ़ा है। सभापति महोदय, यह सबसे बड़ी गलती हमने उस दिन की,आज वह गलती जो हो गयी वह हो गयी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह मेरे से पूछ रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, बोलिये, बोलिये, आप बता दीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने कहा है कि इराडी कमीशन की जो बातें कही उसके अनुसार राजस्थान को उससे ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता। मैं यह हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी नहर के पेज 132 को कोट करना चाहूंगा, 1985 के बाद राजस्थान को सन् 1990-91 में 8.55 एम.ए.एफ. पानी मिला, हमें 9.46 एम.ए.एफ. पानी भी मिला है और 8.81 एम.ए.एफ. पानी भी मिला है।

डा. एन. एस. गुर्जर : कब मिला है? जब बाढ़ आ गयी, बरसात आ गयी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कब मिला है, अब मिला है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह तो अपने आप आया है, सरकार उस समय बी.जे.पी. की थी।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी कहा कि पानी इतना मिला है, जब पानी ज्यादा होता है, ज्यादा मिला है। लेकिन जब डैम अपनी नार्मल रीचेज में है तब नहीं मिला है। यह पिछले पांच वर्ष से मंत्री थे तब नहीं मिला है। बाढ़ के टाइम में मिला है, आप देख लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस बार खरीफ की फसल नहीं बोयी गयी है, राजस्थान में हमेशा खरीफ की फसल बोयी गयी है। यह आपके राज में पहलामौका है जब खरीफ की फसल नहीं बोयी गयी है। आप इन बातों को मत करिये...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बैठें न, एक मिनट। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : लोग घुसने नहीं देंगे। पहला मौका है जब कपास की खेती नहीं बोयी गयी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कि आज जो चर्चा हो रही है वह बहुत गम्भीर विषय है, पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में चर्चा है, अब इसमें कब आपने लिया, नहीं लिया जब मूल बहस आएगी विभाग की मांग से सम्बन्धित, उस समय सारे बिन्दुओं पर चर्चा कर लें। आज सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है उसी पर ज्यादा कंसन्ट्रेशन रहें।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, टू कीप द रिकार्ड स्ट्रेट, यह सितम्बर के अंत में फैसला होता है कि कितना पानी कब तक यूज करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च तक फैसला किया था कि चुनाव में पानी ज्यादा मिले ताकि वोट मिलें, 21 मार्च तक का फैसला था। यह तो धन्यवाद देना चाहिए मुख्य मंत्री को कि उन्होंने 21 से 31 बढ़ायी, और जब हमारा शेयर भी कम हो गया था। और यह भी रिकार्ड को चैक करने की बात है कि डैम के खाली रखने की मिनिमम लेवल पहली बार रखी गयी। और बुवाई हो, इसके लिए 7 अप्रैल तक गंगानगर, हनुमानगढ़ सिस्टम में पानी मिले... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, यह सौ-सौ पेज की पुस्तकें खोलकर बैठ गये, हमारा तो इस तरह से नम्बर ही नहीं आएगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कई बरसों से रख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आएगा, आप बिराजें।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : सभापति महोदय, पानी का शेयर तो उतना ही था, जितना मिलना था, लेकिन उसके बाद हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास करके दस दिन, 21 मार्च से 31 मार्च और फिर 7 अप्रैल तक अधिक पानी लिया।

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

दिल्ली में जाकर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रीजी से बात की, पानी लिया और बी.बी.एम.बी. में जाकर बात की, तब जाकर के 17 दिन पानी मिला।... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज की बहस में इस प्रकार का वाद-विवाद पैदा नहीं हो... (व्यवधान) यह तो विभाग की मांग आएगी उस समय आपको जो भी कहना हो, वह सरकार कहेगी और माननीय सदस्यों को जो कहना हो वह कहें। आज तो जो प्रस्ताव है, उसके सन्दर्भ में ही बात करें तो ज्यादा ठीक है।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, सही बात है। आपस में कटना नहीं है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना है।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा था, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : नाथूसिंहजी, समाप्त करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं तो जो गलती हमसे हुई है उस ओर इंगित करना चाहता हूं। वह गलती हमने भी की होती... (व्यवधान) इसलिए उसके कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन हमारे पास एक बचाव है, इस इराड़ी ट्रिब्यूनल ने चैप्टर 11 में एक बात कही है जिससे राजस्थान का बचाव होता है। यह बहुत अच्छी बात है हमारे लिये, उसमें कहा है कि "No single party to the contract ..."

एक एग्रीमेंट हो गया, कांट्रेक्ट हो गया "No single party to the contract can put enhance to the contract and refuse to honour its commitments thereunder."

(14.58 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आगे उन्होंने लिखा है, "We are of the view that this provision cannot alter the share of Rajasthan fixed under the 1955 agreement and later modified under the 1981 agreement."

(डा. एन. एस. गुर्जर)

यह हमारे लिये फायदे की बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन यह हमारे फायदे की बात भी है कि इराडी ट्रिब्यूनल ने जो एडहाक अपनी रिपोर्ट दी, उसमें यह बात कही। इसलिए राजस्थान के हितों के विपरीत यह बात नहीं जा सकती है, राज का हिस्सा बरकरार है। वह इसलिए भी है कि पंजाब ने कभी भी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन पर डिस्प्यूट्स खड़े नहीं किये हैं। हरियाणा और पंजाब पानी के शेयर को लेकर डिस्प्यूट खड़ा करते रहे, हमारे एग्रीमेंट को कभी डिस्प्यूट में नहीं लाये, डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं

"Water dispute means any dispute or difference between two or more State governments with respect to the use, distribution or control of waters of any inter- State rivers or river valley or the interpretation of the terms of agreement relating to the use, distribution or control of such water or the implementation of such agreements, the levy of any water rate in contravention of the provision complained by State Governments as to water dispute. If it appears to the governments of any State that a water dispute with a government to another State has arisen or likely to arise…"

अध्यक्ष महोदय, हमको 1981 में वह समझौता करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय हमको उस डिस्प्यूट में पार्टी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कोई डिस्प्यूट खड़ा किया ही नहीं था इसको लेकर। उस समय हम उस ट्रैप में आ गये। अब उस ट्रैप में से निकलने का चारा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बहुत चर्चा हो गयी। यह तो बहुत पहले 110 करोड़ रुपये जब इंडसट्रीट हुई, पाकिस्तान के पास पानी गया, उस समय वर्ल्ड बैंक को बीच में रखा गया और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में अन्तरराष्ट्रीय समझौता हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एम.डी. गुलाटी,

(15.00)

जो पंजाब के इंजीनियर थे। गुलाटी ने लिखा, जिस दिन विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया, मैं एक्जैक्ट जो उन्होंने लिखा है वह पढ़कर सुनाऊं तो सदन में ज्यादा समय लगेगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट बताऊं – सतलज, रावी, ब्यास इन

(डा. एन. एस. गुर्जर)

तीन नदियों का पानी भारत को दिया जाएगा, इसके बदले भारत सरकार पाकिस्तान को मुआवजा देगी। राजस्थान के रेगिस्तान को हरा-भरा करने के लिए ही यह पानी दिया गया था। इसलिए राजस्थान को आधार बनाकर हमने पाकिस्तान से पानी लिया और इसके बदले हमको 110 करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने पड़े। ये 110 करोड़ रुपये पंजाब ने नहीं दिये, ये भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपये दिये हैं। 110 करोड़ रुपये हरियाणा और राजस्थान ने नहीं दिये हैं,ये भारत सरकार ने दिये हैं। इसलिए किसी भी एक स्टेट का इस सारे पानी पर अधिकार नहीं बनता। इसलिए जो एग्रीमेंट हुआ है इस एग्रीमेंट के अनुसार राजस्थान का पूरा-पूरा हक उस पानी के ऊपर है।

इसके अलावा जो राइपेरियन थ्योरीज की बात हो रही है, यह तो पुरानी हो गई, मैंने कहा कि उसका कोई अर्थ नहीं है। इसके पहले भारत सरकार के सचिव श्री बी. पी. मेनन ने इस पुस्तक में लिखा और उन्होंने पुस्तक में यह लिखा कि यदि पानी का डिस्प्यूट कभी भी इन स्टेट्स में होता है, उन्होंने लिखा कि यह तो समझौता पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान से सटे राज्यों को एक राज्य ही बनाया जाए ताकि उनमें सिंचाई सम्बन्धी कोई भी विवाद नहीं रहे। यह बी. पी. मेनन ने लिखा है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो चर्चा है, पंजाब असेम्बली ने प्रस्ताव पास कर दिया, हम बहुत ज्यादा चिंतित हो गये कि हमारा पानी छिन जाएगा, हमको चिंता इतनी-सी करनी है कि अब इराड़ी कमीशन फाइनल रिपोर्ट देगा। अभी पंजाब जाकर इराड़ी कमीशन आ गया, हरियाणा जाने वाला था, हमारी भी तारीख फिक्स कर ली, वे यहां आने वाले थे, लेकिन यहां पर नहीं आये। और आने की सम्भावना भी नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 5 जुलाई को इराड़ी कमीशन शायद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार बताएगी, मेरे पास फैक्ट्स नहीं भेजे सरकार ने, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 24-25 जून को इराड़ी कमीशन राजस्थान में आने वाला था, वह आया नहीं 5 जुलाई को अपनी रिपोर्ट देगा, उसके पहले-पहले राजस्थान सरकार अपने सारे फैक्टस इकट्ठे करके जो 0.6 एम.ए.एफ. पानी पंजाब यूज कर रहा है, पिछले 12 साल से लगातार हम डिमांड कर रहे हैं, वो पानी किस तरह से राजस्थान को मिले और उसमें हम एम्फेसिस इस प्रकार करें कि पानी बढ़ता है या घटता

(डा. एन. एस. गुर्जर)

है तो जो हमारा शेयर 52.67 परसेंट है, वह तय कर दिया गया है, वह पानी हमको मिलना चाहिए, इस बात की वकालत हम अच्छी तरह से इराड़ी कमीशन के सामने करें। यह पहला निवेदन मेरा सरकार से है ताकि पांच जुलाई को जो रिपोर्ट दे उसमें राजस्थान के पक्ष में रिपोर्ट आ सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यदि इराड़ी कमीशन राजस्थान के हितों पर कहीं कुठाराघात कर जाए तो राजस्थान सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए, अच्छे-अच्छे वकीलों को बिठाकर, जो पुराने इंजीनियर्स हैं उनको बिठाकर एक कमेटी बनाकर तैयारी करनी चाहिए कि इराडी कमीशन की रिपोर्ट आते ही यदि राजस्थान के हित पर कुठाराघात होता है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ वकील यहां हाउस में कौन है, एल.एल.एम.। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : घनश्यामजी, थ्योरिटिकली यह सही है कि मैं एल. एल. एम. हूं, पी.एच. डी. भी हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली (व्यवधान) बहुत वकील हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे महान जो बहुत अच्छी तरह से वकालत कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपने हाउस में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आदमी नाथूसिंहजी हैं।

श्री सांवर लाल : आप प्रैक्टिकली यही करना शुरू करो न इसी केस से। आप इराडी कमीशन से शुरू करो अपनी प्रैक्टिकल वकालत।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसीलिए मंत्री बनने से रोका है आपने इनको?

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान न करें। बीच में व्यवधान न डालें।

डा. एन. एस. गुर्जर : व्यवधान डाल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप रोकिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए सरकार को चेता रहा हूं, यह लीगल आस्पैक्ट है, इराड़ी कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट में यदि राजस्थान का हिस्सा किसी भी तरह से कम कर दिया...

श्री अध्यक्ष : आपको चेता रहे हैं, चेतिए आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : किसी भी तरह से इराड़ी कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में राजस्थान का हिस्सा कहीं कम कर दिया और वही लैंग्वेज यूज कर दी कि जितना पानी मिल रहा था वह मिलता रहेगा, यह पंजाब असैम्बली का रिजोल्यूशन तो हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन इराडी कमीशन राजस्थान का नुकसान कर देगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार इस मामले में सावधानी बरते और अभी से उन लोगों की एक समिति बनाकर प्रिपरेशन करे कि यदि हमारे खिलाफ कोई निर्णय आता है तो तुरन्त हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर...

श्री टीकमचंद कान्त : आप इराड़ी कमीशन के सामने जा सकते हैं यदि ऐसी सम्भावना खड़ी हो गई हो तो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आपको शायद पता होगा, इराड़ी कमीशन ने जब रिपोर्ट दी तो उसमें आलरेडी यह प्रोविजन है कि कोई भी स्टेट एक्सप्लेनेशन के लिए वहां जा सकता है। कई स्टेट चले गये हैं। इसलिए इराड़ी कमीशन ने यह सुनना शुरू किया और घूमना शुरू किया, पंजाब में जाकर सिस्टम देखा, वो हरियाणा जाकर देखना चाहते थे, राजस्थान में आकर देखना चाहते थे, हरियाणा और राजस्थान में नहीं गये, पंजाब में जाकर आ गये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं शंका प्रकट कर रहा हूं इराड़ी कमीशन ने हमारा हिस्सा कम कर दिया तो उसके बाद हमारी क्या स्थिति होगी। राजस्थान सरकार अभी से इसकी व्यवस्था करे और सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी पहले से ही करे ताकि यदि खिलाफ रिपोर्ट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम खटखटा सकें। (व्यवधान) लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से, और माननीय पहाड़ियाजी बैठे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, माथुर साहब मुख्य मंत्री रहे हैं, गहलोतजी यहां नहीं हैं, वे मुख्य मंत्री रहे हैं, सौभाग्य से सभी सदन में हैं, ये सब लोग दिल्ली में अपनी केन्द्र सरकार के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से दबाव डालें कि किसी भी स्थिति में पंजाब से दबकर राजस्थान के हितों पर भारत सरकार कुठाराघात नहीं होने दे। यह दवाब डालें। आज हाउस तो प्रस्ताव पास कर रहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रभाव पड़ता तो राज्यपाल बन जाते अब तक।

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे मालूम नहीं था, इनकी बिलकुल ही नहीं चलती है। घनश्यामजी, इस पोल का मुझे मालूम नहीं था कि इनती पोलमपोल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने विचार रखे या नहीं रखे, लेकिन हम सबकी भावना इस प्रस्ताव के पक्ष में है। आपकी भावना भी प्रस्ताव के पक्ष में है और पूरे राजस्थान की जनता की भावना माननीय सदस्यों के माध्यम से इस प्रस्ताव के पक्ष में है, इसलिए राजस्थान की भावना, पूरे राजस्थान की भावना यूनानिमसली हम भारत सरकार को भेजे। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रस्ताव पास करके। आप अपने गुड आफिसेज का फायदा उठाते हुए, अपनी माननीय नेता से कहें, प्रधान मंत्रीजी से कहें कि पंजाब के दबाव में आकर, स्पेशली मैं चाहूंगा, आपकी जो नेता महोदया हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महोदया, उनसे कहें कि वो प्रधान मंत्रीजी माननीय मनमोहन सिंहजी से कहें कि पंजाब के दबाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो जाए। मैं आपसे इतनी ही अपील करना चाहूंगा और सारे सदन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे आपने इस पर बोलने का समय दिया। इसमें बहुत सारे प्रकरण थे, समय की कमी है इसलिए मैं यहीं मेरी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और विरोधी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि वे राजस्थान के हित को सर्वोपरि मानकर लोकतंत्र के इस सदन में राजस्थान के हित को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव लाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिस्टोरीकल बैकग्राउण्ड, जैसा कि माननीय माथुर साहब मुख्य मंत्री रहे, जितने साथी थे, उन्होंने रखा। यह मेरा भी सौभाग्य है कि मैं 1980 में विधान सभा का सदस्य था। 1981 में जो समझौता हुआ, उस समय जो डिबेट हुई, उसमें मैंने भी भाग लिया था। अब सारी डिबेट पढ़ने के बाद में उन चीजों पर, तथ्यों पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए कोर्ट केस करता है और अपने हित का संरक्षण करता है नियम और

(डा. सी. पी. जोशी)

कानून का सहारा लेकर, और किस प्रकार पंजाब ने अपने हित का फायदा लेकर अपने पानी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि हम उसको ठीक ढंग से नहीं समझेगें तो राजस्थान के हितों का हम ठीक ढंग से संरक्षण नहीं कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो डिबेट है उसमें कोई इश्यू नहीं है। चाहे इराड़ी कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, राजस्थान के सम्बन्ध में, किसी ने कोई निर्णय हमारे खिलाफ नहीं दिया। पर राजस्थान नें क्या किया, यह सोचने की आवश्यकता है। हम सबने कहा कि पानी के शेयर का जो समझौता हुआ पाकिस्तान में, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने किया, उसमें सबसे बड़ा आधार यह माना कि राजस्थान की भूमि पर कोई पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए पानी देने का आधार बनाया। उस समय राजस्थान के भू भाग की जो जियोग्राफी है, जो जमीन है, वहां कोई पानी उपलब्ध नहीं था, उसको आधार मानकर हमें पानी अलोट किया। पंजाब को जो अलोट किया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने 1955 से 1966 तक, जब हरियाणा स्टेट बना, तब तक पानी के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की । 1966 में जब पंजाब से हरियाणा बना तो हरियाणा बनने के बाद जो रिआर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को जो 3.5 पानी मिलना चाहिए था, उस पानी को डिस्प्यूट में डालकर सबसे पहले पंजाब ने यह क्लेम किया। रिओर्गेनाइजेशन एक्ट का जो क्लाज है उसके अंतर्गत पंजाब ने 1966 में सबसे पहले डिस्प्यूट पैदा किया । उस डिस्प्यूट को पैदा करने का क्या फायदा हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय जो 1981 में समझौता हुआ, उसमें जो फलो सीरीज है, उस फलो सीरिज के अन्दर 15.8 की जगह 17.17 मानकर पंजाब के ही पानी को हमने 3.5 की जगह 4.2 मानकर आइडेंटीफाई कर लिया। 4.2 जो आइडेंटीफाई हुआ। अध्यक्ष महोदय, वह 1981 के फ्लों के आधार पर आइडेंटीफाई हुआ। उसको हम देखें, 17.17 एम.एफ. पानी है उसमें 4.2 एम एफ पंजाब का हिस्सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 के फलों को आधार मानकर 17.11 किया, आगे उसमें लिखा है "17.17 MAF flow and storage." This was the basis. The basis was flow and storage.

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, 1981 के समझौते को भी पंजाब ने नहीं माना, जब 1981 के समझौतो को नहीं माना तब 1983 में ट्रिपार्टी समझौता हुआ, प्रधान मंत्री के निगोशिएशन के बाद। उस निगोशिएशन के बाद यह कहा गया कि जो पानी जितना यूज कर रहा है, वह पानी उतना यूज करता रहेगा। लेकिन पंजाब का जो पानी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, टैक्टीकली 4.12 वहां हो गया, 0.6 अपना इन्टरेस्ट उन्होंने वहां पर प्रोटेक्ट कर लिया।

'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप देखिए। 1966 में पहली बार रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के सम्बन्ध में पानी की स्थिति पैदा की गई। एस. वाई. एल. बनाने के सम्बन्ध में जब 1981 में कहा गया कि एस. वाई. एल. बनेगी, एस. वाई. एल. को नहीं बनाकर डिस्प्यूट पैदा किया। 1976 का अवार्ड हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लागू नहीं किया पंजाब ने। हरियाणा पहली बार कांस्टीट्यूशन की धारा 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में गया, 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारा निर्णय लेने के बाद, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 4 जून को, उसमें पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने खाली यह फैसला दिया कि एस. वाई. एल. की कैनाल के स्तर से फोर्म की जाएगी, उसमें सेंटर का इन्टरवेंशन होगा, जिसकी क्या व्यवस्था होगी, यह फैसला हुआ है । 131 में हरियाणा गया कि जो हमारा एग्रीमेंट है 24 मार्च, 1976 का, 1981 का सैटलमेंट, जुलाई, 1985, इन सबको पंजाब लागू नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आर्टिकल 251 में पंजाब ने प्रस्ताव पास कर दिया। मैं संविधान में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने एल. एल. बी. की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान पढ़ने के बाद मैंने देखा कि आर्टिकल 252 क्या कहता है, आर्टिकल 252, यह कहता है माननीय अध्यक्ष महोदय, "Power of Parliament to legislate for two or more states by consent and adoption of such legislation by any other State."

अब 252 पंजाब क्यों लाया ? डिस्प्यूट तो दो स्टेट का है, पंजाब ने तो प्रस्ताव पास किया, हरियाणा ने तो प्रस्ताव पास किया ही नहीं । अब

(डा. सी. पी. जोशी)

अपने राजस्थान में प्रस्ताव पास कर रहे हैं, हम 252 के ब्रेकिट में क्यों फंसना चाहते हैं? यह आप प्रस्ताव देखें । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिजोल्यूशन पास किया है, पंजाब ने, उसमें लिखा है,

'Therefore, in pursuance of cl. (i) of Art. 252 of the Constitution of India......"

अब 252 कांस्टीटयूशन आफ इंडिया का क्यों रेफरेंस दिया गया ? हम प्रस्ताव पास करें, हरियाणा प्रस्ताव पास करे, जब दो स्टेट प्रस्ताव पास करेंगे तो भारत सरकार को अपील करेंगे कि भारत सरकार इसके अंतर्गत यह काम करे मैं नहीं समझता कि हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि नहीं दिया। मेरी कांशस कहती है कि यह आर्टिकल 252 का जो क्लाज है, यह उसी तरह का क्लाज है जिस क्लाज के अंतर्गत उन्होंने 1981 के एग्रीमेंट को, 1983 के एग्रीमेंट को, 1981 का जो फैसला है उसको 1983 में आधार मानकर 0.6 पानी को उन्होंने लोकेट करवा दिया अपने पानी के हित को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनका सोर्स आफ लिवलीहुड, उनकी जी. ए. डी. आप देख लें। पंजाब के नए मुख्य मंत्री बने अमरिन्दर सिंहजी, वाटर लोगिंग की समस्या है, वह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने वाटर क्राप पैटर्न बदलने के लिए बात कही। हिन्दुस्तान के किसी मुख्य मंत्री ने बात नहीं की। किसान जानता है कि पानी ज्यादा उपलब्ध है तो कहा कि अपने किसानों की क्राप का पैटर्न बदलें। पंजाब के पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि पंजाब के पास इतना पानी है इसलिए क्राप पैटर्न बदला जाए । क्रोप पैटर्न बदलने के लिए उन्होंने भारत सरकार से फाइनेंशल एड की बात की कि हमें इतना ज्यादा पैसा दिया जाए जिससे हम अपने क्राप पैटर्न को बदल सकें और राजस्थान जिसको इन्टरनेशनल ट्रीटी के आधार पर 110 करोड़ रूपए हमने दिये, इनती जमीन हमारे पास उपलब्ध है, हमने 50 साल में क्या किया, क्या क्या बना दिया? हमने राजस्थान कैनाल का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ? हमें पानी उपलब्ध हुआ तो हम काम कर लें, एक मिलियन पानी में 40 लाख का काम हो जाएगा। 50 साल में चाहे किसी का राज हो, हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया? हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तक खड़ा नहीं कर सके, जमीन हमारे पास थी, पानी मिलने की सब ट्रीटी हमारे पास थी, लेकिन हमने यह काम नहीं किया । पंजाब ने वह काम किया।

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको मालूम था कि किसान की माली हालत सुधरेगी, किसानों के पास पैसा उपलब्ध होगा तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पंजाब की हैसियत सुधरेगी, उनकी माली हालत सुधरेगी, इसलिए उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए। इर्रेस्पैक्टिव आफ पार्टी लाइन हमें खुद को इन्ट्रोस्पैक्ट करना पड़ेगा। राज चाहे किसी का भी आए, भैरोंसिंहजी शेखावत का राज आया, बी. जे. पी. का राज आया, कांग्रेस का राज आया, हमने कितना इन्वैस्टमेंट किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कैनाल को पूरी बनाने के लिए ? क्या आज जो हमारी जो मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने प्रस्ताव रखा, इस सदन के सामने कहने की स्थिति में है क्या कि अगले पांच साल के उनके टेन्योर में हम राजस्थान कैनाल के इन्फ्रान्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे ? वह एबव प्रायोरिटी होगी, तब जाकर हम अपने इन्टरेस्ट की बात कर सकेंगे। प्रस्ताव पास कर लें हम, 1981 में हमने प्रस्ताव पास कर लिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर, उस समय के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत, भैरोंसिंहजी शेखावत से बड़ा कोई पोलिटिकल स्टालवार्ट और पैदा नहीं हो सकता, वह पोलिटिकल स्टालवार्ट मुख्य मंत्री राजस्थान के, उनके मित्र थे प्रकाश सिंहजी बादल, उनकी सरकार थी दिल्ली में. क्या हो गया प्रस्ताव पास करने के बाद? कोई बी. बी. एम. बी. का हैड आपको मिल गया ? पानी का आपका काम हो गया ? क्योंकि अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए जितने पैसे का एलोकेशन करने काम करना था, वह काम हमने नहीं किया।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : उस समय सरकार आपकी थी और पूर्व मुख्यमंत्रीजी तो अपोजिशन में थे ।

डा. सी. पी. जोशी : आप याद कर रहे हैं, आप याद कर लें, नरपत सिंह जी, कोई बात नहीं। याद कर लें कि प्रकाश सिंहजी बादल, भैरोंसिंहजी और मोरारजी कब थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि काम्बीनेशन बना हुआ था । मैं कहकर उनको बिलिटिल नहीं करना चाहता, मैं आज भी उनको हाइएस्ट एस्टीम देता हूं । He is a very competent and stalwart leader of the country. I give him all respects.

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर वह भी चिट्ठी लिख लें, प्रभाव काम ले

(डा. सी. पी. जोशी)

लें लेकिन राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए राजस्थान के किसानों की माली हालत सुधर जाए, उनके खेत में पानी चला जाए, उसके लिए इन्वैस्टमेंट करने के लिए उन्होंने कोई प्रायोरिटी नहीं बनाई ।

राजस्थान कैनाल का एलोकेशन, भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत कांग्रेस के एलोकेशन से बढ़ा हुआ होता तो मुझे खुशी होती कि उन्होंने कुछ काम किया। प्रस्ताव पेश करके, लीडरशिप करके, शब्दों की बात करना सरल है, पर काम करके किसी का काम करना, यह काम किया पंजाब ने, सरदार प्रकाश सिंहजी बादल की सरकार हो, चाहे सरकार अमरिन्दर सिंहजी हो, वहां के किसानों की लड़ाई, गरीब आदमी की व्यवस्था के लिए सतत् काम किया है इसलिए आज पंजाब वहां पर पानी लेना चाहता है । हमने 1981 से लेकर 2004 तक, आज 24 साल हो गये हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा की ? कितने लोगों को मालूम है कि पानी की क्या व्यवस्था है ? राजस्थान में आने वाला समय भंयकर अकाल का होगा, अब अकाल में अनाज की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान में भंयकर अकाल पड़ेगा पानी का। मैं जिस साउथ राजस्थान से आता हूं, वहां पर आज पानी नहीं आ रहा है, वहां पानी की भयंकर अव्यवस्था हो रही है। (व्यवधान) आप सुनिए। आप चाहे खुश हों, आप सुनिए। कोई बात नहीं है, 50 साल लगेंगे राजसमन्द पानी पहुंचने में, आप विराजो, मुझे मालूम है वह सब । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गेहूं को, पर पानी का ट्रांसपोर्ट करना बहुत भयंकर मामला है । साउथ राजस्थान के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरेन्द सिंहजी बैठे हैं सिंचाई मंत्रीजी, आज सबसे बड़ी भयंकर समस्या राजसमंद के अन्दर पानी की समस्या है। 25 साल हो गये, 30 साल हो गये, हम परमानेंट पानी की व्यवस्था राजसंमद जिले में नहीं कर पाये और आने वाले समय में कैसे करेंगे, यह भी निर्भर करता है बरसात पर। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पानी की जो इम्पोर्टेंस है राजस्थान में, एक जमाने में इंदिरा गांधी कैनाल में हम प्रोडक्शन करना चाहते थे लोगों की, किसानों की हैसियत पैदा करने के लिए, लेकिन आज ड्रिंकिग वाटर की व्यवस्था करने के लिए न केवल वेस्टर्न राजस्थान में चूरू के अन्दर ड्रिकिंग वाटर की व्यवस्था करनी है, नागौर में पानी की व्यवस्था करनी है।

(डा. सी. पी. जोशी)

और हम कल्पना लेकर चल रहे हैं कि हम आज पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी की लड़ाई के लिए, हमने किसान के लिए पैदा करने के लिए 40 साल, 50 साल हमने खर्च कर दिये और 50 साल तक पीने के पानी के लिए हमारे मन में कल्पना नहीं है। (व्यवधान) आप बाद में बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

डा. सी. पी. जोशी : आप बोल लेना। आपका राज था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

डा. सी. पी. जोशी : आपका राज है तो आप मन्दिर में आरती उतार कर पानी की व्यवस्था कर लेना, भर देना राजसंमद को, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मुझे भी खुशी होगी, मैं भी होऊंगा। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नही करें।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं बोलें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है । मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी गम्भीरता से इस बात को देखा है । मैंने उदाहरण देकर इस बात को बताया है कि सबसे पहले जब पानी 15.85 एम. ए. एफ. था तब उनका हिस्सा था 7.20 अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा और जब हमने फ्लो के आधार पर हिस्सा किया 17.17 एम. ए. एफ. तब पंजाब का हिस्सा है 4.2 और हरियाणा का हिस्सा है 3.50 This is not less. This is more.

पर कंडीशन डाल दी फ्लो और स्टोरेज में पौंग में खाली रखते, भाखड़ा में खाली रखते, आपकी परसेंटेज के आधार पर 46 परसेंट करें । ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि वहां पर बी. बी. एम. बी. का हमारा कब्जा नहीं है। बी. बी. एम. बी. पर हमारा कब्जा करने के लिए प्रस्ताव पास करने का काम है क्या? बी. बी. एम. बी. पर कब्जा करने के लिए हरियाणा की तरह कांटीटयूशन के आर्टिकल 131 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

के अन्दर केस दर्ज करना पड़ेगा। हमने कोई प्रस्तावना पास की है, हमारा कोई एक्शन है? पंजाब ने प्रस्ताव पास किया है उसमे लिखा है—"The existing Assembly hereby resolve to take all possible administrative and legal measures to safeguard the state's interests. "What are the administrative steps? What are the legal steps ? How we are envisaging ?

हमारा क्या स्टैप होगा ? क्या हम 131 के अन्तर्गत भारत सरकार से जाकर इस कानून के अन्तर्गत. संविधान के अन्तर्गत कह सकते हैं कि बी. बी. एम. बी. के अन्दर हमारा कंट्रोल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे. हमें अधिकार मिलना चाहिए? हमें अधिकार नहीं मिले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन पानी का फ्लो ठीक ढंग से हो सके, जिससे 91 के आधार पर भी हमको पानी मिलना चाहिए तो पानी मिल सके। यह व्यवस्था करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि प्रस्ताव पास करने के बाद में हम सबसे पहले स्टेप लें कि राजस्थान सरकार की मुख्य मंत्रीजी, यह कठिन काम है।

श्री नरपत सिंह राजवी : कठिन काम होगा।

डा. सी. पी. जोशी : नरपत सिंहजी साहब, बहुत कठिन काम है। यह कठिन काम है, कहना होगा फिर मिलेंगे हम तो बराबर हैं, बहुत दिनों बाद मिलेंगे। यह कठिन काम है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में पानी के लिए बात करना सरल है, राजनीति में देशभक्ति की बात करना सरल है, देशभक्ति के लिए निर्णय करने का काम बहुत कठिन काम है । अध्यक्ष महोदय, कठिन काम है । यह अकाल की समस्या कैसे पैदा हुई ? देश की एकता और अखंडता को खतरा कैसे पैदा हुआ ? देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने शहादत क्यों दी ? कैसे हिम्मत करके उसने पंजाब और हरियाणा के पानी की व्यवस्था की ? यह काम करना भाषण से नहीं होता, उसके लिए राजनीतिक विल चाहिए। इसमें राजनीतिक विल के साथ राजनीति को खोने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि कुछ निर्णय लेंगे तो उसके रिपरकूशन देश के हित के अन्दर क्या होंगे, तब जाकर हम निर्णय कर सकेंगे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करने के बाद पहला स्टैप यह लिया जाए कि यदि संविधान हमें अलाउ करता है तो 131 के अन्तर्गत हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्प्यूट है तो

(डा. सी. पी. जोशी)

राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जाकर सबसे पहले बी. बी. एम. बी. के चार्ज को लेने का काम करे। बी. बी. एम. बी. के चार्ज के अन्दर यदि पानी का उपयोग ठीक ढंग से है तो हमारे जितने भी एग्रीमेंट हैं उन एग्रीमेंटस के आधार पर हमको पानी मिलेगा। यदि वहां पर मैनिपुलेशन हैं, वहां पर गेट्स के अन्दर मैनिपुलेशन है, वहां पर यदि कैपेसिटी नहीं भरी जा रही है तो उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है।

यह राइपेरियन थ्योरी ठीक है या बेसिन थ्योरी ठीक है, कोई थ्योरी हो, किसी ने भी आज दिन तक राजस्थान के पानी के सम्बन्ध में न राइपेरियन थ्योरी के आधार पर न बेसिन थ्योरी के आधार पर पानी के डिस्प्यूट को माना। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने माना है कि राजस्थान का पानी जैनुइन पानी है, इतना पानी मिलना चाहिए। हम उपयोग नहीं कर पा रहे है, वह अलग बात हैं। यह भी तो इश्यू है ही, इसलिए उस पानी का उपयोग लेने का सबसे पहला काम यह है कि बी. बी. एम. बी. पर हमारा कंट्रोल हो। उस कंट्रोल को करने के लिए हम सबसे पहले प्रधान मंत्रीजी को अपील कर लें, दूसरों से अपील कर लें, उससे ज्यादा आवश्यक है कि हम कांस्टीट्यूशन की धारा 131 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को प्लीड करे। सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह निवेदन है ।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वह हमारा कंट्रोल नहीं, वह बी. बी. एम. बी. का कंट्रोल उस पर होगा। व्यवस्था यही है।

डा. सी. पी. जोशी : एस. वाई. एल. का नरपत सिंहजी, साहब।

एस. वाई. एल. नहीं मिल रही थी इसलिए हरियाणा 131 में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्पोजिट सरकार भारत सरकार बना रही है, पंजाब नही बना रही है तो बी. बी. एम. बी. में कंट्रोल हमको नहीं मिल रहा है तो डिस्प्यूट तो पैदा हो गया। हमारा इंटरेस्ट पूरा नहीं होता तो 131 मे जाकर बी. बी. एम. बी. में 25 साल से पंजाब हमको कंट्रोल नहीं दे रहा है इसलिए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करती है कि इसका कंट्रोल करने के लिए या तो आप व्यवस्था करें या हम जाकर बात करें। हम तो चिट्ठियां

(डा. सी. पी. जोशी)

लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मिल रहे हैं। पंजाब के खेत के पास चीफ मिनिस्टर के खेत में पानी आ रहा है गंगानगर मे, तो बोलें कैसे? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं आपसे इसमें मत भिन्नता नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपना कंट्रोल नहीं होगा, बी. बी. एम. बी. का हैडवर्क्स पर कंट्रोल होता है।

डा. सी. पी. जोशी : मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है। (व्यवधान) अपना कंट्रोल होगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का जो कंट्रोल होना चाहिए। इस कंट्रोल का काम है पानी के सम्बन्ध में, वह काम नहीं हो रहा है। इससे राजस्थान के हित का कुठाराघात हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह जो शेयर की बात करें, जरूरत नहीं है । मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि चाहे 1956 का हो, चाहे और कोई समझौता हो, उसमें किसी ने भी राइपेरियन थ्योरी, बेसिन थ्योरी के आधार पर आपके पानी को कम नहीं माना है। ईवन इराड़ी कमीशन 9.1, 9.2 क्या कह रहा है कि यह डिस्प्यूट ही नहीं है, राजस्थान का तो मामला ही नहीं है। इराड़ी कमीशन में तो केवल मात्र पंजाब और हरियाणा के बीच में ही पानी का डिस्प्यूट चल रहा है, हम इराड़ी कमीशन के आधार पर क्यों चिन्ता कर रहे हैं ? इराड़ी कमीशन का तो कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, वह सिल्वर लाइनिंग यह है कि यह जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हरियाणा ने क्या कहा वह हमने पढ़ा। हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा का प्ली जो सुप्रीम कोर्ट में दिया, वह मैं पढ़ना चाहता हूं। हरियाणा ने यह प्ली किया, अध्यक्ष महोदय, 'It may be recalled that the Haryana has filed a suit before the Supreme Court under Art. 131 of the Constitution impleading Punjab and the union of India. It has sought a decree declaring that the order dated March 24, 1976, agreement of December 31. 1981 and the settlement of July 24, 1985 were final and binding on Punjab."

यह हरियाणा ने 131 के अन्तर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसका पार्ट है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए आपकी हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया 4.3.2002 को कि, आपका सारा शेयर वैलिड शेयर है इसलिए इस पर डिस्प्यूट करना...

श्री नरतपत सिंह राजवी : मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं आपका रेफरेंस इतना ही ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक जो सैंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला 1974 में, 'The state of Punjab reacted sharply to the decision of the central Government as it thought that the allocation made in favour of Haryana would have disastrous effect on irrigation plans of Punjab and requested for a review."

रिव्यू नहीं मानने पर उनका एलीकेशन था कि "This provision had been totally overlooked and extraneous considerations had weighed with the Government of India which tilted the balance unjustifiably in favour of Haryana."

डा. सी. पी. जोशी : Punjab Government had argued that it is a water dispute. And water disputes cannot be taken to the supreme court. This was the argument.

यह आप कोट कर रहे हैं, वह 1974 का नहीं 1976 का है। 1976 के एग्रीमेंट का जो आर्डर निकला है उसमें प्लीज आप चैंक कर लें। (व्यवधान) आप चैक कर लें, सरकार आपकी है, करैक्ट कर लें, ठीक रहेगा। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हरियाणा का वह आपसे पूछ रहे हैं, हरियाणा का इंटरेस्ट इफैक्ट क्यों हुआ?

डा. सी. पी. जोशी : यह आप मुझसे नहीं समझें, यह आप मुख्य मंत्रीजी से समझें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यमुना का पानी जो राजस्थान को मिला... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वह समझ नहीं पा रहे हैं मुझे क्या समझा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय तो आपको मिला था बोलने का, क्या बाकी रह गया?

डा. एन. एस. गुर्जर : पूछ रहे हैं वह।

डा. सी. पी. जोशी : मेरा ज्ञान कम है, पूछने का काम मुख्य मंत्री से करें। मेरा ज्ञान इतना नहीं है कि आपको जवाब दे पाऊं। मैं, माननीय अध्यक्ष

(डा. सी. पी. जोशी)

महोदय, यह कहना चाहता था कि अभी एस. वाई. एल. के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हरियाणा को 131 के अंतर्गत किया, उसमें हमारा एग्रीमेंट एवरीथिंग उन्होंने वैलिड माना, इसलिए इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बात जो है हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ा अच्छा प्रस्ताव पास कर रहे हैं। हम प्रस्ताव क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम कुछ नहीं करेंगे। हमने प्रस्ताव पास किया, 123 क्या पास किया. हम नीचे अच्छे बड्‌र्स लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि दृढ़ता से घोषित करते हैं कि राजस्थान को रावी व्यास जल में प्राप्त अधिकार के हम सब करते हैं, हम हमारे एलोकेशन में से पैसे को फोरगों करके इंदिरा गांधी नहर में लगाना चाहते हैं, इसके लिए कौन फैसला करेगा? यह केबिनेट फैसला करेगी. केबिनेट ने निर्णय लिया है? क्या केबिनेट में इतना साहस है? केबिनेट तो बिजली के बिल बढ़ाकर डैफर कर सकती है केबिनेट तो कांट्रेक्ट फार्मिंग को डेफर कर सकती है। इस केबिनेट में इतना साहस है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय लेने के लिए लीडर्स में बहुत ताकत चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह+++ शब्द निकाला जाएं।

डा. सी. पी. जोशी : हां, निकाल दें, सारी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंच हो गया।

डा. सी. पी. जोशी : लीडर को काम्पीटेंट बनाने के लिए राजस्थान में सोशल अवेकनिंग की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान में काम्पीटेंट मिनिस्टर बनाकर फैसला करने की आवश्यकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको अपोजिशन का लीडर नहीं बनाया उसका अफसोस है, बहुत अफसोस है।

डा. सी. पी. जोशी : धन्यवाद। और तो किसी का अफसोस नहीं है? मैं तो मुख्य मंत्री बनने की कल्पना कर रहा हूं, लीडर अपोजिशन नहीं बन रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? I am not aspiring for Leader of Opposition.

(डा. सी. पी. जोशी)

I am aspiring for Chief Minister ship. Why are you bothering? I am not aspiring. आपकी तरह नहीं हूं मैं कि मंत्री की एस्पायर कर रहा हूं और चीफ व्हिप बन जाऊं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी तरह क्या, मैंने कभी भी न मंत्री की, न चीफ व्हिप की, न एम. एल. ए. की .... (व्यवधान) बात नहीं की है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो निर्णय हुआ, सर्वदलीय बैठक में हुआ। सरकार सब कुछ कर सकती है, सक्षम है, पर हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के हित के लिए जो प्रस्ताव पारित हो उसमें आप सब का सहयोग रहे। इसलिए आप यह मत कहिये कि सरकार काम्पीटेंट नहीं है, फलां नहीं है। हम आपका भी विश्वास, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को लगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक, हर पार्टी का विधायक इस सरकार के साथ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, इस प्रस्ताव पर। आपका बनाया हुआ है यह।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय इर्रिगेशन मंत्रीजी, आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके बाद मंत्री है।

श्री अध्यक्ष : आप एक दूसरे पर नहीं कहें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : और आप भी जो प्रस्ताव पास करा रहे हो उसमें बिना राजनीति के राजनीति नहीं होती है। कम से कम अपने ईमानदार होकर राजनीति में बात करें यहां पर। कोई साधु की जमात में नहीं आये हैं कि सब का भला हो। जब राजनीति में आये हैं तो हमारी पार्टी का भला हो, सत्ता में आएं यह उद्देश्य होता है। कोई साधु समाज में नहीं आये कि सब का भला हो ओर भगवान सब का भला करें। इसके लिए नहीं होते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जोशीजी, पंजाब में भी राजनीतिक दल अलग अलग हैं, लेकिन पानी का जहां मामला है उसमें कोई राजनीति नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : अभी बताता हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और यदि वो करते तो यह नौबत नहीं आती।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं तो जोशीजी को कहना चाहता हूं कि आपके नेता खुद ड्राफ्टिंग मे साथ थे, कम से कम उन पर तो विश्वास कर लें, और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नरपत सिंहजी, राजेन्द्र सिंहजी की तरह... (व्यवधान) नहीं हूं। मुझे मालूम हैं। मुझसे मत कहलवाओ, मुझे सब मालूम है कि मुख्य मंत्रीजी, नरपत सिंहजी, राजेन्द्र सिंह जी, पोर्टफोलियो सब मालूम है। मुझसे कहलाओगे तो बोलूंगा मैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : मालूम है, आप साथ बैठे हो इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, मालूम हमारे को भी है और मालूम आपको भी है, इस सम्बन्ध में आप भी साथ बैठे थे, डिस्कशन आपके साथ हुआ यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विषय से अलग न जाएं। (व्यवधान) आप विषयान्तर हो रहे हैं, विषय पर बोलिये।

डा. सी. पी. जोशी : मैं धन्यवाद दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उददेश्य कोई अमेंडमेंट करने का नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि जो यह प्रस्ताव पास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टि से यही प्रस्ताव होना चाहिए पर हमारा इंटरनल असैसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन यह काम तो हमारा यहां का काम हैं, इसको पार्ट कैसे बनाएं रिजोल्यूशन का। यदि इसको पार्ट करना होता तो मैं कुछ सजेशन करता। हम जो पालिटिकल मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए यह परफैक्ट प्रस्ताव है, उसमें मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें इंटरनल, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम सारी डिबेट कर रहे हैं, मैंने सभी सदस्यों की बात सुनी पर मुझे किसी सदस्य ने यह बात नहीं कही कि हम अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाएंगे। किसी ने यह नहीं कहा कि हम दूसरे कदम क्या उठाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, आप स्वयं जानते हैं, मुझे तकलीफ है, राजस्थान की पूरी इकोनोमी एनीमल हसबैंड्री बेस्ड थी, राजस्थान की पूरी इकोनोमी को इन्होंने डैस्ट्राय कर दिया। राजस्थान

(डा. सी. पी. जोशी)

कैनाल से लोगों को टैम्प्टेशन पैदा किया, राजस्थान कैनाल से लोगों को कहा गया कि तुम्हारे खेत में, जमीन में पानी आएगा, तुम खेती कर पाओगे, तुम जमीन के, किसानों के सम्बन्ध में सोच लो। नागौर के अन्दर मेला लगता था, वहां के पशु बाहर जाते थे, फैसला करवाया कि इनको नहीं भेजा जाए। इनकी इकोनोमी में क्या फेट हुआ, मैं कहना नहीं चाहता, पर, अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं, कि यदि पंजाब के अंदर वाटर लागिंग और ज्यादा पानी के साथ क्राप पैटर्न बदलना चाहते हैं तो राजस्थान में जो पानी उपलब्ध है उस पानी में राजस्थान सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि कम पानी में कौनसी क्राप पैदा होती है और कब क्राप पैदा होती है तो उसकी सपोर्ट प्राइस करने की राजस्थान सरकार के मन में क्या कल्पना है। हमने तो जो ज्यादा पानी उपयोग लेता है उस क्राप को आज दिन तक इंसेंटिव देकर के परचेज किया है, लेकिन कम पानी में कौनसी पैदावार हो सके उसको इंसेंटिव देने के लिए हम भारत सरकार के ऊपर निर्भर हैं। राजस्थान सरकार यदि चाहती है कि पानी को ठीक ढंग से उपयोग हो, किसान उससे मोटिवेट हो तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी सपोर्ट प्राइस उस क्राप को लेने की हो, जो क्राप सबसे कम पानी में पैदा हो, यह निर्णय राजस्थान सरकार को करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता पर मेरा यह फर्म कन्विक्शन है, हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ें, जो पंजाब का प्रस्ताव है, मैंने कमेटी में भी कहा था, फिर मै। रिपीट करना चाहता हूं, उन्होंने बड़े टैक्टीकल एंड से दो बातें कही हैं, नीचे इन्होंने कहा है- '.... legal measures to safeguard the state's interests keeping in view the internally accepted principle of riparian rights and protect it from the damage likely to be caused as a result of recent order of the Supreme Court of India.''

यह 252 के बार्ब के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंडेम की कैटेगरी में नहीं आए, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया है। पहला जो इनका प्रस्ताव था, दूसरा था, यह अमेंडेड प्रस्ताव है। अमेंडेड प्रस्ताव में मुझे कोई आदमी बताए कि जब हरियाणा ने प्रस्ताव पास नहीं किया, राजस्थान ने प्रस्ताव पास नहीं किया तो 252 का इस कानून के अन्तर्गत, संविधान के

(डा. सी. पी. जोशी)

अन्तर्गत जब दो स्टेट के अंदर डिसप्यूट ही नहीं है तो भारत सरकार के लिए कौनसे नियम को करने की व्यवस्था करना चाहते हैं? लेकिन यह ठीक उसी प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा गया कि वाटर डिसप्यूट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक उसी प्रकार अब यह नया तरीका निकालना चाहते हैं जिसके खतरे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वो भारत सरकार से मांग करेंगे कि ट्रिब्यूनल बनाई जाए, ट्रिब्यूनल बनाकर वापस इस इश्यू को रीओपन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कश्मीर में हो गया, हम कश्मीर में गये थे, यू.एन.ओ. में गये थे, लड़ाई को रोकने के लिए गये थे, शांति व्यवस्था करने गये थे, एल.ओ.सी. बन गई। आधा कश्मीर पाकिस्तान में, आधा कश्मीर हमारा। वह जैसा का जैसा है, 50 साल में राज किसी का आ जाए, कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है, प्रस्ताव हम पास कर लें लेकिन कश्मीर का जो अंग चला गया उस अंग को हम ले नहीं सकते। आज यह भी हमने प्रस्ताव पास करने में ध्यान में नहीं रखा कि यह 0.6 एम.ए.एफ. चाहे 1981 का एग्रीमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है लेकिन 0.6 एम.ए.एफ. का आपका यह शेयर एल.ओ.सी. की तरह हो जाएगा। यह 0.6 फोरगोन कनक्लूजन हो जाएगा कि यह 0.6 का इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आपने खड़ा ही नहीं किया इसलिए आप पानी यूज ही नहीं कर सकते। पानी नहीं दे सकते तो हम पानी को देने के लिए आज से फैसला करते हैं, जैसे 1986 में फैसला किया कि 1.1.1985 को पानी यूज कर रहा है उसको आधार मान लिया। और फैसला करेंगे, आज जितना पानी मिल रहा है उसको आधार मानकर हम फैसला करना चाहते हैं। उससे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप लेने की आवश्यकता है जिसमें नम्बर वन, यह सरकार जो बजट ला रही है 12 तारीख को, उस बजट में सरकार जनता के बीच में आए, हम तो कुछ नहीं कर पायें, आप जनता के बीच में आएं और कहें कि अगले और चार साल हैं, आपने हण्डरेड डेज का प्रोग्राम बनाया, आप साल भर का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप पांच साल का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप पांच साल के प्रोग्राम में यह लेकर आइये कि आप इंदिरा गांधी कैनाल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने पर कितना पैसा खर्च करेंगे। जब यह लेकर आएंगे तब किसान को यह विश्वास पैदा होगा कि यह

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार किसान के भले के लिए रावी—ब्यास के पानी के शेयर को उपयोग करने का काम करना चाहती है। बाकी प्रस्ताव पास करने से इसकी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है इर्रिगेशन मंत्री महोदय से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नं . 1, 2, 3, 4, यह 1953 का अभी नरपत सिंह जी ने बताया था कि इतना कैचमेंट एरिया, कल्चरेबल एरिया सब बताया आपने, अब बताइये, आज से स्टार्ट करते हैं, 2004 के चुनाव होंगे साढ़े चार साल बाद, कितना नया आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, कितने लोगों को जो जमीन में पानी था, उनको पानी पहुंचाया, कितने लोगों की हैसियत बढ़ाई या अलग स्थिति पैदा की। इसको अलग-अलग बताइयें, ओवराल नहीं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करिये, जो हो गया वह छूट गया, नया स्टार्ट करके आज से हमने कमिटमेंट किया है कि जो हम यह बात कर रहे हैं तो हम यह भी काम कर रहे हैं कि नया हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है, इससे पानी का उपयोग हो सके और लोगों को कह सकें कि राजस्थान में रावी—ब्यास के पानी का उपयोग लेने का काम कर सकते हैं।

अभी तो इटेंसिटी आफ फ्लो, मैं गंगानगर का आदमी नहीं हूं, मैं तो मेवाड़ का आदमी हूं, पहाड़ हैं हमारे यहां तो, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि पानी कितना फ्लो होता है? यह जो पानी की इंटेसिटी फ्लो है, कैनाल में उसमें कम करने का और ऊंचा करने का फैसला कर लिया क्या सरकार ने? टेल एंड पर पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है? आगे जिनको पानी ले जाना है वहां पानी पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचाया जाएगा ? नरपत सिंह जी, यह सब करके फिर चार साल के बाद फैसला करके आना है कि हम पानी की व्यवस्था करने का काम ठीक कर पाये है, तब मुझे खुशी होगी। इस प्रस्ताव को पास करने के बाद हमारे मन में जो संकल्प है उस सकंल्प को पूरा करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो डिबेट की है उस डिबेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की छाप लगी हुई है कि रावी—ब्यास फलां, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप के बारे में सजेशन करें कि एडमिनिस्ट्रिटिव स्टैप, लीगल स्टैप सरकार क्या लाएगी। मंत्री तीन-तीन बोल गये, राठौड़ साहब बोल गये, नरपत सिंह जी बोल गये, एक ने भी यह नहीं कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दु:ख होता है, एक ने भी नहीं कहा कि

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या स्टैप लेगी सरकार। यह कहा, रावी-ब्यास का समझौता यह था, सब सुन लिया हमने, पर किसी मंत्री ने बोला नम्बर वन, नम्बर टू, नम्बर थ्री? आपके दिमाग में कल्पना ही नहीं है कि हम कैसे समस्या का समाधान करें। आपके तो मन में कल्पना है, सब के पास है, 81 में भैरोंसिंह जी ने क्या कहा, 81 में दूसरे ने क्या कहा, उस सब की फोटो कॉपी है सबके पास। सब के पास देखा है मैंने, फोटोस्टेट कापी है। पर किसी के पास वह कापी नहीं है कि हण्डरेड डेज में वसुंधरा जी ने जो प्रोग्राम बनाया उस हण्डरेड डेज में रावी—ब्यास के उपयोग करने की कल्पना क्यों नहीं की। एक साल की कल्पना क्या है, पांच साल की कल्पना क्या है, आपका जो मेनिफेस्टो था उसमें क्या कल्पना है, उसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। आपके मन में कल्पना ही नहीं है कि रावी—ब्यास के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सोचें. हम लीगली क्या बातें सोचें। मुझे कहते हुए तकलीफ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एबव पार्टी लाइन, सरकार आपकी चलेगी, बजट आप लाएंगे, बजट का निर्णय आपको करना है, भगवान आपको सदबुद्धि दे, आपको ताकत दे, आपकी जो लीडर बनी हैं, उस नई लीडर को ताकत दे कि हम कह सकें कि पहली बार एक महिला मुख्य मंत्री बनी हैं जिसने कुछ निर्णय ऐसे लिये हैं, कठोर निर्णय लिये हैं। अभी तक जो निर्णय लिये हैं, हमने जातियों को खुश कर लिया, उस जाति का मंत्री बना लिया, उसको खुश कर लिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय ले कि राजस्थान के अन्दर यदि बहबूदी लानी है तो राजस्थान के पानी का उपयोग करने लिए क्या व्यवस्था करेंगे, बताइयें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय जोशी साहब, आप काहे पर बोल रहे हैं? संकल्प पर बोल रहे हैं आप?

डा. सी. पी. जोशी : हां, संकल्प पर, मैं संकल्प पर बोल रहा हूं। राजेन्द्र सिंह जी राठौड और नरतप सिंह जी, वसुन्धरा जी को मुख्य मंत्री मानेंगे आप, मानते हैं आप ? फिर बैठो एक बार। बस बात हो गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल मानते हैं। आज आपकी पार्टी के नेता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की, आपकी सहमति से जो संकल्प का प्रारूप स्वीकृत किया, उसी पर चर्चा हो रही है, उस पर आओ न आप। आप कहां 100 डेज पर चले गये, कहां मेनिफेस्टो पर चले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जनता तो रो रही है जिसने आपको जिताया है। आप उस जनता को रो रहे हैं जिसने आपको जिता कर भेजा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कही है. मैं नहीं बोलूंगा मैं नहीं बोलूंगा. क्या लीगल स्टैप लेंगे?। आप मंत्री हैं, क्या आप यह कल्पना नहीं करेंगे, आप सरकार मे हैं. क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैजर्स लेंगे, वह आप बताइये।

श्री सांवर लाल : क्या मैजर्स लेगें, आपको बता देंगे। आज इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब तो आप अपनी बात रखो न, मैं जवाब दे दूंगा सब।

डा. सी. पी. जोशी : आप इनको समझाओ, मैं तो उतावला नहीं हो रहा हूं, मुझे क्यों कह रहे हो?

श्री सांवर लाल : ये तो समझे हुए हैं, आप ज्यादा समझे हुए हो।

डा. सी. पी. जोशी : प्रोफेसर साहब, ये आपसे ज्यादा उतावले हो रहे हैं।

श्री सांवर लाल : जो वसुन्धरा जी के नेतृत्व मे मंत्री बने हुए हैं, उनको आप कह रहे हो कि आप उनको मुख्य मंत्री मानते हैं कि नहीं, आपको सोचना चाहिए कि आप कैसी बात कह रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसी बात कह रहे हो।

डा. सी. पी. जोशी : प्रोफेसर साहब, इसलिए बात कह रहा हूं कि आप पहले मंत्री बने, राजेन्द्र जी बाद में मंत्री बने, इनको मालूम है, कैसे मंत्री बने हैं। नाथूसिंह जी लाइन में हैं, मालूम है। सब साथ में मित्र थे, मालूम है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वसुन्धरा जी को पूरे राजस्थान की जनता मुख्य मंत्री मानती हैं, छह महीने में जो काम किया है उसको याद कर रही है।

डा. सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा, हम भी मान रहे हैं। हम भी मान रहे हैं कि हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी हैं। हम मन से कह रहे हैं। आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत कहां पड़ रही है, हम खुद ही कह रहे हैं? (व्यवधान) मुझे खुशी हुई कि वसुन्धरा जी के पक्ष में पांच आदमी आगे आये। मुझे बहुत खुशी हुई है कि वसुन्धरा जी के पक्ष में पांच आदमी खड़े हुए हैं, बाकी खड़े नहीं हुए है। मुझे तो खुशी हुई है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : ये विषय से इतना हटेंगे तो फिर थोडा बहुत गड़बड़ होगा। 45 वर्ष की सत्ता में आप रहे, आप पर उसी का असर है। आज आप छोड़ दो।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह तो सारा राजस्थान जानता है, जोशी साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तो पहला दिन है, आज तो आप माफ कर दो।

यह तो आगे भी कर लेंगे, आज-आज तो माफ करो। आज तो राजनैतिक भेदभाव से ऊपर बात करो. राजनैतिक दीवारों को तोड़कर बात करो। आपके नेता ने कहा था कि सर्वसम्मत प्रस्ताव है, कहां सर्वसम्मति है? कैसी राजनैतिक बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नाथूसिंह जी बोले, वह कौनसी बात की थी उन्होंने? उनको रोका था क्या आपने? आप भाषण दे रहे हैं। नाथूसिंह जी क्या बोल रहे थे माथुर साहब के लिए, वह तो आपको नजर नहीं आ रहा था। तब तो आप चुप बैठे थे, तब तो आपको नजर नहीं आ रहा था।(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल मान रहा हूं कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सी. पी. जोशी जी, आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें तो उचित रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये दो प्रोफेसर सी. पी. जोशी साहब और सांवर लाल जी का विवाद है, अगर आप निर्देश दें तो मैं इनका स्थानान्तरण कर दूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं तो आज तक इन्टरव्यू देकर ही बना हूं, आप बिना इन्टरव्यू के बने हैं, इतना फर्क है।

डा. सी. पी. जोशी : धन्यवाद, मैं बना तो हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय इरिगेशन मंत्रीजी से, यह जो समझौता हुआ 1991 का, इसमें हमने 0.6 पानी के लिए कहा कि यह बाद में उपयोग लेंगे। उसमें एक बात कही गई है—"In case of any variation in the feeder of..."

इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. वाई. एल. का जिक्र किया गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस बारे में भी हमें 0.47 पानी जो उपयोग करना है, regarding claim of Rajasthan to convey 0.57 MAF water through Satluj-Yamuna Link Canal Bhakra System.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फैसला हुआ 4.6.2002 को, उसमें एस. वाई. एल. की बात नहीं होती है तो यह हमारा 0.57 एम. ए. एफ. जो पानी है, यह भी उस जोन आफ कंसीडरेशन में आ जाएगा। माननीय इरिगेशन मंत्रीजी. आपसे मेरा सानुरोध निवेदन है...

श्री नरपत सिंह राजवी : यह नहीं आएगा, आप दूसरी जगह से लें, आल्टरनेट्स हैं।

डा. सी. पी. जोशी : मुझे पता नहीं, आप दोनों को मालूम है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है, जो मैं पढ़ पाया, समझ पाया हूं, उसमें मेरा एप्रिहेंशन यह है कि एस. वाई. एल. तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम 0.7 एम. ए. एफ. पानी जो भाखड़ा सिस्टम से लेना चाहिए था, वह हम नहीं ले पाएंगे। यदि पंजाब जिस तरह की स्थिति बनाकर और डिले करता है, एस. वाई. एल. के कंस्ट्रक्शन को, यह हमारा जो 0.57 है, जो 0.6 का ही पार्ट है, आपके कहने का यह मतलब है, I don't think. It is additional to 0.7.

इसका मतलब 0.6 के अलावा 0.57 एम. ए. एफ. पानी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी हमारे डाउट में है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आपने प्रस्ताव पेश किया, मैं मेरी तरफ से, हमारी पार्टी के सभी सदस्यों की तरफ से, जिस भावना से माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे इरिगेशन मंत्री जी सभी साथियों की ओर से प्रस्ताव लाये हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान और आप सब मिलकर, जैसे बरसात आई कि नहीं, मुझे पता नहीं, यहां पर

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उस प्रस्ताव को लोजिकल कनक्लूजन पर ले जाने के लिए जो कुछ काम आपको करना है सरकार के लिए, उनको कदम उठाकर काम करें। इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करें, जिससे किसानों में विश्वास हो सके कि आपकी नीयत भी पानी लाने और उपयोग करने की है। यह आप कर पाएंगे, अध्यक्ष महोदय, तो हम यह ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। इसी सदभावना के साथ में, मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान के हितों की रक्षा कर सकेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नम्बर आएगा?

श्री अध्यक्ष : आपका भी आ जाएगा, अब तो उनको बोलने दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : मैं और मेरा दल, क्या बात हुई, दल हमारा कोई छोटा है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। मुख्य रूप से आंकड़ों की जहां तक बात है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आंकड़े देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 120-120, 200-200 पेज की पुस्तकें यहां पर पेश की गई, एक-दूसरे से तर्क-वितर्क किये गये। यह राजस्थान के काश्तकारों के जीवन और मरण का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बात तो छोटी-सी है, हमारे हिस्से का जो पानी है, वह पहले से ही तय है, हमारा हिस्सा निर्धारित है। उस हिस्से को हमें प्राप्त कैसे करना है, इस पर विचार करना है, हमारा कितना पानी कहा चोरी हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा के अन्दर से जो भी नहरें गुजरती हैं, अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा हो रही थी कि हमारे हिस्से का पानी इतना पाइंट, इतना पाइंट मिल नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा पानी मिल रहा है, हैडवर्क्स पर पानी दिखाया जा रहा है। 1000 क्यूसैक्स, उदाहरण के लिए, वह पानी हमारे पास 700 क्यूसैक्स पहुंचता है। बीच में पंजाब चोरी करता है पानी की। राजस्थान की सरकार ने 45 वर्षों तक तो कांग्रेस का शासन रहा, इस चोरी की बाबत कभी कोई प्रयास किया? अध्यक्ष महोदय, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, अभी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हमारे जोशीजी कह रहे थे कि सरकार की मंशा क्या है, निर्माण के लिए कितना बजट में प्रावधान करोगे। उस बारे में तो, अध्यक्ष महोदय, इनको पता हैं क्या छोड़कर गये हैं, क्या नहीं हैं, सब जानते हैं कितना कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा तो इतना ही कहना है जो पानी हमें मिल रहा है, कम से कम वह तो चोरी नहीं हो, इस बात की तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए। रहा सवाल पंजाब के अन्दर विधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ है, पक्ष-विपक्ष ने मिलकर किया है और पंजाब ने अपने आप में एक बात दशाई है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला नहीं मानना, केन्द्र सरकार का भी फैसला नहीं मानना और हैडवर्क्स जो हैं, उसके ऊपर मनमानी करना। अध्यक्ष महोदय, पक्ष-विपक्ष मिलकर एक बार अवश्य प्रयास करना चाहिए ताकि दो प्रांतों के साथ कंट्रोवर्सी नहीं बढ़े। इस बात का प्रयास करने की, हम सबको मिलकर प्रधान मंत्रीजी से, राष्ट्रपति जी से। उप राष्ट्रपति जी से, अगर पंजाब सरकार केन्द्र सरकार के भी वश में नहीं आई तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी पंजाब सरकार बाज नहीं आती है तो फिर अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है, लक्ख लानत है कमजोरन, दुनिया मनदी जोरन। लास्ट में मेरा यही निवेदन है कि एक बार हमें सब को मिलकर के प्रजातांत्रिक तरीके से केन्द्र सरकार के आगे यह मैटर रखना चाहिए और केन्द्र सरकार से भी अगर बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और अगर हमें कहीं न्याय नहीं मिलता है तो मैंने जो अंतिम शब्द कहे है। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर हमें मिल-बैठ करके सोचना है (व्यवधान) अध्यक्ष जी को कह रहा हूं मैं, आपको पानी की पीड़ा का पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां आंकड़े प्रस्तुत करने से कुछ होने वाला नहीं है, यह जीवन-मरण का प्रश्न है। पुनः दोहरा रहा हूं मैं, आंकड़े बहुत पेश हो लिए, बात सिर्फ इतनी-सी है कि जो हमारा हिस्सा है वह हमें मिलना चाहिए। इस बात की हम सब को तैयारी करनी चाहिए। (व्यवधान) धन्यवाद। आप दो-दो घंटे बोल रहे थे, क्या धन्यवाद दे रहे हैं? (व्यवधान) जितनी मेरे में बुद्धि है, जितना ज्ञान है, अध्यक्ष महोदय, मैं उसके अनुसार ही बोलूंगा। आंकड़े तो ऐसे पेश नहीं कर पाऊंगा मैं, मैं गांव का आदमी हूं, अनाड़ी हूं, पर आपको पता नहीं है, यह जो मैटर है, इस पानी से क्या पैदा होता है, एक बीघा में क्या चीज होती है,

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कितने पानी से क्या चीज पैदा होती है, यह आपके वश की बात नहीं है धरातल पर खड़े नहीं हो आप।

तो, अध्यक्ष महोदय मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वास्तव में ही इस विधान सभा के अंदर चाहे पहले कितने ही प्रस्ताव पास हो चुके हैं, हमें उनमें नहीं जाना है, हमें कन्ट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी है, पक्ष-विपक्ष दोनों को मिलकर के अपने-अपने नेताओं से मिलकर प्रयास करना है कि राजस्थान को हर हालत में पानी मिलना चाहिए और जो पानी की चोरी हो रही है वह रूकनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी पंजाब सरकार हमें पानी देने जा रही है, क्यों? खैरात दे रही है, हमें कोई, हम हमारा हिस्सा ले रहे हैं। अब बरसात का समय है, अब हमें पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय इस पानी से पंजाब सरकार ने हमारे साथ जो अन्याय किया है वह यह है कि वर्षा ऋतु के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी छोड़कर हमारे डिप्रेशन बने हुए हैं हनुमानगढ़ जिले में जिनमें हजारों-हजारों क्यूसैक्स पानी चला करके भरने से सेम की समस्या खड़ी हो गई है, यह वर्षा ऋतु के अंदर हुई है सिर्फ। नहर के अदंर पानी छोड़ते हैं, घग्घर डाइबशर्न चैनल में पानी छोड़ते हैं और वर्षा ऋतु में जब पंजाब सरकार को पानी की आवश्यकता नहीं होती है उस समय पंजाब सरकार पानी देती है और फिर हमारा हिस्सा काउंट करती है कि आपको फलां तारीख को इतना पानी दे दिया , फलां तारीख को इतना पानी दे दिया। भाई, हमने डिमांड ही नहीं की, आप जबरदस्ती पानी छोड़ रहे है। हमारी जरूरत के मुताबिक जब राजस्थान सरकार पानी मांगती है तब तो पंजाब कहता है हमारे पास नहीं है पानी और अध्यक्ष महोदय, अब वर्षा हुई है तो वर्षा ज्यादा होने के बाद पंजाब सारे का सारा पानी राजस्थान को भेजेगा। और डिप्रेशन भरेंगे और डिप्रेशन भरने से सेम की जो समस्या है वह विकराल रूप धारण करेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि, मंत्री महोदय, आप भी इस पर ध्यान रखिये, एक तरफ तो हमें पानी नहीं मिला है, फसल के लिए पानी नही मिला है ओर दूसरी तरफ डिप्रेशनों में पानी चला करके काश्तकारों को तबाह किया जा रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पंजाब...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका पानी निकालो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह अपने आप निकल जाएगा, अगर दो-तीन साल इस तरह से और चला न पानी, तब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सचेतक महोदय, बड़ी गम्भीर समस्या है, इस पर जरा गम्भीर हो जाइए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लें। और अबकी बार मैं मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि कुछ न कुछ चमत्कार करके दिखलाओं ताकि सी. पी. जोशीजी ने जो यहां बयान दिये हैं उनके ऊपर कुछ लगाम लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सब मंत्री मंत्री ही बोल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मर्जी की बात है उनकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं बोल सकते क्या?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (कृषि राज्य मंत्री) : सम्माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं पहली दफा सदन के अन्दर बोल रहा हूं, आपने मौका दिया इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए बहुत लम्बा संघर्ष मैंने किया। मुझे याद है कि इस विषय पर कम से कम पचास ज्ञापन मैंने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से विभिन्न सरकारों को जो उस समय शासन में थीं, भिजवाये। लेकिन शायद एक भी ज्ञापन के ऊपर किसी ने कोई आज तक पत्र के द्वारा भी यह सूचना नहीं भेजी कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे को इतनी तत्परता से और सब को साथ लेकर उठाया है। मैं समझता हूं कि सिंचित क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन स्वर्णिम दिन है। वे लोग जब यह डिबेट सुन रहे होंगे तो उनके मन में निश्चित तौर पर यह बात आ रही होगी कि कोई सरकार आई तो सही, जिसने हमारे मुददे को विधान सभा के अन्दर उठाया। ऐसी बात नहीं है कि पहले बादल साहब के कोई स्टेटमेंट नहीं आये हों, बहुत बार बादल साहब ने ऐसे स्टेटमेंट दिये, राइपेरियन स्टेट के मामले में, लेकिन वे स्टेटमेंट पढ़कर सब लोग अखबार रद्दी की टोकरी में फैंक देते। प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव पर

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

शीघ्रता से मुख्य मंत्रीजी ने हम सब को बुलाया, हमने अपने विचार रखे। और जब उनको पता लगा कि मामला इतना बड़ा है तो तुरन्त सर्वदलीय बैठक बुलाई और आज यह संकल्प और प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूं, राजस्थान के एक करोड़ लोगों का और छह जिलों के लोगों का इसमें बहुत बड़ा भला होने वाला है।

बहुत-सी बातें संधियों के बारे में यहां बोली गईं, 1955 में संधि हुई उसके अंदर भी हमें 52.65 पानी मिला। उसके बाद जो 1981 में हुई, उसके अंदर भी हमें 17.17 मिलियन फीट आधार मानकर 8.6 मिलियन फीट पानी मिला। उसके बाद लोंगोवाल समझौता हुआ उसमें भी हमारा हक वही माना गया। उसके बाद इराडी ट्रिब्यूनल ने उसको अनुमोदन किया। कहीं भी राजस्थान का किसी भी समझौते में पानी का हक किसी ने कम नहीं माना। लेकिन स्थिति जो बिगड़ी वह 1981 मे माननीय शिवचरण जी माथुर के समझौते के कारण बिगड़ी 10.60 पानी यह कहकर छोड़ देना कि हमारे पास उसकी उपयोगिता के लिए साधन नहीं हैं, जबकि गंग कैनाल इतनी बड़ी नहर थी उसके अन्दर मात्र 1400 1500 क्यूसैक्स पानी चल रहा था और उसकी कैपेसिटी 2200 2400 क्यूसैक्स थी, भाखड़ा कैनाल के अंदर पानी की कमी थी लेकिन उस चीज को नजर अन्दाज करके और यह कहकर कि राजस्थान के पास सरप्लस पानी है, छोड़ दिया गया। अब उसके लिए इतने बड़े प्रयास करने पड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह चूक थी और इस चूक को सुधारने का अब मौका पूरे सदन ने जो संकल्प लिया है उसके माध्यम से मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी शिवचरण जी माथुर जी का हृदय से आदर करता हूं, आदर्शवादी हैं, लेकिन उनको भी मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर सिंचित क्षेत्र के सभी लोग यह आरोपित करते हैं कि आपके कारण हमारा यह पानी गया, इसलिए सबसे बड़ा आपको प्रयास करना चाहिए, हम सब लोग भी इसके अंदर सम्मिलित रहेंगे ताकि आने वाले इतिहास में आपके ऊपर यह आरोप कोई नहीं लगा सके जितनी भी आज की स्थिति है उसके अंदर चाहे वह राइपेरियन स्टेट का मामला आया, आज चाहे अंतरिक्ष के जितने भी हैदराबाद सैटेलाइट के सर्वे आये हैं, चाहे जियोलोजिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें हम राइपेरियन स्टेट के अंदर आते हैं। लेकिन यह तो बहुत पुराना प्रिंसिपल है और

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

प्रिंसीपल को कहकर कोई-कोई अन्तरराज्यीय समझौता खत्म करना चाहे, यह संभव ही नहीं है। पंजाब का चाहे हरियाणा से झगड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने पुराने जितने भी समझौते हैं, दोबारा उनके खोलने की जो बात कही है, मैं मानता हूं यह वास्तव में खतरे की एक घंटी है। पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसमें क्या स्टैण्ड अपनाती है। क्योंकि जितने भी पूर्व में समझौते हुए चाहे वे नेहरू जी के समय में हुए, चाहे वे राजीवजी के समय में हुए, चाहे वे इंदिराजी के समय में हुए, किसी भी समय में हुए, उस समय भी, मुख्य मंत्री और केन्द्र के अन्दर प्रधान मंत्री कांग्रेस के थे।

(16.00 बजे)

और आज भी स्थिति वो है, ऐसी स्थिति के अन्दर केन्द्र कोई सख्त हस्तक्षेप नहीं करता तो मैं समझता हूं कि उसके अन्दर केन्द्र की नीयत में कोई न कोई खोट हो सकता है। अन्तरराज्यीय समझौतों का अगर कोई पालन नहीं करे तो केन्द्र के पास तो बहुत बड़ा हथियार है, वो जब चाहे किसी भी सरकार को इनकी आड लेकर भंग कर सकता है। लेकिन केन्द्र सरकार के सामने हम अपना पक्ष मजबूती से कैसे रख सकें, इसके लिए आज जो संकल्प है और प्रस्ताव है वो पारित कर देना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस संकल्प और इस प्रस्ताव पर ठोस योजना बनाते हुए यह संकल्प लेना कि जब तक यह प्रस्ताव और संकल्प हम पूर्ण रूप से इसके अंदर जो कुछ कहा है वो हासिल नहीं कर लेंगे, हम सब मिल कर तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए कोई कार्य योजना बनाना, दिल्ली के अंदर हमारे 25 लोक सभा के सांसद हैं, राज्य सभा में सभी पार्टियों के सांसद हैं और दो सो एम. एल. एज. हैं, चाहे हम सबको जाना पड़े, हम सब जाकर केन्द्र सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखें। वहां हमें लगे कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पडे, जब हरियाणा एम. वाई. एल. के लिए सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करके अपना हक ले सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं ले सकता? आज तक राजस्थान ने प्रयास नहीं किये इसी कारण आज एक क्यूसैक्स पानी की कीमत चालीस लाख रुपये है और 7—8 सौ क्यूसैक्स पानी व्यर्थ में पंजाब यूज कर रहा है और उसके अन्दर अरबों रुपयों का आज तक नुकसान हो गया

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

है। उसके अन्दर आज तक गम्भीर प्रयास नहीं हुए, यह एक चिंता का विषय था। लेकिन आज जो संकल्प लिया जा रहा है, जो प्रस्ताव लिया जा रहा है, इसके ऊपर पूरे राजस्थान के किसानों की निगाहें हैं। यह केवल संकल्प बनकर न रह जाए और इसके अन्दर ठोस कार्यवाही हो, इसके लिए सबको वचनबद्ध होना चाहिए और इसके ऊपर कोई न कोई कार्य योजना बननी चाहिए।

मैं यह समझता हूं कि 0.60 पानी ये तो हमारा हक है इसको तो लेना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पानी के जो हैडवर्क्स हैं उन पर हमारा नियंत्रण नही होने के कारण नहरों में फ्लूक्चुएशन आते हैं, हमारा रैगुलेशन पिट जाता है और हमें अनचाहा पानी मिलता है। इस स्थिति में निपटने के लिए पंजाब पुनगर्ठन के समय जो हैडवर्क्स को बी. एम. बी. के नियंत्रण में देने की जो बात है, यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 0.60 पानी को प्राप्त करने की बात है। 15 सितम्बर के बाद जितना पोंग डैम में पानी आ जाता है, उसकी जितनी भी भण्डारण स्थिति होती है उसके आधार पर एक मिलियन फीट के हिसाब से हमारा हिस्सा तय हो जाता है और उसका हम आगे हर महीने का इंडेंड भेज देते हैं। इंडेड बना देते हैं, बी. एम. बी. पानी वहां से रिलीज भी कर देती है, लेकिन आगे हरि के हैडवर्क्स पर, आगे फिरोजपुर हैडवर्क्स हमारे हाथ में नहीं होता, वो गेज कुछ बताते हैं, पानी कुछ आता है। अगर उस पर हमारा नियंत्रण हो तो तभी वी. बी. एम. बी. के अंदर जो हमारा हिस्सा तय होता है, वो पूरा हिस्सा हमें मिल पाएगा, वर्ना हिस्सा तय कर देते हैं और इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब वी. बी. एम. बी. के अंदर कंट्रोल पूर्ण रूप से उसके नीचे आ जाए। इसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर हम कहें कि केवल प्रस्ताव पास करने से पंजाब पानी छोड़ देगा पंजाब की राजनीति पूर्ण रूप से पानी पर चलती है और वो इतनी जल्दी हमें पानी दे देगा, इसकी भी हमें पंजाब से कभी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए में तो यह समझता हूं कि अभी से लीगल एडवाइजर जो हैं उनको इस दिशा की ओर बढ़ा देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो आप अपना केस अभी से तैयार करना शुरू कर दो, तब जाकर यह स्थिति नियंत्रण में आएगी।

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

इसके अलावा बहुत सी बातें है पानी के अन्दर, जैसा अभी राजवी साहब बोल रहे थे, जो कैचमेंट एरिया है वो 85% तो हिमाचल और कश्मीर का है, पंजाब का तो केवल उसमें 15% एरिया आता है, और पंजाब यह कहे कि सारे हैडवर्क्स और सारे पानी पर उसका अधिकार है। वास्तव में हिमाचल और जम्मू कश्मीर तो यह दावा कर सकते हैं कि 85% कैचमेंट एरिया हमारा है, लेकिन पंजाब तो हमारी तरह है, उसके अन्दर भी नदियां निकलती हैं और हमारे भी यहां नदियां आती रही हैं। पहले जितना फ्लो है, नदियों का, जो भी किसान हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे खेत का ढ़लान भी जो होता है और पानी का भी जो ढ़लान होता है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ कोई आड स्थिति को छोड़कर हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। जितनी नदियां हैं, अगर पुराने सर्वे पुरातन विभाग से हम देख लें तो सबका बहाव राजस्थान की तरफ ही रहा है। इसलिए यह कहना कि रायपेरियन स्टेट का प्रिंसीपल तो लागू होता ही नहीं है, जितने सर्वे हैं चाहे वो सेटेलाइट के सर्वे हों या चाहे जियोलोकिल सर्वे हैं, उसके अन्दर राजस्थान राइपेरियन स्टेट ही हैं, बहाव नदियों का है ही इस दिशा में।

इसलिए दो तीन बातें और हैं जैसे 1984 में जब उग्रवाद चला तो उस समय ओवरफलो होने के कारण जो भाखड़ा डैम था, उसमें पानी बहाव ज्यादा होने के कारण बहुत बड़ी बाढ़ आ गयी, बी. बी. एम. बी. चैयरमेन की हत्या कर दी। तब से लेकर जो फ्री बोल्ट था उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, पहले 3—4 फीट डैम को खाली रखते थे, अब 10 फीट डैम को खाली रखते हैं। अब पूरी भण्डारण क्षमता ऊपर के क्षेत्र में दोगुना, चार गुना होती है लेकिन जब वो पानी, भय के कारण जरूरत नहीं होते हुए भी छोड़ देते हैं तो पानी जो हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए उस स्थिति से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह भी जरूरत है कि बी. बी. एम. बी. को भी निर्देशित किया जाए या इस बात के लिए प्रैशराइज किया जाए कि फ्री बोल्ट वो दो-तीन फीट ही छोड़े, 10 फीट नहीं छोड़ें।

और एक बात जैसे बिजली की आ रही थी, अब जो मुकेरिया में है या आनन्दपुर साहब में है, कई दफा हमारे पानी की हमें जरूरत नहीं होती है

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

लेकिन बिजलीघरों को चलाने के लिए वो पानी छोड़ना पड़ता है। अब बिजली उत्पादन में उतना फायदा नहीं होता है लेकिन पानी का फलो जितना छोड़ते हैं उसके कारण जो नुकसान होता है वो ज्यादा है। अब बिजली तो कोयले से भी पैदा की जा सकती है, और साधन आ गये, लेकिन वो पानी मिसयूज हो जाता है। जब हमारा हिस्सा ही नहीं है उसमें तो हमारा पानी क्यों जाए? वो तभी चले जब हमारे पानी के इंडेंड के अनुकूल हो। यह नहीं हो कि हमें पानी की जरूरत नहीं हो और बिजलीघर के कारण हमारा पानी व्यर्थ जाए। इस बात को भी केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

मैं तो इतना ही सदन के अन्दर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रयास किया है, हम सब ने मिल कर हम सबको जिम्मेदारी दी है, इसके अन्दर हर पार्टी, क्योंकि किसान की कोई पार्टी नहीं है किसान की कोई जाति नहीं है जो खेती से जुड़ा हुआ है वो हर पार्टी का व्यक्ति है, वो हर जाति का व्यक्ति है, इसलिए किसान हित को मद्देनजर रखते हुए हमें मिल कर प्रयास करना चाहिए। हमारा 0:60 पानी आए, हैडवर्क्स का कंट्रोल बी. बी. एम. बी. के हाथों में जाए और इसके अलावा पोंग डैम के अन्दर भण्डारण क्षमता बढ़ायी जाए और बिजलीघर की योजनाएं हैं उनके अन्दर बिजली उसी समय पैदा की जाए, जब जल की आवश्यकता हो। अभी कुछ सदस्य बोल रहे थे कि पानी खामख्वाह छोड़ दिया जाता है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना पानी हमें मिलता है, सिंचाई विभाग के अधिकारी हर महीने का इंडेंड भेजते हैं, जो हमारा इंडेंड होता है उस इंडेंड के मुताबिक जितना पानी छोड़ देते हैं वही हमारी काउंटिंग में आता है। अगर कोई सरप्लस पानी होता है तो उसको काउंटिंग में हम नहीं लेने देते, हम तो इंडेंड है उसी को काउंट करवाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इस बार जो बिजाई की बात चल रही थी, गंगानगर का एक किसान मर गया, मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के अन्दर वोटों के लालच में उस समय अपने हिस्से का पानी हमने ज्यादा उपयोग कर लिया किसान को खुश करने के लिए कि हम पानी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, पानी खूब चल रहा है। जब हमने ऑलरेडी अपना हिस्सा पहले ले लिया नवम्बर-दिसम्बर तक, तो 15 फरवरी तक हमारा जो हिस्सा था, वो समाप्त हो गया। मैं मुख्य मंत्री जी का

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने केन्द्र में हस्तक्षेप करके पहले उस समय में अतिरिक्त पानी दिलवाया और हमारे कणक की जो फसल थी, वो पकवायी। अब फिर उन्होंने विशेष प्रयास किये तो जाकर गंग कैनाल को तो पानी मिला लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि हमने अपना पानी पहले उपयोग कर लिया। पूरे वर्ष का, इसलिए यह स्थिति पैदा हुई। अब डैम में पानी नहीं है, मुख्य मंत्री जी तो ला नहीं सकती, हिस्सा हमने पूरा ले लिया और ले इसलिए लिया कि चुनाव एम. एल. एज. के थे इसलिए उस समय सरकार ने वो पानी सरप्लस मांग लिया, इस स्थिति के कारण यह स्थिति आयी है। लेकिन सिंचाई मंत्री जी से हमारी बात हुई, हमने उनको कहा है कि वह इस तरह का चार्ट बनाएं कि पानी अंतिम जो महीना है, उस तक हमें पानी की कमी नहीं आए। इस बात की ओर ठोस निर्णय करने की जरूरत है कि जो भी वितरण हो जल का, वो इस तरीके से हो कि जिस महीने में जितनी आवश्यकता हो, उतना इंडेंड जाए और अंतिम महीने तक हमारे पास पानी अपने हिस्से का रिजर्व रहे। मैं सदन का आभारी हूं कि बहुत सी गम्भीरता के साथ सबने एक आवाज से यह संकल्प लिया है, प्रस्ताव का समर्थन किया है और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार भी प्रकट करता हूं और उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पानी का हिस्सा पंजाब काटने जा रहा है और उसके बारे में उन्होंने रिजोल्यूशन भी लिया है, एक संकल्प भी लिया है। राजस्थान 56-57 साल की आजादी में 43 साल अकाल भुगत चुका है और इस अकाल की मार झेलते-झेलते राजस्थान की हालत जर्जर हो गयी है। मैं गंगासिंहजी को इस समय स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके बालपुर के नवाब से राजस्थान में गंग नहर के लिये 1.1 एम. ए. एफ. पानी लेने का संकल्प किया और काम प्रारम्भ कराया। 1927 में उन्होंने काम भी प्रारम्भ करा दिया, इतनी फोरसाइटेडनैस उन्होंने उस समय रखी। बाद में पार्टीशन हुआ और पार्टीशन में 6 नदियों का पानी जो पूरा पाकिस्तान में ही

(श्री शांतिलाल चपलोत)

जाता है, उसमें 3 नदियों का पानी हमको मिला। उसके लिये हमने प्रयास किये, पर वह काम अधूरा रहा। आज भी सतलज का काफी पानी पाकिस्तान में जा रहा है। उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने इस बात को उठाया और सन् 1955 में इस बात को दोहराया गया कि नहीं, राजस्थान बहुत सूखा है इसलिए इसमें हमको पानी दिया जाए। सतलज, रावी और ब्यास का पानी हमको दिया जाए, इस प्रकार की बात उठी। काफी समय तक संघर्ष चलता रहा। सन् 1960 में फिर समझौता हुआ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक बात बैठी और उसके थ्रू समझौता होकर हमें पानी देना निश्चित किया गया। उसमें यह आया कि 15 पाइण्ट कुछ एम. ए. एफ. पानी राजस्थान और पंजाब को दिया जाएगा। उसमें राजस्थान का हिस्सा कुल मिलाकर एम. ए. एफ. का रखा, कुछ पंजाब का रखा। उस समय पंजाब और हरियाणा अलग नहीं थे, दोनों एक ही प्रान्त थे। उसके पश्चात् जब हरियाणा अलग हुआ, तब जाकर हमारा यह संकट ज्यादा बढ़ने लगा। हमने पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपये इसके मुआवजे के दिये थे कि आपका पानी हम यूज कर रहे हैं उसके बजाय हम 110 करोड रूपया आपको देते हैं, इस प्रकार से जब 110 करोड रूपया जब हमने उनको दिया तो उसका एक्सक्लूसिव राइट हमारा हो गया। हमने उस पानी को देने की राजस्थान के लिये योजना बनाई, राजस्थान कैनाल का काम प्रारम्भ हुआ। आज तक 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार का इस कैनाल पर लग चुका है। और इससे कई गुना ज्यादा रूपया, हजार सौ करोड़ रुपया यहां की जनता, गंगानगर की जनता, हनुमानगढ़ की जनता, आस-पास की जनता लगा चुकी है। उसके बावजूद भी जितना हमको पानी मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। सन 1981 में समझौता हुआ, 8 एम. ए. एफ. पानी के लिये जब बात की गई, 0.6 एम. ए. एफ. पानी हमने छोड़ दिया। उसके पश्चात् वापस सन 1983 में बात हुई, यहां पर संकल्प दोहराया गया। हमने 8.6 एम. ए. एफ. पानी के लिये कहा तो इसका रिजोल्यूशन केन्द्र सरकार में गया, मैं आज हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। हमारी तरफ से कोई पैरवी आज तक नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी जाकर दरवाजा खटखटाते और हम भी कहते कि हमारे पानी का हिस्सा तय किया जाए, जबकि हमारा हिस्सा तय है कि 8.6 एम. ए. एफ.

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पानी राजस्थान को मिलेगा। किन्तु सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया और पंजाब ने 4.2 एम. ए. एफ. पानी लेना प्रारम्भ कर दिया 10.6 एम. ए. एफ. पानी का यह तय किया गया कि तब तक पंजाब लेता रहेगा जब तक कि राजस्थान अपनी क्षमता विकसित नहीं कर सकता। हमने अपनी क्षमता विकसित नहीं की। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है कि हमारी क्षमता कब विकसित होगी, हम इस बजट में भी कुछ प्रावधान करें कि एक हजार करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल पर लगाया जाएगा जिससे हमारे यहां पानी की आवक होगी। नहीं तो फिर पंजाब हमारे पानी को इंटरसैप्ट करेगा और किसी प्रकार से वह नहीं देगा। उस समय के मंत्रियों ने और शेखावत साहब ने एक बात बार-बार उठाई कि राइपेरियन स्टेट की जो बात आई है, राइपेरियन स्टेट कोई नहीं होता है, यह केवल अमेरिका में है, जहां स्टेट्स पूरी तरह से इनडिपेंडेट हैं। हमारा फैडरल स्ट्रेक्चर है। हमारे फैडरल स्ट्रेक्चर को आज चुनौती दी जा रही है। एक राजा दूसरे राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह आज नहीं देखा जा रहा है। फैडरल स्ट्रक्चर को जिस तरीके से पंजाब ने चुनौती दी है, यह सारे हिन्दुस्तान के लिये एक खतरनाक घंटी है। कल कर्नाटक कह देगा, मैं किसी भी हालत में तमिलनाडु को पानी नहीं दूंगा। जहां से फ्लो जाता है वह उसी का पानी हो जाता है, यदि यह बात कहीं तो सारे विश्व में कोहराम जैसी स्थिति मच जाएगी।

उस समय माननीय शेखावत साहब ने और अजीत प्रसाद जी जैन ने कहा, उसको मैं सुनाना चाहता हूं। इर्रिगेशन कमीशन के चेयरमैन श्री अजीत प्रसाद जैन थे, इस प्रश्न के ऊपर 1972 में अपनी रिपोर्ट दी उसमें राइपेरियन ला के प्रश्न के ऊपर उन्होंने पूरा चिन्तन करने के बाद कहा कि हिन्दुस्तान में इस कदर का ला लागू नहीं किया जा सकता। यदि लागू किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं पंजाब के लोगों से, आज हमें स्ट्रेन रिवर्स स्कीम मिल गई, रावी-ब्यास और सतलज मिल गई, मान लें, इनकी जगह पर हमको चिनाब, झेलम ये नदियां मिलती तो क्या हालत होती? आज तो सतलज और रावी-ब्यास मिल गईं, चिनाब और झेलम की नदियां मिलतीं तो हमारी क्या हालत होती? यह इस बारे में सोचने के लिये मजबूर करती है, न

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पंजाब राइपेरियन रहता, न हम रहते। आज हिमाचल प्रदेश इन सारी नदियों का उदगम स्थल है, हिमाचल प्रदेश कह दे कि मैं इस ला को मानता हूं और हिमाचल प्रदेश अगर आज पंजाब कह दे कि मैं इस ला को मानता हूं और हिमाचल प्रदेश अगर आज पंजाब को पानी रोक दे, हमको पानी रोक दे तो हमारी क्या हालत होगी? इसलिए यह राइपेरियन का सिद्धांत जो उन्होंने इस तरीके से रखा है, इन्होंने अपने रिजोल्यूशन में दो-दो, तीन-तीन बार उसका रिपीटीशन किया है, उसको हमको नहीं मानना चाहिये। अच्छे वकीलों को लगाकर हर हालत में चाहे जितनी हमको जददो-जहद करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाना चाहिये। हमारा फैडरल स्ट्रेक्चर है और फैडरल स्ट्रक्चर में एक राजा दूसरे राजा को इस प्रकार की चुनौती नहीं दे सकता, धमकियां नहीं दे सकता, धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। राजस्थान को पंजाब का तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहा है, यह फैडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ और बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। आज राजस्थान में इतना मिनरल होता है, तो हम कह दें कि हमारा ही इस मिनरल पर अधिकार है? मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां भी तेल, नैचुरल गैस सब निकला है, हम कह दें कि इस पर राजस्थान का ही हिस्सा है, राजस्थान ही इस पर पहली रायल्टी लेगा, दूसरे प्रान्तों को, केन्द्र सरकार को, कम्पनियों को लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? सारा मिनरल, सोप स्टोन, राक फास्फेट जिससे खाद बन रहा है, मार्बल की सारी की सारी खानें हमारे राजस्थान में हैं, यदि हम यह कह दें कि हमारे यहां का है, राइपेरियन का सिद्धांत हमने मान लिया है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? सारी की सारी संघीय व्यवस्था नंष्ट-भ्रष्ट हो जाएगी।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन के जरिये हम इस संकल्प को दोहराएं। हर हालत में पंजाब की जो इस प्रकार की मनमानी की बात चल रही है, आज तो हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे से तो उसने नहीं कहा है, पंजाब ने हमको कुछ नहीं कहा है, यह तो हरियाणा का झगड़ा है, मुझे पता है बंशीलालजी उस समय हरियाणा में थे और उसके बाद केन्द्र में चले गये। उन्होंने पानी रोकने का प्रयत्न पंजाब के लिये किया था। आपस में तकरार चली, उन्होंने काफी समझौतों को नहीं मानने के लिये भी मजबूर किया। उन

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, आज हमको अपने पानी को लेने का पूरा हक हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस राइपेरियन के सिद्धांत को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दें। आज राजस्थान 1000 किलोमीटर बार्डर फेस कर रहा है, केन्द्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये, कि जो मुसीबतें आती हैं हमारे आती हैं। वीरगति को प्राप्त होते हैं तो हमारे लोग प्राप्त होते हैं। शहीद होते हैं तो हमारे लोग खून बहाते हैं? विधवा होती है तो हमारे घरों में होती है। किसी का बच्चा मरता है तो हमारे घर का बच्चा मरता है। और सारी दुनिया देख रही है। 1000 किलोमीटर हम बार्डर फेस कर रहे है। सारा रेगिस्तान हम फेस कर रहे हैं, हमको अपने हिस्से का पानी देने में भी लोगों को जोर आ रहा है। यह पंजाब की बात नहीं है, केन्द्र सरकार पर भी यह आरोप है कि वह भी इस मामले में किसी प्रकार का काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। मुगालते में उनको नहीं रहना चाहिए। केन्द्र सरकार आज कांग्रेस की है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, दोनों की मिलीभगत बनाकर राजस्थान का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है, हम राजस्थान के लोग इस संकल्प को पूरा नहीं होने देंगे और इस प्रकार का जो कुत्सित वातावरण बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं, मैं अधिक बातें नहीं करना चाहता। यह संकल्प जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है, पुरजोर शब्दों में हम उसका समर्थन करते हैं। यही नहीं, जहां पर जरूरत होगी हम जाएंगे, लोहे से लोहा भिड़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी करेंगे और राजस्थान पीछे नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (वैर) : माननीय अध्यक्षाजी, सुबह से ही लगातार सदन के अन्दर रावी-ब्यास के पानी के बंटवारे को लेकर काफी दिलचस्प बहस हुई, दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी बात कही लेकिन एक बात की बहुत खुशी है कि जो संकल्प सदन के सामने सदन की नेता लायी हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है, सभी उसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ सुझावों के साथ मैं भी उसका समर्थन करता हूं, सुझाव अभी आपके सामने पेश करूंगा।

चूंकि प्रस्ताव अपने-आप में काफी विस्तृत है, इसमें सारे आंकड़े भी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

दिये गये हैं। इस विवाद का सारा इतिहास भी लिखा गया है, तथ्य तो इसमें निहित हैं ही इसलिये मैं इसके इतिहास में इसके आंकड़ों में और उसके तथ्यों में आपका और सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दोनों तरफ से अपने-अपने ढंग से आंकड़े भी पेश कर दिये गये हैं, इतिहास भी बता दिया गया और तथ्य भी बता दिये गये। कोई विवाद नहीं है इस मामले के अन्दर, कहने का ढंग, तरीका अपना हो सकता है, हम सब इस मामले में एक ही हैं।

हां, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि प्रस्ताव आया लेकिन मुकाबले पंजाब के काफी देर से हम चेते। पंजाब से ही नहीं, बल्कि हरियाणा के भी पीछे रह गये। पंजाब की सरकार ने, पंजाब की विधान सभा ने, पंजाब की जनता ने, सारी पार्टियों ने मिलकर बहुत पहले से एक प्रस्ताव पास कर लिया और एक ड्राफ्ट मेरे सामने हरियाणा का भी है, ऐसा लगता है कि हरियाणा ने भी प्रस्ताव पास कर लिया, ऐसा लगता है कि शुरू में हमको आपत्ति नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : अपनी विधान सभा कल ही तो बैठी है। (व्यवधान) हां तो उसी में होता न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हरियाणा में कब हुआ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष जी, यह बात तो सही है कि जब विधान सभा मिली तभी प्रस्ताव आता, लेकिन इस बारे में विचार तो पहले भी हो सकता था।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर्वदलीय बैठक बुलायी थी न।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलायी जा सकती थी। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 4 तारीख को हो गया था, और पंजाब की पोलिटिकल पार्टियों ने मिलकर, जिसमें अकाली, बी.जे.पी., कांग्रेस सभी शामिल थे, उन्होंने उसी दिन इस प्रकार का मंतव्य, प्रस्ताव पास करके सारे देश के सामने, जनता के सामने रख दिया था। अभी एक भाई ने कहा कि हरियाणा ने प्रस्ताव पास नहीं किया, मैं समझता हूं हरियाणा ने भी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

प्रस्ताव पास कर लिया। अध्यक्ष जी, मैंने भी काफी लोगों से चर्चा की, मेरा इरादा भी काफी लम्बा बोलने का था लेकिन अब बोलने को कुछ रह नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके पास तो नया है, कुछ न कुछ, बोलो आप तो। कुछ नया होगा आपके पास, बोलें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इसलिये एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम इस प्रस्ताव को जो पंजाब ने पास किया है, पैरा-बाई-पैरा अगर पढ़ें तो उन्होंने बहुत जोर इस बात पर दिया है कि पंजाब लार्जेस्ट कंटीब्यूटर है टू द सैण्ट्रल ग्रीन पूल। ऐसा क्यों है? पंजाब तो बहुत छोटा स्टेट है राजस्थान के मुकाबले। पर वहां पानी उपलब्ध है। पानी उपलब्ध हो गया, यह बात मानी कि पंजाब के किसान काफी जागरूक हैं, प्रगतिशील हैं, उन्होंने खाद का, बीज का, मेहनत का इस्तेमाल करके शायद कुछ ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन राजस्थान के सारे हिस्सों को अगर पानी मिल गया होता तो राजस्थान के लोग पंजाब से कई गुना अनाज पैदा कर लेते और सैण्ट्रल पूल में दे देते। यह गलती राजस्थान की नहीं है, होशियारी जरूर पंजाब की हो सकती है क्योंकि प्रकृति ने उनको पानी के नजदीक पहले से ही बसा रखा है। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर हमको जोर देना पड़ेगा कि देश का सेण्ट्रल पूल जो फूड का है, उसमें पंजाब इस बात का गौरव तो कर सकता है कि उन्होंने बहुत हमको अनाज कंट्रीब्यूट किया लेकिन राजस्थान भी उससे पीछे नहीं है। राजस्थान के लोगों ने बराबर मेहनत करके जमीन को ऊपजाऊ बनाया है। अगर कमी रही है तो केवल पानी की रही है, जिसकी पूर्ति करनी है।

अध्यक्षा जी, दूसरे में पैरे की शुरूआत ही उन्होंने अनफार्चुनेट शब्द से की है "Unfortunately, for the allocation of Ravi Beas water has been set by adhoc decisions and agreements directed by prevailing circumstances."

मैं कोई राजनीति इसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि पंजाब के लोगों ने मिलकर सारा प्रस्ताव पास किया है, हरियाणा के लोगों ने मिलकर प्रस्ताव

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पास किया है, हम राजस्थान के लोग चाहे आज विपक्ष में हैं लेकिन राजस्थान के तो हित में हैं, राजस्थान को हमने बनाया है, इसको हमने बढ़ाया है, इसलिये ऐसा कोई काम जो राजस्थान के हित में नहीं हो, हम नहीं करना चाहेंगे। सरकार पीछे रह सकती है, विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग इसमें पीछे रहने वाले नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तो पीछे हैं। बहुत डुबोया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज आगे हो जाओ।

श्री जगन्नाथ पहड़िया : अब इन सब बातों को नहीं छेड़ो तो अच्छा है कि किसने डुबोया। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर इस बात की कोशिश करनी है और जितना ज्यादा हो सके, पानी हमको प्राप्त करना है।

एक सिद्धान्त जिसकी चर्चा बहुत हो गयी वह है राइपेरियन बेसिन स्टेट्स का। वह मामला तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था जब अंग्रेजों के जमाने मे वायसराय ने कर्नाटक का पानी तमिलनाडु को देने का फैसला कर लिया था। उसके बाद तो ऐसी कोई बात आयी नहीं। उसके बाद तो कई इण्टर-स्टेट डिस्प्यूटस आये, उन सब में यह तय हो गया कि ग्रेटेस्ट गुड आफ द ग्रेटेस्ट पीपुल का सिद्धान्त लागू होता है, जहां पानी बहता है केवल उन्हीं का हक पानी पर नहीं है। एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि पानी तो राष्ट्रीय सम्पत्ति मान लिया गया इसलिये किसी व्यक्ति का, किसी एरिये का, किसी राज्य का हक उस पर हो नहीं सकता है। वह सारे राष्ट्र की सम्पत्ति है, उसको मिलकर हमको इस्तेमाल करना है। इसलिये हम पंजाब वालों से कहना चाहेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखकर चलें कि भारत का संघीय ढांचा है, कुछ चीजें उनके वहां पर हैं, कुछ चीजें पंजाब के बाहर हैं। राइपेरियननिस्ट थ्योरी के साथ-साथ में हम संघीय ढांचे को भुला नहीं सकते हैं। जब हम संघीय ढांचें की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस सिद्धान्त को मान लिया गया तो गुजरात के अन्दर गैस पैदा होती है, पैट्रोल पैदा होता है, डीजल पैदा होता है, केरोसीन पैदा होता है, तो कल को गुजरात वाले कह सकते हैं, आसाम वाले कह सकते हैं कि हम तो बाहर इन प्राकृतिक पदार्थों को

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

और राज्यों को नहीं देंगे। इसी प्रकार से बिहार में, झारखण्ड में, बंगाल में अधिकांश कोयला पैदा होता है, वे लोग कह सकते हैं कि हम इन राज्यों को कोयला नहीं देंगे। जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, राजस्थान में भगवान करें, बहुत ज्यादा प्राकृतिक गैस और दूसरी कई चीजें निकल आएं तो क्या हम भी सोचें कि हम उन चीजों को नहीं देंगे? यह संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और पंजाब वालों को सलाह देना चाहता हूं कि राइपेरियन स्टेट के सिद्धान्त की चर्चा करना ही संघीय ढांचे के खिलाफ है। इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। हमारी ऐसी आशा है कि वे इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे। वह भी देशभक्त हैं देश की एकता चाहते हैं, इसमें हमारा पूरा विश्वास है।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि सब की चिन्ता अभी पंजाब के इस प्रस्ताव पर और रावी-ब्यास के पानी पर लगी है। हमको इसके अलावा भी थोडा-सा सोचना पड़ेगा क्योंकि इस मामले में राजस्थान ढ़ीला रह गया तो कल को हमारे और विवाद भी हैं, मध्यप्रदेश के साथ हैं, गुजरात के साथ हैं, तो कल वहां पर भी यह बात उठ सकती है। अभी मुझे किसी ने लाकर अखबार दे दिया जिसमें चम्बल पर मध्यप्रदेश और राजस्थान के विवाद की चर्चा आयी है और सुना है कि वहां पर मध्यप्रदेश वालों ने कुछ चैक डैम बनाना शुरू कर दिया है। अगर आज हम चुप रह जाते हैं और वह भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले में केवल हरियाणा और पंजाब का मामला आया है, राजस्थान का नहीं है तो मध्यप्रदेश वालों ने चैक डैम बनाना तो पहले से ही शुरू कर ही दिया और बहुत सारे डैम बन जाएंगे। हमको जो पानी मिल रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से यमुना का जल राजस्थान में लाने की बहुत दिनों से बात सुन रहे हैं। अध्यक्ष जी, झुंझुनूं, चूरू और भरतपुर को वहां से पानी आना है। आएगा-आएगा, ऐसी चर्चाएं तो बहुत होती रहती हैं, पर मैं हवाले के तौर पर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : समझौतें पर तो हस्ताक्षर हो गये।

श्री सांवर लाल : बोलिये, बोलिये आप।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : समझौते पर ही तो आ रहा हूं। उसी की चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं कि अगर हम आज चुप रह जाते हैं तो मध्यप्रदेश में चैक डैम बनना शुरू हो गया है, चम्बल में, कल उसमें भी हमें कठिनाई आएगी। यमुना के पानी में भी हमें कठिनाई आएगी जो चूरू, झुंझुनूं और भरतपुर को जाना है। पूर्व मुख्य मंत्री, महामहिम हमारे बड़े नेता हैं, देश के, वे तो कामां के पास गुड़गावां कैनाल में डुबकी लगाकर आये थे और बहुत प्रचार हुआ था, पता नहीं वह पानी कहां चला गया? रूक गया या क्या गड़बड़ हो गया। अध्यक्ष जी, हम आपको याद दिला रहे हैं, इसके हवाले से हमको एक मौका मिला है इसलिए यमुना के पानी का भी सवाल है, नर्मदा के पानी का सवाल, माही के पानी का सवाल, सारे मसलें हैं जो इस समझौतें से सम्बन्धित हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को ही नहीं, सारी राजनैतिक पार्टियों को बल्कि राजस्थान की सारी जनता को इसमें एकता दिखानी है, जो हम दिखा रहे हैं। हमारी ऐसी आशा है कि पंजाब के लोग इसको समझेंगे, सारे देश के लोग इसको समझेंगे। एक बात पंजाब ने बड़े जोर से कही है, तीसरे पैरा में "Providing water to one set of farmers by depriving the other of its existing uses is neither going to help nor going to serve any national cause."

अध्यक्ष जी, पंजाब को पानी मिलता रहे तो नेशनल काज सर्व होता है और जो नाहक और अनधिकार चेष्टा करके जो पानी उन्होंने रोक कर ले रखा है, उसकी चर्चा भी हम करें तो नेशनल काज सर्व नहीं करते हैं, यह बात तो अच्छी नहीं है। हमारी ऐसी आशा है कि पंजाब के लोग इस बात को समझेंगें कि जहां नेशनल काज उनको पानी मिलने से सर्व होता है, राजस्थान को पानी मिलने से उससे ज्यादा सर्व होता है। उन्होंने कहा कि वे स्वोर्ड आर्म हैं देश का, तो राजस्थान तो वीर भूमि है। बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सब उसको रिकोग्नाइज करते हैं। लेकिन वे हमको बराबर याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में राजस्थान का जिक्र नहीं है इसलिए आप क्यों हल्ला मचा रहे हैं, जब आप अपने सहोदर हरियाणा को नहीं बख्श रहे हैं, क्योंकि पंजाब तो उसी में से ही बना है, तो कल राजस्थान के साथ आप क्या सलूक करेंगे, उसका अन्दाजा हम लगा सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो पानी आपने रोक रखा है, एक बात का हवाला दिया जाता है कि कोई समझौता हुआ था, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, उसमें कमजोरी का बखान भी किया गया

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तत्कालीन मुख्य मंत्रीगण का और सरकारों का, और कहा गया कि पंजाब हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है। उसको हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। अब वह 0.6 है, कितना है, उसके लिए मैंने कहा कि आंकड़ों की चिन्ता नहीं है क्योंकि एक नोटिफिकेशन जो भारत सरकार का आया था उसमें साफ ही लिखा है कि-

"....Until such a time Rajasthan is in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the water surplus to Rajasthan requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise..."

हमको इस बात पर जोर देना पड़ेगा "...As Rajasthan Will soon be able to utilise its share, Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of its own land, by the time Rajasthan is in a position to utilise its full share."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहीं से प्रयास हो गये। आपको हटने के बाद यह निर्णय हुआ था।

श्री राजेंद्र राठौड़ : आप आज आत्मा से बोल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरे हटने की बात तो बहुत पुरानी हो गयी। वह तो सन् 1983 की आपकी जो बहस हुई थी उसमें काफी चर्चा मेरे नाम की हो गयी। मेरे ख्याल से हमें आप... (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपको हटने के बाद निर्णय हुआ था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनको चेता दिया था, संजय गांधीजी ने चेता दिया था कि इन पर विश्वास मत करो आप। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : चीफ व्हिप होकर इस तरह की नान-सीरियल बात कर रहे हैं यह। इनको समझाओं आप, पार्लियामैण्ट्री अफेयर मिनिस्टर साहब।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप बहुत सीरियस हो पानी के मामले में। सात बैठे हो आप, सिर्फ सात हो आप। बहुत सीरियस हो, आपका दल बहुत

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सीरियस है इस पानी के मामले में। +++ सात जने गिन लो, सात हो आप।

श्री अध्यक्ष : +++ इसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष जी, अब राजस्थान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और राजस्थान इस पोजीशन में है कि वह उस पानी का इस्तेमाल कर सके, इसलिए हमारी ऐसी आशा है कि पंजाब इस बात को समझेगा।

अध्यक्ष जी, आज केवल पानी का ही सवाल नहीं है। यही मामला बिजली के मामले पर भी आ सकता है, तब भी हमको कठिनाई आएगी, इसलिए इस बात को अभी से हमको समझना पडेगा, क्योंकि पंजाब होकर आने वाली हमारी जो फीडर है, हमने सुना है कि उस पर हमारा एक्सक्लूसिव अधिकार होना चाहिए, जैसा माथुर साहब ने कहा है। (व्यवधान) लेकिन हमने यही सुना है कि साइफन्स वगैरह लगाकर हमारे उस पानी को जिस पर केवल हमारा ही हक है, राजस्थान का ही हक है, उसको लिया जा रहा है। हमारी ऐसी आशा है कि राजस्थान के हक को पंजाब वाले नहीं मारेंगे।

लेकिन अब मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करके दो बातें, सुझाव आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम बार-बार दो बातों पर जोर दे रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई रास्ता नही निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन पहले जब और रास्ते खुले पड़े हैं उनको तो इस्तेमाल करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रास्ते भी खुले पड़े हैं, बातचीत के रास्ते भी खुले पड़े हैं। पहले जो बातचीत हुई हो उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली, हर चीज का एक समय होता है, हो सकता है कि आज वह कामयाबी हमें मिल जाए। हो सकता है भारत सरकार हमारी कुछ मदद कर दे जो, उनको करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा हक ही है। पर एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि, इसको बार-बार मैंने पढ़ा है, इसमें कहीं भारत सरकार से हमने प्रार्थना नहीं की है, जैसा कि हरियाणा ने की है। हरियाणा ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भारत सरकार को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इस प्रस्ताव में मुझे कहीं मिल नहीं रहा है कि हमने भारत सरकार से प्रार्थना, क्या, आशा भी इस बात की हो कि राजस्थान की किसी प्रकार से मदद करे। मैं सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : संकल्प पास करने का मतलब ही प्रार्थना है। आज संकल्प पास करने का मतलब ही प्रार्थना है। संकल्प जो पास कर रहे हो वह प्रार्थना ही तो है, और क्या है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हो सकता है, अगर ऐसा है तो। लेकिन मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि अगर हम इस शब्द को जो हरियाणा ने जोड़ा है, जोड़ देते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार इस पर पुनविचार करे, सदन भी इस पर विचार करे और हम भारत सरकार से प्रार्थना करें कि इन मामलों के अंदर जो अब कमियां रह गयी है, चाहे वह मामला बी. बी. एम. बी. को कण्ट्रोल देने का हो, उसको भी भारत सरकार इम्प्लीमेंट कराएं। इसी प्रकार से मैं सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि ये सारे मामले एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रह जाते हैं, कभी-कभी पोलिटिकल भी हो जाते हैं इसलिए मुख्य मंत्रीजी को मैंने सुझाव दिया था सर्वदलीय समिति में, माथुर साहब ने उसका जिक्र किया, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा की एक कमेटी आप बनाएं जिसमें सभी दलों के या जिसको भी आप ठीक समझें, उनमें कुछ एक्सपर्ट को भी जोड़ा जा सकता है, एक कमेटी होनी चाहिये जो समय-समय पर रिव्यू करती रहे इस बात का, कि कहीं पर कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, हमारी कोई कमी तो नहीं है। हमारी अपनी कमी भी हो सकती है या हमको क्या बात करनी है, एक कमेटी का गठन इस तरह करना चाहिये।

मैं सुझाव एक यह भी देना चाहूंगा, अगर सभी उचित समझें तो भारत सरकार को यह सुझाव भी हमको देना पडेगा पार्लियामेंट को सुझाव देना पड़ेगा कि संसद सदस्यों की और सम्बन्धित राज्यों के विधान सभा के कुछ चुने हुए सदस्यों की, मंत्रीगण भी हो सकते हैं उसमें, एक समिति बननी चाहिये जो पोलिटिकल लेवल पर इस बात की चर्चा कर सकती है कि किस तरह से इन विवादों का निपटारा किया जाएं। अध्यक्षा जी, सरकारें तो आएंगी-जाएंगी। यह बात तो सही है, हमारे संविधान में है कि सरकारें तो पोलिटिकल

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पार्टियों की होंगी। विधान में लिखा हुआ है कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, तो पोलिटिकल पार्टीज तो रहेंगी, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि पोलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सब देश के हित में काम करेंगी, राज्य के हित में काम करेंगी, करती रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमको पार्लियामेंट से भी निवेदन करना चाहिये, अब वह किस लेवल पर होगा, मुझे पता नहीं है कि इस तरह की कमेटी, जिसमें सम्बन्धित राज्यों के कुछ संसद सदस्य, कुछ विधान सभा के सदस्यों का एक फोरम इस तरह का बना दिया जाएं तो मैं समझता हूं ठीक रहेगा।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहूंगा, जो चर्चा बार-बार हुई कि पोंग डैम में 10 फीट पानी कम रखा जाता है, भाखड़ा में पांच फीट पानी कम रखा जाता है। शायद उस समय यह समय की मांग थी। अब शायद समय आ गया है, इससे ज्यादा राजस्थान की पूर्ति हो सके, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकें। दस के बजाय पांच फीट ही खाली रख लें पोंग डैम को और पांच के बजाय ढाई फीट रख लें भाखड़ा डैम को, तो मैं समझता हूं कुछ पानी हमको मिलना चाहिये, वह मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी।

मैं सुझाव यह भी देना चाहता हूं, एक फोरम और हो सकता है, जल प्राधिकरण बना हुआ है लेकिन उसके अन्दर केवल ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, उनका अपना काम है, वे करें। लेकिन उसमें भी सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि उसमें प्रतिनिधि सरकार के भी होने चाहिये।

अभी इराड़ी कमीशन की बहुत चर्चा हो गयी, डर इस बात का रहता है कि राजस्थान को बहुत नुकसान हो गया या हो जाएगा। एक माननीय सदस्य बड़े चिन्तित हैं। अभी तो उसकी इन्टरिम रिपोर्ट आई बताई, रिपोर्ट आई नहीं है। अगर समय है तो इराडी कमीशन के पास भी सरकार को जाना चाहिये। जरूरत पड़े तो फिर फोरम के साथ कैसे जा सकते हैं, इसको अभी से देखना चाहिये कि हमको नुकसान नहीं हो। मैं समझता हूं अभी समय है, समय रहते हमको चेत जाना चाहिये। और बार-बार हम समय के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

के पहले और हमारे फोरम-भारत सरकार हो सकती है, हमारे दूसरे रास्ते हो सकते हैं उन पर भी हमको चर्चा करके इस बात की कोशिश कर लेनी चाहिये जिससे कि हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं पड़े क्योकि सुप्रीम कोर्ट मे जाने का मतलब है, बहुत लम्बा समय चला जाएगा। लम्बा समय लगेगा तो पानी का इस्तेमाल पंजाब अब तक करता रहा है वह करता रहेगा और फिर उसका एक हक जमाने का एक रास्ता बन गया, वह हक जमाता रहेगा। मैं समझता हूं कि इस बात पर भी विचार करना चाहिये और जो मैंने आपको सुझाव दिया है, एक कमेटी का निर्माण हो, भारत सरकार से हम प्रार्थना करें इस बात की कि वह हमारी मदद करे। मैं समझता हूं कि यह इस प्रस्ताव में जुड़ जाएं तो कोई बुराई की बात नहीं है, सदन इस पर विचार कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, रावी-ब्यास पानी के हिस्से को लेकर सदन की माननीय नेता ने एक संकल्प पेश किया जिस पर सुबह से अभी तक चर्चा चल रही है। इसमें प्रमुख रूप से दो चीजें हैं—एक तो राजस्थान का जो हिस्सा है, वह हमको मिले और जो हिस्सा मिल रहा है उसमें हम जब चाहें तब हमको हिस्सा मिले। यह संकल्प 1981 में भी इसी तरह से सदन ने सर्वसम्मत पास किया था।

एक माननीय सदस्य : 1983 में किया था।

श्री अमराराम (धोद) : 1983 कह दो। इस प्रस्ताव की मूल भावनाओं का तो मैं समर्थन करना हूं लेकिन 1983 में करने के बाद आज 2004 में फिर हम पास कर रहे हैं और हम उसी स्टेज पर खड़े हैं आज, जिस स्टेज पर 1983 में खड़े थे। आज भी हमारे हिस्से का जो पानी मिल रहा है 8 एम. ए. एफ. उसमें हम चाहते हैं जब पानी नहीं मिलता है। अभी हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य कह रहे थे कि नवम्बर में हमने पानी ज्यादा से लिया, वोट के लिये ले लिया। राजस्थान में रावी-ब्यास का पानी, जिस सिस्टम से हम ले रहे हैं, उसमें बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के किसान कपास की बुवाई और नरमा की बुवाई नहीं कर पाये। अब वह पानी मैं समझता हूं इस तरह का ले लिया... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैंने पहले भी करैक्ट किया था। (व्यवधान) इस पूर्व सरकार ने 21 मार्च का टैण्डर देकर अपने हिस्से का पानी ले लिया था और वसुन्धराजी धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने 21 को 31 मार्च कराया और 31 मार्च को 7 अप्रैल कराया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मोदीजी, आपको तो पानी का पता नहीं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : फसल की बुवाई हुई नहीं और धन्यवाद आपको और चाहिये। (व्यवधान) बुवाई नहीं होने दी, इस बात का धन्यवाद दें? नरमा की, कपास की बुवाई नहीं हुई, इस बात का धन्यवाद दें? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फसल की बुवाई हुई कि नहीं, यह तो अलग है। आज पंजाब ने पानी नहीं दिया, इस पर विचार कर लो, बाकी पानी दिया कि नहीं दिया, इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। फसल बोई कि नहीं बोई, यह हम बता देंगे कि कितने एरिये में काटन खड़ी है अभी।

श्री हेमाराम चौधरी : जवाब तो आप भले ही दे देना....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहली बार राजस्थान की सरकार ने आदेश निकाले हैं कि पीने के पानी के अलावा कोई भी सिंचाई के लिये पानी दे देगा, उस पर मुकदमा बनेग। और मुकदमें बने हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाए एक घंटे के लिये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

शासकीय संकल्प

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्पन्न आशंकाओं के मध्येनजर रावी व्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि इस पर हम कितनी कार्यवाही कर पाये। सबसे बड़ा खतरा पाइंट 6 एम. ए. एफ. नहीं मिल रहा है, उसके बजाय जो 8 एम. ए. एफ. मिल रहा है उसमें हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं और 1983 में पास करने के बाद हमारी राजस्थान की सरकार कितनी उस और बढ़ पायी है, कितना कार्यरूप उस पर कर पायी है। आज भी वही स्थिति है कि हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिल रहा है, उसको हम सही सलामत नहीं ले पाये और तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक हैडवर्क्स बी. बी. एम. बी. को सुपुर्द नहीं कर देंगे। मैनेजमेंट जब तक पंजाब के पास रहेगा, वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के बाद, रिक्वायरमेंट के बाद जो पानी बचता है वह पानी अपने हिसाब से देता है। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पानी बढ़कर आएगा जुलाई में, अब बरसात में कहीं जरूरत नहीं है। जब बिजाई का वक्त था तब उसने छोड़ा नहीं, अब पानी की राजस्थान में जरूरत नहीं है उस समय छोड़ रहे हैं।

गर्मी में नहीं छोड़ा, बरसात में छोड़ेंगे, यही हालत हैं। सबसे अक्षम राजस्थान की सरकार 1983 से लेकर आज तक रही है कि राजस्थान के हिस्से का जो पानी लेना चाहिये था, आज तक नहीं ले पायी। माननीय सदस्य जोशी जी ने सही कहा है कि राजस्थान का पानी सबसे कम है और उसके उपयोग के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिये था, आज तक सरकार की प्रायोरिटी में नहीं रहा है। जो सरकारें राजस्थान में रही हैं, चाहे इधर बैठे हुए हों, इधर आरोप लगा दें या इधर वाले इधर आरोप लगा दें, आप दोनों सत्ता में रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पानी चाहे पीने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, जितना हमारा हिस्सा है, आज 56 साल आजादी के बाद भी राजस्थान में जो सरफेस वाटर है उसका 53 परसेंट उपयोग हम कर पाये हैं और 47 परसेंट आज भी उपयोग नहीं कर पाये। जो पानी सबसे कम है उसका यह उपयोग, हमारी प्राथमिकता इस बात को दिखाती है। 1983 में आपने जो संकल्प पास किया, उसके बाद क्या हम इसके हैडवर्क्स को दिलाने के लिए राजनीतिक रूप से प्रयास कर पाये? क्या न्यायिक रूप से प्रयास कर पाये? मैं समझता हूं

(श्री अमराराम)

किसी रूप में भी 1983 से लेकर 2004 तक उसमें हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाये।

निश्चित रूप से डैम खाली रखने का जो सिस्टम है, आज भी सबसे बड़ा चिंता का विषय है। न केवल पंजाब और राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है कि 56-57 साल की आजादी के बाद भी हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। एक तरफ बूंद-बूंद के लिए झगड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा झगड़ रहे हैं। पंजाब और राजस्थान झगड़ रहे हैं और हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जा रहा है। इस बात की चिंता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इस पानी के लिए कोई चिंतित है तो वह राजस्थान है, क्योंकि न केवल सिंचाई के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जो स्वच्छ पानी के लिए तरसते हैं, जो फ्लोराइडयुक्त पानी पीते हैं हमारी सरकार कितना काम कर पायी? निश्चित रूप से इस बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन सरकार यह संकल्प पास करके ही नहीं बैठ जाए। इसमें जो भी उसको करना है, चाहे वो राजनीतिक रूप से करना है, चाहे वो संघर्ष के रूप में करना है, चाहे न्यायिक रूप में करना है, चाहे ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष रखना है राजस्थान की जनता का, मैं समझता हूं केवल संकल्प पास कर के इसमें इतिश्री मान लें और साढे पांच करोड़ जनता की हिस्सेदारी मांग कर हम बैठ जाएं, जो पहले किया है, ऐसा नहीं हो। डैम में भराव क्षमता है, पहले 5 फुट था, जब टैरेरिम्म का दौर हुआ, एक बार फलड आने के कारण कुछ बर्बादी हुई और वहां के चीफ इंजीनियर का मर्डर हुआ, उसके बाद से 5 फुट से 10 फुट भराव क्षमता कम रखी गयी।

ऊपर की भराव क्षमता है वह सबसे ज्यादा स्टोर करती है और 5 फुट की बजाय 10 फुट खाली रखने का मतलब सबसे बड़ा नुकसान आज राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये जो चीजें हैं, चाहे वो भराव क्षमता हो, चाहे हैड के रैगुलेशन को बी. बी. एम. बी. को देने का सवाल है, हमारा जो हिस्सा है, उसका हम सदुपयोग किस तरह से कर सकें, यह देखना है।

(16.52 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

(श्री अमराराम)

आज हालत क्या है? जो गंग कैनाल उस समय बनी थी, जिसमें कहीं सीमेंट नहीं थी, उसको तो हम 70 साल के बाद रिपेयर कर रहे हैं, और, हम हमारा जायजा लें कि हमने जो राजस्थान कैनाल 10 साल पहले बनायी वह पूरी की पूरी टूट जाती है। हमारी कार्य क्षमता का नमूना यह है। जहां सीमेंट नहीं थी, जो चूने और ईंट से बनी वह तो 70 साल तक चली। गंग कैनाल ने टूट कर नुकसान नहीं किया। और राजस्थान कैनाल जो हमसे आजादी के बाद बनायी, 10 साल पहले बनायी है वह टूट कर तबाही कर देती है, यह नमूना है हमारा पानी उपयोग करने का। इसलिए मेरा तो समापन करते हुए यही निवेदन है कि यह संकल्प पेश करने के बाद राजस्थान की सरकार और सदन की नेता का सबसे ज्यादा दायित्व है कि सब को साथ लेकर चलें राजस्थान की 5 करोड़ जनता के हक के लिए। जो पानी का सवाल है, उसमें अधिकतम हमारा हिस्सा है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता को साथ लेकर राजस्थान जो हिस्सा है वह राजस्थान लेकर रहेगा, चाहे पंजाब प्रस्ताव पास कर दे, चाहे कोई दूसरा स्टेट बात कर दे। जो हमारे हिस्से में चोरी कर रहा है, चाहे आज पंजाब कर रहा है, चाहे हरियाणा कर रहा है, उसकी हम किसी तरह से मानिटरिंग करें कि एक बूंद भी राजस्थान के हिस्से की चोरी हरियाणा और पंजाब में, जहां से हमारी नहरें आ रही हैं, वहां से नहीं हो सके। इस ओर हम क्या कदम उठाएंगे? नेता महोदय जब प्रस्ताव पर जवाब दें तो जनता को आश्वस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री सांगसिंह भाटी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। जब पंजाब ने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान का पानी हम नहीं देंगे तो पूरे राजस्थान में काश्तकार के अन्दर एक शोक की लहर छाई कि हमारा कोई धणी-धोरी है क्या। उस समय मुख्य मंत्री महोदया ने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुला कर यह सिद्ध कर दिया कि हम सब मिलकर राजस्थान का हक छिनने नहीं देंगे। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद।

(श्री सांगसिंह भाटी)

सभापति महोदय, जो भी समझौते हुए, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बनने से पूर्व एवं पश्चात भारतीय संविधान के अनुसार समझौते हुए। इन्हें कोई भी नकारता है तो इसका अर्थ साफ शब्दों में है। उदाहरण के लिए, सभापति महोदय, यह एक नोट है मेरे हाथ में, इस नोट में लिखा हुआ है गवर्नर, जब तक यह दस्तखत है तब तक तो यह नोट है और इस दस्तखत की वैल्यू खतम हो गयी तो यह कागज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो क्या समझौते में सब के हस्ताक्षर हैं?

अगर हस्ताक्षर हैं तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? इस नोट के ऊपर दस्तखत हैं तो, तो यह नोट है और इन दस्तखत की वैल्यू नहीं है तो यह कागज है, यह रद्दी की टोकरी है, इसका कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, हमने बहुत ही बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां लड़कर इस पानी का हक लिया है। लाखों लोगों ने इस पानी के लिए अपनी जानें देकर इस हक को प्राप्त किया है, इसीलिए इस अधिकार को किसी भी कीमत पर हम खोने नहीं देंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा सबसे बड़ा यह धर्म है। यह पानी यदि बीकानेर रियासत संवैधानिक लड़ाइयां लड़ कर हासिल नहीं करती तो न तो हमारे देश में गंग कैनाल आती न भाखड़ा नहर आती, न राजस्थान नहर आती। इसलिए ये लड़ाइयां उस समय लड़ी गयी। वर्ना राजस्थान में कम से कम 1000 किलोमीटर रेगिस्तान ही रहता, खुशहाली कभी आती भी नहीं।

इसी के साथ मेरा एक सुझाव है सभी दलों से कि लोक सभा, राज्य सभा सांसद एक साथ मिल कर संसद में स्थगन प्रस्ताव लेकर आएं जिससे राजस्थान का केन्द्र के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इससे अन्य पीड़ित प्रदेशों के सांसद भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार और हमारे प्रतिपक्ष को साथ मिलकर यह तय करना चाहिए कि संसद में स्थगन प्रस्ताव कौन लाएगा? विधान सभा के सभी विधायकों व सांसदों को प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रधान मंत्रीजी से मिल कर अपना पक्ष रखना चाहिए। इस पानी के लिए लाखों लोग आज राजस्थान में मरने के लिए तैयार हैं, किसी हालत में हमारा हक जानें नहीं देंगे।

(श्री सांगसिंह भाटी)

(17.00 बजे)

बी. बी. एम. बी. (भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड) का कंट्रोल पंजाब ने कब्जे किया हुआ है, उसे बी. बी. एम. बी. को सुपुर्द करने के लिए पिछले वर्षों से कौनसी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मुख्य बात हमारे हिस्से का पानी देने की, यह तभी सम्भव है जब बी.बी.एम.बी कन्ट्रोल केन्द्र के पास रहेगा। सबसे बड़ी बात जैसलमेर जिला आखिरी छोर पर है राजस्थान नहर के मैं इस मुद्दे से हटकर सदन के बीच में जैसलमेर जिले की बात रखना चाहूंगा। जैसलमेर जिले में नहर आयी और काश्तकारों के दिलों में खुशहाली आयी, लेकिन दो-तीन साल पूर्व सरकार ने एक-एक मुरब्बे की कीमत आठ-आठ, नौ-नौ लाख कर दी, आठ-आठ लाख रुपये देकर काश्तकारों ने जमीनें लीं और चार साल से जैसलमेर जिले में पानी नाम मात्र भी नहीं पहुंच रहा है, केवल पीने के लिए पानी आ रहा है। पानी का रास्ता भी नहीं है। चार साल से पानी है ही नहीं और काश्तकारों के सिर पर लाखों रुपया पानी का आबियाना चढ़ चुका है। वसूली के नोटिस आज से एक साल पहले, दो साल पहले काश्तकारों को मिलते रहे पूर्व की सरकार यह घोषणा करती रही कि यह पानी का आबियाना अभी लिया नहीं जाएगा, दो साल बाद लेगे। पानी था ही नहीं लेकिन काश्तकारों के सिर पर पानी का आबियाना मर गया। जैसलमेर में, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ग्यारह नहरें ऐसी है जो 10-15 साल पहले बन चुकीं, लेकिन कोई भी नहर में किसी प्रकार भी आज दिन तक पानी नहीं चला। यह हालत जैसलमेर की नहरों की है, काश्तकार की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और सदन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया और आज जो प्रस्ताव रखा गया है इसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गुरजंट सिंह।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की, राजस्थान कैनाल की गंग कैनाल की और भाखड़ा कैनाल की चिन्ता करते हुए सदन बुलाकर बात की, मेरा ख्याल है कि किसानों के हितों के लिए बहुत बड़ा हिस्सा पाया है। आज जिस तरह की

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

चर्चा हो रही है, बहुत आंकड़े पेश हुए हैं और बहुत सारे सुझाव भी आये है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे भैरोंसिंहजी की सरकार में थोड़ा मौका मिला, मैं जब-जब पंजाब गया, वहां पर सरकार चाहे कांग्रेस की थी, चाहे अकालियों की थी, मेरा ख्याल है कि पानी की समस्या पहले कभी नहीं आयी। आज मैं कह सकता हूँ कि जो आंकड़े हैं, पानी तय कर दिया था, सन् 1981 के समझौते में चाहे सन् 1947 से पहले गंग कैनाल का समझौता हुआ है, आज तक हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज हमारा भरोसा इसलिए उठ गया कि पंजाब की विधान सभा में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसकी वजह हरियाणा था। हमारा भी विश्वास उठ गया हो सकता है कल हमें भी मना कर दें। पर मैं इस बात में बिलकुल अपनी आत्मा और अपने विचार के मुताबिक हमारे सी.एम. साहब और हमारे सिंचाई मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसके लिए चाहे कमेटी बनाकर जाएं या विपक्ष का सहयोग लें, जरूर पंजाब के साथ वार्ता कर लेनी चाहिए कि वह हमारा पानी नहीं रोकें।

आज कई माननीय सदस्यों ने एतराज किया है कि इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं विनती करना चाहूंगा कि यहां के किसानों की भाषा वे नहीं जानते यहां के किसानों की समस्या वे नहीं जानते। आज जो पानी की जरूरत है वह बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि जो बिजाई आज से साढ़े चार-पांच साल पहले कपास या नरमा की होती थी वह बिजाई नहीं हुई होगी, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हमारे यहां काटन की भी बिजाई हुई है। हमारे यहां नरमे की या दूसरी जो फसल है वह चाहे चार-पांच किलो ही हुई हो, उसके लिए आज पानी की हमें बहुत जरूरत है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा यह मानना है कि पोंग डैम का जो दस फुट उन्होंने पानी का उल्ला पासा खाली रखा है उसका सबसे ज्यादा हमें नुकसान है। राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, और पंजाब को भी उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए क्योंकि उसको उस समय किसी कारणवश खाली रखा गया था। उसे पूरा करवाया जाए, और फिर भी उनको किसी चीज का खतरा लगे तो आजकल ऐसे यंत्र बने हैं कि बारिश के पहले उसका पानी खाली किया जा सकता है। मेरा यह भी सुझाव है जिस तरह से लोग कहते हैं, कि इसके लिए तालमेल रखना बहुत जरूरी है। जो पुरानी कैनाल पानी दे रही थी भाखड़ा

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

कैनाल थोड़ा सा हिस्सा तो मेरा ख्याल है कि वहां कंट्रोल पंजाब का है और वह जगह हरियाणा की है, थोड़ा और पानी बढ़ना और घटना सारा भाखड़ा कैनाल पर असर पड़ता है। उसमें अगर 850 और हमारे हिस्से का 200 क्यूसेक पानी हरियाणा ले जाता है, आज भी हम उसके गेट बन्द नहीं कर सके। मैंने एक और जानकारी माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को करवायी है, फिर भी ये उसकी कोशिश कर रहे हैं, जैसे पोंग डैम से आठ-साढ़े आठ फीट पानी दिया जा रहा है उसमें कमी करवाकर पानी चालू करवाया। हरियाणा के लोगों, वहां की सरकार के लिए 200 क्यूसेक्स पानी महत्व रखता है। एक छोटी-सी स्टेट से पानी जाना, वह बिना मतलब हमारा पानी ले रहे हैं, तो वह उसको वापस साढ़े आठ फुट ले जाते हैं। मेरा आपसे और सदन से यह निवेदन है, हमें यह चाहिए कि पहले पंजाब के साथ बैठे मंत्री लेबल पर—चाहे हमारे मंत्री महोदय करें, मुख्य मंत्री महोदय करें। जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि यह लाना बहुत जरूरी था, हमारा उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कितना पानी हमें मिलेगा और कितना हरियाणा को जाएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया और इतना कहकर माफी चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामसिंहजी विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सदन की नेता और मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पानी के समझौते की जो प्रदेश की हिस्सेदारी थी और उसके अन्दर पंजाब की जो कार्यवाही हुई है, उसके ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलायी और आज एक विशेष अधिवेशन विधानसभा का एक दिन का बुलाकर माननीय सदस्यों की राय जानने के लिए समय नियत किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया, नेता महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तार से राजस्थान के हिस्से के पानी के सम्बन्ध में अपनी जानकारी सदन को प्रस्तुत की। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के अन्दर जो पानी की हिस्सेदारी का मामला है उस पानी की हिस्सेदारी के अन्दर सबसे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

ज्यादा पानी राजस्थान को इसलिए दिया गया क्योंकि वह पानी अगर राजस्थान को नहीं दिया गया होता तो सारा पानी पाकिस्तान में चला गया होता, इसलिए राजस्थान की मरू भूमि जो रेगिस्तानी है वहां पर पानी की अत्यन्त आवश्यकता है और पीने के पानी तक की वहां पर समस्या बनी हुई है।

वहां पर इस पानी की अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन बहुत खेद की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और करीब 2800 करोड़ रुपये राज्य सरकार के द्वारा खर्च करने के बावजूद भी हम जो हमारी मूल समस्याएं हैं, नहरों का विकास हो, सड़कों का विकास हो, मण्डियों का और जो छोटे-मोटे खाले हैं, नाले हैं उनमें जो काम हमारे होने चाहिए वे काम हम करवा नहीं सके और उसकी वजह से पानी लेने की क्षमता हमारी रही नहीं। वहां के किसानों द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद भी सरकार ने कोई बजट नहीं रखा। वहां की नहरें वहां के नाले, वहां के खाले, वहां जमीन का अलाटमेंट इतना अविकसित है कि वहां पर सिंचाई के साधन के बावजूद भी किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका।

नेता महोदय, मैं जैसलमेर, बाड़मेर और खाजूवाला, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में गया हुआ हूं। वहां पर हजारों किसान, जो अभी बता रहे थे सांग सिंह जी, पांच-पांच लाख, आठ-आठ लाख रुपये लेकर अपने गांव की पूरी जमीन बेचकर वहां जाकर इस विश्वास के ऊपर बस गये थे कि अब हमें पानी मिलेगा और हम हमारे परिवार को अच्छी तरह से चला सकेंगे। लेकिन बहुत खेद की बात है कि वहां से किसानों को वापस लौटना पड़ा वहां खेती का नामोनिशान नहीं है। पीने के पानी तक की व्यवस्था वहां पर नहीं है। जो सरकार पीने की व्यवस्था नहीं कर सके, पांच लाख रुपये लेने के लिए तैयार हो जाए, हजारों मुरब्बे, लाखों मुरब्बे जहां अलाटमेंट हो गया, लाखों करोड़ों रुपये की आमदनी करने की सरकार ने सोची उसके बावजूद भी वहां पर किसी तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया जाना अपने आप में एक विडम्बना का विषय है।

श्री सांगसिंह भाटी : यह तो पूर्व सरकार ने किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : सांगसिंह जी, पूर्व सरकार है और आठ-नौ साल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

तक अपने मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी साहब ही रहे थे, यह आपको ध्यान नहीं है। सरकार की बात है। यह तो मैं बता रहा हूं आपको कि यह स्थिति रही है। आज स्थिति यह है कि जो पांच लाख के मुरब्बे थे जैसलमेर के लोगों को जो मुरब्बे अलॉट किये गये थे, वहां पर करीब एक लाख रुपये में जमीन देने के लिए तैयार हैं। वहां पर सड़कें बनी हुई नहीं हैं, नहरें टूटी हुई पड़ी हैं, खालों में पानी जा सकता नहीं है, स्थिति यह है। अगर आप सोचें, इसकी जांच कराएं। आप सबसे पहली व्यवस्था यह करें कि जो हमारी नहर की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। उसको सुदृढ़ करने के साथ ही साथ आप पांच-सात आदमियों की जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, लम्बे समय से जो इस समझौते के बारे में जानकारी रखते हैं, और कुछ अपने अधिकारी हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी अपने को कार्यवाही करनी पड़ेगी। वर्ना हम पिछड़ जाएंगे। पंजाब किसी भी स्थिति में पानी देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि पंजाब एक सक्षम राज्य है। आपको मालूम है कि पंजाब का दबदबा पूरी दिल्ली सरकार पर, केन्द्र सरकार के ऊपर भी है। राष्ट्रपति हो चाहे प्रधान मंत्री हो, चाहे सम्बन्धित मंत्री हो, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहेगा जिससे पंजाब की सरकार को इसमें कोई ज्यादा उलझन पैदा हो। ऐसी स्थिति में आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, आज हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है।

आज हम पचास-साठ साल के बाद ही हैडवर्क्स के ऊपर केन्द्र सरकार के प्रयास के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर सके। कंट्रोल हमारा नहीं होना है, होना तो रावी-व्यास का जो मैनेजमेंट बोर्ड है, उनका होना है, लेकिन वह भी हम करवा नहीं सके।

पानी पंजाब से आता है लेकिन पानी जब हमारे को जरूरत होती है उस समय नहीं दिया जाता। पिछले वर्ष जब फसल में पानी देने का मामला था, पीने तक का पानी वहां पर नहीं था। ऐसी स्थिति में आप कैसे निपटेंगे, यह आपको देखने की बात है। पानी सब मिलाकर वह अपना पूरा कर लेते हैं कोटा, लेकिन पानी देने का वक्त होता है, जुलाई में पानी दे दिया, बरसात आने पर पानी दे दिया, अप्रैल-मई में पानी नहीं देना। इस तरह पानी देने का जो सिस्टम है उनका, वह अपनी मनमर्जी से करते हैं, क्योंकि हैडवर्क्स उनके कंट्रोल में हैं। ऐसी स्थिति में हैडवर्क्स उनके कंट्रोल से निकलकर बोर्ड के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कंट्रोल में जाएं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि कोई भी कितना ही सक्षम प्रधान मंत्री हो, राष्ट्रपति हो या सम्बन्धित कोई भी हो, कोई भी नहीं कर सकता।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं, नेता महोदय, आपने हालांकि कोई अभी न तो हैडवर्क्स के कंट्रोल करवाये हैं, न आपने कोई पानी की मात्रा बढ़ाई है, लेकिन आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपने सब लोगों को बुलाया है इससे एक मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान की पांच करोड़ जनता के अन्दर आपने एक अवेकनिंग की है, लोगों के हकों के बारे में आपने जानकारी कराई है। मेरे खयाल से इस कार्य से काफी बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और अन्य जो प्रदेश हैं या केन्द्र सरकार है उनके दिमाग में भी आएगा कि राजस्थान के हक का पानी उन्हें नहीं दिया जाना उनके प्रति न्याय नहीं है। आज आपको मालूम है, जो पानी अपने को मिलना चाहिए, वह पानी इसलिए नहीं मिला, जैसा माननीय सदस्यों ने बताया, पिछले काफी मुख्य मंत्रियों ने यह बताया था कि हमारे पास पानी लेने की क्षमता नहीं है या हमारे पास जमीन का अलाटमेंट भी नहीं हुआ था, नहरें जो ठीक बनी हुई थीं वे भी टूट गयीं। हजारों-लाखों-करोड़ों सीमेंट के कट्टे चोरी हो गये, नहरें जैसी बननी थी वैसी बन नहीं पाईं, सड़कें बननी थी, सड़कें नहीं बनीं, मण्डियों का विकास नहीं हुआ और जो अलाटमेंट जिनको होना था पांच-पांच लाख देने के बावजूद भी खेती करने लायक नहीं रहे।

आज स्थिति यह है कि पीने का पानी नहीं है वहां पर। अगर मान लो कोई किसान प्रयास करके वहां खेती करता है तो वहां सूअर, गायें, भैंसे इतने आवारा घूमते हैं कि वहां पर आराम से खेती बचाकर कोई आदमी ले आवे, यह सम्भव ही नहीं है। वहां का सीन, कहीं सौ-सौ किलोमीटर तक वहां पर कोई देखने वाला भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सब तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद नहरों के अन्दर इस बजट का जैसा सी. पी. साहब ने ठीक कहा, और काफी माननीय सदस्यों ने कहा है, आपको कम से कम 100-200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा व्यवस्था करके नहरों, खालों, सड़कों, मण्डियों के डवलपमेंट के लिए काम में लेना पड़ेगा। जिन किसानों को आपने अलाटमेंट किया है उन्होंने कुछ

(श्री रामसिंह विश्नोई)

भी खेती नहीं की है, चार-पांच साल से किसान बर्बाद हो चुका है, उन किसानों को भी राहत देनी पड़ेगी, चाहे ब्याज के मामले में हो चाहे किश्तों के मामले में हो। उनकी ग्रीवेन्सेज आपके मंत्रीजी वहां पर भी देखें कि उनकी क्या समस्या है, किस तरह उनका समाधान किया जा सकता है। इस बारे में अगर आप ध्यान करेंगे तो एक तरफ तो नहरों के विकास और पानी लेने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, तीसरा मैनेजमेंट के माध्यम से हैडवर्क्स के ऊपर कब्जा लेने की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करनी पड़ेगी।

यही बातें हैं जो आपको विचार करने की हैं। बाकी आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपने आगे होकर अपनी जिम्मेदारी को सब के साथ शेयर करने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं, चाहे आज इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा हो लेकिन हमारा भविष्य अच्छा होगा और आपका प्रयास रंग लाएगा और मुझे विश्वास है कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़कर इसमें कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जी जैन।

श्री सांगसिंह भाटी : मैं सबसे पहले तो रामसिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज काश्तकारों की सिर्फ पानी के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आपने भी काश्तकार के घर में जन्म लिया है, मैं भी एक किसान हूं, लेकिन आपकी इस साइड में थोड़ा-सा आप ध्यान दे देना। सदन में आज सदस्य नहीं, प्रतिपक्ष के नेता नहीं, काश्तकार की पीड़ा होती तो कम से कम यहां बिराजे हुए होते...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सीट पर नहीं हैं। वह अपनी सीट पर नहीं हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि काश्तकार पूरे राजस्थान का मुद्दा है और आपके 8, 10, 15, 20 सदस्य बैठे हैं, आप इतने ही हैं क्या? (व्यवधान) आइये, आप अपनी कुर्सी पर बैठिये।

श्री सभापति : सांग सिंहजी। महावीर प्रसाद जी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, निवेदन है हमारे गृह मंत्रीजी से कि सीकर में जिस तरह से असामाजिक तत्वों का हौंसला बढ़ा है, कल जहां हमारे एडिशनल एस.पी. परीक्षा दे रहे हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह अभी, अमरारामजी... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कृपया आप मिल लें। गृह मंत्रीजी से मिल लें।

श्री अमराराम (धोद) : जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक घटना नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कई घटनाएं हैं, मिल लें आप।

श्री अमराराम (धोद) : जिला प्रशासन के सामने से किसी व्यापारी को आप उठाकर ले गये। दिन-दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। रामदेव सिंह खोखर जिस तरह से उनके हाथ-पैर, दिन-दहाड़े एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनकी मौजूदगी से ले जाएं और वह कुछ भी नहीं कहें...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं...(व्यवधान) अमरारामजी...

श्री अमराराम (धोद) : वह जगह जहां पुलिस के अधिकारियों के सामने किसी भी दुकानदार को ले जाएं, उसके पैर तोड़ दें... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं कि हम सबने मिलकर यह तय कर लिया है कि आज हम इसी पर रहेंगे, इसी पर कन्सन्ट्रेट करेंगे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, गृह मंत्रीजी से आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : मैं इनफार्मेशन गृह मंत्रीजी और हाउस को भी दे रहा हूं कि लोग इतने असुरक्षित हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सूचना है। अखबार में आया है।

श्री अमराराम (धोद) : कोई भी घटना इस तरह से न हो जिस तरह से कोटड़ा में हुई हैं, क्योंकि लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है। आये दिन लोगों को मार-पीट करके...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था तो करें, यह क्या है?

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, ऐसी चीजों को दिखाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। माननीय सदस्य, अभी जो विषय चल रहा है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, आज हम सदन में जो विचार कर रहे हैं...

श्री रामसिंह विश्नोई : सदन का समय बढ़ा रहे हो कि बोल रहे हो? बोल रहे हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, साहब। आपको देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। रावी-ब्यास नदियों के पानी का जो मसला है, यह चर्चा का विषय क्यों आया? जिस समय शिवचरणजी माथुर और जगन्नाथजी पहाड़िया मुख्य मंत्री थे, मैं यहां सदस्य था। आज हमें इस पर विचार क्यों करना पड़ा, इस पर रामसिंहजी ने काफी कहा।

मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार यह अवसर दिया राजनीति से ऊपर उठकर। कई बार यह विचार आया कि हम क्यों सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, हम अपना एक्शन लें, फिर जो भी होगा। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर और राजस्थान का हित हमारे लिये सर्वोपरि है इसलिये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर विश्वास में लिया गया। पहले सर्वसम्मत 83 में फैसला हुआ, यहां प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं हुआ। मुझे याद है, हम कई बार सदन में चर्चा करना चाहते थे लेकिन चर्चा का अवसर भी नहीं दिया, यहां बोलने नहीं दिया गया, इस पर चर्चा नहीं होने दी। 1980-81 से जो प्रयास हुए, 83 में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया गया वह भी एक मजबूरी थी, लेकिन इस सारे विषय पर आज हमको क्यों विचार करना पड़ रहा है, इसके इतिहास में जाकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सारे विषय आये हैं।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गंग कैनाल बनी, उस समय इतने एक्सपर्ट इंजीनियर्स और टैक्नीकल लोग नहीं थे। उस समय प्रजातंत्र भी नहीं था, राजाशाही थी। उसके बाद भी वहां पानी लाने का प्रयास हुआ। उस समय चूने से नहर का निर्माण हुआ और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार। मुझे तो ढाई साल की याद है, पर अभी बताया कि 22 में प्रारम्भ होकर 27 तक गंग कैनाल का निर्माण हुआ और केवल तीन करोड़ की लागत से। जब हम अन्तरराष्ट्रीय समझौते में आए, जब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गये, नदियों का सवाल आया। तीन नदियां हमारे हिस्से में आयीं और उसका कम्पनसेशन भी हमने दिया। आज जो स्थिति बन रही है वह राजस्थान के कारण बनी कि हमारे मरू प्रदेश में पानी लाने के लिये सारे समझौते किये गये। वर्ल्ड बैंक और सारे राजस्थान के मरू प्रदेश को हरा-भरा करने के लिये आये।

1962 में राजस्थान कैनाल की एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार हुई 1.67 करोड़ की योजना, सात साल में इस प्रोजैक्ट को पूरा होना था। यदि हम सात साल में प्रोजैक्ट तैयार कर लेते, जैसे पंजाब और हरियाणा ने अपने क्षेत्र में काम किया, पानी लाने का प्रयास किया, हमने कभी पानी की अहमियत नहीं समझी जबकि राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें भू-भाग 10 परसेंट और पानी एक परसेण्ट है हिन्दुस्तान का। पानी की हम लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता रही लेकिन हम दबाब में हैं, राजनीतिक प्रभाव में आकर न तो इसका सुपरविजन किया। मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं कि हमारे कहां लैप्सेज रहे हैं। हमको मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद इसलिये करना है कि मुख्य मंत्रीजी और दृढ़ता के साथ, संवेदनशीलता के साथ...

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बुराई करते ही नहीं हो कभी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको पता है, आप मेरे साथ हैं, मुख्य सचेतक के लिये आपने कितनी बार कहा मुझे।

यह पहली बार गम्भीर प्रयास हुए हैं और इससे हमें लगता है जो लैप्सेज रहे हैं, सुपरविजन नहीं हुआ। यदि हैडवर्क्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा। जितने बजट की आवश्यकता है, जिस समय राजस्थान कैनाल का निर्माण प्रारम्भ हुआ उस समय बजट की कमी नहीं थी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हाउस में हमें बताया गया कि वहां बिच्छू, कंछले निकलते हैं, जब गंग कैनाल बनायी गयी उस समय तो बिच्छू, कंछले नहीं निकले और इंजीनियर भाग-भाग कर ले आये। लेकिन हमारी राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं थी, हमने इसे केवल सदन में बहस का विषय बनाया। दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ किसी ने इस प्रकार के प्रयास नहीं किये।

आज आवश्यकता इस बात की है, गंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग जानते हैं कि वहां बाड़ाबंदी है, एक मिनट पानी इधर से उधर यदि देर से खुला या बंद किया तो गोलियां चल जाती हैं, वहां मर्डर हो जाते हैं, पानी का महत्व जितना इन लोगों ने समझा, राजस्थान की जनता और राजस्थान के नेताओं ने नहीं समझा और इसी का परिणाम है कि आप...(व्यवधान) मैं सब जगह गया हूं और मुझे पूरी जानकारी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि केवल प्रस्ताव पास करने से ही नहीं होगा, यह मुख्य मंत्रीजी भी जानती हैं, आप और हम भी जानते हैं। कल हम किसी ट्रैप में नहीं फंस जाएं, इस पर भी विचार हुआ है। हम प्रस्ताव ला रहे हैं, हमारे झगड़ा नहीं है। इस अन्तरराष्ट्रीय और अन्तरराज्यीय समझौते को कोई रीओपन कर नहीं सकता, हम भी जानते हैं। जहां हम आगे बढ़ चुके हैं, वापस कोई भी नहीं ले जा सकता, यह हम भी जानते हैं। लेकिन आज इस पानी को उपयोग करने के लिये हम लाएं और इसकी क्षमताओं को विकसित करें, सक्षम अधिकारियों को लगाएं तब जाकर इस कल्पना को हम साकार कर सकते हैं। पानी का उपयोग राजस्थान की जनता जब जानेगी। आज जहां पर पानी पहुंच गया है, लोग पानी को इधर से उधर नहीं होने देते। राजनीति में नेताओं पर इस प्रकार का दबाव बनाएं कि उनका पानी किसी भी प्रकार से कम नहीं हो। लेकिन जहां पानी नहीं पहुंचा, वहां पता नहीं है और इसलिये जहां पीने के पानी की समस्या है, जहां हम फ्लोराइड का पानी पीने के लिये मजबूर हैं, पानी के अभाव मे जहां पशु मर रहे हैं, व्यक्ति मर रहे हों, वहां आज हम केवल राजनीति की बात करते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी यह अपराध किया है उनको तो पश्चाताप करना चाहिये कि हमने इसकी ठीक प्रकार से मानिटरिंग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं की इसलिये आज हमने पंजाब को यह अवसर दिया है, हरियाणा को इसलिये हमने यह अवसर दिया है। हमने अपनी क्षमता अर्जित नहीं की। अपने पानी का उपयोग करने के लिये हमें जिस प्रकार की मानिटरिंग करनी चाहिये थी, वह नहीं की।

अभी सी. पी. जोशीजी कह रहे थे कि आपने क्या किया, बजट एलकेशन में, आप बढ़ाते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके प्रति जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शासन का सवाल है, उसने गम्भीरता दिखाई, चाहे वह 1977 में जनता पार्टी का राज आया हो। जब जनता पार्टी का राज आया तो जहां 1974 से 77 तक 63.46 करोड़ रुपये खर्च किये गये वहीं पर हमने 1977 से 1980 तक 83.74 करोड़ खर्च किये। उस समय से यह हमारी संवेदनशीलता है। मुझे याद है कि 1977 से पहले जितनी भी इरिगेशन की योजनाएं थीं, वे सारी डम्प कर दी गयीं। चाहे आप मेवाड़ में चल जाएं, चाहे राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाएं। सारी सिंचाई की योजनाएं बंद पड़ी हुई थीं। 1977 में हमने पहली बार इरिगेशन के पाइंट आफ व्यू से ध्यान दिया और उसका काम प्रारम्भ हुआ। उसका बजट एलोकेशन बढ़ा, उसकी मानिटरिंग बढ़ी। लेकिन वापस फिर आप आ गये और आपने फिर गड़बड़ शुरू कर दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन सी. पी. जोशीजी ने यह कहा कि हम कोई साधु-संत नहीं हैं, हम यहां पर राजनीति की भी बात करेंगे। मैं जानता हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन लैप्सेज कहां रहे, यदि इसका ध्यान हमको नहीं रहा... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : आपने कोई एक–आध डैम बनाये?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बीसलपुर का डैम हमने बनाया।

श्री रघुवीर सिंह : कितने किलोमीटर नहर बनायी?

श्री अशोक (खण्डार) : बीसलपुर के डैम बनने के बाद में टौंक की क्या हालत है? सवाईमाधोपुर की क्या हालत है उस बनास नदी की? (व्यवधान) आज भी आपको टौंक की जनता याद कर रही है, सवाईमाधोपुर की जनता। बनास आज पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। वह आपके कारण पड़ी है। आपने अपने हिस्से का पानी नहीं मांगा। आप अपने प्रभाव से वहां पानी छुड़वा दें...

(श्री अशोक)

(व्यवधान) तो सवाईमाधोपुर और टौंक की जनता आपको याद करेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : छूट जाएगी... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज तो आप सवाई माधोपुर और टौंक की चर्चा मत करें, आज तो पंजाब से संबंधित चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जो भी इरिगेशन के प्रोजैक्ट बने हैं वे भारतीय जनता पार्टी के राज में बने हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : उनसे कहिये, वह राज में हैं। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका ध्यान इधर-उधर मत भटकाएं। ... (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : यह आपके कारण हुआ कि बीसलपुर का पानी जयपुर ला रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सरकार के बनने के बाद पहली बार जो बीसलपुर की योजना बंद पड़ी थी, जो नहरों का निर्माण बंद पड़ा था, . . .

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय महावीरजी, इसको राजनीतिक चर्चा का विषय न बनाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया था, बनने के तत्काल बाद सबको 10 करोड़ रुपये देकर मुआवजे का वितरण किया गया, नहरों का निर्माण शुरू किया गया। जो काम आपने पांच साल में नहीं किये, वे एक साल में पूरा करेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं और उसमें यदि कोई कमी आयी तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं।

इतना ही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट एलोकेशन किया। 1985-86 में 72 करोड़ रुपये, 1986-87 में 50 करोड़ रुपये, 1987-88 में 64 करोड़ रुपये, 1988-89 में 52 करोड़, 1989-90 में 57 करोड़ रुपये, 1990-91 में 65.44 करोड़ रुपये, 1991-92 में 83.61 करोड़ रुपये। फिर 1992-93 में 116.68 करोड़ का किया, 1993-94 में 131.61 करोड़ का किया,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

1994-95 में 152 करोड़ का किया, 1997-98 में 183 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया। और यह हमारी संवेदनशीलता है, यह प्रतिबद्धता है हमारी राजस्थान की जनता के प्रति कि हमने बजट एलोकेशन बढ़ाया, सुपरविजन बढ़ाया और वहां का काम किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से आते ही सौ डेज का प्रोग्राम देकर के हमने कहा कि आओ, हमने यह प्रोग्राम किया है, हां उसकी आलोचना करना... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह जवाई बांध का सुन लो...(व्यवधान) सुना देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सुना देना, सुना देना। जब आपका नम्बर आए तब सुना देना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने कितना परसेंट काम किया है, कहो तो एक एक फेज का सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह राजस्थान की जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जवाई बांध में 28 करोड़ हमारी सरकार ने दिये... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिजली के कारण आपके समय फसलें जलीं, पहली बार यह हुआ है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : इन लोगों ने जितने खड्डे खोदे हैं, उनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नहरों का ही सत्यानाश कर दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने कर दिया, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : सौ दिन में है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने राजनीतिक चर्चा इसलिए की कि सी. पी. जोशी साहब ने कहा कि आपने बजट एलोकेशन नहीं किया तो आपने क्या किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अपराध जो कुछ हुआ है तो यह प्रायश्चित निश्चित रूप से करना चाहिए। किसको करना चाहिए? वह स्वयं को करना चाहिए। सब समझते हैं कि हमने क्या किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सौ दिन की कार्य योजना की बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं उस भावना से विपरीत नहीं जाना चाहता जिस भावना से इस सत्र को बुलाया गया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने संवेदनशीलता के साथ लिया है। ज्यों ही यह मामला सामने आया, त्यों ही उन्होंने एक्शन लिया। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी प्रयास करना पड़े और कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़ें, हम पीछे नहीं रहेंगे और इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले पांच साल में ये समस्याएं नहीं रहेंगी। इस प्रस्ताव का इसी भावना के साथ में समर्थन करता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रस्ताव इस कारण से लाया गया है कि पंजाब ने एक प्रस्ताव पारित किया। पंजाब ने कभी हमें मना भी नहीं किया, हमारा उसमें नाम भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी लैंग्वेज है, उसके कारण से हमको यह शंका भी हुई है और खतरा भी पैदा हुआ है। हमारा जो 8.6 एम.ए.एफ. पानी है, यह तो 49 परसेंट का है, जो 0.6 छोड़ दिया है यह 81 में किया हुआ पाप है। यह जो 0.6 एम.ए.एफ. पानी की हम चर्चा करते हैं, यह हमने 1981 में पाप किया है, हम जबरदस्ती उस समझौते में गये, जबरदस्ती हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम हमारा पानी दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? आपको क्या जरुरत पड़ गयी थी? लेकिन आप उस समय दबाव में थे, उस समय आपने घुटने टेक दिये और दस्तखत करके आ गये। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे याद दिला दिया। अब बाद में जो संशोधन हुआ है, उसमें 8.6 एम.ए.एफ. ट्रिब्यूनल ने भी माना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एम.ए.एफ. क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एम.ए.एफ. है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह क्या है? एम.ए.एफ. क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिलियन एकड़ फीट पानी कल्ला साहब,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मुझे पता है कि आप क्या हो। यह तो गलती से आप, मैं नहीं कहना चाहता, आप नेता हैं। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो हमारा पानी है, हम इससे संतोष नहीं करें, हम 52.70 प्रतिशत के हकदार हैं, उसको लेने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। जिस प्रकार पंजाब में यह है कि कोई पार्टी, दल नहीं है और यदि कोई उसके विरुद्ध बोलेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। राजस्थान की जनता को भी इस प्रकार का संकल्प लेना पड़ेगा कि जो इन भावनाओं के विपरीत जाएगा, यदि हम यह संकल्प लेंगे तो कोई हमारा पानी नहीं ले सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री अशोक (खण्डार) : सभापति महोदय, इस संकल्प में इस गोली को भी सम्मिलित कर लिया जाए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : आदरणीय सभापति महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है–There is always a positive side to a negative development. यह जरूर सही है कि पंजाब की सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया तो राजस्थान के हित और राजस्थान के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गयी। लेकिन उसका एक पोजिटिव डवलपमेंट यह भी है कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठकर इस गम्भीर विषय पर मनन कर रहे हैं। आंकड़े, इकरारनामे, ये मायने तब तक रखते हैं, जब तक इकरार करने वाले की नीयत इन नियमों को लागू करने के पीछे सही है। चाहे जितने दस्तखत करवा लें, चाहे जितने प्रपोजल लिखवा लें लेकिन लिखने वाले की और दस्तखत करने वाले की नीयत में अगर खोट हो तो हर शब्द का दोहरा अर्थ निकल जाता है और तभी यह बात सामने आती है कि बिटविन द लाइंस, इसका अर्थ क्या है। 1920 से हम चालू हुए, बार-बार 1920 से लगाकर 2004 तक इतिहास भिन्न-भिन्न एग्रीमेंट्स के माध्यम से हमारे बीच में दोहराया गया लेकिन एक बात, अगर इस पंजाब के रिजोल्यूशन को पढ़कर देखें तो स्टेटिस्टिक्स और एग्रीमेंट की बात तो हुई, बहुत अच्छी तरह से राइपेरियन सिस्टम की बात भी हुई, लेकिन हम कहीं इस बात को भूल गये

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कि यह हिन्दुस्तान की सरकार, यह हिन्दुस्तान का प्रदेश है, जिसकी संस्कृति और जिसका समन्वय, जिसके संस्कार बाकी देशों से अलग हैं, भिन्न हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके पहले जो शास्त्र और संस्कार हमें बताते हैं, वे यह भी दिखाते हैं कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यहीं पंजाब की सरकार ठोकर खा गई। हिन्दुस्तान के इतिहास में पंजाब का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन कल की सरकार ने जो प्रस्ताव लिया उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने योगदान पर तो प्रश्नचिन्ह लगा ही दिया, वरन् पंजाब की संस्कृति और उसके चरित्र पर भी उन्होंने प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसकी भर्त्सना इस सदन में हम पुरजोर शब्दों में करते हैं। इतिहास बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, उसको लिखने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहता, पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है, दशक के दशक निकल जाते हैं, शताब्दियां खतम हो जाती हैं तब कहीं जाकर इतिहास का पंजीकरण होता है। क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और हर बात में आंकड़ों की शहादत की आवश्यकता पड़ती है।

एक छोटी-सी विशेषज्ञों की शहादत है कि प्रत्येक नागरिक को सालाना 1700 घन मीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। हिन्दुस्तान के अन्दर, जिस वक्त देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति औसतन 6000 घन मीटर पानी अवेलेबल था, 1997 के आंकड़े इसे घटाकर 2226 पर ले आये हैं। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अगर यह आंकड़ा 1000 पर आ जाता है तो सूखे की त्रासदी हमारे सामने पेश आ जाएगी और अगर यह आंकड़ा घटकर 500 तक चला जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। विशेषज्ञों का एक पहलू यह भी है और यह वास्तविकता भी है कि जहां हिन्दुस्तान में 11400 मिलीमीटर तक बरसात होती है वहां ऐसे भी प्रदेश हैं, सौराष्ट्र और राजस्थान, जहां पर प्रत्येक आदमी की औसत में 400 ही घन मीटर पानी हिस्से में आता है। हाहाकार की स्थिति तो आ गई।

जिस वक्त पंजाब का डवलपमेंट हो रहा था और विदेशों से कर्ज लिया जा रहा था, उस कर्ज को प्रत्येक हिन्दुस्तान के नागरिक ने अपने पसीने की कमाई से चुकाया है। अगर डवलपमेंट पंजाब में हुआ तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पंजाब ही उसका अधिकार रखता है। डवलपमेंट हिन्दुस्तान के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एक भाग में हुआ जिसको पंजाब का नाम हम दे सकते हैं। लेकिन हम सब उसके उत्तराधिकारी हैं और हक रखते हैं कि पानी की एक-एक बूंद के लिए यह हिन्दुस्तान का इतिहास और राजस्थान का प्रदेश अपनी लड़ाई लड़ेगा।

बात यह भी आई इस रिजोल्यूशन में, और आदरणीय माथुर साहब ने पीड़ादायक बात कही, पंजाब ने यह बात कही कि स्वोर्ड आर्म है, पीड़ा इसलिए हुई कि स्वोर्ड आर्म पंजाब ही है? राजस्थान के सपूतों की शहादत नहीं दी गई? क्या राजस्थान के शहीदों की शहादत का भारत के इतिहास में कहीं नाम नहीं? लेकिन फिक्र करने की बात है, मान लिया जाए कि स्वोर्ड आर्म पंजाब है, यह मान लिया जाए कि हिन्दुस्तान के पांच महाराष्ट्र हैं, यह मान लिया जाए कि हिन्दुस्तान का मुकुट कश्मीर है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि सब कुछ हम देने को तैयार हैं लेकिन हिन्दुस्तान का चरित्र राजस्थान है। बगैर हाथ युद्ध लड़ा जा सकता है, बगैर पांव, आज विज्ञान ने प्रगति कर ली है, इन्सान चल सकता है लेकिन बगैर चरित्र किसी आदमी ने कहीं कुछ नहीं पाया है। इसलिए मसौदे में यह लिख दिया जाए कि अगर पंजाब यह कहता है कि वह हिन्दुस्तान का स्वोर्ड आर्म है तो राजस्थान यह कहता है कि वह हिन्दुस्तान का चरित्र है और बगैर चरित्र कोई चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते।

नियम हैं, नियम को पालन करने वाले इन्सान हैं। स्टेटिस्टिक्स है लेकिन लिखने वाला इन्सान है। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कभी हम पक्ष में होते हैं, कभी हम विपक्ष में होते हैं, हम सब में जनता के प्रति मर्म है, इस बात के लिए किसी पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता लेकिन कई बार हम राजनीतिक मतभेदों के कारण और राजनीतिक स्वार्थों के कारण कहीं न कहीं आम नागरिक के हित को गिरवी रख देते हैं। 1981 से इस कहानी की शुरुआत होती है और 2004 तक चलती आ रही है, 23 साल हो गये। 23 साल में एक युग समाप्त हो गया, बीसवीं से इक्कीसवीं शताब्दी आ गई। कहीं इस सिलसिले को जो अंजाम आज तक नहीं मिला, मुकाम पर पहुंचाने के लिए कोई न कोई अंजाम हम दें, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती है? लेकिन आज इक्कीसवीं शताब्दी के अन्दर जहां हम परमाणु युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहां एक छोटी-सी कैनाल निर्मित करवाने में इस देश की सरकार पंजाब से हमें अपना कोई हक नहीं दिला सकती।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 252 के बारे में बात हुई, 262 भी है, 252 के बारे में मैं सी. पी. जोशी साहब से बिलकुल सहमत हूं। 252 इस बात को कहता है कि जितने भी स्टेट हैं, उस पानी से प्रभावित हैं या उस रिवर से प्रभावित हैं, उनका जब तक लैजिस्लेचर कंसेंसस नहीं दे देता तब तक वह बात और उस लैजिस्लेशन के लिए केन्द्र सरकार अधिकृत नहीं हो सकती। लेकिन 262 का एक और सैक्शन है कांस्टीट्यूशन में। आज अगर कहीं भी आर्टिकल 262 की बात है, अगर कहीं भी इस तरह का डिस्प्यूट हो तो केन्द्र सरकार, पार्लियामेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। चूंकि पार्लियामेंट में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रहता है। यह एक अलग बात है कि पिछले पांच साल में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। यह दुर्भाग्य है कि 1996 से लेकर 2004 तक, यह हरियाणा वाला मामला अदालतों में झूलता रहा लेकिन कुछ वर्ष ऐसे भी थे कि केन्द्र में भी सरकार किसी एक पार्टी की थी और राज्यों की भी सरकार किसी एक पार्टी की थी लेकिन कहीं न कहीं समन्वय का अभाव था, कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि का अभाव था, कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ की बात थी इसलिए हम राजस्थान की जनता को वह अंजाम नहीं दिला पाये जिसकी आज आप और हम अभिलाषा करते हैं।

मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने सुझाव दिये, कोई पांचवीं बार इस सदन में बैठा है, कोई दसवीं बार इस सदन में बैठा है, सुझाव पर सुझाव आए। हमारा तो यह सौभाग्य है कि पहली बार आपके बीच में आये हैं, उन सुझावों में अगर दम होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। सुझाव अगर आये तो इस मुख्य मंत्री के मुख से आये, कम से कम वह एक अंजाम हमको देखने को मिले, वह दिन देखने को मिले। अगर इन सुझावों में कोई दम होता तो आज का दिन हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए सुझाव ऐसे पक्ष से आएं, सुझाव ऐसे मुख से आएं, सुझाव एक ऐसी जीवन की रेखा से आएं कि अंजाम हमें दिखे, इस हाल में दिखे और इन पांच वर्ष के भीतर दिखे और जब दुबारा हम जनता में बीच में जाएं तो फख्र से यह कह सकें कि जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, पांच साल में हमने आपको दिला दिया, हम रखते हैं हक, अभिमान रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ एक मैं छोटी-सी चीज निवेदन करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहूंगा कि ये सारे के सारे प्रस्ताव तब तक अपने मुकाम तक नहीं जा सकते जब तक विल पावर न हो। ऐसा लगता है कि इस बार भी विधान सभा में सारे सदस्यों के अन्दर कहीं न कहीं स्रोत और विल पावर जैसी चीज की संरचना हुई है। हम सबको आशा है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, विपक्ष के नेता के सहयोग से हम उसे यह दिशा दिला पाएंगे और उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए? (स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

शासकीय संकल्प

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्पन्न आशंकाओं के मद्देनजर रावी व्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, पंजाब सरकार की हठधर्मिता को प्रदर्शित करने वाले पंजाब सरकार द्वारा लिये गये प्रस्ताव के विरोध में सदन द्वारा जो संकल्प लिया जा रहा है, माननीय नेता पक्ष, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है उस संकल्प का मैं सदन का सदस्य होने के नाते समर्थन करता हूं। इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ में राज्य का पानी काट देने की बात की शुरुआत हुई है, उस सोच पर हमें सबसे पहले मनन करने की आवश्यकता है। पूर्व में अनेकों बार अलग-अलग आयोग स्थापित हुए,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

अनेक इस तरीके की परिस्थितियां बनीं कि राज्य में पंजाब द्वारा पानी नहीं देने या पानी कम करने की चर्चाएं चलीं और पानी को कम किया भी गया, लेकिन आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व यह शुरुआत हुई थी। तत्कालीन शासक गंगासिंहजी द्वारा राज्य में पानी लाने के लिए प्राथमिकता से जो प्रयास किये गये थे, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उसके अन्दर अपना रोल अदा करते हुए बीकानेर तक पानी पहुंचे, इसके लिए पहल की थी। उसके उपरान्त समय-समय पर परिस्थितियों में परिवर्तन आये और उनके साथ-साथ नियम बने, कानून बने। उन बातों की गहराई में ज्यादा नहीं जाते हुए मैं आज के हालात में आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज यदि यह बात की जाती है कि राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उस पानी का उपयोग और उपभोग कर सकें तो सरासर गलत है। हमारे राजस्थान राज्य को पंजाब के बांधों से पानी दिया जाता है वह कोई खैरात नहीं है, बल्कि हमारा हक है। इस राज्य के अन्दर न सिर्फ राजस्थानवासी निवास करते हैं बल्कि इससे ज्यादा पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के और अन्य राज्यों से आये हुए किसान भी यहां पर निवास करते हैं और अपनी आजीविका का यहां पर निर्वहन कर रहे हैं। यह क्षेत्र न सिर्फ कृषि प्रधान क्षेत्र है बल्कि पशुपालन के अन्दर भी इस क्षेत्र की अपनी अहमियत है। हमारा यह क्षेत्र जिसका इतिहास गवाह है, पूर्व में अकाल की चपेट में हर समय रहता था। हमारे पूर्व राजनेताओं की, राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की दूरगामी सोच का परिणाम यह रहा कि इन्दिरा गांधी नहर हमारे राज्य में आयी और जो क्षेत्र भयंकर अकाल की चपेट में रहता था वह क्षेत्र आज सरसब्ज हुआ। पूर्व में हमारे सम्माननीय साथी विष्णु मोदी जी ने याद दिलायी थी छपनिया अकाल की बात। निश्चित रूप से बुजुर्ग आज भी इस बात की कल्पना कर जो उन पर बीती थी उसको बताते हैं कि हजारों लोगों का पलायन हुआ था और हजारों लोग मौत के घाट उतरे थे। उस समय की स्थिति यह थी कि लोगों को पेट भरने के लिए पेड़ों की छाल तक खानी पड़ी थी। उस स्थिति से बदलकर आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह स्थिति यह बनी है कि हमारा यह इलाका विकसित हुआ है। जो इलाका पूर्व में महज मानसून के ऊपर निर्भर था ओर उपज के नाम पर हमारे को कोई उत्पाद मिलते थे तो वो ग्वार, मोठ और बाजरा था। आज वह स्थिति बदलकर सरसों,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

मूंगफली, नरमा और कपास जैसे उत्पाद हम ले रहे हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर आयुर्वेद औषधियां प्राप्त करने के लिए यहां पर जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है और बाग तक लगाये जा रहे हैं। जो इलाका मरूभूमि के नाम से जाना जाता था, जिस इलाके के अन्दर भटकता हुआ कोई मुसाफिर कहीं चला जाता था, किसी के दरवाजे पर जाकर अगर वह पानी मांगता था तो वहां पर उसको सुनने को यही मिलता था कि पीने के लिए घी जितना चाहो ले लो, पानी नहीं है। जिस इलाके में पानी पहुंचाने का एक मात्र अगर कोई साधन था तो रेलगाड़ी द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। लोग कोसों दूर से वहां पानी लेने के लिए आते थे और पानी लेने की लड़ाई में उनके न सिर्फ मटके फूट जाते थे बल्कि उनके सिर भी फूट जाते थे। आज वो क्षेत्र इस इलाके की पूर्व की सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों के बूते पर इस स्थिति में पहुंचा है, इतना विकसित हुआ है कि आज यहां पर प्रति वर्ष अरबों रुपये की फसल पैदा हो रही है। इस परिस्थिति में आज पंजाब द्वारा, जो एक छोटा-सा राज्य है, राजस्थान को, एक इतने बड़े राज्य को पानी नहीं देने की बात की जा रही है, यह देश का हिस्सा होने की सोच को नहीं दर्शाता है। भारत आजादी के समय से आज तक मिल-जुलकर एक सोच के साथ में देश के विकास के नाम पर काम करता आ रहा है, यह उस सोच के विपरीत बात है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सदन की कार्यवाही चलते हुए पक्ष-विपक्ष के तर्क-वितर्क जो भी आते रहें, कुल मिलाकर हम सब की सोच यही है कि राज्य का जो हक है उस हक को हमें प्राप्त करने के लिए हर सूरत में प्रयास करना है, संघर्ष करना है।

सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, लेकिन हम एक पक्ष को भूल रहे हैं। राजस्थान का यह पश्चिम भू-भाग जो कि मरूभूमि के नाम से, मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यह न सिर्फ कृषि के उपयोग के लिए, न सिर्फ पशुपालन के कारण बल्कि इससे ज्यादा सीमान्त क्षेत्र होने के कारण सामरिक रूप से भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और समय-समय पर सेना का यहां पर आगमन, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना और उसको स्थापित करने के अन्दर केन्द्र सरकार द्वारा अरबों रुपये का निवेश करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सेना की विभिन्न रेजीमेंट समय-समय पर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

यहां पर एक्सरसाइज करने के नाम पर आती हैं और उनको भी पेयजल के नाम पर अगर कहीं से जल उपलब्ध होता है तो इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से होता है और सेना के जो सैनिक वहां पर उपस्थित होते हैं वे किसी राज्य विशेष के नहीं बल्कि इस देश के नौजवान, लाड़ले होते हैं जो इस देश की आन रखने के लिए, इसकी आन-बान-शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। आज का समय और इसके साथ-साथ दिसम्बर, 2001 का समय भी याद करना चाहिए जिसमें अगर हमको पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो सेना द्वारा जो एक नयी सोच के साथ दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने से रोकने के लिए दलदल का निर्माण किया गया था, वो भी नहीं हो पाता। इस प्रकार के एक्सपेरीमेंट्स पूर्व में जर्मनी और फ्रांस में भी किये गये थे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस राज्य के अन्दर कृषि के नाम पर जहां पानी की बात करते हैं, मंडियों के विकास के नाम पर, उद्योगों के नाम पर पानी की बात करते हैं। उसके साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वन विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्य किया गया, उसके बूते जो मरुस्थल दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, वह रुका है। आज इन सब पक्षों को देखते हुए हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है। यह जो संकल्प पत्र दिया जा रहा है इसके अन्दर इन पुरानी बातों को भूलते हुए कि पूर्व में किसने क्या कमी रखी, किसके कारण क्या स्थिति ऐसी बनी, उनको भूलते हुए आने वाले कल के लिए हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए।

इसके साथ-साथ बार-बार एक बात आती रही है, आज की स्थिति क्योंकि ऐसी बन गई है कि पूरे राज्य की आवश्यकता एक स्थान पर केन्द्रित होकर रह गई है। लेकिन इसके साथ-साथ पूर्व में अनेक माननीय सदस्यों ने अपना पक्ष रखा जिसमें अलग-अलग क्षेत्र विशेष की बातें भी आयीं, उन्हीं बातों में मैं अपनी एकाध बात कहना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। जो बिजाई की बात यहां पर आयी, हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात अपनी ओर से फर्मायी थी कि खरीफ की बिजाई यहां पर पहली बार नहीं हो पायी है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। लेकिन वो किस स्थिति में हुआ है और उसके क्या परिणाम आये हैं, यह एक सोच का विषय है। मार्च माह में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हमें बिजाई के नाम पर पानी दिया गया और सूचना के साथ में दिया गया, लेकिन एक बार पानी दिये जाने के बाद लगभग 2 माह तक पानी नहीं दिया गया और यह कहा गया कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है।

(18.00 बजे)

निश्चित रूप से जब हमारे को इस बात की जानकारी थी कि हमारे पास में पानी उतनी मात्रा में नहीं है जैसाकि अन्य सदस्यों का आरोप भी था कि पूर्ववर्ती सरकार ने पहले पानी ज्यादा दे दिया इसके कारण से पानी की कमी रही, तो फिर ऐसे में हमें बिजाई के लिए पानी क्यों दिया गया? आज हम सब लोग मनन कर रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं, किसान के हित की बात कर रहे हैं, तो जो बिजाई के अन्दर धन व्यय हुआ वह किसी और का नहीं, हमारे अपने किसान का हुआ है। आज पुनः यह बात आती है कि आज के वक्त अगर किसी ने पानी लगाया तो उससे 20 गुना चालान उस पर लगाया जाएगा। मामला वसूली की बात आती है, अगर पूर्ववर्ती सरकार ने मामला वसूली की बात की या उसको पोस्टपोन किया, हम सब लोग जो यहां पर विराजमान हैं, हम लोगों का यह काम है कि जो कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करें और उन कमियों को स्वीकार करते हुए आने वाले कल के लिए कार्य करें। पुनः मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थितियों के अन्दर हम सब लोग एकजुट होकर, एक राय होकर राज्य की बेहतरी के नाम पर काम करें जिससे राज्य की जनता जो दुःख और तकलीफ के समय में इस सदन का मुंह देख रही है, उसकी आशाओं के अनुरूप हम कोई फैसला ले पाएं यही कहते हुए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कांत। माननीय सदस्य, थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री टीकमचंद कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व पंजाब की विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था, आज उस संकल्प के सामने राजस्थान की विधान सभा एक संकल्प पारित कर रही है। पंजाब में भी पक्ष और विपक्ष इस पानी के मामले में एक थे और उसका जवाब देने के लिए

(श्री टीकमचंद कान्त)

आज हम भी एक सर्वदलीय रूप में इस संकल्प को पारित करने जा रहे हैं। हम पंजाब को जवाब देने जा रहे हैं, अपने हक की बात कहने जा रहे हैं। इस आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह जवाब देने के लिए हम भी एक हैं, राजस्थान एक है, राजस्थान का जन प्रतिनिधि एक है।

आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंजाब भारत का अंग है या नहीं है। अगर हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है और फिर जिस राष्ट्र ने कोई समझौता किया है, उससे पूर्व कोई निर्णय लिया है तो वह पूरे राष्ट्र को मानना चाहिए, राष्ट्र के सारे के सारे प्रदेशों को मानना चाहिए। पंजाब ने जो भी संकल्प पारित किया है उसके अन्दर उसने पूर्णरूपेण मनाही कर दी, ट्रिब्यूनल से हमें कोई न्याय मिलने वाला नहीं, हम राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से हम अपना अलग से न्याय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कानून ठीक है, राजनीतिक बातें ठीक हैं, प्रशासनिक दृष्टि से वह किस रूप में यह न्याय प्राप्त करना चाहेगा? क्या हैडवर्क्स पर उसका अधिकार है? उसके नियंत्रण में है इसलिए क्या वह अपने प्रशासन को इस रूप में उपयोग में लेगा कि वह हमको पानी नहीं दे? हम तक पानी नहीं आने दे, क्या इस प्रकार का वह निर्णय लेगा? गुरजंट सिंहजी एक बार सामने मिले थे विधान सभा में पढ़ते हुएही, मैंने कहा, गुरजंट सिंहजी, पंजाब पहुंचो जल्दी से जल्दी, यह क्या हो रहा है? गुरजंट सिंहजी ने कहा, नहीं साहब, राजस्थान का तो नाम ही नहीं है उस संकल्प में। मैंने कहा, नाम की बात नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष के अन्दर फैसला दे दिया, पंजाब मान नहीं रहा है, इसी प्रकार से उसकी नीयत में मुझे खोट लग रहा है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता हमें अपनी एकता बताने की है हम भी इसी प्रकार से अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम भी मांग कर सकते हैं। इसी कारण से अब मैं चाहूंगा कि हम अपने इस संकल्प को इस प्रकार कहें, पंजाब पर यह बात कहें कि यह नीयत ठीक रखे, कुछ सिद्धान्तों को तो मानने की बात करे। अब वह अन्तरराज्यीय राइपेरियन सिद्धान्त की बात कर रहे हैं, कहां है उस पानी का उदगम स्थान? क्या अकेला पंजाब है? मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि उस पूरे के पूरे पानी के अन्दर पंजाब से मात्र 8 प्रतिशत पानी उन

(श्री टीकमचंद कान्त)

नदियों को मिलता है, बाकी पानी हिमाचल की देन है, कश्मीर की देन है। हिमालय हमारा है, पूरे राष्ट्र का है, और पानी? वह तो राष्ट्रीय सम्पदा है और राष्ट्रीय सम्पदा में तो सब का हिस्सा होता है। अकेला पंजाब उसको लेना चाहेगा? कल तो फिर, विज्ञान आजकल प्रगति कर रहा है, पंजाब की ओर से आने वाले बादल कहीं और न बरस जाएं, विज्ञान का सहारा लेकर उन बादलों को रोक लेगा, विज्ञान का सहारा लेकर कोई मानसून की हवाओं को रोक लेगा, तब क्या होगा? इसी कारण से यह निर्णय किया है, संकल्प उसने जो लिया है उस संकल्प के पीछे उसकी नीयत हमें ठीक नहीं लगती है।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहूं, आज 13.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है, पश्चिम राजस्थान के करीब 1.25 करोड़ लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा अगर पानी हमको नहीं मिला बराबर। निर्मित नहर से लगभग 2 हजार करोड़ रुपया वार्षिक कृषि उत्पादन हमारा हो रहा है, वह नष्ट हो जाएगा। नागौर और बाड़मेर के 24 कस्बे, 2640 गांवों को जो पानी देने जा रहे हैं, उस प्यासी जनता को पानी हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात के लिए हमको केन्द्र पर दबाव बनाना पड़ेगा कि केन्द्र उन पर दबाव बनाएं। अमरिन्दर सिंहजी यह संकल्प पारित करने से पूर्व माननीय प्रधान मंत्रीजी से मिले थे, प्रधान मंत्रीजी से क्या चर्चा हुई? क्या प्रधान मंत्रीजी से पूछकर यह संकल्प पारित किया गया है? तो सीधे-सीधे हमें प्रधान मंत्री से पूछना पड़ेगा कि आप हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हैं, अकेले पंजाब के प्रधान मंत्री नहीं हैं।

आज चर्चा बहुत हुई हैं, आरोप-प्रत्यारोप भी हुए हैं, वाजिब बात थी, गलती हुई है तत्कालीन मुख्य मंत्री से 1981 के अन्दर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो समझौता हो रहा था, उस समय 8.60 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 0.60 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को यह कहकर दे देना कि पंजाब इसका उपयोग कर सकता है, यही एक मात्र गलती थी, उस गलती का पाप हम आज धो रहे हैं। वास्तव में सही बात है। वक्त की घड़ियों ने हमको यह सिखाया है, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई। 81 का मात्र एक निर्णय, उस दबाव के कारण किये हुए दस्तखत, आज 23 साल के बाद में हमको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा, हालांकि आज राजस्थान का

(श्री टीकमचंद कान्त)

किसान खुश होगा, पश्चिमी राजस्थान के वे लोग खुश होंगे कि आज हम सारे मिलकर एक संकल्प ले रहे हैं, कि पंजाब हमारा पानी पूरा दे। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूर्ण करने से पूर्व पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सर्वदलीय यह अधिवेशन बुलाया और यह संकल्प पारित करवाने जा रही है, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : डा. सुरेश चौधरी।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं पानी जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर सदन की नेता की संवेदनशीलता पर प्रभावित क्षेत्र के काश्तकारों व पशुपालकों की तरफ से इनका हृदय से अन्तःस्थल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि एक राय होकर राज्य सरकार को इस मन्तव्य पर सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया है।

सभापति महोदय, 17 जून, 2004 को राज्य के एक प्रमुख दैनिक के सम्पादकीय ने इस फैसले के पीछे जो संवेदनशीलता की बात उठाई है, मैं उसका यहां उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें साफ-साफ कहा गया है सम्पादकीय में कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दी कि राजस्थान की भाजपा सरकार तथा हरियाणा की इनेलो की सरकार को पानी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में यों तो कांग्रेस की सरकार है किन्तु राजधानी क्षेत्र के कारण वह प्रभावित नहीं होगी। उधर कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार ने कल ही घोषणा की है कि तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार को पानी नहीं दिया जाएगा। दोनों की घोषणाएं भी साथ-साथ ही हुई हैं। ऐसा लगता है कि यह कांग्रेस आलाकमान का सोचा समझा राजनीतिक निर्णय है, भले ही करोड़ों लोगों की जान मुसीबत में आ जाए, वह भी भरी गर्मी में। लेकिन यह कैसी संवेदनशीलता है? माननीय सभापति महोदय, सम्पादक महोदय के इस सम्पादकीय से काफी कुछ सहमत हुआ जा सकता है।

सभापति महोदय, पंजाब विधान सभा में पारित प्रस्ताव में जिस तरह से जल के बंटवारे सम्बन्धी विवादों के लिए अधिनियम के अन्तर्गत एक

(डा. सुरेश चौधरी)

आयोग का गठन करने और राइपेरियन कानून एवं दूसरे स्थापित कानूनों व तथ्यों की जांच की बात की गई है, वह इस समस्या व विवाद को लटकाने के अलावा कुछ नहीं है। पंजाब सरकार का यह निर्णय और वह भी सर्वसम्मत, संकुचित मानसिकता को परिलिखित करता है। हकीकत तो यह है कि पंजाब जिस पानी पर आज फैसले करने का नाकाम प्रयास कर रहा है, सही मायने में उस पानी पर पंजाब का कोई अधिकार नहीं है। आजादी के बाद 1960 में "इंडस वाटर रिवर ट्रीटी" के तहत रावी-ब्यास व सतलुज नदियों के पानी पर भारत का अधिकार स्थापित किया गया था, जबकि झेलम व चिनाब पाकिस्तान को दे दी गई थीं। यहां यह महत्वपूर्ण बात है, पूरे निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्व बैंक ने इस शर्त पर भारत सरकार को नहरें बनाने के लिए धन दिया था कि इन नदियों का आधा पानी राजस्थान के रेगिस्तान को खेती के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। पंजाब सरकार का आज अपने पड़ौसियों को पानी मिलने पर तो आपत्ति हो रही है लेकिन रावी नदी के उस पानी की कतई कोई चिन्ता नहीं है जो करीब पूरा का पूरा आज भी पाकिस्तान जा रहा है। आज अगर पंजाब पानी की कम उपलब्धता की बात करता है तो वह उसकी स्वयं की कमी है। पंजाब सरकार को उचित जल भंडारण व पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर पानी की उपलब्धता का बहाना बनाकर राजस्थान का पानी कम किया जाता है तो भविष्य में कभी इन नदियों में बाढ़ आ जाए और राजस्थान अपने क्षेत्र में पानी लेने से मना कर दे तो पानी पाकिस्तान पहुंचने से पहले आधा पंजाब जलमग्न होकर तबाह हो जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के इस फैसले में पंजाब के लोगों की भी भलाई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, 1955 में हुए समझौते में इन नदियों का 8 एम.ए.एफ. पानी और 1981 में हुए समझौते में 8.6 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान के हिस्से का देना तय किया गया था और 8.6 एम.ए.एफ. पानी में से 1981 के समझौते के तहत यह कह दिया गया था कि 0.6 एम.ए.एफ. पानी के लिए राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डवलप नहीं है कि वह इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज से एक दशक पहले

(डा. सुरेश चौधरी)

राजस्थान ने वह अपनी क्षमता विकसित कर ली, अगर पंजाब आज हमें हमारा पानी 0.6 एम.ए.एफ. देता है तो हम उसका इस्तेमाल करने के काबिल हैं।

सभापति महोदय, 1985 में पंजाब समझौते के नाम से हुए एक समझौते में तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को भविष्य में 1 जुलाई, 1985 को मिल रहे पानी से कम आपूर्ति नहीं करेगा। 1986 में रावी-ब्यास नदी जल अधिकरण के गठन के बारे में तय हुआ जिसने 1987 में अपना निर्णय सुनाया। निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि राजस्थान के हिस्से 8.6 एम.ए.एफ. पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्राधिकरण का यह भी मत था कि कोई एक राज्य समझौते का अपने स्तर पर उल्लंघन नहीं करेगा, उसे अपने स्तर पर रद्द नहीं कर सकेगा।

रावी-व्यास नदियों के पानी के मुद्दे पर पंजाब की मनमानी की सबसे बड़ी वजह नदियों के हैडवर्क्स पर उसका कब्जा होना है, जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 76 हरिके, रोपड़ व पिरोजपुर हैडवर्क्स पर भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को इसके नियंत्रण का अधिकार देती है। मगर इन पर कब्जे के कारण पानी की चाबी पंजाब के हाथ में होने से सम्बन्धित राज्यों के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। इस पूरे मामले में केन्द्र सरकार की चुप्पी के चलते रावी-ब्यास नदियों का विवाद कहीं कावेरी विवाद न बन जाए, आज इस तरह की आशंका पैदा होने लग गई है।

राजस्थान सरकार दशकों से हैडवर्क्स का काम बी.बी.एम.बी. को सौंपने की मांग करती रही है, मगर परिणाम शून्य रहा। सभापति महोदय, मैं यहां एक उल्लेख करना चाहूंगा, जो नोहर-भादरा क्षेत्र से भी सम्बन्धित है, कि पानी वितरण के लिए बी.बी.एम.बी. पर पंजाब की मनमानी का असर भादरा-नोहर क्षेत्र को मिलने वाले पानी और लाखों लोगों की जीवनदायिनी बनने वाली सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना पर भी पड़ रहा है। पंजाब के दबाव के चलते बी.बी.एम.बी. भादरा-नोहर क्षेत्र के 0.17 एम.ए.एफ. बकाया पानी का डाइवर्जन भाखड़ा मेन लाइन में करने से कतरा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी इस प्रस्ताव के माध्यम से मांग है कि भादरा-नोहर क्षेत्र के 0.17 एम.ए.एफ. पानी को सिद्धमुख नोहर इरिगेशन

(डा. सुरेश चौधरी)

प्रोजैक्ट के सिस्टम में तुरंत प्रभाव से डाइवर्ट करवाया जाए। सदन की नेता यहां विराजमान हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर पंजाब इस बारे में किसी भी तरह के निर्माण कार्यों की मांग करता है तो इसके लिए परियोजना के पास पर्याप्त पैसा पड़ा है, राज्य सरकार को इसके लिए अलग से बजट आबंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा रखे गये इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं और यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि राज्य के हिस्से की एक बूंद पानी भी हम किसी कीमत पर नहीं छोडेगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पडे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वक्तव्य देने हेतु समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओ. पी. महेन्द्रा। श्री जालम सिंह रावलोत।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य की लोकप्रिय एवं संवेदनशील मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके सार्थक प्रयासों के कारण से, जिनके अथक प्रयासों के कारण आज 21 साल बाद राजस्थान के पश्चिम मरू भू-भाग के लिए राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र की जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए यहां सदन के पटल पर सार्थक बहस हो रही है।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह क्षेत्र गंगानगर का हरा-भरा क्षेत्र है जो भारत-पाक सीमा के साथ लगता हुआ है। पाकिस्तान और उसके साथ ही पंजाब भी हमारे से सटा हुआ क्षेत्र है। केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से महाराजा गंगासिंहजी का स्मरण करना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयासों के कारण से सन् 1920 में ब्रिटिश सरकार और नवाब बहावलपुर के बीच गंगानगर जैसे रेगिस्तानी भू-भाग को बीकानेर कैनाल के लिए, गंग कैनाल के निर्माण के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए एक समझौता हुआ था। गंग नहर का शेयर उस समय 1.11 एम. ए. एफ. तय हुआ था। यह गंग कैनाल का शेयर आज भी इसी समझौते

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

के तहत बरकरार है जिसे प्री-पार्टीशन शेयर कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, भारत-पाक विभाजन के कारण जब स्थापित सिंचाई प्रणालियों के संचालन में बाधा आई तब पश्चिमी राजस्थान के बड़ें भू-भाग को सिंचाई हेतु पानी देने के लिए इंडस वाटर रिवर ट्रीटी के अन्तर्गत रावी-ब्यास तथा सतलज नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ। 19 जनवरी, 1955 को अन्तरराज्यीय समझौता हुआ, इसमें राजस्थान को रावी-ब्यास सतलज के कुल अधिकाय जल 15.85 एम. ए. एफ. में से 8 एम. ए. एफ. अर्थात् 52.63 प्रतिशत जल प्राप्त हुआ, जो प्रवाह चक्र 1921-45 पर आधारित था। माननीय सभापति महोदय, इसके पश्चात् वर्ष 1981 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति में अधिकाय जल के वितरण के बारे में एक अन्य समझौता हुआ। उस समय नदियों को जल प्रवाह चक्र 1921-60 के अनुसार 17.17 एम. ए. एफ. आंका गया था और राजस्थान को इसमें 8.60 एम. ए. एफ. हिस्सा मिला जो कुल जल का 52.69 प्रतिशत था। इस समझौते के अनुसार यह भी तय हुआ था कि जब तक राजस्थान अपने हिस्से के जल का उपयोग नहीं करेगा तब तक राजस्थान के 0.60 एम. ए. एफ. जल का उपयोग पंजाब कर सकेगा। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यही एक सबसे बडी भूल थी, चाहे किसी कारणवश हुई। मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय कि उस समय यह जांचा ही नहीं गया कि क्या हम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त गंग कैनाल के क्षेत्र से, भाखड़ा नहर के क्षेत्र से अपना यह हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। वह हिस्सा 0.60 एम. ए. एफ. जो छोडा था, आज तक पंजाब डकार रहा है और आज उसके लिए इस सदन में चर्चा हम ला रहे हैं। आज पंजाब जिस राइपेरियन राइट की बात करता है, यह राइपेरियन राइट इंटरनेशनल ला का एक टर्म है जिसकी आज वर्तमान समय में कोई सारगर्भिता नहीं रह गई है, क्योंकि भारत आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, भारत प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से एक धनी राष्ट्र है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री डाक्टर वीरा का कथन है that India is a rich country inhabited by poor people.

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

इस कथन का यह सार है कि भारत के पास अनेक प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति ने भारत को अनेक अमूल्य उपहार उपलब्ध करवाये हैं। जहां एक ओर हमारे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, जहां से साल भर बहने वाली नदियां निकलती हैं, वहीं उत्तर भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का मैदान है, वही हमारे पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, वहीं हमारे दक्षिण में दक्षिणी पठार है और भारत के तीनों ओर समुद्र पडता है। अगर आज हम राइपेरियन राइट की बात करें तो हर प्रान्त में अलग-अलग प्राकृतिक सम्पदाएं विद्यमान हैं, अगर हर राज्य राइपेरियन राइट की बात करेगा, अपनी अपनी सम्पदा पर अधिकार जताना आरम्भ कर देगा तो स्वराज्य का जो दृष्टिकोण, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, 1981 के बाद जितने भी समझौते हुए, चाहे वह समझौता 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री व अकाली दल के नेता लोंगोवाला के बीच में हुआ हो, चाहे उसके बाद एक ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, सभी में राजस्थान का हिस्सा 8.60 एम. ए. एफ. माना गया था और उसमें किसी प्रकार के बदलाव की कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन खेद का विषय है कि 1981 से राजस्थान का हिस्सा 8.60 एम. ए. एफ. नहीं माना जाकर 8 एम. ए. एफ. के आधार पर राजस्थान को 49 प्रतिशत पानी दिया जा रहा है। पंजाब राजस्थान का निरन्तर हिस्सा दबाता जा रहा है, यह राजस्थान के हितों पर, राजस्थान के किसानों के ऊपर कुठाराघात है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के क्लाज (1) के सब क्लाज (सी) के अन्तर्गत हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब से बी. बी. एम. बी. को दिया जाना था, बी. बी. एम. बी. के लाख प्रयत्न करने के पश्चात् भी आज तक इनका नियंत्रण नहीं दिया गया हैं इसी की आड में पंजाब समय-समय पर इस तरह के स्टेटमेंट देता रहा है और ऐसा रिजोल्यूशन पास करता है। इसी की आड में पंजाब राजस्थान के हितों पर सदैव चोट पहुंचाता रहा है। इसके माध्यम से हमें इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि रोपड हरि के बैराज और फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण जो बी. बी. एम. बी. के पास नहीं है, वह उसे दिया जाना चाहिए तभी राजस्थान के हितों का संरक्षण हो सकता है, राजस्थान का किसान तभी बच सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

विभिन्न समझौते, चाहे वह 1955 का रहा हो, चाहे 1981 का रहा हो चाहे 1985 या प्राधिकार 1987 किसी के अन्तर्गत निर्धारित पानी की मात्रा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, न ही इस पर कोई पुनर्विचार किया जा सकता है। वैसे भी इंडस बेसिन के कैचमेंट एरिया की बात करें तो इंडस बेसिन के कैचमेंट एरिया का अधिंकाश भाग जम्मू-कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। पंजाब में इसका केवल 16 प्रतिशत भाग ही आता है इसलिए पंजाब का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वह यह कहे कि मैं दूसरे राज्यों को पानी नहीं दूंगा।

तो मैं माननीय सभापति महोदय, इस सदन के पटल पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो सारगर्भित प्रयास किये हैं, उन प्रयासों के माध्यम से आज पूरा सदन एकमत से संकल्प पारित करने जा रहा है, इस प्रयास के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सदन में हमारे जो दूसरे साथी हैं, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे जो हमारे दल हैं, उन सभी का इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया और मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जालमसिंह रावलोत।

श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री तथा सदन की नेता माननीया वसुन्धराजी का कि पंजाब विधान सभा के द्वारा उत्पन्न भंयकर व गम्भीर संकट के बाद उन्होंने बहुत प्राथमिकता देकर, प्रधान मंत्रीजी को सारी बात से अवगत कराकर अपने प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलायी जिसमें आज हम संकल्प पारित करने जा रहे हैं। उसके बारे में सभी दलों की सहमति प्राप्त की, इस हेतु राजस्थान की जनता की तरफ से हार्दिक आभार।

सभापति महोदय, पंजाब विधान सभा द्वारा यह संकल्प पारित होने के बाद में कि बाकी राज्यों को किसी प्रकार का कोई पानी नही दिया जाएगा, हमारे राजस्थान के पश्चिमी भू-भाग के इन्दिरा गांधी नहर के हजारों किसानों को ही नहीं, बल्कि एक करोड़ के आसपास रहने वाले सीमावर्ती राष्ट्रभक्तों की

(श्री जालम सिंह रावलोत)

नींद हराम हुई है। पंजाब विधान सभा का यह निर्णय, यह संकल्प अत्यन्त निन्दनीय है तथा यह संघीय ढांचे के एकदम विपरीत है। भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं, पंजाब विधान सभा के इस प्रस्ताव के कारण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान की सीमाएं देश की सुरक्षा की दृष्टि से और संकट के समय में युद्ध में जीतने की दृष्टि से हमेशा नम्बर एक रही हैं। 1965 का युद्ध हो चाहे 1971 का युद्ध हो, हमने जो शानदार जीत हासिल की है, वह इसी पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र से हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सीमा क्षेत्र में रहने वाली जनता पूरी तरह राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हमेशा सजग रही है। 1965 और 71 की लडाई के समय बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर की जनता ने, वहां के प्रमुख लोगों ने हमारी सेना का कुशल मार्गदर्शन किया तब हमारी सेनाएं, हमारी फौजें अमरकोट और उससे भी आगे तक पहुंच गयी थी जिससे हमारे को ऐतिहासिक जीत मिली थी। आज से दो साल पहले जब युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, करीब एक साल तक हमारी फौजे वहां डटी हुई थीं, उन फौजों को पानी की आपूर्ति इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से ही सफलतापूर्वक सम्पन्न हो पाई थी, अन्यथा केन्द्र सरकार को बहुत सारा श्रम करना पडता, करोड़ों रुपये इस रूप में खर्च करने पड़ते। सभापति महोदय, पानी एक प्राकृतिक सम्पदा है, पानी किसी की बपौती नहीं है। यदि पंजाब में बाढ़ आ जाए, पंजाब की नदियों में बाढ़ आ जाए तो वह पानी कहां जाएगा? वह पानी यदि राजस्थान लेने से मना करे तो पाकिस्तान जाने से पहले वह आधे पंजाब राज्य को तबाह कर सकता है। पड़ौसी का व्यवहार सुख और दु:ख में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन बड़े दु:ख की बात है जैसा कि सभी वक्ताओं ने सात घंटे की बहस में विशेष रूप से रखा, कि पंजाब का व्यवहार, पंजाब की विधान सभा द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव बहुत ही निन्दनीय है और दु:खदायी है। जहां एक तरफ नदियों को जोड़ने की नित बात हो रही है वहीं इस तरह का संकल्प प्रस्ताव पारित करना घोर निन्दनीय है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटलजी का देश की नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव है, जो उन्होंने सपना सोचा है, उस दिशा में अभी कुछ और वर्ष लग जाएंगे। इस हेतु हमें और गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

(श्री जालम सिंह रावलोत)

सभी वक्ताओं ने पूरा विषय सदन के समक्ष रखा, कुछ महत्वपूर्ण बातें सभी के द्वारा एक जैसी आई, कि रावी-ब्यास नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम. ए. एफ. था वह राजस्थान का हिस्सा 8 एम. ए. एफ. से ज्यादा कभी नहीं मिला। उसका एक कारण उस समय यह बताया गया था, 1981 में यह निर्णय हुआ था कि जब तक राजस्थान अपनी क्षमता विकसित नहीं कर लेता है तब तक उसका उपयोग पंजाब करेगा। लेकिन आज से दस साल पहले जब राजस्थान ने यह क्षमता विकसित कर ली है, हमारी सरकार के प्रयत्न के बावजूद भी अब तक पानी मिलना बहुत ही चिंता का विषय है। अब हम किसी भी हालत में वह 6 एम.ए.एफ. हिस्सा छोड नहीं सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजस्थान का हिस्सा 52.69 प्रतिशत जो तय हुआ है वह आज केवल 49 प्रतिशत मिल रहा है, यह भी घोर चिंता का विषय है और इससे बहुत नुकसान हुआ है, आगे और नुकसान सहने की राजस्थान की करोड़ों जनता की बिलकुल इच्छा नहीं है, इसके लिए वह किसी भी हद तक संघर्ष को तैयार है। जैसा सदन की नेता और विपक्ष के नेता आहवान करेंगे, पूरा राजस्थान इस मामले में एक है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात हैडवर्क्स के नियंत्रण का विषय है। पंजाब का जो अधिनियम बना था 1966 का उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था, उसमें उल्लेख किया गया था कि हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के हाथों सौंपा जाना चाहिए। 1966 को आज तक अड़तीस साल हो गये हैं, यह नहीं सौंपना ही सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। आज हैडवर्क्स की चाबियां पंजाब के पास हैं इसलिए वह अपनी पूरी मनमर्जी करता रहा है और राजस्थान सहित अन्य राज्यों को परेशान करता रहा है। मैं सदन के नेता की तरफ से इस महान् सदन में रखे गये संकल्प प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हम राजस्थान की करोड़ों जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे। जो पिछले कई वर्षों से हमको पानी नहीं मिला है उस पानी को लेने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह सराहनीय प्रयास किया है, जो एक ऐतिहासिक प्रयास किया है और, उनके साथ में विपक्ष के नेता तथा सभी दलों के नेता के सहयोग से जो संकल्प हम लिये हुए हैं, मैं दावे के साथ विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब राजस्थान का कोई भी बुरा

(श्री जालम सिंह रावलोत)

नहीं कर सकता। राज्य का हिस्सा जिन्होंने लिया है, उनके दिन लद गये हैं। अब हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से राज्य का 52.69 प्रतिशत हिस्सा यानी 8.6 हिस्सा लेकर रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, चाहे माननीय प्रधान मंत्रीजी को, महामहिम राष्ट्रपतिजी को या अन्य किसी भी स्तर पर हमको लड़ाई लड़नी पडे हम सभी को मिलकर प्रयत्न करने चाहिए, निश्चित रूप से राज्य का जो हिस्सा मिलना चाहिए, राजस्थान को जो फायदा मिलना चाहिए, महत्वपूर्ण मामला है, इस मामले में हम एक हैं। धन्यवाद, जय हिन्द। मुझे जो समय दिया उसके लिए आपका आभार।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : सभापति महोदय, आज सदन में जो संकल्प मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया उस पर माननीय मंत्रियों ने, सदन के सदस्यों ने अपने विचार रखे। शुरू से लेकर अब तक जो चर्चा में भाग लिया गया, सब ने कहा कि पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब द्वारा जो हाल ही में विधान सभा में संकल्प पारित किया गया और उस संकल्प में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लेकर राजस्थान की जनता में यह चिंता व्याप्त हो गई कि कहीं उस संकल्प से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं हो जाए। इसमें सावधानी बरतते हुए मुख्य मंत्रीजी ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उस पर सदन के बाहर विचार-विमर्श किया और फिर इस सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जिस पर बहुत ही बहुमूल्य सुझाव भी आये और इन सुझावों के साथ-साथ कुछ राजनीतिक लाभ लेने की भी चेष्टा की गई। यह मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी काम हो उसमें वह श्रेय लेने की कोशिश अवश्य करेगा, इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं जब यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होना है तो इसमें राजनीति से हटकर यदि चर्चा होती तो अच्छा रहता। लेकिन जिसको जो करना है, जिसको जिस ढंग से अपनी बात कहनी है, विचार रखने हैं वह उसी ढंग से अपनी बात रखेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं सारी जो बातें पूर्व में चर्चा के दौरान हुई उन बातों को फिर दोहराऊं, आंकड़ों को फिर से यहां प्रस्तुत करूं, सदन का समय लूं, उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी सदस्य बोले हैं उनमें अधिकांश ने उन्हीं बातों को फिर से दोहराया है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा हिस्सा है वह हमें मिलता रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की आने वाले भविष्य में रुकावट नहीं हो और खास करके 0.6 एम.ए.एफ. पानी की बात है जिसका अब तक उपयोग पंजाब करता आ रहा है, वह अब हमें मिल जाए क्योंकि हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, हम उसका उपयोग करने की स्थिति में है, काफी समय से हैं। उसके उपयोग के लिए निरन्तर प्रयास भी होते रहे हैं, पत्र व्यवहार भी होते रहे हैं, परंतु फिर भी अभी तक उस पानी के उपयोग के लिए हमें कामयाबी नही मिली है।

दूसरा मुद्दा हैडवर्क्स का है, उसके नियंत्रण का है, वो भी बी. बी. एम. बी. को मिल जाए। इस प्रकार का समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कानून भी बना हुआ है, एक्ट भी बना, सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी उस पर हो कुछ नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात यहां पर हुई। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा उसके बाद में भी पानी तो वहां हैडवर्क्स से छोड़ेंगे तब जाकर राजस्थान में आएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद तो वहां जाकर हैडवर्क्स का काम सम्भालेगी नहीं कि पानी अपने को मिल जाए। यह बात तो ठीक है कि अपना कानून साफ है, उसमें कही कोई रुकावट है ही नहीं कि हैडवर्क्स का नियंत्रण बी. बी. एम. बी. के पास होना चाहिए जिसमें हमारे राजस्थान की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो और 0.6 एम. ए. एफ. पानी जो वो उपयोग में ले रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए।

आपने यहां पर 1981 के एग्रीमेंट के ऊपर बहुत ही राजनीतिक तरीके से बात कही। आज 1981 का समझौता यदि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करता है तो इस संकल्प में उसका आप उल्लेख क्यों करते है। आप उसी आधार पर आज यह संकल्प लाये हैं। 1955 हो चाहे 1960 की ट्रीटी हो, आप एक तरफ तो उसको अपना आधार मान रहे हैं जिसके आधार पर आप अपना पानी क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से आपका यह विरोध करना लाजिमी है इसलिए आप कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु वो पानी हमें मिले। उनको उपयोग में लेने के लिए क्यों दिया, जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो हम उस पानी का उस समय करते क्या? पानी लेने की जब क्षमता ही नहीं थी तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

उनको उपयोग में लेने के लिए दिया। पंजाब भी हिन्दुस्तान का हिस्सा है, कोई अलग से पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह दूसरा देश नहीं है। आज यूनियन आफ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो हमारे संघीय ढांचे के अन्तर्गत हैं। हिन्दुस्तान का संविधान बना हुआ है, अब उसको भी न मानें। पहले आपको याद होगा, पंजाब के अन्दर संविधान को नहीं मानने तक की आवाज उठी थी, पंजाब को अलग देश बनाने की बात भी उठी थी, किस प्रकार से कैसे उसको काबू में किया, इन्दिराजी ने अपनी शहादत दी, आज हम सब उस बात को भूल गये हैं। स्वर्ण मंदिर में अगर ब्ल्यू आपरेशन नहीं होता तो क्या स्थिति होती उस समय देश की, यह आप सब जानते हैं। परन्तु उसको...

श्री महावीर प्रसाद : पैदा किसने किया उसको?

श्री हेमाराम चौधरी : आप तो यही कहेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप उधर जाएंगे तो यही होगा भिण्डर वाला आएगा, फिर भिण्डर वाले को पैदा किसने किया, यह आएगा। ये बातें क्यों ला रहे हो बीच में बिना मतलब?

श्री हेमाराम चौधरी : आप कह देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह ठीक नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, आपको इसमें क्या तकलीफ हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो करो भिण्डरावाला, और करो।

श्री हेमाराम चौधरी : वो एकदम, राजनीतिक बात आप करते हैं मैंने नहीं की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करेंगे हम तो।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने यह कहा कि इन्दिराजी अगर नहीं होती, समय पर कदम नहीं उठाती तो यह पंजाब हमारे हाथ से निकल जाता। आज तो खैर आप यह बात नहीं मानते हैं लेकिन यह समय की शहादत है।

श्री कालूलाल गुर्जर : इसका पानी से क्या सम्बन्ध है?

श्री हेमाराम चौधरी : पानी से क्या सम्बन्ध नहीं है, कैसे नही है? अकाली दल ने वही तो मांग उठायी थी।

श्री रामसिंह विश्नोई : वो पानी लेकर चले जाते।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए, सभापति महोदय, पंजाब इस प्रकार आसानी से मानने वाला नहीं है, उसको किस प्रकार से कैसे मनाया जा सकता है, यह केन्द्र सरकार ही उसको मनवा सकती है, केन्द्र सरकार के सामने...

श्री कालूलाल गुर्जर : इसीलिए तो आपको कह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए कह रहे हैं तो आप... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार हमारी है इसलिए सहयोग ले रहे हो क्या? वैसे ही लेना था सहयोग तो।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे दे, डिक्री भी पारित कर दे, लेकिन डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करेगा? आज कोर्ट का जजमेंट हो जाता है इस कोर्ट के जजमेंट की डिक्री होती है उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करता है? होता ही नहीं है वर्षों तक।

श्री कालूलाल गुर्जर : कोर्ट की डिक्री की पालना सम्बन्धित पक्षकार करते हैं, नहीं तो कोर्ट करवाती है। कोर्ट वहां पर सेना भेजकर भी पालना का अधिकार रखती है, इसलिए आप उसकी चिन्ता मत करें। कोर्ट का आदेश होने के बाद तो सब कुछ हो जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी : कोर्ट करवाती है अपनी पीढ़ी गुजर जाती है, उम्र पूरी गुजर जाती है तब तक कोर्ट से उसकी पालना नहीं होती है, वसूली नहीं होती है, डिक्री को लिए हुए लोग घूमते हैं। आप छोड़ो इस बात को मैं भी जानता हूं। कोर्ट क्या आदेश देगी? जब यह एग्रीमेंट है, कोई भी कांट्रेक्ट है उससे वो बाध्य है। उसको वो मान नहीं रहा है, बात तो इतनी-सी है। आप मनाएं उसको मनाने की आपके पास ताकत होनी चाहिए। आपके पास ताकत नहीं है तो वो नहीं मान रहा है।

श्री हीरालाल रैगर : यह तो न्यायालय की तौहीन कर रहे हैं आप।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए आज सरकार को ताकत देने के लिए, सरकार को यह ताकत देने के लिए कि राजस्थान की पूरी जनता सरकार इस मामले में जो भी कदम उठायेगी उसके साथ है। इस प्रकार का यह संकल्प आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि यह जो इन्दिरा गांधी नहर है, इसका जो काम हुआ है, इसमें जो अलांटमेंट हुए हैं मुरब्बे किसानों को, जिन लोगों ने मुरब्बे लिये हैं उनसे तो कभी पूछो कि

(18.47)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आपका क्या हाल है, पानी आ रहा है क्या, अब कितने खुश हो। जिस कीमत में मुरब्बा लिया है, आज से 10 साल पहले जिसने लिया, पांच साल पहले जिसने लिया, आज वही कीमत दे दो, आपको मिल जाएगा मुरब्बा। हम दे देते हैं बिना ब्याज के, ब्याज-व्याज कुछ नहीं लेंगे। यह हालत हो रही है तो इस पर भी तो सरकार को विचार करने की जरूरत है। यदि आप यह विचार नहीं करोगे तो किसी समय पर आपके वहां पर मुरब्बे आक्शन होते थे, मेला लगता था, भीड़ लगती थी, शुरू-शुरू में लोगों ने सोचा कि इन्दिरा गांधी नहर में जमीन मिल गयी, वहां से पानी आता है और हम निहाल हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने मुरब्बे लिये, एक दो साल के बाद अब उधर जाने का कोई नाम नहीं लेता और जिसने मुरब्बा ले लिया वो भी उधर जाने का नाम नहीं लेता न किश्त जमा कराने की बात करता है न कुछ और बात करता है। वहां किश्तें जमा नहीं करा रहे हैं लोग, ले लो कब्जा, कौन आपको मना करता है। कहने का मतलब यह है कि स्थिति बहुत...

श्री रामसिंह विश्नोई : यानी अब किसी को दंड देना पड़ता है तो मुरब्बा अलॉट कर देते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : यह रामसिंहजी ने ठीक कहा, इसलिए सभी माननीय सदस्य एक-एक मुरब्बा ले लो आप, जो रिजर्व प्राइस है न गवर्नमेंट की, उस पर एक-एक आप मुरब्बा ले लो ताकि आपको पता लग जाए कि वहां किसानों ने मुरब्बे लिये उनकी हालत क्या है। कभी तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने लिया है, मैं भुगतभोगी हूं। यह रामसिंहजी बोल रहे थे न, इन्होंने भी लिया है, इनको पता है और वो सांगसिंहजी बैठे हैं, और वो तगारामजी बैठे हैं, उनको पूछ लो।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैंने आपके दर्द की अभिव्यक्ति यहां पर पहले इसलिए की है कि वास्तव में किसान दु:खी हैं। पानी अगर पूरा मिलेगा तो दु:ख दर्द दूर होंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : तो वास्तव में किसान जब दु:खी है तो उनका...

श्री रामसिंह विश्नोई : राजवी साहब, आपके 50-60 मुरब्बे एक साथ हैं इसलिए तकलीफ नहीं है, पानी आ जाता है। हमारे 1-2 मुरब्बा ही है।

श्री नरपत सिंह राजवी : म्हे तो पूरी रियासत रा ही हां, बी री कांई बात करो, 50-60 तो बहुत छोटी-सी बात है।

श्री रामसिंह विश्नोई : म्हे पूरे हिन्दूस्तान रा मालिक हां, म्हे किसान हां।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूं कि वहां पर किसानों को पानी फसल के लिए तो क्या इस साल तो पीने का पानी भी नहीं मिला। अब वहां पर नजदीक और कोई दूसरी व्यवस्था के नहीं सिवाय नहर के पीने का पानी भी नहीं आएं तो लोग कहां जाएं? थोड़े बहुत किसी के कोई मवेशी थे, इस साल आप अभी जाकर देखें, वहां, इस तरह से यदि लोग थे और वो मुरब्बे छोड़ कर चले गये तो आबाद इलाका भी है तो वो वापस गैर आबाद इलाका हो जाएगा। यह सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान की सीमा लगती है राजस्थान में एक हजार किलोमीटर वहां पर आबादी होगी तो देश की सुरक्षा होगी, आबादी नहीं होगी तो पूरा इलाका वीरान हो जाएगा खाली हो जाएगा। अगर वहां पीने का पानी मिला तो वह खाली होगा इलाका। और इलाके का होगा क्या? खाली नहीं पडा था, और आज वहां आपने मुरब्बे अलाट किये बाकी मुरब्बे तो अब कोई लेने वाला नहीं है। जिन लोगों को दे दिया उनको तो आप कम से कम ठीक करो। आप आगे से आगे काम बढ़ाये जा रहे हैं। जिनको अलाट हो गया है मुरब्बा उनको तो पानी मिले, इसकी तो कोई व्यवस्था करें, उसकी सुनिश्चित व्यवस्था करें। खास करके इस नहर से जो पानी अपने को मिल रहा हैं सिंचाई के लिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पीने के पानी पर आप ज्यादा जोर दें। आज पीने के पानी के लिये पश्चिमी राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज बाड़मेर में जो पीने का पानी है वह आप जाकर पीओ, आपको पता लगेगा कि कैसा पानी है, पीने योग्य है कि नहीं लेकिन फिर भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

पीते हैं, क्या करें, आखिर कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जिनकी स्थिति ठीक है वे सब आज मिनरल वाटर पी रहे हैं या कहीं से मीठे पानी का टैंकर मंगाकर पी रहे हैं, बाकी लोग मजबूरी से वैसा पानी पी रहे हैं जो जानवर भी नहीं पीता है। इसी तरह की स्थिति बालोतरा की है, आपके गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, पूछो इनसे आपके बालोतरा के क्या हाल है। कास्टिक सोडा पानी में आ रहा है, वह पी रहे है, किस प्रकार का उनका स्वास्थ्य होगा। आप पंजाब का पानी लेने की बात कर रहे हो तो उस पानी का सही उपयोग भी हो, इसके बारे में भी जरा चिंतन करो, जरा सोचो। आपको अगर बुरा लगता है तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं, अपने को जो पानी मिल रहा है इसके बारे में अपने को सोचना चाहिये, सबसे पहली प्राथमिकता पीने के पानी के लिये देनी चाहिये। आज पीने के पानी के लिये जो ड्रिकिंग स्कीम स्वीकृत हो चुकी है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह संकल्प पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें। क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय संकल्प पारित होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय संकल्प पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : संकल्प पर ही बोला जाये।

श्री अध्यक्ष : देखिए, रेलेवेंट बोलना बहुत मुश्किल होता है। जो जैसा बोल रहा है वैसा सभी सुन रहे हैं।

शासकीय संकल्प

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से उत्पन्न आशंकाओं के मध्येनजर रावी व्यास नदियों से राजस्थान को मिल रहे हिस्से की सुरक्षा

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह निवेदन कर रहा था कि पीने के पानी की योजनाओं के लिये आप बजट में प्रावधान करें, धनराशि की व्यवस्था करेंगे तभी जाकर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। आप बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, इसके लिये बजट अलाट नहीं करें तो पीने के पानी की योजनाएं हैं वे जहां है वहीं रह जाएगी। आज जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर का पीने का पानी पहुंच गया तब तो जोधपुर आज सही सलामत है, नहीं तो जोधपुर खाली हो जाता, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन जोधपुर वालों को मिल गया तो हमारे बाड़मेर वालों ने क्या पाप किया, जैसलमेर वालों ने क्या पाप किया? पाप यह है कि हम सीमा पर बैठे हैं पाकिस्तान की, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारा योगदान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप अब कनक्लूड करें।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, कर रहा हूं साहब। सीमावर्ती जिला होने के नाते पाकिस्तान की सीमा पर हम सुरक्षा का काम भी करते हैं, वहां रहेंगे तो हमको कम से कम पीने का पानी शीघ्र उपलब्ध करवा दें। बाकी काश्तकार जिनको आपने मुरब्बे अलाट कर दिये, उनको आप मुरब्बों में पानी देंगे तो दूसरे जो मुरब्बे आपके बचे हुए हैं वे भी कोई लेने आएगा, नहीं तो वह भी छोडकर चले जाएंगे। यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं इस संकल्प का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद हरियाणा विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। पंजाब विधान सभा के प्रस्ताव की जो भाषा है और उसके बाद पंजाब के मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, उसकी भावनाओं को अगर देखा जाए तो लगता है, उनकी नीयत बहुत खोटी है। जिस प्रकार से विधान सभा में सर्वदलीय भाषण हुए हैं, उन भाषणों का

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

इंटरप्रिटेशन पंजाब की जनता में गया है, इस पानी के विषय में वहां पर एक मिलीटेंसी की भावना पैदा हो गई। निश्चित रूप से यह भाषा ठीक नहीं है, यह उपयोग में भी ठीक नहीं है। मैं पंजाब का जो रिजोल्यूशन है वह पढना चाहूंगा...

'The Punjab is a predominantly an irrigated state and 2/3 of its population is dependent on agriculture for their livelihood. The state is not only sword arm of India, its hard-working farmers have also played a sterling role in providing food security to the country. Even today the state continues to be the single largest contribute to the grain pool. This could not be possible without adequate and assured availability of water for irrigation. Unfortunately, so far allocation of Rabi-Beas waters have been affected by adhoc decisions and agreements dictated by prevalent circumstances… (Redundant ... by internationally recognised principles or riparian basis states. Besides, in the face of depleting water inflows and increasing requirement of water for irrigation, any interbasin transfer from Punjab is bound to be at the cost of existing users, specially the farmers. Nearly 9 lakes of acres of Punjab land will go dry in such a situation, affecting 15 lakh agricultural families and farm labours. To provide water to one set of farmers by depriving other of its exciting users is neither going to help nor serve any national cause. It will, however, surely add to the woes of the Punjab farmers.

Therefore, in pursuance of cl. (1) of Art. 252 of… (interruptions)…

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आप से थोड़ा-सा निवेदन यह है कि इससे सम्बन्धित जो बात, जो सुझाव इस संकल्प में जुड़ा सकते हैं, जो ज्यादा समझ सकते हैं, जयपुर वाले और हम अगर संकल्प में कोई समाधान कर सकते हैं या सुझाव जुड़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर समय बेकार में जाया जा रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : "...Art. 252 of the constitution of India. This Assembly hereby resolves to take all possible administrative and legal measures to safeguard the state interests keeping in view the internationally accepted principle of riparian rights and protect it from

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

the damage likely to be caused as a result of recent order of the Supreme Court of India."

ये 5-6 बातें पंजाब असेम्बली के रिजोल्यूशन में कही गई हैं। इन सब बातों पर डिस्कशन हो गया, इन सब बातों पर विचार-विमर्श भी हो गया, लेकिन राजस्थान को पानी मिल जाता तो क्या वह एग्रीकल्चर बेस्ट स्टेट नहीं होता? हमारे यहां का फार्मर गरीब है, एक टाइम जब बरसात आ जाती है तभी वह खेती करता है, पंजाब के किसान अमीर है, 4-4 बार खेती कर लेते हैं, क्या उनका केस इसलिए बन जाता है कि उन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा, पंजाब का जो रिजोल्यूशन है उसमें यह भी कहा गया है कि लिवलीहुड तो है ही, लेकिन स्वोर्ड आर्म आफ इण्डिया है। यानी पंजाब के लोग ही केवल राष्ट्र की रक्षा में बलिदान करते हैं। राजस्थान के लोगों का बलिदान कम नहीं है। एक बात और उन्होंने कहीं है "...adequate assured availability of water for irrigation..." यानी इर्रिगेशन के लिये केवल पंजाब के किसानों को ही पानी चाहिये, राजस्थान के किसानों को नहीं चाहिये। चौथी बात और कही है कि आज तक जो डिसीजन हुए हैं वे एडहाक बेसिस पर हुए हैं, एग्रीमेंट पर हुए हैं "...dictated by prevalent circumstances..."

मैं कहना चाहूंगा, 1961 का समझौता, 1981 का समझौता, 1983 की बात सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये क्या एडहाक हैं। यह क्या रूल आफ ला नहीं हैं? पंजाब के लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात करना बहुत गलत बात है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राइपेरियन बेसिस स्टेट, कौनसा है यह तय कर लिया गया। उन्होंने ऐसा मान लिया कि राइपेरियन ला है। राइपेरियन ला के बारे में बहुत बात हो चुकी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह पंजाब की नदी है क्या? केवल एक ही स्टेट की नदी है? यह नदी अन्तरराज्यीय नदी है और उसके बारे में डिसीजन भी हो चुका है। यह इंटर स्टेट रिवर डिसप्यूट है और इंटर स्टेट डिसप्यूट के बारे में अजीत प्रसाद जैन ने एक बात कहीं है जो कि इर्रिगेशन कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने 10 लाइनें कहीं है और उसमें यह कहा है...

"An inter state river is one which flows through more than one state or it forms boundary between two or more states. In a question

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

relating to share or utilisation of water in inter state river the concept of river valley or river basin which impacts the main river and all its tributaries and include its catchments of the main river and its tributaries has to be borne in mind."

(19.00 बजे)

The major rivers of this country are almost inter state rivers.

सारे देश की नदियां इण्टर स्टेट रिवर हैं।

In the North West Indus Basin which includes the part of India and Pakistan,

और ये भारत और पाकिस्तान की नदियां हैं।

In India, it includes Kashmir, Punjab, parts of Himachal Prades, Haryana and Rajasthan.

मैं कहना चाहूंगा कि यह पहली बार बात नहीं है, 110 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया है, भारत सरकार ने दिया है। आखिर वह पंजाब की नदी कैसे हो गयी? आखिर राजस्थान की नदी क्यों नहीं हैं। जैसलमेर के बारे में यह कहा है कि सिन्ध का व्यापार जैसलमेर के माध्यम से हुआ करता था। सिन्धु सभ्यता के लोग जैसलमेर में आकर के अपना माल बेचते थे तो सिन्धु सभ्यता की नदियां है, ये केवल पंजाब की नदियां नहीं है। जैसलमेर में मियाझर है उसमें 4 रास्ते जा रहे हैं, एक दिल्ली की ओर जा रहा है, एक कराची की ओर जा रहा है, एक गुजरात की ओर जा रहा है। फासिल्स को देख लीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : आपने देखे हुए हैं क्या रास्ते ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : अब सवाल यह नहीं है, हर चीज देखकर ही नहीं देख सकते हैं, कुछ स्टडी करके भी देखा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने कहा है सब स्टडी के आधार पर कहा है, पढ़ा है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं कह रहा हूं इतनी देर तक आप यह बात पानी के बजाय घी पर बोले होते, कितना बढ़िया होता। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जितनी भी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

फासिल्स जैसलमेर से निकाली गयी हैं उनका यदि अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा कि वह सिन्धु सभ्यता का अंग है, एक हिस्सा है। मै कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री और अन्य चीजों की स्टडी के बाद यह पंजाब का जो रिजोल्यूशन है, पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से एक केस बनाया है वह पूर्ण रूप से मानव हितों के प्रतिकूल, राज्य हितों के प्रतिकूल, देश हित के प्रतिकूल और नैतिक और कानूनी दृष्टि से बिलकुल ही गलत है। आज हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशन में उनके नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ हरियाणा ने भी एक प्रस्ताव पास किया है। उस हरियाणा के प्रस्ताव की भाषा यदि देखें तो हरियाणा ने कहा है-जून, 2004 में "The Union of India is to mobilize the central agency to take control of canal works from Punjab within one month from to-day."

मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि पंजाब गवर्नमेंट से सेंट्रल एजेंसी एक महीने के अन्दर-अन्दर एस.वाय.एल. का पूरा चार्ज ले लें।

'The empowered committee should set up a committee and facilitate early implementation of the decree within four weeks from to-day. Representatives of the States of Haryana & Punjab should include in such a committee. The Centre & Punjab Governments should provide adequate security for the staff of the central agency."

मैं इतनी बात कहना चाहूंगा, माननीय राजेन्द्रसिंहजी, हमारा हैडवर्क्स पर नियंत्रण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक कांग्रेस सरकार या कोई भी अन्य सरकार कोर्ट में नहीं गयी। अगर आज तक हम लीगल अपर्चुनिटी ले लेते हैडवर्क्स पर नियंत्रण की हम अपने लीगल एक्सपर्टस के सुप्रीम कोर्ट में जाते तो निश्चित रूप से आज हैडवर्क्स पर हमारा नियंत्रण हो जाता।

श्री अध्यक्ष : आप कनक्लूड करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं आज माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

भी इस केस को सुलझाने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से हरियाणा ने अपना हम प्राप्त किया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हरियाणा जब हक प्राप्त कर सकता है तो निश्चित रूप से राजस्थान भी अपना हक प्राप्त कर सकता है। यही बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संक्षेप में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बातें काफी आ चुकी हैं, संक्षेप में कहियेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी रिपीट नहीं कर रहा हूं।

मैं सदन के नेता और कांग्रेस के प्रतिपक्ष के विधायकों, माथुर साहब का सबका आभार प्रकट करता हूं कि यह पहला मौका है जब राजस्थान में हम सब इस नयी विधान सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पास कर रहे हैं जो राजस्थान की आम जनता के हितों की रक्षा के लिये हैं। लेकिन मैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक आया नहीं है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह प्रश्न यह है कि कौनसा समय था, कौनसा कारण था जिसके कारण से पंजाब के मुख्यमंत्री को और पंजाब की विधान सभा को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ा था। क्या कारण था इसके पीछे? इस समय कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, इस समय ऐसा कोई कारण नहीं था कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाए। कई कारण हो सकते हैं। एक आर्टिकल आया पंजाब केसरी में, उसमें एक-एक करके कई कारण लिखे थे। उनमें से एक कारण यह भी था कि पंजाब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी, उनके नेतृत्व परिवर्तन की बात चली, अपने नेतृत्व को बचाने के लिये पंजाब के अन्दर उन्माद पैदा करने के लिये पंजाब की विधान सभा में अमरिन्दर सिंहजी ने यह प्रस्ताव पारित किया। क्या इसके पीछे यह सार था? यह सार अगर इसके पीछे नहीं था तो क्या यह सार है कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों को वे फैक्ट करें। यह बात नहीं थी तो क्या वे यह मैसेज देना चाहते थे, उन्होंने कहा है, कि दिल्ली तो केन्द्र की राजधानी है, उस राजधानी का पानी तो हम नहीं रोकेंगे और बाकी लोगों का पानी पर हक नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है? तो क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हार गयी और दूसरी पार्टी की सरकार बन गयी, यह मैसेज देना चाहते थे? क्या कारण था उनके भाषण का? यहां पर प्रश्न उठाया गया कि हमारा यह रिजोल्यूशन पास करने का क्या कारण है, हम रिजोल्यूशन पास करके क्या करेंगे। हम डर कर रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार न पंजाब की सरकार, न दिल्ली की सरकार, कोई भी सरकार राजस्थान के हक को नहीं छीन सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकती है और जब तक राजस्थान में यह विधान सभा है और यह सरकार है तब तक किसी भी प्रकार से एक बूंद पानी की राजस्थान की नहीं लेने देंगे। किस प्रकार की बात करके ले लेंगे? कौनसा कारण है, जिस कारण से ले लेंगे?

यहां पर कोई थ्योरियों की आज बात हुई है। मैं उन थ्योरीज में नहीं जाना चाहता। माथुर साहब ने विश्लेषण किया, सबने विश्लेषण किया। राइपेरियन थ्योरी हो, चाहे बेसिन थ्योरी हो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं एक और बात, नयी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में नदियों के बारे में तो आज उल्टी बात चल रही है। यह समय नहीं था प्रस्ताव का। आज तो यह चल रहा है सुरेश प्रभु के नेतृत्व में, आपको ध्यान होगा, माथुर साहब, वी. के. आर. बी. राव साहब हमारे सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था कि हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। उनका यह प्रस्ताव आया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे और हमारे सिंचाई मंत्री थे। उसके बाद दुबारा इस दिशा में प्रस्ताव आया कि इस देश की नदियों को जोड़ा जाए। आज सूखे की समस्या से त्रस्त हैं, पानी की समस्या से त्रस्त हैं, बिजली की समस्या से हम त्रस्त हैं, इस समय यह आने का कारण क्या था? जब नदियों को जोड़ने की बात चल रही है उस समय वह पानी को रोकने की बात करते हैं, यह असमय इन्होंने बात की है। ये दोनों थ्योरियां यहां लागू नहीं होती हैं। हिन्दुस्तान में तो नदियों के बारे में थ्योरी ही दूसरी है। मैं कहना चाहता हूं, आज जब सुबह-सुबह पानी की बाल्टी लेकर गांव का एक सामान्य-सा आदमी जब नहाने के लिये बैठता है वह कहता है:-

"गंगे जमने चैव गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी जले-जले स्मिन तथा कुरु" हिन्दुस्तान का एक सामान्य आदमी नहाते समय यह कहता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है कि यह गंगा का पानी, जमुना का पानी, सरस्वती का पानी, कावेरी का पानी, कृष्णा का पानी, गोदावरी का पानी मेरी बाल्टी के पानी में आ जाए और नहाते समय मुझे पवित्र कर दे। इस देश का तो हर आदमी यह कल्पना करता है कि वह मर गया तो मरने के बाद उसकी अस्थियां गंगा के जल में प्रवाहित कर दी जाए। इस देश का तो हर आदमी यह कल्पना करता है कि 4 स्थानों में कुम्भ के जो मेले भरते हैं, एक-एक करोड़ लोग आते हैं, अपने सिर पर रख-रख कर, इलाहाबाद के अन्दर इकट्ठे होते हैं, कभी नासिक में जाकर होते हैं और कभी उज्जैन में कभी हरिद्वार में जाकर इकट्ठे होते हैं, उस समय वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सारी जो नदियां हैं उन नदियों की पवित्रता इसलिये रखी गयी कि उन सब पर हमारा हक है।

जब इस देश में हम यह चर्चा करते हैं राइपेरियन बेसिन थ्योरी की, उस समय में यह कहना चाहता हूं, कि इसीलिए नदियों को जोड़ने की बात इस देश में चल रही है, उस समय यह बात करना बेसार की बात है, गैर-राजनैतिक बात है और आज राजस्थान की विधान सभा यह साफ-साफ संदेश देना चाहती है कि इस प्रकार की बात चाहे कोई अमरिन्दर सिंहजी करें या चाहे कभी लोंगोवाले ने की हो, चाहे कभी किसी ने भी की हो, यह बात न तो चलनी है और न ही चलेगी।

जहां तक इस बात का सवाल है कि यह प्रस्ताव आज क्यों लाया गया है, यह प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया है कि राजस्थान की विधान सभा प्रस्ताव पास कर दे या पंजाब की विधान सभा प्रस्ताव पास कर दे और तीसरी पार्टी को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाए। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। किसी भी कीमत पर किसी भी सरकार को हस्तक्षेप करने का, चाहे केन्द्र की सरकार हो, या चाहे कोई भी सरकार हो, पंच बनकर हस्तक्षेप करने के अधिकार के हम पक्ष में ही नहीं हैं। किसलिए कोई पंच बनेगा? कोई विवाद ही नहीं है जिसके लिए पंच बने। विवाद है तो एक बात का है कि हमारा जो पानी रोका गया है वह पानी हमको वापस दे दिया जाए और वह देना पड़ेगा। कई बार कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना या नहीं बना, तो मैं आज कहना चाहता हूं और यह मैसेज चला जाए, अभी सी. पी. जोशी साहब चले गये बोलकर, वे कह रहे थे कि हम हमारा पानी लें, व्यवस्था करें। जोशी साहब ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात कही है, मैं राजस्थान की विधान सभा में खड़ा होकर यह कहना चाहता हूं, सारा देश की जनता सुन लें, पंजाब सुन लें, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो गया है 8.6 एम.ए.एफ. के लिए ही नहीं बल्कि अगर आज 9.00 एम.ए.एफ. पानी भी हमको मिलेगा तो राजस्थान में ठेठ नाचना, गुढा तक हमारी नहर चली गयी है और पानी का उपभोग करने की कैपेसिटी हम रखते हैं, अतः हमको पानी मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक बात की यहां पर चर्चा नहीं हुई, वह बात भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। हम इस बात में कमजोर रहे, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा, माथुर साहब, कांग्रेस और बी.जे.पी. किसी का नहीं, इंटर स्टेट मैटर्स में राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है। यह केवल सतलज, रावी और ब्यास के कारण से ही नहीं हुआ। जिस प्रकार से बेसिन थ्योरी मानी गयी है, गंगा-यमुना के बेसिन पर भी हमारे साथ अन्याय हुआ है। मध्य प्रदेश ने भी हमारे साथ अन्याय किया है, गुजरात ने भी हमारे साथ अन्याय किया है। हम लड़ नहीं सके। हम पानी के लिए लड़े, हम बिजली के लिए भी नहीं लड़ सके। हमारे साथ कई जगह ज्यादती की गयी है। मैं कह रहा हूं गंगा और यमुना के पानी के बारे में, जब सेंट्रल वाटर कमीशन ने यह कह दिया कि इसके फ्लड वाटर में 40 हजार क्यूसेक्स राजस्थान को पानी दिया जा सकता है, आज तक उस पर फैसला नहीं हुआ। न ताजेवाला हैडवर्क्स पर और न ओखला पर हुआ। यह झुंझूनूं, यह सीकर, आप तो देखते हो, मैं तो जब से जनमा हूं, छोटा था बहुत कम उम्र में तब से शीशरामजी ओला का भाषण मैं सुन रहा हूं कि हरियाणा में जवाहर कैनाल और चक्रवर्ती कैनाल आ गयी, वहां तक और वह आने वाली है और वह इतनी चौड़ी नहर है कि बग्गड़ कहां चला जाएगा, अब बग्गड़ को दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। यह भाषण में बहुत दिनों में शीशरामजी से सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हो। वह नहर आयी नहीं क्योंकि वह यमुना के पानी से आने वाली थी। सतलज-यमुना लिंक कैनाल बनने के बाद वह... (व्यवधान)...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप वाला मंदिर हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो वह पानी हमारा था, वह पानी भी हमारा कहां चला गया? वह पानी हमको नहीं मिला। एक बार भैरोंसिंहजी शेखावत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साहब और हम गये थे, माना गया था कि यमुना का पानी आपको दे रहे हैं। बरसात के टाइम पर भरतपुर में थोड़ा-सा पानी आ आया था, हम उसका आचमन करने के लिए भी गये थे और पूजा भी करके आये थे लेकिन उसका पानी न तो अभी तक हमें गुडगांव कैनाल से मिला और न उस कैनाल से मिला और न ताजेवाला और ओखला हैडवर्क्स के कारण से हमको मिला। वह पानी भी हमको नहीं मिला।

श्री जुबेर खान : वे गये थे हेलीकॉप्टर से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, गये थे और सब जाते हैं। मुख्य मंत्री को जाना चाहिए। पानी आएगा तो स्वागत भी करें इनका। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यही हालत हमारी मध्य प्रदेश के साथ है। बहुत बार इस सदन में चर्चा हुई है कि मध्यप्रदेश ने हमारे कैचमैंट एरिया में जो एनीकट्स और बांध बनाये हैं, उससे राणा प्रताप सागर और गांधी सागर में पानी की आवक कम हो गयी है। वह पानी भी हमारा रोक दिया गया और उस पर भी हम कमजोर पड़े हैं। नर्बदा का पानी, उसके बारे में पैसा कुछ जमा हुआ है तो माही का पानी हमको पूरा मिला। कल्पना पूरी हमारी यह थी कि माही का पूरा पानी मिलेगा तो जालौर और बाड़मेर में पानी आएगा। सतलज, रावी और व्यास का पूरा पानी मिलेगा तो इन जिलों में पूरा पानी आएगा। यह जो हमारा गंगा-यमुना के बेसिन में हमको फ्लड वाटर मिलेगा तो सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर इधर हमको पानी का हिस्सा मिलेगा। ये सारे जो हमारे इंटर-स्टेट मैटर्स थे, आज भी वहां के वहां पैंडिंग हैं। आज इस संकल्प पर मैं मुख्य मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा और माननीय विपक्ष के नेता से और आप सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प का अर्थ केवल हम पंजाब के रावी-व्यास तक ही सीमित नहीं करें, राजस्थान के हितों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान को पर्याप्त पानी का हक मिलने के लिए हमको यह काम करना चाहिए।

लेकिन एक अन्याय और हुआ है यहां पर, अध्यक्ष महोदय, इस पानी के साथ-साथ बिजली पर भी हमारा हक है। यहां इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं बिजली के बारे में। आनन्दपुर-साहिब के बारे में चर्चा हुई है, रोपड़ के बारे में चर्चा हुई है, मुकेरिया के बारे में हुई है, थीम के बारे में हुई है, यू. के.

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डी. बी. के बारे में हुई है। ये सारी जो चर्चाएं थीं, कि जब हिमाचल से चलने वाली नदियां जो पंजाब में बहकर पाकिस्तान तक जाती थीं, उनके पानी पर हमारा हक है तो उनकी बिजली पर हमारा हक क्यों नहीं है? यह मुद्दा भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान केवल पानी से त्रस्त नहीं है, राजस्थान बिजली से भी त्रस्त है तो, अध्यक्ष महोदय, आज तो यह सदन का वातावरण और आज सदन में यह जो सारी चर्चा हुई है, मैं एक बात कहना चाहता हूं (व्यवधान) चलो एक बार हो गया, गलत है, मैं मानता हूं (व्यवधान) माथुर साहब, माफ करिये। मैंने उस वक्त भी कहा था, उस समझौते का आज भी सरकार करती है और करेगी, लेकिन हमनें कहा था कि लडाई हरियाणा और पंजाब की थी तो हमको शामिल क्यों कर लिया? क्यों किया गया हमको शामिल? अब हम शामिल नहीं होना चाहते हैं? अब हमारा हक हमको मिलता रहे। जब हमारे हक की चर्चा होती है, पानी के प्रो-रेट बंटवारे की चर्चा होती है, 52 पाइंट परसेंट करके नहीं होती, 48 परसेंट करके होती है। यह हमारे साथ ज्यादती है, आज इस ज्यादती को मिटाने की आवश्यकता है।

जिस पानी से बिजली बनती है, कूलिंग प्लांट के लिए जिस पानी का प्रयोग करते हैं, सारी पैदा होने वाली बिजली पर राजस्थान का हक है और वह बिजली राजस्थान को मिलनी चाहिए। वर्ना भाखड़ा में हमको क्यों मिलती है? वर्ना चम्बल में हमको क्यों मिलती है? आनन्दपुर-साहिब में और रोपड़ में और मुकेरिया में पैदा होने वाली बिजली में हमको हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? जहां तक हमारे बिजली के हिस्से का सवाल है, हमारे पानी के हिस्से का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, एक ही बात कहना चाहूंगा आगे भी, एक बात पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

गुलाटीजी जिन्होंने हमारी 13 साल तक लड़ाई लड़ी थी विश्व बैंक में, उनकी पुस्तक में लिखा है, वह बात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रिवर बेसिन की थ्योरी प्रतिपादित की एन. डी. गुलाटी ने, डवलमेंट आफ इंटर स्टेट रिवर्स पुस्तक में लिखा उन्होंने-

"A river basin is a topographic entity while Political boundaries

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

may change from time to time and the governments which exercise control over a basin may change in number or in nature, the limits of the water shed of a river remain fixed for all the time. In case of scarcity of water in relation to requirement, the water-shed boundaries provide a definite area within which to retain ration of the water otherwise, there would be no end to the chaos that may be made on this scarce resource. The water resources of the river basin are directly related to the area within the water shed. The volume of surface flow into a river is direct result of the rainfall within the limits of the water shed. The quantum of ground water within the basin is in most basin and in any case over all almost part of the basin are to relate to the nature or artificial application of water within the areas bounded by the land."

मेरा कहने का मतलब यह है कि राज्य छोटा हो जाए, राज्यों की बाउंड्री बदल जाए राज्यों की सरकार बदल जाए लेकिन जो बेसिन की थ्योरी है, उस थ्योरी में और पानी पर जिस जनता का हक है, उस हक में परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए आज इस प्रस्ताव के माध्यम से हम साफ-साफ कहना चाहते हैं, पंजाब की विधान सभा में खड़े होकर पंजाब के मुख्य मंत्री यह बोलते हैं कि पंजाब का किसान खून की नदी बहा देगा और पानी को रोक लेगा, किस संविधान के अन्तर्गत वे यह बात करते हैं? उन्होंने सारी संवैधानिक मर्यादाओं का हनन किया है। मैं इसमें नही जाना चाहता कि उनके खिलाफ अपन कोई प्रस्ताव पास करें। हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली है, उन संवैधानिक मर्यादाओं का हनन किया है। यह किस प्रकार का फैडरल सिस्टम है? एक मुख्य मंत्री चुनौती देता है कि खून की नदियां बह जाएंगी। फिर क्यों पानी रिलीज कर दिया? राजनैतिक स्वार्थ के लिए उन्माद पैदा करना चाहते हैं। हम उस उन्माद में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन उन्माद का प्रतिकार करना हम जानते हैं, और यह संदेश आज के दिन हम देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह प्रस्ताव जो माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आयी हैं, इसमें भी कई राजनितिक बातें होती, मेरा भी विपरीत मन था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदाशयता दिखाई। मैनें कहा, मत बुलाइये मीटिंग। आपने कहा क्यों, मैंने कहा हम विधान सभा में हमला करेंगे कांग्रेस पर और कांग्रेस पार्टी हमारा विरोध नहीं कर पायेगी। वह इसलिए नहीं कर पायेगी कि राजस्थान के हित का विरोध नहीं कर सकती।

श्री संयम लोढ़ा : घनश्यामजी, आपकी पार्टी ने संकल्प पास किया है, राजस्थान विधान सभा में पारित किया है प्रस्ताव, उसमें भाजपा शामिल नहीं है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह नहीं कह रहा हूं। सुनो तो सही।

श्री संयम लोढ़ा : कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो फिर आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संयम रखो। मैं यह कह रहा था कि वह विरोध नहीं कर पायेगी। दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है, हमारा समर्थन करेंगे और राजनीतिक लाभ लेने के बाद में हम कह देंगे आओ, अब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने कहा नही। उन्होंने कहा, मैं इन सब बातों के अलावा मीटिंग को बुलाती हूं और राजस्थान इस बात पर एकजुट खडा रहे, इस बात की कोशिश करके मैं सर्वदलीय मीटिंग बुलाती हूं। हो सकता है कि मेरी गलती थी। लेकिन इन्होंने इसको बुलाया और बुलाकर मीटिंग की और मीटिंग करके आज बहुत बढिया ढंग से प्रस्ताव हुआ। माथुर साहब ने जो समर्थन किया, वह प्रसन्नता की बात है। अब अन्त में, मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। कल्ला साहब बोलेंगे, शायद वह भी माथुर साहब की भावना से ही बोलेंगे तो बहुत हितकर होगा। अगर अपने स्वरूप के हिसाब से बोलें तो उसमें... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप किसकी भावना से बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं मुख्य मंत्रीजी की भावना से बोल रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी भावना दूसरी थी, अभी आपने खुद ने ही कह दिया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं समाहित हो गया न अब। मैं अब कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज हम सबने हमारी बातें भुलाकर या यह भी कह दें यह प्रस्ताव पहले भी पारित हुआ था, माननीय माथुर साहब, उस समय गरमा-गरम बहस हुई थी। प्रजातंत्र में बहस करते समय, विचार रखते समय, विचार नहीं करना चाहिये। विचार रखे जाते हैं, बहस होती है लेकिन आखिर में जो प्रस्ताव और भावना आती है वह भावना प्रकट करती है। अन्त में मैं कहूंगा कि गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे गोदावरी हो, रावी, सतलज हो, व्यास हो, हिन्दुस्तान की सब नदियों पर हिन्दुस्तान के सभी आदमियों का अधिकार हैं। आज नदियों का पानी रोकने का टाइम नहीं है, आज नदियों को जोडने का टाइम है और राजस्थान की जनता अपना हक लेकर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आज, घनश्यामजी, एक बात और है। आज विधान सभा चली सी लगने लग गयी। जो कल ट्रेनिंग देने जा रहे हो न, वह ट्रेनिंग आज कायम हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह आज विधान सभा चली, इसी तरह विधान सभा चलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विनोद चौधरी।

श्री विनोद चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, पंजाब विधान सभा ने पड़ोसी राज्यों राजस्थान, हरियाणा को पानी नहीं देने के लिये सर्वसम्मति से जो संकल्प प्रस्ताव पारित किया है, इससे प्रदेश के अन्दर गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। इस समस्या को हल करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी दलों को साथ लेकर जो कोशिश की है, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। आज सदन के अन्दर सौहार्दपूर्ण वातावरण के अन्दर चर्चा हुई है और काफी अच्छे सुझाव आये हैं। यह बिलकुल सही है कि पंजाब से जब तक हैडवर्क्स पर बी. एम. बी. का कब्जा नहीं होगा या कोई न्यूट्रल एजेन्सी का कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमें पूरा पानी नहीं मिल सकता। पंजाब से लगता हुआ हमारा हनुमानगढ़ जिला है और वहां काफी गड़बड़ी करते हैं पानी के बारे में। वहां पानी हैड के पास इकट्ठा कर लेते हैं और जब कोई आदमी जाता है मिलने-जुलने, तो इकट्ठा हुआ पानी होता है वह धीरे-धीरे रिलीज करके 10-12 घण्टे पानी चला देते हैं। इस तरह से वह गड़बड़ करते हैं। हमारे छोटे अधिकारी हैं, एक्स. ई. एन. लेवल के अधिकारी से तो वहां का गेज रीडर बात तक नहीं करता है। इस तरह के हालात हैं। ऊंचे अधिकारी को वहां वाचिंग के लिए छोड़ने वाली बात है जिससे हम जितना भी इंट्रेंट भेजे उसके मुताबिक पानी मिलें। अभी जो पानी रिलीज किया है इसका कारण यह है कि पंजाब के अन्दर पिछले 5-6 दिनों के अन्दर काफी अच्छी बरसात हुई है,

(श्री विनोद चौधरी)

हमारे हनुमानगढ़ जिले की दो-तीन तहसीलों में भी अच्छी बरसात हुई है जैसे हनुमानगढ़ है, संगरिया है, पीलीबंगा है और कुछ इलाका टिब्बी का है, वहां बहुत ज्यादा बरसात हुई है इसलिए जब उनको जरूरत नहीं होती है तो वे पानी को रिलीज कर देतें है और जब हमें जरूरत होती है तो पानी नहीं देते हैं। राजस्थान के अन्दर आज एक-एक बूंद की बड़ी भारी कीमत है। अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि वह बता देंगी कि रूई, नरमे की कितनी बिजाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूई नरमे की बिजाई के वक्त हनुमानगढ़ क्षेत्र के अन्दर बिलकुल ही पानी नहीं था। यह जो जमीनों में बिजाई की है वह टयूबवैलों से की है और मैं चाहता हूं कि जिन किसानों के टयूबवैल लगे हुए हैं उस जमीन का कुछ हिस्सा आज मुक्त किया जाए तो किसान को प्रोत्साहन भी मिलेगा और उसको सहायता भी मिलेगी और इससे काफी समस्या हल हो सकती है।

दूसरा मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर 18 हजार क्यूसेक की नहर है पर आज तक 12-13 हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं लिया। अभी पिछले दिनों सीतावाली हैड जो हनुमानगढ़ के पास पड़ता है, जिससे रावतसर और नरमदेसर माइनर निकलती है, वहां जब पानी कम था तो गेट नीचे कर दिये गये। वहां की जमीन नीचे धंस रही है, हैड नीचे बैठ रहा है। पीछे से जब पानी आ गया तो हैड ऊपर नहीं उठेगा। नहर टूटने पर आ गयी तो पीछे पानी बंद कराना पडा और बडी मुश्किल से गेट ऊपर उठाने पडे क्योंकि जब जमीन धंसती है तो गेट टेढे हो जाते हैं। जैसे अपने घर के दरवाजे हैं, जब मकान बैठता है तो वह पूरा बंद नहीं होता है, इस तरह से इसकी जर्जर हालत हो गयी है। इस पर भी ध्यान देना चाहिये जिससे कि अपन पूरा पानी ले सकें और यह नहर बिलकुल खतम नहीं हो।

इसी तरह से नोहरा भादरा का जो क्षेत्र है, नोहर सिद्धमुख और नोहर फीडर है वहां अभी तक चक नहीं बने हैं। साइफनों से पानी उठाते हैं और नित नये झगड़े होते हैं। पानी की सही व्यवस्था करेंगे तो इस पानी का सदुपयोग हो सकता है।

मुख्य मंत्रीजी जो संकल्प प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं

(श्री विनोद चौधरी)

और राजस्थान के सभी दल एकजुट होकर जैसे अभी तिवाडीजी कह रहे थे, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है प्रजातंत्र के अन्दर कि एक आदमी उस पर कब्जा कर ले। यह प्रोपर्टी राष्ट्रीय प्रोपर्टी है, सबको बांटकर लेने का हक है। धन्यवाद, जय हिन्द।

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब को अब।

श्री अध्यक्ष : कल्ला साहब से पहले और भी हैं कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्ला साहब को बुलाओ।

श्री अध्यक्ष : नही, कल्ला साहब के पहले हैं बहादुर सिंह गोदारा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्षजी, आज हाउस के अन्दर जिस संकल्प पर विचार किया जा रहा है वह बड़ा ही अहम मुददा है और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में इन नहरों का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले तो जब नहरें आई थीं तो इटेंसिटी के आधार पर हमारे क्षेत्र में सीलिंग सीमा कम करके काश्तकारों की जमीन छीन ली गयी। उसके बाद वह इटेंसिटी मेंटेन नहीं रही, निरन्तर इटेंसिटी में कमी आती गयी और आज वहां हालात ये हैं कि इटेंसिटी बिलकुल ही गायब है। पूरे राजस्थान कैनाल एरिये के अन्दर कहीं एक मुरब्बे में भी पानी नहीं लगा है, पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। आज हाउस में एक निवेदन और करना चाहता हूं। अगर अपना संकल्प वापिस भी ले लिया हरियाणा और पंजाब ने और यह संकल्प पारित भी नहीं करते तब भी हमें पानी पूरा नहीं मिलता। हमारे एरिये में पानी हमेशा इर्रेगुलर रहता है, कम-ज्यादा होता है, किसानों की फसलें मारी जाती हैं। हमारा किसान बर्बाद हो रहा है उसका सिर्फ कारण एक ही है कि इन हैडवर्क्स पर हमारा कोई नियंत्रण नही है और नियंत्रण के अभाव में इनकी मनमर्जी चलती है। हमारा इन्दिरा गांधी कैनाल क्षेत्र खाली पड़ा है वहीं हरियाणा का चप्पा-चप्पा भीगा हुआ है, इर्रिगेटेड है, पंजाब का चप्पा-चप्पा इर्रिगेटेड है और वह कहते हैं, हैड में पानी नहीं है। पंजाब कैसे पास हो गया? हरियाणा कैसे पास हो गया? राजस्थान कैनाल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक केन्द्र का नियंत्रण नहीं होगा इन हैडवर्क्स पर, और साथ में हमारा भी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक अगर ये पाबन्दियां हट भी

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

जाएंगी, वे हां भी भर लेंगे तब भी हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा।

हमने तय किया था कि राजस्थान कैनाल में हम टेपिंग नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी राजस्थान कैनाल से पंजाब और हरियाणा टेपिंग करके पानी ले रहे हैं। उनको तो निरन्तर पानी मिलता जा रहा है और उन्होंने हमें जो पानी देने का किया हुआ है, आज वे नहरें रेत से भरी हुई हैं। हमारी नोहर फीडर, सिद्धमुख कैनाल, चूरू लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में पानी की बूंद नहीं आ रही है, हमारा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं हाउस से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्रमुखता इनके साथ यह हो कि इन हैडवर्क्स पर केन्द्र का नियंत्रण हो, साथ-साथ हमारा भी नियंत्रण हो।

1977-78 में हमारी जन लेखा समिति हिमाचल प्रदेश में दौरे पर गयी थी, वहां जब हम हैडवर्क्स पर गये तो हमें हमारे कर्मचारियों से मालूम हुआ कि इन हैडवर्क्स पर जो बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगती है यहां पर रहते नहीं हैं, अपना तबादला करवा कर वापस चले जाते हैं और छोटे कर्मचारियों को कोई हैडवर्क्स के नजदीक नहीं लगने देते हैं, हमें यह हिसाब ही नहीं लगाने देते कि कितना पानी हमें मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है। हमने उस वक्त बडे स्ट्रॉग वर्डस में सरकार को लिखा था कि हमारे हैडवर्क्स पर कंट्रोल की कमी है, वाचिंग की कमी है इसलिए वहां काम्पिटेंट अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी चल रही है, रत्तीभर भी कहीं फर्क नहीं पडा।

मैं तो निवेदन करूंगा कि ये सारी बातें अस्वीकार भी कर दें और यह कह भी दें कि हम पानी देंगे, लेकिन अगर उन हैडवर्क्स पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो हमें पानी नहीं मिलेगा। यह बड़ा अच्छा कदम है कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया। मेरा तो यही निवेदन है कि जब तक इन हैडवर्क्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होना, केन्द्र का कंट्रोल नहीं होगा तब तक कठिनाई रहेगी। हमारी ट्रीटी में भी यह प्रावधान है कि सरटेन पीरियड के बाद इन हैडवर्क्स पर केन्द्र का कंट्रोल होगा, लेकिन पंजाब आज न तो हमें शरीक कर रहा है और न पंजाब आज सैंटर के कंट्रोल में ये हैडवर्क्स दे रहा है, इसलिए इनकी मनमानी चल रही है। इस मनमानी को एक ही जरिये से खतम

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

किया जा सकता है कि उन हैडवर्क्स पर कंट्रोल सेंटर का हो और हमारा भी हो। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला है, आज का विषय है कि पंजाब विधान सभा में एक संकल्प लिया गया जल वितरण के सम्बन्ध में, उसको अखबारों मे पढ़ कर विशेष तौर से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के करीब सवा करोड़ जनता को बड़ी चिंता हुई। इससे बढ़ कर इस बात की चिंता हुई हमारे सदन की नेता, हमारी मुख्य मत्रीजी को सिंचाई मंत्रीजी, इस सवा करोड़ जनसंख्या वाले क्षेत्र का महत्व कोई कम नहीं है। सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से और पीने के पानी की दृष्टि से इसके साथ यह थार रेगिस्तान जो बढ़ रहा है, उसको रोकने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां के किसान इस क्षेत्र को हरा-भरा देखने के लिए लालायित हैं।

हमारी इस कठिनाई को सुनने के उद्देश्य से, जैसा अभी माननीय तिवाडीजी ने कहा, हम तो कह रहे थे, यह सभा मत बुलाओ, यह मत करो, लेकिन आपने इस तरह का ऐतिहासिक विचार कर के एक ऐतिहासिक संकल्प को पारित करवाने का निर्णय लिया है। और निर्णय ही नहीं लिया, सभी दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुला कर सिंचाई मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति बना कर संकल्प को जिस ढंग से पारित करने का बीड़ा उठाया है, यह अच्छा कदम है। इसके लिए किसानों की चिंता को सुनने का जो कार्य हाथ में लिया है, इस बात के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को।

अभी बात चल रही थी इस नहर के सम्बन्ध में कि मुरब्बे खरीदे, हमारे वहां नहर नहीं है परन्तु नहर पड़ोस में जैसलमेर में है और वह अंतिम छोर पर है, वहां तक जो देश का खर्चा हुआ है वह इसलिए हुआ है कि देश की आमदनी बढ़ेगी, देश की सुरक्षा मजबूत होगी और वहां के किसान खुशहाल होंगे, वहां यह रेगिस्तान रुकेगा। जबकि पंजाब विधान सभा ने ऐसा निर्णय लिया जो राजस्थान के हित में नहीं है, राजस्थान के हितों को ठेस पहुंचाने वाला है।

(श्री तगाराम चौधरी)

आज इस प्रश्न पर जो सदन में विचार-विमर्श शुरू हुआ, उसमें कई तरह की बातें आयी। राजनीतिक बात भी आयी और सब को एकजुट होकर लडने की बात भी आयी। इस बात से बहुत आस बंधी है। सवेरे जब अखबारों में आज के इस माहौल को और इस निर्णय को लोग पढेंगे तो वहां की सवा करोड़ जनता को बहुत आस बंधेगी, वह यह मानेगी कि हमारी सुनवाई हो रही है और अवश्य होगी। इस विचार-विमर्श के बाद यह बात भी आयी कि आगे इस तरह से करना है, उस तरह से करना है तो वह करना है। मुख्य मंत्री महोदया ने यह बीड़ा उठाया है और आप सबने पूरे सदन में बीड़ा उठाया है, मैं तो नया आदमी हूं, पहली बार आया हूं, परंतु आज का माहौल देख कर, चाहे राजनीतिक अपने विचार व्यक्त करने की बात कही तो वह बात तो अलग है परंतु आज जो एकता आपने प्रदर्शित की, वह एकता जो देखने को मिली, इससे पूरा भरोसा है। इस सवा करोड़ जनता में जिसमें सभी शामिल हैं, किसान, पशुपालक और समूची जनता को पयेजल के लिए...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी : अंत में आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। सारा राजस्थान इसका एक होकर समर्थन करेगा और बेड़ा पार लगेगा और खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री जो सदन की नेता हैं, उन्होंने एक शासकीय संकल्प यहां प्रस्तुत किया और पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया, मैं और मेरा दल इस शासकीय प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने एक श्लोक बोला, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं, उसमें उन्होंने कुछ त्रुटि रख दी-

"गंगेच यमुने चैब गोदावरी सरस्वती, नर्बदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन तथा कुरू।"

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसका मतलब यह है कि जिन नदियों का नाम लिया है, ये नदियां जल से परिपूर्ण रहें और व्यक्ति नहाते वक्त आह्वान करता है कि ये नदियां सब मेरी बाल्टी में आ जाए। यह है इसका अर्थ। (व्यवधान) हां, मैं कोई गलती कर रहा हूं जो आप संशोधन कर देना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसको दवे साहब करक्ट करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो बिलकुल करैक्ट बोला हूं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : बाल्टी में नहीं राजस्थान में आ जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, राजस्थान में आ जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यहां कुछ लोगों ने सरस्वती नदी की बात की, मैं सबसे पहले अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं। एक वक्त था, 40 हजार वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश में सरस्वती नदी बहा करती थी, हनुमानगढ, गंगानगर, बीकानेर और इसी प्रकार से आगे जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ होती हुई यह नदी जाती थी और समुद्र में मिलती थी। यह नदी भूकम्प वगैरह के कारण से लुप्त हो गयी इसलिए इसका नाम लुप्ता सरस्वती पड गया। इसका उल्लेख हिस्ट्री आफ इन्दिरा गांधी नहर के पृष्ठ दो पर किया हुआ है।

"According to the mythological records the mother of all rivers, the saraswati, originated in the shivalik hills of Himalayas and passed through the area that now forms the command of the Indira Gandhi canal and to the tern of Kuchch. The legendary saraswati river has been frequently described in the Rigveda. Earlier the scholar had identified the saraswati river as old Ghaghar river in India and vahindu and Narastrians in Pakistan."

इस लुप्ता सरस्वती के बारे में जैसा कि जिक्र किया गया है, ऋग्वेद में भी जिक्र था, लेकिन वह लुप्त हो गयी। अभी हमारे कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि घग्घर का जो बैल्ट है यह सरस्वती नदी का एक तरीके से आने का रास्ता था। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन

(श्री विष्णु मोदी)

करना चाहूंगा कि दिव्य दृष्टि रिवर नाम था घग्धर का और सरस्वती की ट्रिब्यूटरी थी। मतलब Ghaghar was not Saraswati. It was Divya Drashti River. It was one of the tributaries.

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो हिस्ट्री आफ इन्दिरा गांधी नहर में जो लिखा वह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कोट किया उन्होंने करक्ट कर दिया। कोई बात नही है।

श्री विष्णु मोदी : फैक्चुअल में बता रहा हूं आपको।

I am Just correcting. I am not Interrupting you.

मैं सिर्फ करैक्ट कर रहा हूं आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस किताब को करैक्ट कर देना। इसके ऑथर को लिख देना आप।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं लिख दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो इस किताब को कोट करके बताया है, आप भी कोई किताब कोट करके बता देते।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आयी कि जिस स्पिरिट से हम लोग आज बैठे हैं, आज तो कम से कम राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं अपना पूरा वक्तव्य समाप्त कर दूं, शिक्षा मंत्रीजी जब बोल रहे थे, मैं उसी वक्त करैक्ट कर सकता था लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तब कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आपको कांट्राडिक्ट नहीं किया है, सप्लीमेंट किया है।

डा बुलाकीदास कल्ला : बीच में कृपया व्यवधान नहीं डाले, उससे फ्लो टूटता हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। व्यवधान नहीं डाले।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कह रहा था कि लुप्ता सरस्वती उसी क्षेत्र से बहती थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रिंसली स्टेट बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा गंगासिंहजी बहुत दूरदर्शी महाराजा हुए हैं, जिस समय प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त उन्होंने अपनी विजडम और दूरदर्शिता से बहावलपुर स्टेट से और इसी प्रकार तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत से, इन सबसे बातचीत करके... (व्यवधान) आप विराज जाओ, बाहर बात कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने मेरे श्लोक को गलत बताया?

श्री अध्यक्ष : हां, आपके श्लोक को गलत बताया।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ऐसा, आप तीनों उलझो मत। कोई फैसला कराना हो तो मुझसे करवा लेना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, ये अध्यक्ष हैं, इनसे करवा लेना। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : हां, इनसे ज्यादा विद्वान हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विद्वान् भंवर लालजी शर्मा हैं, उनसे फैसला करवा लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, आप तीनों आ जाना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : गंगासिंह ने 1920 में एक समझौता किया और उसके बाद 1927 में जैसा कि मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बात कही 1.11 मिलियन एकड़ फीट पानी पहले बीकानेर कैनाल के नाम से, बाद में गंग कैनाल के नाम से आज उनको पानी मिल रहा है। आगे 1955 का जो समझौता हुआ है, उसमें भी इसी आधार पर हमको पानी मिला। राइपेरियन थ्यौरी तो उसी वक्त फेल हो गयी जिस समय महाराजा गंगासिंहजी ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने और बहावलपुर स्टेट के सामने यह प्रस्ताव रखकर राइपेरियन थ्यौरी को खतम कर दिया और इण्डस बेसिन थ्यौरी को वहां प्रतिस्थापित किया और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, Rajasthan is a part Indus basin. इसको कोई नकार नहीं सकता।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अभी नदियों को जोड़ने वाली बात कर रहे थे उसमें भी वी. के. आर. राव साहब ने यह बात कही थी कि राजस्थान इण्डस बेसिन का पार्ट है और इसी आधार पर हमको 1955 के समझौते के आधार पर आठ मिलियन एकड फीट पानी मिला। उसके बाद 1981 का समझौता आया उसमें जल प्रवाह बढ़ने के कारण राजस्थान को हिस्सा बढकर 8.6 मिलियन एकड फीट पानी मिला। कुल मिलाकर 52.69 प्रतिशत पानी में हिस्सा हमारा कायम हुआ, लेकिन 0.6 मिलियन एकड फीट या .06 कह दीजिए, यह गलती मैं नहीं करूंगा, मैं तो केवल आपको सावधान कर रहा हूं कि आपकी जो विज्ञप्तियां जारी हुई जन संपर्क विभाग से और अन्य जो अखबारों में सूचना आयी उसमें सरकारी सूचना के आधार पर 8.06 लिखा हुआ था, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, लोग उसको कोट करते हैं हालांकि उसी प्रेस विज्ञप्ति में आगे 0.6 मिलियन एकड फीट लिखा हुआ है लेकिन इतने अधिकारी, इतने लोग प्रेस विज्ञप्ति को देखते हैं, इन्टर स्टेट डिस्प्यूट जैसे मामलों में कोई प्रेस विज्ञप्ति जाए तो सावधानीपूर्वक प्रेस विज्ञप्ति जानी चाहिए ताकि इस प्रकार की गलती नहीं हो और राजस्थान का नुकसान नहीं हो।

मैं आप लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को यह पानी प्राप्त करने में जिस तरह से गंगासिंहजी का योगदान रहा उसी प्रकार से बड़ा योगदान प्रोफेसर सी. एस. क्रिस्टाइन का रहा। वह सन् 1959 में यहां आये और राजस्थान की एक्स्ट्रीम एरिडिरी फलोरा फौना क्लाइमेटिक कंडीशंस इन सबको उन्होंने आधार मानकर राजस्थान के 12 जिलों को एरिड जोन और सेमी एरिड जोंस में बांटा। खासतौर से बीकानेर, गंगानगर जिसके अब दो जिले बन गये हनुमानगढ, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और उसके बाद फिर जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंन्झुनूं ये सब जिले सिरोही तक एरिड और सेमी एरिड जोन में नागौर भी सम्मिलित है। इस सेमी एरिड और एरिड जोन को आधार मानते हुए भारत के निर्माता पण्डित जवाहर लालजी नेहरू ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पानी का विवाद था, इसके लिए वर्ल्ड बैंक को माध्यम बनाया और एक इण्डस वाटर ट्रीटी की गयी। इस इण्डस वाटर ट्रीटी के अन्तर्गत हमको पानी मिला है राजस्थान के मरुस्थल को और धोरों की धरती को देखते हुए मिला है। इस पर कन्हैया लालजी सेठिया ने एक गीत लिखा है,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आ तो सबरां नै शरमा वै, इन पर देव रमन न आवै, ई रौ यस नर नारी गावै। इस धोरां की धरती को आगे करते हुए नेहरूजी ने इस पानी को प्राप्त किया। इस पानी को प्राप्त करने के बाद मैं समझता हूं, आज भी संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य तथा और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब में यथासम्भव पानी जब वहां पर उपलब्ध था उस समय हमें बराबर दिया गया है और आज भी वहां के सी. एम. का जो स्टेटमेंट है वह साफ है कि उनका डिस्प्यूट राजस्थान से नहीं है।

यह डिस्प्यूट कैसे पैदा हुआ है, इसके बारे में भी कई बातें कही गयीं। डिस्प्यूट तो बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया हरियाणा और पंजाब के बारे में और डिसीजन के पश्चात् पंजाब विधान सभा ने संकल्प पारित किया। उसी के अनुसार हरियाणा ने फिर एक संकल्प पारित किया और हम पारित कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं हैं। न किसी के हाई कमान का, न किसी मुख्य मंत्री का और न किसी प्रधान मंत्री का हाथ है, केवल मात्र हरियाणा और पंजाब का विवाद है। लेकिन इस संकल्प में राइपेरियन थ्यौरी का नाम लिया गया है और एडहाक समझौते का नाम लिया गया है जो मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसके कारण राजस्थान को भी इस बात की चिंता हुई। पूरे सदन को चिंता है कि यह राइपेरियन थ्यौरी के नाम से, एडहाक समझौतों के नाम से पूरे मामले को ओपन नहीं कर दें। इसी कारण से मैं समझता हूं यह संकल्प लेकर आए है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओपन नहीं कर देंगे। ओपन तो भारत सरकार चाहे तभी कर सकते हैं। ओपन तो कैसे करने देंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो फिर हम संकल्प क्यों लाये हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान की जनता को एकजुट करने के लिए लाये हैं। ओपन कौन करने देगा? इस गलतफहमी में मत रह जाना आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम संकल्प किसलिए लाये हैं? इसीलिए लाये हैं। इसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा है, आप पढिए इसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ओपन कैसे करने देंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : "...to protect the entire share of Rajasthan as per the agreement of 1981 and for obtaining 52.69% share in water including 0.60 MAF of state share currently not being made available; for getting the control of head works at ropar, harike and Ferozpur, and....Asserts that there is no scope for review..."

आप प्रस्ताव में लाये हैं, और

"...or re-determination of the rights accrued to Rajasthan in Ravi-Beas waters and that Rajasthan shall not accept any review of valid agreements and this House is totally against all such proposals."

शायद आपने पढ़ा नहीं इसको। पढ़ते तो शायद मेरी बात को नहीं काटते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरा पढ़ा है इसलिए भावना नहीं समझ पा रहे हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से इस सदन में कहना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में इस तरह के कमेंट्स करना उचित नहीं है कि हम यह कह दें कि पंजाब जो हैं वह एक तरीके से राजस्थान का पानी बंद कर रहा है, यह कर रहा है। इससे दोनों राज्यों के सम्बन्ध खराब होते हैं। हम पूरे देश के लोग एक है। एक तरफ का हम पूरा देश एक होने की बात कहते हैं, जिस तरीके से आज सदन में कई बार आप नारा लगाते हो, आवाज दो हम एक हैं। आज सदन पूरा एक है। हालांकि कुछ सदस्यों ने राजनीति की है, इधर से भी की है, एक दो ने उधर से भी की है, लेकिन कुल मिलाकर सदन की भावना यह है कि राजस्थान के हक का एक-एक बूंद पानी राजस्थान को मिलना चाहिए और इसमें कहीं कोई तरीके से व्यवधान होगा तो हम राजस्थान के तमाम निवासी और यह पूरा सदन मिलकर उसको लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे।

मैं इण्डस वाटर ट्रीटी की जो बात कर रहा था, इस इण्डस वाटर ट्रीटी के कारण हिन्दुस्तान को 110 करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने पड़े। करीब छह करोड़ बीस लाख साठ हजार पाउंड पाकिस्तान को दिये ताकि वह रिप्लेसमेंट वर्क कर ले। उनको कुछ समय भी दिया गया, उसके बाद यह सारी चीजें सुव्यवस्थित हुई। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब कारणों से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रावी और व्यास का पानी जो हमको मिला उसके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारे यहां बनी।

एक वक्त था, अध्यक्ष महोदय, जब अमेरिका का टीनेंसी वैली प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड प्रोजेक्ट था, लेकिन इस परियोजना के बनने से यह विश्व की सबसे बड़ी मनुष्य निर्मित योजना बन गयी, जिसकी करीब-करीब नौ हजार किलोमीटर शाखाएं हैं, छह लिफ्ट हैं और करीब-करीब छह हजार से ऊपर गांवों को इससे पीने का पानी मिल रहा है। करीब पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी बनने पर रोजगार मिलेगा। करीब नौ जिलों को पानी मिल रहा है और करीब 45 कस्बों को इससे पानी मिल रहा है। हमारी सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना, बरसिंहसर, पलाना थर्मल पावर परियोजना जो आगे आने वाली है उसके लिए रामगढ़ और इसी प्रकार से कपूरडी में लिग्नाइट बेसिस यदि कोई पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो उसको पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा और कोई परियोजना दे नहीं सकती।

इसके अलावा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था हमेशा कैटल बेस रही हैं। यह प्रदेश कैटल बेस्ड इकोनोमी का प्रदेश रहा है, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था यहां पर रही है। रेवड़ चराने का काम, गाय पालने का काम, पशुपालन का काम बहुतायत से खेती से भी ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान में हुआ करता है, और जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58 प्रतिशत है। पापुलेशन को देखा जाए तो जैसलमेर जिला, जहां से केवल मात्र एक विधायक जीतकर आया है, इस जिले का क्षेत्रफल केरल के बराबर है, भू-भाग बहुत-सा है और यह न केवल पूरे राजस्थान को बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के चार-पांच प्रान्तों को अनाज पैदा करके खिला सकता है। आज हम करीब-करीब 1700 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा कर रहे हैं और जब वह पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो करीब 3700 लाख मैट्रिक टन अनाज पैदा कर सकेंगे।

इन सब स्थितियों को देखते हुए, गांवों में जो पीने का पानी मिल रहा है ऐसी स्थितियों को देखते हुए और राजस्थान में पिछले 45 वर्ष तक अकाल और अभाव की स्थितियों को देखते हुए यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारी जीवन दायिनी परियोजना बन चुकी है। इसके साथ-साथ हमारे यहां

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करीब-करीब एक हजार किलोमीटर की, इंटरनेशनल बॉर्डर हैं तो यह हमारी एक डिफेंस लाइन भी है। इस डिफेंस लाइन को कायम रखने के लिए जरूरी है कि हम पूरा पानी अपने हक का प्राप्त करें और इसीलिए यह संकल्प आज लाया गया है।

मैं सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खूब मेहनत की और अपने विचार यहां पर रखे। उन विचारों के द्वारा खास तौर से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ ड्राट बूफिंग आफ दी एरिया एण्ड इम्प्रूवमैंट आफ क्वालिटी आफ लाइफ लाने का काम भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने किया है।

खास तौर से मैं इस अवसर पर यह जिक्र करना चाहूंगा, बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम जिसके अन्तर्गत इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, स्कूलों का डवलपमेंट हो रहा था, मुझे याद है, यहां पर जब इसी प्रकार की बातचीत चल रही थी तो एक प्रस्ताव आया। यहां पर जैसे आज हमने पारित किया है, इसी विधान सभा में 1983 में संकल्प पारित किया गया था। हम सब लोग जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तत्कालीन प्रधान मंत्रि श्रीमती इन्दिरा गांधीजी से मिलने गये, और हमने कहा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना उस समय राजस्थान कैनाल के नाम से थी कि इस कैनाल के निर्माण के लिए हमारे पास धन की कमी है और यह न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को अन्न दे सकती है। तो उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हो? हमने कहा, इसको बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम में आप सम्मिलित कर लें और वह पैसा हमको वापस नहीं देना पड़े। इस सदन को बताते हुए मुझे खुशी है कि इंदिराजी ने उस योजना को मंजूर किया और 1983 से लेकर 1997 तक लगातार बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग बीस करोड़ से लेकर साठ करोड़ रुपये तक की राशि हमेशा इस फण्ड में आती रही । लेकिन 1997-98 के बाद बी. ए. डी. पी. का पैसा आना बंद हो गया। हमने बराबर इस बात की आवाज उठाई कि यह पैसा मिलना चाहिए और यह पैसा आगे भी मिले, इसके लिए हम सब लोक मिलकर प्रयत्न करेंगे, यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए मन बनाना पडेगा। आप छोटी-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

छोटी बातों में जो चीजें हो गयी और जिस संकल्प के बारे में हमको बोलना है, दूसरी चीजें इधर-उधर की लाकर फिर किसी पर आक्षेप करें तो यह उचित नहीं है।

इस पानी की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मै समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने काफी अच्छे सुझाव दिये। पाइंट साठ मिलियन एकड़ फीट पानी जिससे करीब-करीब हमारे राजस्थान को 900 क्यूसैक्स पानी मिल सकता है और करीब-करीब पचास हजार लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है, इसको प्राप्त करने के लिए हमने सन् 1990 में जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना था नहर और नहर की वितरिकाओं को, वह हमने सब पूरा कर लिया। तब से लेकर आज तक नियमित रूप से इस पानी को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर चाहे किसी की भी सरकार रही हो, प्रयत्न किये गये लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए और हमको यह पानी नहीं मिला है, इसलिए यह संकल्प लाने की आवश्यकता है।

बी. बी. एम. बी. जिसका नियंत्रण एक आटोनोमस बाडी के पास में है, मैं कहना चाहूंगा कि आज उसमें मैम्बर्स जो हैं, पावर सैक्टर का मैम्बर पंजाब है, इरिकेशन सैक्टर का मैम्बर हरियाणा है और सेक्रेटरी का पद खाली पड़ा हुआ है। इन सब चीजों के बारे में, आप इसको अदरवाइज नहीं ले, आपने सात महीने में क्या कोई चिट्ठी लिखी? लिखनी चाहिए थी। रोटेशन से बदलने चाहिए, राजस्थान का भी उसमें नाम आना चाहिए ताकि हमारे मैम्बर्स उसमें रहकर राजस्थान के हितों की रक्षा कर सकें। इसके साथ-साथ हैडवर्क्स का काम चाहे वह रोपड़ हो, माधोपुर हो जितने भी हैडवर्क्स के काम हैं इन कामों का नियंत्रण निश्चित रूप से भाखडा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास होना चाहिए, 1966 में निर्णय हो गया था। पहाड़ियाजी अभी ठीक कह रहे थे, हम इस संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार को यह अधिकृत करते हैं कि वह कोई भी प्रशासनिक कदम उठाना चाहे, कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहे...

20.00 बजे

यह पूरा सदन आपके साथ है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्रीजी से सर्वदलीय समिति मिले, इस सदन के मौजूद लोग मिलें और मिल कर उनसे आग्रह करें कि भाखडा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माध्यम से हैडवर्क्स का नियंत्रण हो, यह आटोनोमस बाडी का स्वरूप बरकरार रहे और रोटेशन के माध्यम से इनके मैम्बर चेंज होते रहें तब जाकर कभी-कभी जो पानी की दिक्कत होती है राजस्थान को, वह दिक्कत दूर हो सकेगी।

मैं इस अवसर पर खासतौर से कहना चाहूंगा कि आबादी बढ़ रही है, पशुओं की संख्या बढ़ रही है राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इत्तफाक से मध्य प्रदेश के दो राज्य बनने के बाद आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस सबसे बड़े राज्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इन आवश्यकताओं को देखते हुए पीने के पानी के लिए पहले 1200 क्यूसेक्स पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पीने के लिये रखा हुआ था उसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, 1800 क्यूसेक करना होगा तो यह 900 क्यूसेक्स जो हमको मिलेगा एक्स्ट्रा उसमें से 600 क्यूसेक्स तो इसी में चला जाएगा, इसलिये यह पानी हमारा हक है और इसको प्राप्त करने के लिये हम तन, मन और धन से मिलकर काम करेंगे तभी जाकर हमारा हक मिलेगा।

मैं इस अवसर पर आप लोगों से यह भी जानना चाहूंगा, चूंकि आप सत्ता में हैं तो यह बताएं कि पिछले बीस वर्षों में, मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान का कितना हक बनता था और कितना हिस्सा हमको मिला? कब-कब कमी रही?

इसके साथ पोंग डैम को खाली रखने के बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने काफी अच्छे सुझाव दिये। यह बात सही है कि यह समस्या तब से पैदा हुई जब यह निर्णय लिया गया कि पोंग डैम को दस फुट खाली रखा जाए। अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं, किसान परिवार से हैं, कि डैम का ऊपरी हिस्सा होता है उसकी भराव क्षमता और उसकी कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। केवल सितम्बर में एक बार बरसात आ गयी और उसके कारण से बाढ़ आ गयी, दो फुट खाली रख सकते हो सितम्बर के लिये, लेकिन दस फुट खाली रखने का मतलब यह हुआ कि जो पानी वहां पर स्टोर किया जाता है उसमें कमी आ जाती है और उसके कारण यह पानी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को, हमारे जो बी.बी.एम.बी. में बैठते हैं, उनको चाहिये कि वह बोर्ड के मीटिंग्स में इस बात के लिये पैरवी करें और आप भी प्रशासनिक आधार पर बात की पैरवी करें कि पोंग डैम और भाखरा नहर की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जो दस फुट, पांच फुट की भराव क्षमता कम रखी जाती है, दोनों डैम्स की भराव क्षमताओं को पूरा किया जाए। सितम्बर के लिये दो या ढाई फुट खाली रखने का एक निर्णय लिया जाए।

मैं इस अवसर पर हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ बातें बतायी उसके बारे में भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो हिस्सा आ रहा है, उसमें भी हरियाणा कहीं पानी की चोरी कर रहा है, लीकेज हो रहे हैं, पानी का उपयोग कहीं पंजाब के काश्तकार कर रहे हैं, इसके लिये क्यों नहीं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आर. ए. सी. के सुरक्षा गार्डों की तैनाती करें ताकि हमारे हिस्से का पानी रास्ते में कोई चोरी नहीं कर सके?

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो राजस्थान फीडर का हिस्सा है उसकी सुरक्षा, रक्षा के लिये और उसके बाद आगे कहीं पानी की चोरी न हो इसके लिये हमको पुख्ता इंतजाम करने चाहिये।

इसके अलावा हम लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, कई बार ड्रेनेज ओर सीवरेज का पानी लोग उसमें डाल देते हैं, आपको इसके लिये कोई लीगल एक्शन लेना चाहिये। भारत सरकार का पर्यावरण विभाग बना हुआ है राजस्थान में, तो इन सबका उपयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपको प्रयत्न करना चाहिये कि पवित्र पानी में प्रदूषण का पानी नहीं मिलाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश के सी. एम. ने 1976-77 में एक बात चलते-चलते कह दी कि चूंकि ये सारी नदियां हिमाचल से निकलती हैं इसलिये उसमें हिमाचल प्रदेश को चवालीस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रायल्टी दी जाए। मैं समझता हूं यह बात तो पंजाब के भी गले नहीं उतरती, हरियाणा के भी नहीं और हमारे भी गले नहीं उतरती, इसलिये सबने उसका प्रतिकार किया, सब राज्यों ने विरोध किया। आज मैं पुनः इस सिद्धांत के आधार पर कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मिनरल बेस्ड प्रान्त है। हमारे यहां के खनिज पूरे देश में जाते हैं ओर सौभाग्य से हमारे प्रदेश में तेल, गैस और पैट्रोल, डीजल, यह भी खोजा जा चुका है, क्या हम एक फैडरल संघ का हिस्सा होने के नाते यह कह सकते हैं कि हम अपना खनिज या तेल दूसरे राज्यों को नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

देंगे? नहीं कह सकते हैं। इसलिये राइपेरियन थ्योरी का जो मुद्दा उस संकल्प में व्यक्त किया गया है हम राइपेरियन थ्योरी को कतई नहीं मानेंगे। इंडस बेसिन के आधार पर राजस्थान का जो वाजिब हिस्सा विभिन्न समझौतों में दिया हुआ है, अब समझौतों के बारे में भी जिस समझौते में तीनों प्रान्तों के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में निर्णय करें, वह एडहाक हो सकता है क्या? वह तदर्थ हो सकता है? कभी भी नहीं। इसलिये वे समझौते स्थायी हैं, पुष्ट हैं और पुख्ता हैं, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, कभी भी इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अब कल्लाजी, कंक्लूड करें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बस, बहुत...

श्री अध्यक्ष : कंक्लूड करें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या?

श्री अध्यक्ष : कनक्लूड करें अब आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कनक्लूड, मैं तो बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं, मैडम। आप कहो तो बैठ जाता हूं मैं। कमाल कर रही हैं। प्रतिपक्ष के व्यक्ति को कभी भी इस तरह से टोका नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : टोका नही जाता...

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, बिलकुल । आप पूछ लीजिए। यह सी. एम. रहे हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज तक नहीं टोका। भैरोंसिंहजी बोलते रहे दो-दो घंटे तक।

श्री अध्यक्ष : कंक्लूड करने को कहा है मैंने तो, टोका कहां है? मैंने टोका कहां है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदया, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सुझाव दिये, मैं आपके माध्यम से सदन की नेता को

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज हमने आपको इस संकल्प के माध्यम से अधिकृत किया है कि आप कोई भी प्रशासनिक अथवा लीगल एक्शन राजस्थान के हक को प्राप्त करने के लिये करें। रिटायर्ड जजेज, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और रिटायर्ड आई.ए.एस. आफिसर जो इस क्षेत्र से सम्बन्धित रहे हैं, और जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको भी जोड़ दीजिये। जोड़कर एक ऐसी टीम बनाएं जो लीगल टैक्निकल और प्रशासनिक स्तर पर हमको राय दे सके कि राजस्थान के हक-हकूक का कहीं हनन हो रहा है तो उसके लिये क्या पैरवी कहां-कहां करनी हैं प्रशासनिक तौर पर कहां करनी है, लीगल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है यह सारी बातें हमको करनी पड़ेगी तभी जाकर हम राजस्थान के हितों की रक्षा कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों की चिन्ता से मैं भी सहमत हूं कि आज गुजरात, माही और नर्बदा का पानी देने में हिचकिचाहट कर रहा है। चम्बल के पानी के सम्बन्ध में भी चैक डैम बनाने की चिंताएं हैं माननीय सदस्यों को। इसी प्रकार गांधी सागर जो चम्बल से सम्बन्धित मामला था वहां चैक डैम बनाने की बात कही गयी। तो इंटर स्टेट मुद्दों के बारे में यह कमेटी आपको राय देगी। राय के बाद राज्य के हित का जो भी उपयुक्त फैसला हो सके, उसके करने में हम कार्यवाही करें तो निश्चित रूप से एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से राज्य अपने हक और हितों की रक्षा कर सकेगा।

यहां कई माननीय सदस्यों ने जैसे टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग प्रत्यक्ष, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि नेहरूजी, इंदिराजी, राजीवजी, इन तीनों पीढ़ियों ने मिलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, का जितना भला किया, कोई कर नहीं सकता है। इसलिये जो....

श्री टीकमचंद कान्त : मैंने क्या कहा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने प्रधान मंत्री का नाम लिया।

श्री टीकमचंद कान्त : कहां लिया?

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रधान मंत्री के इशारों पर हुआ है। आपको याद नहीं है। मैं याद रखता हूं। मैंने लिखा है।

श्री टीकमचंद कान्त : प्रधान मंत्री तो सबके हैं फिर।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं तो प्रधान मंत्री के इशारे पर...

श्री रामप्रताप कासनिया : म्हारो तो खोपड़ों ही खराब है, याददाश्त खोगी म्हारी तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रधान मंत्री के इशारे पर पंजाब संकल्प नहीं लाया है इसलिये प्रधान मंत्री जो इस सदन के सदस्य... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कल्ला साहब, अब चौथी पीढ़ी का नाम लो, तीन पीढ़ी का तो ले लिया। चौथी पीढ़ी का नाम और लो अब।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह सहयोग करेंगे तो लेंगे। आप भी करते थे। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आप रोज लेते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कैसे भूल गये, आप रोज गुण गाते थे।

श्री विष्णु मोदी : चौथी पीढ़ी का नाम लो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आपने दल बदल लिया। आप रोज लेते थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो जो सच है वह सच कहा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी छोड़कर आ जाओ इधर... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कुल मिलाकर दो पाइंट्स के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, खास तौर से दो चीजों से राजस्थान प्रभावित है एक तो यह है कि हमारा जो हिस्सा 52.69 प्रतिशत 1981 के एग्रीमेंट के आधार पर बनता है, 8.60 मिलियन एकड फीट पानी, वह हमको पूरा मिले और जो हमारे हैडवर्क्स हैं, उनके ऊपर नियंत्रण भाखडा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का हो। इसके लिए हमने आज इस संकल्प के माध्यम से सरकार को अधिकृत किया है। मैं चाहता हूं कि आप अधिकृत होकर इसके बारे में पूरे प्रशासनिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लीगल स्टैप लें ताकि राजस्थान की एक-एक बूंद सुरक्षित रहे। अब आप यह नहीं कहेंगे कि हमारे पास अधिकार नहीं था। पूरे राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि आपके साथ हैं और आपको यह अधिकार देते हैं कि आप कोई लीगल कार्यवाही करें, कोई एड़मिनिस्ट्रेटिव स्टैप उठाएं, लेकिन अब आपके पास में कोई बहाना नहीं रहेगा कि हमारे पास यह अधिकार नहीं था इसलिए हम राजस्थान को पानी प्राप्त नहीं कर सके और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप बीच में मत बोलिये... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मनसा, वाया, कर्मणा... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 1981 में क्या हुआ था? (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1981 में आपने क्या किया था?... (व्यवधान) हमने आपको पूरे अधिकार दिये थे... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने तो यह कह दिया कि पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : पिछले पांच साल में कौनसा पानी ले लिया? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पंजाब में चुनाव हो रहे हैं इसलिए आ गया संकल्प। पंजाब में कोई चुनाव नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सरकार के पास है, इतनी उदारता मत करो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपके तो स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, जब प्रधान मंत्रीजी से मिलकर आयी थीं, कि हमारा पानी सुरक्षित है, इस पर कोई आंच नहीं आने वाली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह प्रधान मंत्रीजी न कहें तो भी सुरक्षित हैं। उसको प्रधान मंत्रीजी भी नहीं रोक सकते। आप इतनी चिंता क्यों करते हों?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने रोकने की बात नहीं की, आप जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री जुबेर खान : आप और मुख्य मंत्रीजी नहीं रहेंगे तब भी सुरक्षित रहेगा। यह कोई ठेका नहीं है एक-आध आदमी का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है, सुरक्षित है।

श्री जुबेर खान : वह तो आप नहीं थे तब भी था और आज भी रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब भी है, यही मैं कह रहा हूं।

श्री जुबेर खान : तब भी रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी तो भावना आ गयी है कि यह पूरा सदन यह बात कह रहा है कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाओ। आपने तो यह कहा कि बी. जे. पी. यह प्रस्ताव लाती है तो अच्छा रहता, आपकी भावना सदन ने सुन ली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बढ़िया काम किया न तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : कल्ला साहब, आपकी भावना तो सही है, यह तो मुख्यमंत्रीजी को उलझाना चाहते थे ऐसा प्रस्ताव लाकर, लेकिन मुख्य मंत्रीजी समझदार हैं जो उलझी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं (व्यवधान) आपके नेता बोल रहे हैं आप फिर उन्हें टोक रहे हैं... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, दरअसल बात क्या है कि कल्ला साहब तो हैं संतुष्ट ब्राह्मण और यह हैं असंतुष्ट ब्राह्मण। चक्कर सब यह है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अच्छा हुआ जो मुख्य मंत्रीजी ने आपकी बात मानी नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक बात है, हैं तो स्वामी भक्त पहले तो पहले के नेता के स्वामी भक्त थे और अब वर्तमान नेता के स्वामी भक्त हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप चार-चार पीढ़ियों के गुणगान कर रहे हो, वही भाट तो आप हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने गुणगान इसलिए किया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो भाट हो, मैं आपका तो भाटों में नाम लिखा दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में काम करेगा, उसमें चारण, भाट कुछ भी लिखवा दो, लेकिन मैं डंके की चोट से यह कहना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी नेहरूजी ने की बी. ए. डी. पी. में 30 करोड़ से 60 करोड़ पैसा इंदिरा गांधी ने दिया और उसके बाद राजीव गांधी ने दिया। आपके प्रधान मंत्री... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती... (व्यवधान) इस पर कुठाराघात किया...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : इंदिरा गांधी नहर पर काम किया था ऊंटों ने और गधों ने, सच्चाई तो है यह है कि ऊंटों ने और गधों ने काम किया था इंदिरा गांधी नहर की खुदाई में।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, आप बार बार उलझें नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बहस एक स्तर पर चल रही है, उसका स्तर मेंटेन रखें नेता प्रतिपक्ष, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं, राजनैतिक बहस नहीं बनाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इंदिरा गांधी नहर में राजीव गांधी ने पर्याप्त राशि दी, उसको भी आप गुणगान करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कृतघ्नता है। कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जिन्होंने सहयोग दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हक लेना जानते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे अफसोस है कि सन् 1997-98 के बाद बी. ए. डी. पी. का पैसा बंद कर दिया। उसके लिए आपने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। हम भी कह सकते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पैसा रोका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कमजोर थे, ला नहीं सके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या कमजोर थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कमजोर थे आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने हमारे साथ राजनीति की और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नुकसान किया है आपने। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको राज करना आता ही नहीं था, पांच साल में आपने राजस्थान का बंटाधार कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम मांग करते थे और आप जाकर कहते थे कि इनको पैसा मत दो।

श्री विष्णु मोदी : यह कभी नहीं कहा। यह आप आन रिकार्ड गलत बोल रहे हैं। यह तो जब 1998 में आप चुनकर आ गये उसके बाद में कुछ नहीं हुआ।

श्री धर्मपाल चौधरी : खजाना खाली है, खजाना खाली है, यह कौन कहता था? खजाना खाली है, यह कौन कहता था?

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया.... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप ही कहते थे, पांच साल तक कहते रहे और खजाने का दिवाला करके चले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता को बीच में आप इस तरह से व्यवधान करके रोके-टोके नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : हम सदन की नेता को बोलने नहीं देंगे। वह कैसे बोल सकती है, वह हम भी देखेंगे। बोलकर देखना आप, हम भी रोक सकते हैं। कोई आपकी बपौती नहीं है, आपकी मेहरबानी से इस हाउस में नहीं आये हैं हम लोग। इस तरह से आप इंटरविन कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी से इस सदन में नहीं आया है कोई भी... (व्यवधान) अगर आप विपक्ष के नेता को रोकेंगे तो सदन की नेता भी नहीं बोल सकेंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री जालम सिंह : ×××

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नही हो।

श्री संयम लोढा : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) आसन पांवों पर है...(व्यवधान) माननीय मंत्रीगण आसन जब पांवों पर हो तो आप सदन में इधर-उधर नहीं फिरें। मैं माननीय मंत्री गणों को कह रहीं हूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब आसन ने व्यवस्था दे दी थी तो आपको बीच में खामख्वाह खड़े होने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी?

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने दे दी थी व्यवस्था।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आसन से व्यवस्था दे चुकी थी।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप फिर वही बात कह रहे हैं, आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री हीरालाल रैगर : ×××

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतकजी, आसन पांवों पर है और आप इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल रैगर : ×××

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि बात-बात पर उत्तेजित नहीं हो, आप नहीं रोके टोकें। लेकिन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब आसन ने व्यवस्था दे दी थी तब आपको बीच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। मैं कह चुकी थी, आप बीच में यूं ही खड़े हो जाते हैं।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री हीरालाल रैगर : ×××

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं? मैंने कह दिया था कि इस तरह से प्रतिपक्ष के नेता जब खडे हों तो आप लोग बीच में व्यवधान नहीं करें, बीच में रोके-टोकें नहीं। यह मैं यह कह चुकी थी, उसके बाद खड़े हो गये। बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 1997-98 के बाद बी. ए. डी. पी. के माध्यम से जो पैसा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मिलना चाहिए था, वह मिलना बंद हो गया। उसके कारण नहरों का काम पिछड़ गया। कुछ माननीय सदस्यों ने एलोकेशन की बात की। बजट एलोकेशन तो आप कर दें, 183 करोड़ और खर्च नहीं करे 80 करोड़ उस बजट से क्या फायदा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कह रही हूं कि आप लोगों को बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? आप तो सबको ही सरपास कर रहे हैं। मैंने कह दिया था कि जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं तो माननीय सदस्यगण और मंत्रीगण उन्हें बीच में रोके-टोके नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसलिए बजट जितना प्रोवाइड किया जाए ग्राउण्ड रीयलिटीज पर खर्च होना चाहिए, तब उस पैसे के उपयोग की बात है। अंत में मैं खास तौर से इस रिजोल्यूशन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पंजाब के रिजोल्यूशन का लास्ट पैरा—"Therefore in pursuance of clause I of Article 252 of the constitution of India, this Assembly hereby resolves

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

to take all possible administrative and legal measures to safeguard the State's interest keeping in view the internationally accepted principles of riparian rights and protect it from the damage likely to be caused as a result of recent order of the Hon'ble Supreme Court of India."

माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, यह साफ कह रहे हैं कि इस कारण से हम लाए हैं। कुल मिलाकर इन्होंने राइपेरियन थ्यौरी और जो समझौते हुए हैं उनको एडहाक समझौते बताकर जो बात खोलने का अदृश्य प्रयास किया है, इस कारण से राजस्थान अपने हकों के लिए सावचेत हैं। हम अभी ही नहीं, आगे भी कभी, चाहे हम सत्ता में अभी नहीं है, आप सत्ता में हैं, लेकिन हम पूरे राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राजस्थान के हितों के लिए आपसे कभी पीछे नहीं रहे हैं, आगे रहेंगे और राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता। अच्छा आप बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : पहले मंत्री।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रस्ताव है माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा सदन में पेश किया गया। इसका कारण पंजाब विधान सभा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जो प्रस्ताव पास किया गया, उसके संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। पंजाब विधान सभा में जब चर्चा हुई, अखबारों में बड़ी-बड़ी लाइनें छपी तो राजस्थान के नहरी क्षेत्र के किसानों में बहुत बड़ा निराशा का वातावरण छा गया। लोग हमसे भी पूछते थे कि क्या राजस्थान का पानी बंद हो जाएगा? तो हम कहते थे कि पानी बंद नहीं हुआ। लेकिन पंजाब के जो समझौते आज तक के हुए उन पर पंजाब विधान सभा के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाकर राइपेरियन और नोन राइपेरियन के नाम से जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया, आज तक के जो समझौते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के साथ में, उन सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने चिंता की

(श्री सांवर लाल)

और चिंता करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक समिति बनाई। समिति के द्वारा जो एक प्रस्ताव तैयार किया गया, उसमें माननीय कल्ला साहब भी थे, वह प्रस्ताव आपके बीच में है, वह प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1920 में राइपेरियन और नान राइपेरियन फार्मूला फेल हो गया था जब तत्कालीन बीकानेर के महाराजा और बहावलपुर के महाराजा द्वारा गंग कैनाल के सम्बन्ध में समझौता किया गया। 1928 में वह चालू हो गयी, तब हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में राइपेरिया और नान राइपेरियन का कोई प्रश्न नहीं है।

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री महोदय ने जब नदियों को जोड़ने की बात शुरु की, इस देश की नदियों का पानी जो बहकर जाता है, उस पानी को ऐसे क्षेत्रों में ले जाना है जहां पर पानी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों में राइपेरियन और नान राइपेरियन का कोई प्रश्न नहीं है। 1955 का समझौता हो, 1981 का समझौता हो, 1981 का समझौता माननीय माथुर साहब के द्वारा किया गया, 1955 के समझौते में भी हमारा जो हिस्सा था, वह हिस्सा 52.6 था। उसके बाद में मालूम नहीं क्या आवश्यकता पड़ी कि तत्कालीन सरकार को 1981 का समझौता करना पड़ा और समझौते में जो हमारा हिस्सा 0.6 था, छोड़ दिया गया। चूंकि हम पानी लेते थे 52.6 प्रतिशत, वह पानी पहले भी हम लेते थे पर उस समय पानी का टेबल बढ़ गया था 17.17, उसकी वजह से हमारे से यह कहलवाकर कि इस पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग लेने की स्थिति में हम नहीं हैं, इस वजह से छोड़ दिया। आज तक यह लम्बित है, आज तक हम नहीं ले पाए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे किसानों के साथ हम न्याय नहीं कर पाये हैं।

इस प्रकार हैडवर्क्स का मामला है, हरिके हैडवर्क्स और दूसरे का भी। पंजाब अधिनियम में यह प्रावधान था कि यह बी. बी. एम. बी. के अंतर्गत होगा, बी. बी. एम. बी. इसका कण्ट्रोल करेगा, इससे किसी विशेष प्रदेश का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। पर पंजाब के द्वारा आज तक इसे बी. बी. एम.

(श्री सांवर लाल)

बी. को नहीं सौंपने के कारण कभी-कभी पानी देने के अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं जिसकी वजह से हम हमारे किसानों को सही प्रकार से फसलों के लिए पानी देते हैं उसमें कभी शोर्टेज आ जाती है, किसानों के लिए नहरों में सही पानी नहीं चल पाता है।

मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कई शंकाएं यहां पर प्रकट की गईं, माननीय सी. पी. जोशीजी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अंतर्गत पंजाब विधान सभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया, इस प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार को यह अधिकार तो नहीं हो जाए। उस विषय में हमने पूरी सावधानी बरती है, हमने ला डिपार्टमेंट से इसका एक्जामिनेशन करवाया है और हमने किसी प्रकार का हवाला नहीं दिया कि हम 252(1) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को मैं संतुष्ट करना चाहूंगा कि इससे किसी प्रकार का भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, यह शंका निरामूल है।

इसी प्रकार से इराडी ट्रिब्यूनल के द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया, हमारे अधिकारियों ने हमारा पक्ष रखा कि हमारा हिस्सा 8.6 निर्विवादित है, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इराडी ट्रिब्यूनल को जो फैसला करना है वह पंजाब और हरियाणा के बीच करना है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने और भी सरकारी वकील इसके लिए लगा रखे हैं और इराडी ट्रिब्यूनल हमारे उस हिस्से को स्वीकार करेगा इसमें किसी प्रकार का वह नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : बार-बार आप क्या कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : यह क्या तमाशा है? आपकी यह क्या बात हुई? बीच में क्यों टोक रहे हैं आप?

श्री सांवर लाल : बिराजिए, आप बिराजिए।

श्री महीपाल सिंह यादव : आप क्यों चिंता करते हो? आपके तो बाल ही नहीं हैं, भाई, आप के तो वैसे ही वहां से सफाचट हो।

श्री सांवर लाल : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, अब मैं यह कह रहा है कि मैं यह कर रहा हूं, वह कर रहा हूं, आप इस पर ज्यादा ध्यान न दें, मैं जो बोल रहा हूं वह राजस्थान के हित के हिसाब से बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात में कोई लग रहा हो तो आप बताइए।

श्री महीपाल सिंह यादव : बहुत अच्छा लग रहा है।

श्री सांवर लाल : आपको हाथ फेरने से मिलते ही नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विषय की गम्भीरता को समझिए।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रावी-ब्यास और दूसरों का पानी इण्डस वाटर ट्रीटी के अंदर हमको मिला था, भारत सरकार के द्वारा उस समय 62.06 मिलियन पौण्ड का भुगतान पाकिस्तान को किया गया। इण्डस बेसिन के अंदर हमारे राजस्थान का 15814 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है, इसलिए पंजाब चाहे कुछ भी कहे पर यहां पर यह बिलकुल साफ है कि निश्चित रूप से हम इण्डस बेसिन के हिस्से हैं, इसलिए वह पानी किसी प्रकार से नहीं रोक सकते हैं।

अभी बात आई पानी का हिस्सा कम करने, नहीं करने की, इस मूल उद्देश्य पर तो प्रशासन के द्वारा, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं के स्तर पर भी निर्णय कर सकती थीं पर राजस्थान की जनता को पता लगे और यह लगे कि राजस्थान के सभी विधायक, राजस्थान विधान सभा का हर सदस्य राजस्थान के हितों के लिए एकजुट है, जिस प्रकार से पंजाब विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया अपने प्रदेश के लिए तो राजस्थान के लोग भी, राजस्थान के विधायक भी राजस्थान की जनता और राजस्थान के पशुओं के लिए एकजुट हैं, इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं है, इस उद्देश्य से हम यह प्रस्ताव यहां लाये हैं।

अभी माननीय कल्ला साहब ने एक सवाल उठाया कि पिछले 20 वर्षों में पानी की अवेलेबिलिटी क्या थी ओर हमारा पूरा हिस्सा मिला कि नहीं मिला। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, 1993-94 से मैं आपको बता सकता हूं, 1993-94 में टोटल फिलिंग हुई 15.9 एकड़, उसके बाद 1994-95 में 21 एकड़, 1995-96 में फिर 21 एकड़, 1996-97 में 16 एकड़, 1997-98 में 21

(श्री सांवर लाल)

एकड़, 1998-99 में 18 एकड़, मिलियन एकड़ फुट और इसी प्रकार से 17 और 13, अभी पिछले 3-4 सालों में 13 मिलियिन एकड़ फुट, 14 मिलयिन एड़ फुट, 13 मिलियन एकड़ फुट और 13 मिलियन एकड़ फुट। इसमें से जो राजस्थान का हिस्सा बनता है, 8 एम. ए. एफ. वह तो हमने लिया ही है। मैं यह कह सकता हूं कि इसके अलावा हमने कैलकुलेट किया तो 8.6, वह पानी हमको फसल के समय मिला कि नहीं मिला, यह थोड़ी समस्या रहती है। अन्यथा पानी का जो हिस्सा है, हमने पूरा लिया है। चूंकि वर्षा ऋतु में पानी ज्यादा होता है। तो वह ज्यादा छोड़ देते हैं इसलिए यह हिस्सा पूरा हो जाता है, इसके द्वारा हमारा 8.6 एम.ए.एफ. मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से समय पर जब हमको आवश्यकता होगी, वह पानी लेने की स्थिति में हम होंगे।

इसी प्रकार पोंग डैम और भाखड़ा के ऊपर एक बात आयी थी कि 10 फीट खाली रहता है। 1390 तक भरता है जबकि इसकी भराव क्षमता है 1400 फीट। 1988 के अ..र बी. बी. एम. बी. के चीफ के सामने बाढ़ आयी उस समय उसका लेवल 1404 तक चला गया था, इस कारण से वहां पर एक फैसला लिया गया और उस फैसले में उसको 10 फीट खाली रखा जाता है। इसी प्रकार भाखड़ा सिस्टम में भी 1685 के स्थान पर 1680 फीट ही भरा जाता है। आजकल लेटेस्ट टैक्नोलोजी आ गई है, हमने अधिकारियों को कहा है कि आप बी. बी. एम. बी. में भी इस बात को उठाइए। पानी कितना आएगा, फटाफट उसका मेजरमेंट करने की जो थ्योरी डवलप हो गई है उसके द्वारा असैसमेंट हो जाएगा और पूरी भराव क्षमता के बराबर अगर पानी भरा जाएगा, तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि माननीय वसुंधराजी ने मुझे जब यह भार दिया उसके बाद पहली बार मैं महीने डेढ़ महीने के अन्दर ही पूरी नहर का दौरा करके आया और मैंने वहां पर कई कमियां देखी हैं। हरिके से जो पानी निकलता है, पाकिस्तान में जाता है हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पानी को रोकना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह खुजलाहट बंद होने की भी लेटैस्ट टेक्नोलोजी आ चुकी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपके तो सारे बाल उड़े हुए हैं। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य के भी सारे बाल उड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन दोनों के सिर पर बाल नहीं है, ये इधर इशारा करते हैं, समझ में नहीं आता, इनको कैसे परेशानी हो रही है।

श्री सांवर लाल : आप जब नहरी मंत्री थे तब की हालत तो पता होगी न आपको। (व्यवधान) जवाब आपको हर बात का दे देंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय का जो फर्माना है, बात किसानों की आ रही है, किसानों के हित की रही है और सत्ता परिवर्तन के बाद की आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज परिवर्तन के बाद से घेघड़ा नहर, जो मुख्य इंदिरा गांधी नहर टूटी थी उसे किसानों को आज दिन तक सिंचाई की सुविधा यह सरकार क्यों नहीं दे पायी है, यह भी बताया जाए?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन राजस्थान के अन्दर विधान सभा के चुनाव हुए उसी रात के अंदर घेघड़ा नहर टूट गई, और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि मुख्य मंत्री जी स्वयं मौके पर पधारीं और सबसे कम समय में उस घेघड़ा नहर को ठीक किया, दुरुस्त किया। अब क्यों टूटी, किस कारण से टूटी, इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुद्दा यह है कि पंजाब विधान सभा ने जिस प्रकार का प्रस्ताव तैयार किया उसका हम प्रोटेस्ट करें और हमारे हिस्से को बरकरार रखें। हमें जो हिस्सा नहीं मिला वह हिस्सा हम लें, हमारे हैडवर्क्स पर नियंत्रण हो, इसके लिए सरकार क्या करे, क्या नहीं करे, इसका अधिकार हम माननीय सदन से चाहते हैं। आपके राज के समय में पटवारियों की व्यवस्था खतम होने से सारी समस्या वहां पर पैदा हुई, कई प्रकार की समस्याएं समय-समय पर, जब डिमाण्ड होगी उस समय उस पर चर्चा की जाएगी, पर मेरा निवेदन यही है कि पानी का जो अधिकार है वह हमारा स्थायी अधिकार है और पानी के बिना जीवन नहीं है- "रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये ना ऊबरे मोती मानस चून।" मैं जब उस एरिये में गया तो पहली बार मैंने देखा कि सिंचाई विभाग भी कोई विभाग होता है।

(श्री सांवर लाल)

राजस्थान में कई जगह सिंचाई विभाग के जो दफ्तर खुले हुए हैं, जब तक गंग कैनाल, आई. जी. एन. पी. पर जाकर आप नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं मान सकते, यह डिपार्टमेंट कैसे काम करता होगा। इसलिए पानी का महत्व भी उस एरिया वाले जानते हैं। इसलिए मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी हिस्सा हमारा निर्धारित है वह हम लेंगे, हैडवर्क्स पर जो कंट्रोल है वह कंट्रोल हमारा होना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सरकार को आज तक कोशिश करनी चाहिए, यह कोशिश नहीं हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे राष्ट्रपतिजी से मिलना हो, चाहे उप राष्ट्रपतिजी से मदद लेनी हो, चाहे प्रधान मंत्रीजी से मिलना हो, माननीय मुख्यमंत्रीजी तय करेंगे, आप सबके सहयोग से हम चलेंगे और राजस्थान के पक्ष की पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों का भी पूरा सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा।

अन्तरराज्यीय जो विवाद है यहां पर मध्य प्रदेश की भी चर्चा हुई, गुजरात की भी चर्चा हुई और जो हमारे पड़ौसी स्टेट हैं यमुना में, उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में चंबल के अंदर जो जगह-जगह एनीकट बनाकर पानी रोका गया है, उस पर भी चिन्ता प्रकट की गई। हमारे विभाग ने जितना पानी वहां रोका है उतने पानी की कटौती मध्य प्रदेश की कर रखी है, पर यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था दुरुस्त रहे, सारा पानी गांधी सागर में आए, उसके बाद मध्य प्रदेश ले, राजस्थान अपने हिस्से का ले। नर्बदा का पानी भी, अभी मैं कैनाल घूमकर आया हूं, 100 किलोमीटर की कैनाल बीच में पड़ी हुई है जो नहीं बनी है गुजरात और राजस्थान की सीमा में, उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के आदेश पर 350 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान किया और दो साल के अंदर वह नहर भी बन जाएगी। दो साल में बनने के बाद राजस्थान में नर्बदा का पानी आएगा। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही साथ जो सब्सिडरी नहरें हैं, पी.एच.ई.डी. को कहा है कि जहां पानी पिलाना है उन लाइनों का भी आप साथ के साथ काम चालू कराएं जिससे पानी आते ही राजस्थान की जनता को लाभ मिलना शुरू हो जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी को

(श्री सांवर लाल)

बहुत चिन्ता है, चाहे किसान के खेत के पानी की हो. चाहे पीने के पानी की हो, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में आने वाले पांच साल के अंदर राजस्थान के खेत को पानी मिलेगा और राजस्थान में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार अन्तरराज्यीय जल विवाद के लिए आवश्यकता पड़ी तो सर्वदलीय कमेटी बनाएंगे जिसमें समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के आधार पर हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। ये सारी बातें हैं। सदन में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की चिन्ता प्रकट की और जो सहयोग का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं यही आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के बाद में आप सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाइंड अप तो हमारे सिंचाई मंत्री महोदय ने किया है, पर मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने आज इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण और इतने संवेदनशील डिबेट के अंदर बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए। मैं मानती हूं कि बहुत लम्बे अंतराल के बाद पार्टी सीमाओं को छोड़कर प्रदेश और भविष्य के विकास की चिन्ता करते हुए सब लोगों ने, माननीय सदस्यों ने, एक-एक अलग ही दृश्य दिखाया है। हो सकता है, टोका-टाकी हुई है, नोक-झोंक भी हुई है, पर सुबह 12 बजे से लेकर अभी 8.30 बजे तक सब लोगों ने बैठकर पार्टी से ऊपर उठकर. विचारधाराएं बहुत सारी अलग थीं उससे ऊपर उठकर अपनी-अपनी बातें यहां पर सबके सामने रखी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव रखे हैं और यह दिखायी दिया है, मैं मानती हूं पूरे राजस्थान की जनता को कि हम और आप और सब पार्टी के लोग आज यहां बैठे हुए हैं, उन सबने राजस्थान के विकास की कल्पना को सबसे पहले अपने आगे रखा है और गरीब और किसान की चिन्ता पर ध्यान दिया है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आज जिस विषय पर सदन में बहस हुई है वह विषय राजस्थान की करोड़ों-करोड़ जनता के साथ जुड़ा हुआ है। उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने बहुत श्रम करके, अपना पसीना बहाकर राजस्थान की इस मरुभूमि को हरा-भरा बनाने की कोशिश की है। रावी-ब्यास जल के बंटवारे के सम्बन्ध में पूर्व में 1955 और 1981 के वैधानिक समझौते, जिन पर वर्तमान में पुनर्विचार तो दूर उनकी वैधानिकता पर भी किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज पर आज हम लोगों ने यहां बहस की है।

मैं यह कहना चाहूंगी, 26 तारीख को जैसे ही यह चीज मालूम हुई, जैसे ही पंजाब के अंदर यह हुआ तो तुरन्त ही 26 तारीख को मैं दिल्ली गयी हूं और प्रधान मंत्रीजी से और वहां जल संसाधन मंत्रीजी से चर्चा हम लोगों ने की। राजस्थान का हक दिलाने के लिए हमने उनके सामने भी अपना आग्रह किया और यह भी उनको कहा कि जो हैडवर्क्स हैं हरिके, फिरोजपुर, रोपड़ के, उन्हें भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया जाए ताकि हम सबके हितों की रक्षा हो सके। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों के लिए कुछ प्राब्लम है। आप लोगों ने भी कई चीजें जो मंत्रीजी ने अपने भाषण के अंदर कहीं उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं समझती हूं कि उन्होंने उन चीजों का नोट लेते हुए उनके ऊपर क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं, वह आपके सामने बताया।

मैं लम्बा खींचना नहीं चाहती हूं परन्तु मैं यह जरुर कहूंगी कि आज मुख्य मंत्री के रूप में नहीं पर सदन के नेता के रूप में आप लोगों के बीच में सब को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान का हक पूर्व में आबंटित हमारा पूरा पानी जो प्रदेश को मिल रहा है, उसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और सभी दलों को विश्वास में लेकर और राजस्थान के भविष्य की चिन्ता करते हुए आज जो चिन्ता आप सब माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है उनके साथ मैं अपनी चिन्ता को जोड़ते हुए जो आवश्यक कदम उठाने की जरुरत पड़ेगी उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी सहायता से उससे आगे चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि जो भावनाएं और जो-जो चिन्ताएं आपने सदन के अन्दर प्रकट की हैं, उसके अनुरूप आप और हम सब मिलकर इस संघर्ष को एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यह लड़ाई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की भी नहीं है, यह पूरे राजस्थान की जनता की है। विभिन्न समझौतों के माध्यम से संवैधानिक रूप से प्रदत्त हमारा पूरा पानी हमें मिले, इसके लिए आप और हम सब मिलकर वातावरण ऐसा बनाएंगे, केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखेंगे ताकि हमारे हक को हम पूरी तरह से पा सकें।

इस 28 जून को राजस्थान की सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रथम सर्वदलीय बैठक में एक सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव तैयार किया गया और उसके लिए मैं विशेष रूप से विपक्ष की पार्टी जिसमें कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल है, सी.पी.एम. है, सी.पी.आई. है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लोक जन शक्ति है, सामाजिक न्याय मंच है और जनता दल भी है, इन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती हूं और उनके द्वारा दिये गये पूरे सहयोग की मैं सराहना करना चाहती हूं। सदन की सहमति से मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान के कई सांसद अपने हैं, यदि लोक सभा में इस मुद्दे को सामूहिक रूप से उठाने की जरुरत पड़ी तो उस तरीके से हम और आप मिलकर इंस्ट्रक्शन देंगे। राष्ट्रपतिजी और प्रधान मंत्रीजी के पास अगर हमें जाने की जरूरत पड़ी, इसको उठाने की जरूरत पड़ी, जो मुझे लगता है होगा, तो सब राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल बनाकर उसके माध्यम से हम उनको अवगत कराने जाएंगे। मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है। सदन की सहमति से इस मुद्दे पर अगर आपको कोई लीगल व्यू लेने की जरूरत है, कोई लीगल ल्यूमिनरी उसमें लाने की जरूरत हो, किसी कोर्ट के अन्दर इसको ले जाने की जरूरत है तो हम लोग एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श करके इसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज मुझे आप सब के विचारों से एक नई शक्ति मिली है, वाकई में मिली है और मैं समझती हूं कि आप सब के सहयोग से राजस्थान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम और आप मिलकर इसमें प्रधान मंत्रीजी, राष्ट्रपतिजी और सब कामों में लग जाएंगे तो जो आज राजस्थान के हित में उनको लाने में, राजस्थान तक पहुंचाने में पूरी तरह से हम लोग पूरा कर सकेंगे, यह मैं विश्वास करती हूं। आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, आज पूरे इतने घंटे बैठकर आपने इस डिबेट के अन्दर भाग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लिया, उसके लिए मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह जो प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से हम लोग मिलकर पारित करें। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सदन की बैठक की समाप्ति से पूर्व कल चूंकि प्रबोधन कार्यशाला भी है इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूं कि सब के सब उसमें जरूर आकर पार्टिसिपेट करें।

सदन की बैठक सोमवार... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि आज गृह मंत्रीजी ठीक पांच बजे बाद स्टेटमेंट देंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : गृह मंत्रीजी के परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गये हैं तो उनको अचानक जाना पड़ा है, मुझे विश्वास है कि आप उस बात को समझ लें। 12 को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : 12 को दे देंगे।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.46 बजे सोमवार, 12 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

5. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक किस-किस विभाग द्वारा कितने-कितने कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) नियोजन कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से विभिन्न विभागों में दी गई नियुक्तियां सम्बन्धी विभागवार विवरण संलग्न है।

(2) राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दिनांक 31 मई 2004 तक कुल 792033 आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत आशार्थियों में से 136990 अनुसूचित जाति, 85698 अनुसूचित जनजाति, 145179 अन्य पिछड़ा वर्ग 102868 महिलायें एवं 26401 निशक्तजन पंजीकृत हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

6. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कौन-कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित है एवं उनमें कितनी शैय्याओं की क्षमता है?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी केन्द्र को रेफरल अस्पताल या उच्च श्रेणी के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्वास्थ्य केन्द्र को और उसे कब तक क्रमोन्नत कर दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

(श्री नवरतन राजोरिया)

(3) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ रेनवाल में वर्तमान में 30 शैय्याएं ही स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ा कर 50 किए जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में वर्तमान सुविधाओं व उनकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव तैयार कर रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ऐसे कौन-कौनसे स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल किये जाने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। सांभर में 50 एवं किशनगढ़ रेनवाल में 30 शैय्याएं स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्तमान क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होने के कारण इन केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने का निकट भविष्य में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ़ रेनवाल में वर्तमान में 30 शैय्याएं हैं एवं इनका कम उपयोग होने के कारण इनमें वृद्धि करने का विचार नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांभर में वर्ष 2006-07 में नवीकरण एवं मरम्मत व सुधार, उपकरण, औषधियां उपलब्ध कराने के लिए 56.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही इस संस्थान को मापदण्ड के अनुरूप वर्ष 2004-06 में राशि रुपये 4.00 लाख की दवाईयां भी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

फसलों का समर्थन मूल्य

7. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार किसानों की पैदावार का लागत मूल्य निकलवाकर लाभकारी मूल्य दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

किसानों को उनकी पैदावार का लागत मूल्य दिलवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा "कृषि लागत एवं मूल्य आयोग" को प्रस्ताव भिजवाये जाते हैं तथा आयोग की अनुशंषा के आधार पर भारत सरकार प्रमुख खरीफ एवं रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करती है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तन

8. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयीय पाठ्यक्रम को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एन. सी. ई. आर. टी. के अनुरूप करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) वर्तमान में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों का क्या उपयोग होगा और इससे कितनी धन राशि का अपव्यय होगा?

उत्तर

(1) जी हां। कक्षा 9 व 10 में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तृतीय भाषा, विज्ञान, गणित सामाजिक विज्ञान एवं इसी सत्र से अंग्रेजी वर्क बुक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल, हिन्दी साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, गणित, राजनीतिक विज्ञान में इसी सत्र से एवं अंग्रेजी साहित्य, सामान्य अंग्रेजी, अनिवार्य हिन्दी अगले सत्र से चालू की जावेगी।

(शिक्षा मंत्री)

(2) वर्तमान में मुद्रित पुस्तकें सत्र 2004-05 पर्यन्त चलेगी, इस कारण धन का अपव्यय होना सम्भावित नहीं है।

जवाई बांध परियोजना का अपूर्ण कार्य

9. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जलग्रहण क्षेत्र पुन: संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाई बांध परियोजना के पांच पैकेज हैं? यदि हां तो प्रत्येक पैकेज का माइल स्टोन का समय कब पूरा हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक पैकेज के माइल स्टोन की अवधि पूरी होने तक ठेकेदार को कितना कार्य करना था तथा वास्तविक कार्य कितना हुआ? पैकेजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय पर कार्य नहीं किया गया? यदि हां तो देरी के लिए ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उपरोक्त पैकेज को समय पर पूरा कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम माईल स्टोन की समाप्ति दिनांक का विवरण परिशिष्ट-अ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अनुबंध अनुसार पैकेजवार निर्धारित कार्य की मात्रा एवं वास्तविक कार्य की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-ब सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। साण्डेराव वितरिका एवं पावा माईनर में संवेदक के बिल में माह 6/2004 में बकाया कार्य नहीं करने हेतु विश्व बैंक समझौता अनुसार पैनल्टी लगाई गई। प्रथम माईल स्टोन के पुन: निर्धारण हेतु चार प्रकरण आईटम संख्या 1, 2, 4 एवं 5 विचाराधीन हैं।

(सिंचाई मंत्री)

गोगरा वितरिका एवं गोगरा माइनर नम्बर 2 का कार्य संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं करने के कारण कार्या देश निरस्त कर दिये गये हैं।

(4) संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु पैकेजवार क्रम संख्या 1 एवं 5 का 4 वर्ष तथा 2 एवं 4 का 3 वर्ष एवं 3 का 21/2 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि कार्य करने में संवेदक विफल रहा तो नियमानुसार कार्यवाही कर कार्य की पुन: निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाई बांध परियोजना के स्वीकृत पांच पैकेज के प्रथम माईल स्टोन की समाप्ति दिनांक का विवरण

क्र. सं.	पैकेज का नाम	प्रथम माईल स्टोन समाप्त होने की तिथि
1.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना जवाई मुख्य नहर एवं जाखोड़ा माइनर प्रणाली के पुन:रुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	23.02.2004
2.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना साण्डेराव वितरिका एवं पावा माइनर प्रणाली के पुन:रुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	27.02.2004
3.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना गोगरा वितरिका एवं गोगरा माइनर नम्बर 2 प्रणाली के पुन:रुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	23.02.2004
4.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना तखतगढ़ वितरिका एवं तखतगढ़ माइनर प्रणाली के पुन:रुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	27.02.2004
5.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना बिठीया वितरिका एवं बिठीया माइनर, उम्मेदपुर माईनर, पावटा माइनर प्रणाली के पुन:रुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	23.02.2004

परिशिष्ट–ब

राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना कार्यक्रम के अवधि पूरी होने तक अनुबंध अनुसार निर्धारित कार्य की मात्रा का विवरण

क्र. सं.	पैकेज का नाम	प्रथम माईल स्टोन की समाप्ति तक संवेदक को निष्पादित किये जाने की निर्धारित कार्य की मात्रा अनुबंध अनुसार	प्रथम माईल स्टोन समाप्ति तक संवेदक द्वारा निष्पादित किया गया कार्य की मात्रा
1.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना जवाई मुख्य नहर एवं जाखोड़ा माइनर प्रणाली के पुन:रुद्घार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	1. मिट्टी कार्य 172000 घनमीटर 2. कंकरीट लाइनिंग कार्य 334000 वर्ग मीटर 3. 21.62 किलोमीटर	25000 घनमीटर 106300 वर्गमीटर 8.94 किलोमीटर
2.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना साण्डेराव वितरिका एवं पावा माइनर प्रणाली के पुन:रुद्घार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	1. मिट्टी कार्य 30000 घनमीटर 2. कंकरीट लाईनिंग कार्य 70000 वर्गमीटर 3. 12.14 किलोमीटर	8000 घनमीटर 3600 वर्गमीटर 4.4 किलोमीटर
3.	राजस्थान जलक्षेत्र पुन:संरचना परियोजना गोगरा वितरिका एवं गोगरा माइनर नम्बर 2 प्रणाली के पुन:रुद्घार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	1. मिट्टी कार्य 34800 घनमीटर 2. कंकरीट लाइनिंग कार्य 38450 वर्ग मीटर 3. 6.27 किलोमीटर	शून्य शून्य शून्य

1	2	3	4
4.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना तखतगढ़ वितरिका एवं तकतगढ़ माइनर प्रणाली के पुनःरुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	1. मिट्टी कार्य 46000 घनमीटर 2. कंकरिट लाईनिंग कार्य 40000 वर्ग मीटर 3. 7.98 किलोमीटर	कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है शून्य
5.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना बिठीया वितरिका एवं बिठीया माइनर, उम्मेदपुर माईनर, पावटा माईनर प्रणाली के पुनःरुद्धार कार्य (जवाई बांध सिंचाई परियोजना)	1. मिट्टी कार्य 45000 घनमीटर 2. कंकरीट लाईनिंग कार्य 55000 वर्ग मीटर 3. 8.48 किलोमीटर	3000 घनमीटर 3660 वर्गमीटर 0.364 किलोमीटर

जिला पाली में मेटल सड़क निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

10. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मेटल सड़क से जुडे हुए तथा जिनकी आबादी एक हजार से ज्यादा है ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रखने का प्रावधान है?

(2) जिला पाली में वर्ष 2003-04 में इस प्रकार के कितने मामले हैं जिसमें मेटल सड़क (डब्ल्यू. बी. एम.) की निविदाएं आमंत्रित की गई?

(3) वर्ष 2003-04 में उक्त जिले में ऐसे कितने मामले हैं जिसमें डामर सहित सड़क की निविदाएं निकाली गई परन्तु उन्हें केवल (डब्ल्यू. बी. एम.) मेटल सड़क करवा के ही छोड़ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन संवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(5) क्या सरकार जिन अधिकारियों द्वारा संवेदकों को सीधा लाभ पहुंचाने की कार्यवाही की गई उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1000 व अधिक आबादी वाले ऐसे गांव जो वर्तमान में मेटल सड़क से जुड़े हुये हैं, ऐसी सड़कों का अपग्रेडेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 तक की आबादी के सड़क से नहीं जुड़े गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के पश्चात् प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(2) जिला पाली में वर्ष 2003-04 में एक मामला है जिसमें मेटल सड़क (डब्ल्यू.बी.एम.) की निविदायें की गई हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2003-04 में ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें डामर सहित सड़क की निविदायें निकाली गईं, परन्तु उन्हें केवल (डब्ल्यू.बी.एम.) मेटल सड़क करवा के छोड़ दिया गया हो।

(4) जी हां। जिन संवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया उनके विरुद्ध अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की गई है तथा कार्य समाप्ति पश्चात् गुण-दोष के आधार पर अंतिम क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है।

(5) जी नहीं। पाली जिले में संवेदकों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

पाली जिले में वर्ष 2003-04 में आमंत्रित की गई
मेटल सड़क की निविदाओं की सूची

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र/पंचायत सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	निविदा राशि	वर्तमान स्थिति	दिनांक कार्यपूर्ण
1.	रायपुर/रायपुर	मेटल सड़क निर्माण कार्य कानूजा से से पचानपुरा वाया बलूपुरा किमी. 4/0 से 5/500 (1.5 किमी.) (स्वीकृत राशि 1.66 लाख)	विधायक विकास योजना	1,45,427	कार्य पूर्ण	15-3-04

विधान सभा क्षेत्र बयाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय

11. **श्री अतर सिंह भड़ाना** (बयाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को प्रशासनिक कार्यों के लिए 46 किलोमीटर दूर भरतपुर जाना पड़ता है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना की जनता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए बयाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बयाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय नहीं है, किन्तु क्षेत्र की जनता के प्रशासनिक कार्यों के लिए बयाना में उपखण्ड कार्यालय स्थापित है।

(2) वर्तमान में राज्य में परिसीमन आयोग द्वारा नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर लागू प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

प्रश्न संख्या—12

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र आहोर के चिकित्सालय

13. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर (जालौर) में कितने राजकीय चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अधीनस्थ चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार नहीं है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार उक्त कमी को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में कई चिकित्सालयों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों का पदस्थापन होने के बावजूद भी अधिकतर चिकित्सक नियमित रूप से चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपस्थित नहीं होते हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 54 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर, एवं 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुछ पद रिक्त है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

रिक्त पदों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सेक्टर सुपरवाईजर एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति श्रेणी के हैं जो कि पदोन्नति समिति की बैठक होने पर भरे जा सकेंगे। चिकित्सा अधिकारी का पद भरे जाने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रसाविका के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) सभी चिकित्सक नियत समय पर चिकित्सालय में उपस्थित होते हैं, जो चिकित्सक मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं या नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित नहीं होते हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढा बालोतान
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरजी
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादरली
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदराई
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाद्राजून
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरानी
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदन
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बादनवाडी
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओडवाडा

उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

1. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, दयालपुरा
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा
3. उप स्वास्थ्य केन्द्र, भैसवाड़ा
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र, काम्बा
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र, जोगनी
6. उप स्वास्थ्य केन्द्र, चरली

7. उप स्वास्थ्य केन्द्र, खारा
8. उप स्वास्थ्य केन्द्र, जोगावा
9. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा
10. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेदाना
11. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेदरिया
12. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिठडा
13. उप स्वास्थ्य केन्द्र, अगवरी
14. उप स्वास्थ्य केन्द्र, उम्मेदपुर
15. उप स्वास्थ्य केन्द्र, हरियाली
16. उप स्वास्थ्य केन्द्र, डोडीयाली
17. उप स्वास्थ्य केन्द्र, थावला
18. उप स्वास्थ्य केन्द्र, चवरछा
19. उप स्वास्थ्य केन्द्र, छिपरवाड़ा
20. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, रोडला
21. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कवला
22. उप स्वास्थ्य केन्द्र, कवराड़ा
23. उप स्वास्थ्य केन्द्र, भूती
24. उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाचोटा
25. उप स्वास्थ्य केन्द्र, वलदरा
26. उप स्वास्थ्य केन्द्र, चूण्डा
27. उप स्वास्थ्य केन्द्र, शखवाली
28. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामा
29. उप स्वास्थ्य केन्द्र, भाद्राजून ढाणी
30. उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोरवा
31. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बाकली
32. उप स्वास्थ्य केन्द्र, भीरड़ा
33. उप स्वास्थ्य केन्द्र, धाणा
34. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरवा

35. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोडिवाड़ा
36. उप स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बला
37. उप स्वास्थ्य केन्द्र, रायथल
38. उप स्वास्थ्य केन्द्र, नोसरा
39. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बाला
40. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बेड़या
41. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुगालिया जोधा
42. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सराणा
43. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बावड़ी
44. उप स्वास्थ्य केन्द्र, आईपुरा
45. उप स्वास्थ्य केन्द्र, नीलकंठ
46. उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवकी
47. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांकरणा
48. उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाणवा
49. उप स्वास्थ्य केन्द्र, उण
50. उप स्वास्थ्य केन्द्र, देंचु
51. उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोकड़ा
52. उप स्वास्थ्य केन्द्र, सागुजा
53. उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवावास
54. उप स्वास्थ्य केन्द्र, मिठड़ी

परिशिष्ट–ब

विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित चिकित्सा संस्थानों के रिक्त पदों का विवरण चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या

क्रं सं	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ लिपिक	1 1

2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाबालोतान	सैक्टर सुपरवाईजर मेल	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंवरानी	सैक्टर सुपरवाईजर मेल प्रसाविका	1 1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरजी	सैक्टर सुपरवाईजर मेल प्रसाविका	1 1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदराई	सैक्टर सुपरवाईजर मेल प्रसाविका	1 1
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाद्राजून	सैक्टर सुपरवाईजर मेल प्रसाविका	1 1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादरली	प्रसाविका	1
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदन	प्रसाविका	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओडवाड़ी	चिकित्सा अधिकारी	1

विधान सभा क्षेत्र मावली हेतु प्रस्तावित जलग्रहण एवं भू-संरक्षण योजनाएं

14. **शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील मावली जिला उदयपुर में पीने के पानी का भारी संकट है तथा जल स्तर निरन्तर घटता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार संपूर्ण तहसील में जल ग्रहण एवं भू संरक्षण कार्य वृहद् स्तर पर कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

तहसील मावली में जलस्तर की वृद्धि हेतु मैको मैनेजमेंट मोड के तहत राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना में वर्तमान में निम्न परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:

(कृषि मंत्री)

कं सं.	जल ग्रहण क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	स्वीकृत लागत	अंवधि
1.	बासलिया	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
2.	लोपड़ा	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
3.	चंगेड़ी	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
4.	वासनी	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
5.	फलीचड़ा-1	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
6.	फलीचड़ा-2	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2001–02 से 2005-06
7.	मोरठ	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2002–03 से 2006-07
8.	फतेहनगर	500 हैक्टेयर	22.50 लाख	2002–03 से 2006-07

अनुमानित महाविद्यालयों को अनुदान स्वीकृति हेतु नीति

15. **श्री देवी शंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुदानित महाविद्यालयों को अनुदान दिये जाने हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त नीति सभी अनुदानित महाविद्यालयों में समान रूप से लागू की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण मय कारण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनुदानित महाविद्यालयों का संचालन, एवं अनुदान दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में नियम, 1993 बनाये गये। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाता है तथा इन्हीं नियमों के अध्याय 3 नियम संख्या 9 से 22 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां।

धौलपुर-चम्बल लिफ्ट परियोजना से नदबई क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति

16. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर–चम्बल लिफ्ट परियोजना से जिला भरतपुर के अधिकांश गांवों को पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार उक्त परियोजना से नदबई क्षेत्र के लिए भी पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव इससे लाभान्वित होंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर लिफ्ट परियोजना से प्रथम चरण में 143 ग्रामों व द्वितीय चरण में 787 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट– 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण

17. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की सड़क नीति के तहत 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के कितने गांव डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कों से जुड़े हुए हैं? इनमें 1000 से अधिक के कितने गांव हैं? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डब्ल्यू.बी.एम. की सड़कों का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? क्षतिग्रस्त डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के रख-रखाव के संबंध में सरकार की क्या नीति है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 1000 से अधिक की आबादी के शेष गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ये कार्य राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के कुल 15 गांव डब्ल्यू.बी.एम. स्तर की सड़कों से जुड़े हुये हैं। इनमें 1000 व अधिक जनसंख्या के 8 गांव है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है।

(3) डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण का कार्य राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें विभाग की रख-रखाव की सूची में है। सड़कों का रख-रखाव उपलब्ध वित्तीय संसाधनों व प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(4) जी हां। 1000 से अधिक जनसंख्या के बिना जुडे शेष गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डब्ल्यू.बी.एम. स्तर पर सड़क से जुड़े हुये गांवों की सूची

1000 तथा उससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांव

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या वर्ष 1991	डब्ल्यू.बी.एम. किमी में	डामरीकरण हेतु अनुमानित राशि लाखों में
1	ढाढरिया कलां	1771	5.00	35.00
2	बच्छवारी	1414	6.00	42.00
3	डाओली मीठी	1022	8.00	56.00
4	कुत्यासनी खुर्द	1134	3.00	21.00
5	बिखरनिया खुर्द	1059	7.00	35.00
6	थाटा	1193	2.00	14.00
7	खुदवाड़	1342	5.00	35.00
8	किलां	1068	5.00	35.00

1000 से कम जनसंख्या वाले गांव

1	कवांल	527	5.00	50.00
2	गोनरडा	533	3.00	30.00
3	पुनास	874	2.00	12.00
4	भादवासी	820	1.00	6.00
5	लवादर	908	2.00	12.00
6	चोलियास	450	5.00	50.00
7	भंवरिया	490	4.00	40.00

कुल योग—15

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन

18. **श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि-भूमि को उद्योग हेतु अकृषि में संपरिवर्तन के लिए सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे निर्देश कब-कब जारी हुये? निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नमक उत्पादन हेतु अथवा नमक उद्योग हेतु कृषि भूमि को अकृषि भूमि में संपरिवर्तन नियम 1961 व संशोधित नियम 2001 के अंतर्गत किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके पश्चात् भी नियमों में कोई संशोधन किया गया है? यदि हां, तो कब तथा क्यो? संपूर्ण नियमों की संशोधित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा मोजा-नावां (नागौर) में कृषि भूमि को नमक प्रयोजनार्थ अकृषि में संपरिवर्तन की स्वीकृति की अनुज्ञा दिनांक 19 अप्रैल, 2004 दी है? यदि हां, तो किन-किन को तथा इसकी अनुपालना जिला कलेक्टर नागौर द्वारा कब की गई? पालना आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्रम संख्या 3 में वर्णित संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा जारी संपरिवर्तन की स्वीकृति की अनुज्ञा दिनांक 19 अप्रैल, 2004 की अनुपालना करने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जवाबदेह हैं? क्या सरकार आदेशों की अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि को उद्योग हेतु अकृषि सम्परिवर्तन के लिए राजस्थान भू-राजस्व कृषि भूमि अकृषि प्रयोजन के लिए भूमि संपरिवर्तन) नियम 1961 थे जिन्हें अधिसूचना दिनांक 5/3/2003 के द्वारा निरसित किया जा चुका है। उद्योग प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 बने हुए हैं । वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व

(राजस्व मंत्री)

अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम 1961 के नियम राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5-3- 2003 के द्वारा निरसित किये जा चुके हैं। नमक उद्योग हेतु कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन (ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ) नियम 1992 के तहत किया जाता है।

(3) जी नहीं, इस संबंध में संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 19-4-2004 को कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(4) क्रम सं 3 के उपरोक्त बिन्दु में वर्णित स्वीकृति की अनुपालना के लिए कोई भी जवाबदेह नहीं है, क्योंकि 19 4 2004 की कोई भी अनुज्ञा स्वीकृति जारी ही नहीं हुई है।

लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

19. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ शहर नेशनल हाइवे नं. 11 पर स्थित है एवं इसकी आबादी पचास हजार से अधिक है?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक लक्ष्मणगढ़ शहर में सरकार द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है एवं न ही कोई इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर चालू किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के काफी उद्योगपतियों ने इस संबंध में समय-समय पर सरकार को ज्ञापन भी भिजवाये हैं?

(4) क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ शहर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य में उद्यमिता आकलन के आधार पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के संबंध में रीको द्वारा उद्यमिता आकलन एवं भूमि को उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र करौली में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

20. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय कहां-कहां किस-किस गांव में कब-कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र की बढ़ती आबादी को मध्य नजर रखते हुए वहां नये आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली में वर्तमान में 11 आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय तथा 2 होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं। औषधालय किस-किस गांव में कब-कब से संचालित है, का विवरण परिशिष्ट 'क' पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर नवीन औषधालय खोले जा सकेंगे तथा स्थान भी प्रावधान प्राप्त होने पर निर्धारित किये जायेंगे।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र करौली में संचालित/आयुर्वेद होम्योपैथी औषधालय चिकित्सालयों का विवरण

कं:सं	औषधालय का नाम	चिकित्सा पद्धति	संचालित वर्ष
1.	'अ' श्रेणी करौली	आयुर्वेद	1948
2.	रामपुरा	आयुर्वेद	1958
3.	सेंगरनपुरा	आयुर्वेद	1958
4.	चैनपुर	आयुर्वेद	1950
5.	डाण्डा	आयुर्वेद	1958
6.	पिपरानी	आयुर्वेद	1958
7.	कोटा महोली	आयुर्वेद	1958
8.	सुन्दरपुरा	आयुर्वेद	1953
9.	रतियापुरा	आयुर्वेद	1981
10.	मांच	आयुर्वेद	1983-84
11.	तुलसीपुरा	आयुर्वेद	1985-86
12.	करौली	होम्योपैथी	1985
13.	परीता	होम्योपैथी	1976

ग्राम लालगढ़ जाटान, तहसील सादुल शहर की बन्द कृषि उपज मण्डी

21. **श्री गुरजंट सिंह बराड़** (संगरिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम लालगढ़ जाटान तहसील सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर में स्थापित कृषि उपज मण्डी का निर्माण कब हुआ?

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त कृषि उपज मण्डी बन्द पड़ी हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कृषि उपज मण्डी को पुन: शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में स्थापित कृषि उपज गौण मण्डी में चारदीवारी के कुछ भाग, जिसमें कुछ विवाद था, को छोड़कर निर्माण वर्ष 1999-2000 में हुआ। चार दीवारी का विवादित भाग वर्ष 2003-2004 में पूर्ण हुआ।

(2) उक्त कृषि उपज गौण मण्डी के निर्माण पर कुल 98.59 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(3) जी हां। उत्तर दिशा की आबादी हेतु रास्ते के विवाद के कारण चार दीवारी का निर्माण नहीं हो सका। इस कारण मण्डी शुरू नहीं हो सकी।

(4) जी हां। उक्त गौण मण्डी को शीघ्र शुरू करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण

22. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) एवं **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जो शिक्षक/कर्मचारी 05 वर्ष तक निरन्तर शहर में पदस्थापित रहे हैं, उन्हें शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर झुकाव करने की दृष्टि से ग्रामीण भत्ता स्वीकार करने तथा शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी भत्ता बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण नीति में निर्देशित मानदण्डों को विधि सम्मत मान्यता प्राप्त है एवं क्या उक्त नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 5 वर्ष तक निरन्तर शहर में पदस्थापित शिक्षक/कर्मचारी को 100 किलोमीटर की दूरी पर लगाये जाने का विभागीय निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शासन सचिव (मा.) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। सरकार गहनता से विचार कर रही है, अंतिम निर्णय शीघ्र ले लिया जावेगा।

300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के बांधों का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण

23. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के बांध ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) सरकार द्वारा इन बांधों के रख-रखाव व सुरक्षा व्यवस्था हेतु हस्तान्तरण के बाद कितनी राशि आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 80 हैक्टेयर तक के 31-3-2000 को एवं 80 से 300 हैक्टेयर तक के 15-9-2003 को।

(2) वर्ष 2003-04 में अनुपातिक राशि 21.94 लाख रुपये पंचायत विभाग को सिंचाई विभाग से हस्तानान्तरण किये गये। चालू वित्तीय वर्ष में 4 माह हेतु अनुपातिक राशि 6.66 लाख रुपये के हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

24. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश खींची)

(1) क्या यह सही है कि सरकार का मिसिंग लिंक रोड को जोड़ने का विचार है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर में मिसिंग लिंक रोड व खेड़ली बाईपास जो अधूरे पड़े हैं, को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि मण्डावर (दौसा) तथा अलवर रोड से ग्राम फहड़ावती सड़क का कार्य करीब 8 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है? क्या सरकार अब उक्त सड़कों का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम गढी सवाईराम से लक्ष्मणगढ़ तक सी.आर.एफ. में अपग्रेड करने का सरकार का विचार है? यदि हां तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि टोंग से दौसा सीमा वाया कारवाडी तक डब्ल्यू बी.एम. सड़क मौके पर काफी वर्षों से बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा कठूमर विधान सभा क्षेत्र मे 6 मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी की है, जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा रही है। कार्य प्रगति पर है एवं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। खेड़ली बाईपास का कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया था। अधूरे कार्य को पूर्ण करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

(3) जी हां। सड़क की स्वीकृत लम्बाई 3.00 किमी. में से 2.650 किमी. का कार्य पूरा हो चुका है एवं 350 मीटर का कार्य डब्ल्यू.बी.एम. तक अधूरा है। इस अधूरे कार्य को पूरा किया जाना राज्य के वितीय संसाधनों की उपलब्धता व प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(4) जी हां। कार्य प्रगति पर है जिसको इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना संभावित है।

(5) जी हां। प्रश्न में वर्णित सड़क टोंग से दौसा सीमा वाया कारवाड़ी न होकर सड़क का नाम टोडा से दौसा सीमा वाया कांटवाड़ी है। यह ग्रेवल की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क है, इस पर डामरीकरण कराया जाना राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

प्रश्न संख्या-25

(स्थगित)

ठेके पर कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड संस्थाएं

26. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में ठेके पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों/रजिस्टर्ड संस्थाओं व ठेकेदारों को अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्लेसमेंट एजेंसियां/रजिस्टर्ड संस्थाएं या ठेकेदार सरकार व बेरोजगारों से कोई सेवा शुल्क वसूल करती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और कितना? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन एजेंसियों/संस्थाओं या ठेकेदारों द्वारा बेरोजगारों का शोषण करने, गुमराह करने व मनमानी राशि वसूल करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इनकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में ठेके पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट ऐजेन्सियों/रजिस्टर्ड संस्थाओं एवं ठेकेदारों को अधिकृत करने के संबंध में कोई नियम/कानून नहीं बनाये हैं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार से जो दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके तहत प्लेसमेंट ऐजेन्सियों के पंजीयन का कार्य रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा किया जाता है। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत रोजगार ऐजेन्सी द्वारा बेरोजगारों के पंजीकरण हेतु रुपये 100/- राशि वसूल करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिकतम एक माह का वेतन लेने का प्रावधान है। जहां तक सरकारी विभागों से सेवा शुल्क वसूल करने का

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

प्रश्न है, यह नियोक्ता एवं प्लेसमेंट ऐजेन्सी के पारस्परिक सहमति पर निर्भर करता है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-अ

F.NO. DGE&T-M-270 14/2/2003-EE.I
Government of India
Ministry of Labour
DGE&T

3/10 Jamnagar House,
Shajahan Road,
New Delhi-110011

Dated : 30th October 2003

To

All Labour Secretaries and
States/Uts Directors of Employment.

Sir,

I am directed to say that in the Special Meeting of the Working Group on National Employment Service held on 8.4.03 a Committee on Private Employment Agencies was constituted under the Chairmanship of Principal Secretary, L & E, Gujarat with representatives from Governments of Maharashtra, Rajasthan, Punjab & DGE&T to evolve guidelines on Operation of Private Placement Agencies.

A copy of guidelines as approved in the meeting of the Committee on Private Employment Agencies held on 26-9-2003 at Shram Shakti Bhawan, New Delhi is enclosed herewith for necessary action.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

- Sd/-

(K.S. Meena)
Joint Director of Employment Exchanges

Guidelines on Operation of Private Placement Agencies

(i) The Private Placement Agencies are defined as those agencies, which cater to the specific placement requirement of the labour market within the country. It should not include such agencies, which are covered under the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 19... and Inter-state Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.

(ii) The Private Placement Agencies should be registered with the designated authority of State/UT. For registration of such agencies security deposit if considered necessary by the State/UT would be necessary to safeguard the interest of the job-seekers.

(iii) Such agencies should provide more or less regular Jobs.

(iv) Private Placement Agencies will take adequate care to see that placement is not made for illegal activities.

(v) The Private Placement Agencies for placement are required to provide the placement services through matching of employers requirement with the profile of job seekers registered with them. In such cases the Private Placement Agencies may, therefore, have to be allowed to take reasonable service charges from the job seekers, which should not exceed first monthly wage of the job seeker. However, the Private Placement Agencies may not be allowed to charge more than Rs. 100/- as registration charges from job seekers to meet the initial services charges.

(vi) The service charges to be paid by the employer to the Private Placement Agencies may be left open because it is a mutual agreement between the employer and the Private Placement Agencies. It should, however, be ensured that any amount of charges to be paid by the employer to the Private Placement Agencies for making placement services should not affect the rate of monthly wage of the job seeker.

(vii) Private Placement Agencies shall maintain a job seekers database which should be made available to State/UT controlled Employment Exchanges and vice versa on mutually agreed term.

(viii) The Employment Department of the State/UT Government may be authorized a ensure the compliance of these guidelines on the functioning of Private Placement Agencies and both the agencies should work in harmony.

(ix) While regulating the Private Placement Agencies, the respective

States/UTs will device their mechanism of inter action between Public and Private Placement Agencies.

(x) In case of violation made by the Private Placement Agencies the State/UT Government will have the right to forfeit his security deposit, besides cancellation of registration.

(xi) It should be obligatory on the part of the Private Placement Agencies to share the statistical information connected with the registration and placement of job seekers as prescribed by the State/UT Govt. Authorized persons of the State/UT will have right to ascertain, the names of the employers to whom the services are provided by the Private Placement Agency.

(xii) Redressal of grievances or disputes may be settled by some designated authority as declared by the State/UT Government.

(xiii) Agreement between the designated authority by the State/UT Government and concerned placement agencies should be signed.

(xiv) The Private Placement Agencies registered with the designated authority of Government shall display their registration number and other details as may be required in conspicuous manner.

(xv) If registered Private Placement Agencies have branches in other States, it will be required to enter into separate agreement(s) with the designated authority of the concerned State(s) / UT(s).

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडक स्टेशन (रामगंजमण्डी)

27. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मोडक स्टेशन (उद्यपुरा) मुख्यालय पर यूनिसेफ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया था? यदि हां, तो क्या वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पर्याप्त भवन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी उक्त केन्द्र बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य भवन को चालू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। मोडक स्टेशन (उद्यपुरा) मुख्यालय पर यूनीसेफ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नही खोला गया था अपितु यू. एन. एफ. पी. ए. के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वित्तीय सहयोग से पूर्व से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर कुछ अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था। उक्त योजना के बन्द हो जाने के कारण योजनान्तर्गत सृजित पद दिनांक 20-9-95 को समाप्त कर दिये गये तथा वर्तमान में मोडक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त भवन में यथावत स्थापित है।

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथावत संचालित है।

जिला जैसलमेर के सुभारवाला में कृषि उपज मण्डी समिति का निर्माण

28. **डा. एन.एस.गुर्जर** (टोडारायसिंह) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैसलमेर जिले के सुभारवाला स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी कृषि उपज मण्डी बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मण्डी पर सरकार द्वारा अब तक कोई राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कितनी व कब?

(3) उक्त जिले में कितनी मण्डियों का निर्माण करवाया गया है एवं उन मण्डियों में क्रमशः कितनी-कितनी आवक रहती है?

उत्तर

(1) उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कृषि विभाग द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

(2) कृषि विपणन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सुथारवाला में कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) जैसलमेर जिले में केवल एक ही मण्डी जैसलमेर है। पोकरण एवं मोहनगढ़ जैसलमेर मण्डी के गौण मण्डी यार्ड हैं। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर एवं गौण मण्डी यार्ड मोहनगढ़ में निर्माण कार्य कराये गये हैं, इनके अलावा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नाचना एवं रामगढ़ में भी निर्माण कार्य कराये गये हैं। आवक की सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

परिशिष्ट-अ

जैसलमेर जिले की मण्डियों में कृषि जिन्सों की आवक वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक (आवक क्विंटल में)

क्र. क्षेत्र	कृषि जिन्स	मुख्य मंडी जैसलमेर			मोहनगढ़ क्षेत्र			नाचना क्षेत्र			रामगढ़ क्षेत्र			पोकरण		
		01-02	02-03	03-04	01-02	02-03	03-04	01-02	02-03	03-04	01-02	02-03	03-04	01-02	02-03	03-04
1	बाजरा	248	-	12822										-	5264	4070
2	जौ				20											
3	ज्वार															
4	गेहूं			8430		130	1200			1038				-	-	9630
5	चना			83	20	100	1875									
6	मूंग	8	370		60	17	270									
7	मूंगफली			966			440									
8	ऊन	456	29	838	436	190	49			134	308	339	146	727	747	505
9	कपास						69									
10	नरमा			6	42	227	601									
11	शक्कर	2325	2696	25582			160									
12	सरसो		665	362	21574	37690	5518							11605	7960	7070
13	रायड़ा		381	1883												
14	तारामीरा		244	478		263	637				8					
15	तिल				23		3									
16	जीरा				20	110	431									
17	गुड़	496	621	7467										1000	1548	
18	ग्वार	4914	90	25344	23158	1092	28946			279			566	535	-	-
19	ईसबगोल		450	8	50	4945	4228									
20	मोठ	15	149		200		190									

राजगढ़ (चूरू) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

29. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्यालयों की क्रमोन्नति के नियम/मानदण्ड बनाये हुए हैं? यदि हां, तो नियम मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील राजगढ (चूरू) के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकारी विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय गांव की जनसंख्या विद्यालय की कुल छात्र संख्या, अंतिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालय की दूरी, निकटतम सुविधा, गांव की भौगोलिक स्थिति, जन प्रतिनिधियों की मांग उपलब्ध बजट प्रावधान एवं गुणावगुण, आदि बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2004–05 में माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत 400 उ.प्रा.वि. को माध्यमिक स्तर में एवं 200 माध्यमिक विद्यालयों को उ.मा. स्तर में क्रमोन्नत करने का बजट प्रावधान है। विद्यालय क्रमोन्नत करते समय तहसील राजगढ़ जिला चूरू के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करते समय विचारार्थ रखा जाएगा।

उपखण्ड बौंली के गांवों को पेयजल आपूर्ति

30. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सवाई माधोपुर-नादोती वृहद् पेयजल योजना में बौंली उपखण्ड क्षेत्र के 94 गांव प्रथम चरण में चिन्हित किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार इन चिन्हित गांवों को प्रथम चरण में पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने बौंली उपखण्ड में कभी भू-वैज्ञानिकों से भूमिगत

(श्री हीरालाल)

पानी का विभिन्न योजना के तहत सर्वे कराया? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बौंली उपखण्ड क्षेत्र को द्वितीय चरण में रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उपखण्ड बौंली की पेयजल समस्या के मध्यनजर उक्त योजना को प्रथम चरण में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम चरण में तुलनात्मक अधिक खराब गुणवत्ता एवं द्वितीय चरण में तुलनात्मक कम खराब गुणवत्ता, के आधार पर ग्रामों का वचन किया गया है। तहसीलवार सूची **परिशिष्ट – 'अ'** व **'ब'** पर संलग्न है।

(2) बौंली व मलराना तोड़ का सर्वे करवा लिया गया है, रिपोर्ट **परिशिष्ट–'क'** पर संलग्न है।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

(4) जी नहीं। उक्त योजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह जून, 2002 में जारी हो चुकी है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत मुख्यालय बम्बोरी तथा मरां (नैनवां) का डामरीकरण

31. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़क नीति बनाई हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है?

(2) क्या पूर्व की सड़क नीति में ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की हुई थी, किन्तु वर्तमान नीति में ऐसा नहीं है? यदि हां, तो नीति के बदलाव के क्या कारण रहे? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नैनवा के पंचायत मुख्यालय बम्बोरी तथा मरां डामरीकृत सड़क से जुड़े हुए नहीं है? यदि हां, तो ऐसे पंचायत मुख्यालयों को सरकार डामरीकृत सड़क से कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। अभी पुनर्विचार करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। सड़क नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(3) जी हां। दोनों पंचायत मुख्यालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। शेष चार में से एक कार्य प्रगति पर है तथा तीन पंचायत मुख्यालय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

जिला जैसलमेर की ढाणियों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

32. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राजस्व ग्राम कितनी आबादी पर व किन-किन क्षेत्रों में घोषित किया जाता है?

(2) जिला जैसलमेर में 250 की जनसंख्या से अधिक कितने गांव, ढाणियां व चक हैं व इन्हें कब तक राजस्व गांव घोषित कर दिया जावेगा?

(3) सरकार द्वारा जिला जैसलमेर में उपरोक्त क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए कब व क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिन ढाणियों/मजरों एवं चक आबादी की जनसंख्या 250 से अधिक हो, रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 200 से अधिक हो, को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जिला जैसलमेर में 250 से अधिक जनसंख्या वाले 73 गांव/ढाणी/चक हैं। वर्तमान में परिसीमन आयोग के प्रतिबन्ध के कारण नवीन राजस्व ग्राम घोषित करना संभव नहीं है।

(3) जैसलमेर जिले की 45 ढाणी/चक को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये जिला कलेक्टर, जैसलमेर से राजस्व मण्डल के मार्फत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शेष 28 ढाणी / चक के प्रस्ताव में से 2 राजस्व मण्डल के स्तर पर एवं 26 जिला स्तर पर परीक्षणाधीन है। फिलहाल परिसीमन आयोग के प्रतिबन्ध के कारण नवीन राजस्व ग्राम घोषित करना संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

33. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अधिकांश चिकित्सालयों एव स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार अब कब तक इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि लूणकरणसर, खाजूवाला, कालू, छतरगढ़, महाजन, पूगल जैसे बड़े कस्बों में महिला चिकित्सक विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों? सरकार अब कब तक इन स्थानों पर महिला चिकित्सक नियुक्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूनकरणसर के चिकित्सालयों व स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत 38 पदों में से 8 पद रिक्त हैं इसी प्रकार अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वीकृत 285 पदों में से 49 पद रिक्त हैं । रिक्तियों का कारण सेवानिवृत्ति एवं अन्यत्र स्थानान्तरण होना है। संस्थावार रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स ग्रेड प्रथम, मलेरिया निरीक्षक, बी.एच.एस. के पद पदोन्नति श्रेणी के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाकर भरने के लिए विभाग प्रयासरत है। शेष सभी पद सीधी भर्ती के हैं। चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है। ए.एन.एम. के पदों को भरने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। नर्स ग्रेड द्वितीय के पदों को भरने की प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, तथा शेष पद वित्त विभाग से भर्ती में छूट मिलने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद लूनकरणसर एवं खाजूवाला में स्वीकृत हैं एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है। कालू, छतरगढ, महाजन एवं पूंगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। यहां स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत होने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र लूनकरणसर के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दन्त चिकित्सक नर्स श्रेणी द्वितीय नर्स श्रेणी प्रथम ए.एन.एम. सफाई कर्मचारी	1 1 1 3 5 1 1
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नापासर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) नर्स श्रेणी प्रथम	1 2

1.	2.	3.	4.
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूनकरणसर	नर्स श्रेणी प्रथम नर्स श्रेणी द्वितीय सहायक रेडियोग्राफर कनिष्ठ लिपिक च. श्रे. कर्मचारी	2 2 1 1 2
4.	मोबाइल डिस्पेंसरी, लूनकरणसर	सफाई कर्मचारी	1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयमलसर	नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी	1 1
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालू	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी नर्स श्रेणी द्वितीय मलेरिया निरीक्षक बी. एच. एस. (मेल)	1 1 1 1 1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरनाणा	नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2 1
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महाजन	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखसर	नर्स श्रेणी द्वितीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1 1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतपुर	चिकित्सा अधिकारी नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी	1 1 1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूगल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
12.	मोबाइल डिस्पेंसरी, पूगल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नर्स द्वितीय	1
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छत्तरगढ़	नर्स श्रेणी द्वितीय	2

1.	2.	3.	4.
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामेर दामोलाई	नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी	2 1
15.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, नाल बड़ी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
16.	उच्चीकृत उप केन्द्र, अर्जुनसर	नर्स श्रेणी प्रथम	1
17.	उप केन्द्र, रामनगर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1
18.	उप केन्द्र, कृष्णनगर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1
19.	उप केन्द्र, बालादेसर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1
20.	उप केन्द्र, 35 के.वाई.डी.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1
21.	उप केन्द्र, 4 बी.आई.के.जे.डी.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1
22.	उप केन्द्र, 27, बी.डी. 12 के.वाई.एम.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्यायें

1. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा उनमें कौन-कौनसी औद्योगिक इकाइयां चालू हालत में हैं और कौन कौनसी बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग संगठनों ने उन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के बारे में सरकार को ज्ञापन दिये हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा ज्ञापन दिये गये? ज्ञापनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औद्योगिक संगठनों की मांग के अनुसार क्या सरकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा एवं रीको औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल स्थापित है। रीको औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा एवं किशनगढ़ में वर्तमान में चालू एवं बन्द इकाइयों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'क'

(2) औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा में आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, एवं स्ट्रीट लाइटों की समुचित व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में जल आपूर्ति योजना कार्यरत थी, किन्तु क्षेत्र में जल का स्तर नीचे हो जाने के कारण निगम द्वारा निर्मित ट्यूबवेल में पानी नहीं है। अतः रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को जल प्रदाय योजना पी. एच. ई. डी. को देना प्रस्तावित है। राज्य सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) यदि औद्योगिक क्षेत्र को किसी समस्या के बारे में औद्योगिक संगठन का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो उसके निराकरण की कार्यवाही रीको की स्थानीय इकाई कार्यालय के स्तर पर ही तुरन्त कर दी जाती है।

परिशिष्ट-क

औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ रेनवाल की कार्यरत इकाइयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	मै. नई मंज फैक्ट्री...............	एफ–3, 4, 5
2.	मै. राजधानी सीडस सेल्स कारपोरेशन	ई–8 से 10
3.	मै. पूनिया एग्रो फूडस प्रा. लि.	एफ–12
4.	मै. श्री श्याम एग्रो फूडस इण्डस्ट्रीज	एफ–28
5.	मै. गणेश आयल मिल	एफ–31
6.	मै. कविता आयरन फाउन्ड्री	जी–104
7.	मै. श्री श्याम फूड प्रोडक्ट	जी–107
8.	मै. खण्डेलवाल हर्बल्स	जी–1-9 से 11
9.	मै. पूजा बर्फ फैक्ट्री	जी–44
10.	मै. शारदा वुड फर्नीचर वर्क्स	एफ–15
11.	मै. विजय सीडस इण्डस्ट्रीज	एच–1-94
12.	मै. शुभम् हाइटेक प्लास्टिक्स	एच–1-97
13.	मै. राजावत इंजीनियरिंग कम्पनी	एच–1-98
14.	मै. चौधरी गम इण्डस्ट्रीज	एच–1-84 से 87
15.	मै. चौधरी गम्स प्रा. लि.	एच–1-83, 88

बन्द इकाइयों की सूची-

1.	मै. हाईटेक फ्यूल इण्डस्ट्रीज, एफ 13-14	कोल बिक्रेट
2.	मै. शिवा उद्योग	जी–1-30
3.	मै. जांगिड इंजीनियरिंग वर्क्स	जी–1-26
4.	मै. शक्ति री-रोलिंग मिल्स	एच–1-113-114
5.	मै. सी.एल. वायर्स	जी–23
6.	मै. जी. के. इण्डस्ट्रीज	जी–51
7.	मै. जाजू प्लास्टिक्स	जी–106
8.	मै. रेवाल इण्डस्ट्रीज	एच–103
9.	मै. धनवन्तरो अनुसंधान केन्द्र	जी–13
10.	मै. पिंकसिटी केमीकल्स प्रा. लि.	जी–45-46

औद्योगिक क्षेत्र फुलेरा में कार्यरत इकाइयों की सूची

1.	मै. अग्रवाल दाल एण्ड आयल मिल	एफ–3,4,5
2.	मै. मां शाकम्भरी दाल मिल प्रा. लि.	एच–67–68
3.	मै. राम स्टोन इण्डस्ट्रीज	जी–20
4.	मै. खादू प्लास्ट प्रा. लि.	जी–10
5.	मै. श्याम उद्योग आरा मशीन	जी–17
6.	मै. दीपक आइस फैक्ट्री	जी–16
7.	मै. फुलेरा सीमेन्ट वर्क्स प्रा. लि.	ई–26–28
8.	मै. विश्वकर्मा आईस फैक्ट्री	जी–14
9.	मै. शिवशंकर इण्डस्ट्रीज	एच–1-60

बन्द इकाइयों की सूची औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा

1.	मै. संजय ग्रेनाइटस प्रा. लि.	एफ–6-7
2.	मै. राजस्थान सीमेन्ट उद्योग प्रा. लि.	एच–41-45, 50-53, 40
3.	मै. पंकज उद्योग	जी–21
4.	मै. जोबनेर सीमेन्ट प्रा. लि.	जी–29
5.	मै. पिंकसिटी सेनेटरी वेयर्स प्रा. लि.	जी–30-32, 37-38
6.	मै. जोबनेर इंजीनियरिंग कम्पनी	जी–33
7.	मै. सरिता मार्बल इण्डस्ट्रीज	जी-37
8.	मै. संजय ग्रेनाइट	जी-36
9.	मै. राघव पेपर बेग इण्डस्ट्रीज	एच-49
10.	मै. प्रतिक ग्रेनाइटस	एच-60
11.	मै. केप्टन मेटाफिल	एच-61
12.	मै. श्रीगणेश लघु उद्योग	एच-66
13.	मै. सम्राट पशु आहार उद्योग	जी-13
14.	मै. चौधरी आयल मिल	एच-59

राजगढ़ (चूरू) औद्योगिक क्षेत्र की बन्द इकाइयां

2. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजगढ़ (चूरू) औद्योगिक क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां लगाई गईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाइयों में से कितनी इकाइयां चालू हैं तथा कितनी बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त इकाइयां बन्द होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार बन्द इकाइयों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजगढ़ (चूरू) औद्योगिक क्षेत्र में कुल 39 इकाइयां जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन के अनुसार लगाई गई हैं । (सूची संलग्न है)

(2) उक्त इकाइयों में से 8 इकाइयां चालू हैं तथा 31 इकाइयां बन्द हैं। (सूची संलग्न है)

(3) उक्त इकाइयों के बन्द होने के मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा, बाजार की मांग का अभाव, कार्यशील पूंजी का अभाव, उचित प्रबन्धन का अभाव, श्रमिक समस्या एवं पानी की समस्या रहे हैं।

(4) सरकार बन्द इकाइयों को अपने स्तर पर चालू नहीं करती है। उद्योगपति यदि इकाई को चालू करना चाहे तो रूग्ण इकाई/ बन्द इकाई को सहायता पूंजी के आधार सहायता / सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करती है।

औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में स्थापित स्थाई पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की सूची

क्र.सं	इकाई का नाम व पता	कार्यरत अथवा बन्द
1.	मैसर्स अनमोल इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
2.	मैसर्स आर.सी. इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
3.	मैसर्स स्टील स्मिथ इंजीनियरिंग, सादुलपुर	बन्द
4.	मैसर्स नर्मदा स्टील उद्योग, सादुलपुर	बन्द
5.	मैसर्स गणेश इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	कार्यरत
6.	मैसर्स सम्यता प्लास्टिक, प्रा. लि. सादुलपुर	बन्द
7.	मैसर्स यूनाईटेड गम इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
8.	मैसर्स विनोद थ्रेड बाल्स, सादुलपुर	कार्यरत
9.	मैसर्स जय शिव उद्योग, सादुलपुर	कार्यरत
10.	मैसर्स राजेश इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
11.	मैसर्स अम्बे रीफेक्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
12.	मैसर्स एरन इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
13.	मैसर्स रायल सेराविधर प्रा. लि. सादुलपुर	बन्द
14.	मैसर्स बंसल इन्टरप्राइजेज, सादुलपुर	कार्यरत
15.	मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेज, सादुलपुर	बन्द
16.	मैसर्स बाबा आयरन, फैक्ट्री, सादुलपुर	कार्यरत
17.	मैसर्स श्याम जय इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
18.	मैसर्स विश्वकर्मा सीमेंट पाइप उद्योग, सादुलपुर	बन्द
19.	मैसर्स त्रिशला इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	कार्यरत
20.	मैसर्स दुर्गा दाल मिल, सादुलपुर	कार्यरत
21.	मैसर्स नटराज गम एण्ड पाउडर प्रा.लि. सादुलपुर	बन्द
22.	मैसर्स हनुमान गम फैक्ट्री, सादुलपुर	बन्द
23.	मैसर्स जय इस्पात फैक्ट्री, सादुलपुर	बन्द
24.	मैसर्स यूनाईटेड स्टील फैक्ट्री, सादुलपुर	बन्द

25.	मैसर्स संजय इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
26.	मैसर्स दुगड़ इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
27.	मैसर्स शिव पोट्री इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
28.	मैसर्स सादुलपुर फाउण्ड्री वर्क्स, सादुलपुर	बन्द
29.	मैसर्स अमर मक्शन इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
30.	मैसर्स देवीदत्त जांगिड़ फर्नीचर हाउस, सादुलपुर	बन्द
31.	मैसर्स ओम प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
32.	मैसर्स नेमचंद गदैया ऑयल मिल, सादुलपुर	बन्द
33.	मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
34.	मैसर्स गोयल क्रोकरी इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
35.	मैसर्स राजस्थान क्रोकरी इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
36.	मैसर्स अन्नपूर्णा आयरन इंजी वर्क्स, सादुलपुर	बन्द
37.	मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज, सादुलपुर	बन्द
38.	मैसर्स आर.डी. इन्टरप्राइजेज, सादुलपुर	कार्यरत
39.	मैसर्स मीनाक्षी पाईप इण्ड. सादुलपुर	बन्द

ट्यूबवैल एवं हैण्ड पम्प खुदाई हेतु आबंटित राशि

3. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पेयजल हेतु समर कंटिंजेंसी व अन्य मद में किस-किस जिले को ट्यूबवैल एवं हैण्ड पम्प खुदाई के लिये कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि कितने माह में जिलों में भेजी तथा कब जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की गई? क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राशि कम भेजी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) समर कंटिजेंसी व अन्य मद में आवंटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-(अ) पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

(2) ग्रीष्म संवर्धन 2004 के सन्दर्भ में स्वीकृतियां राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेन्ट का सक्षम समिति के स्तर पर सभी जिलों हेतु की गई। आवश्यकतानुसार राशि आबंटित की गई तथा आबंटन के कारण कार्य प्रगति में बाधा नहीं रही।

ग्रीष्म संवर्धन के सन्दर्भ में वर्ष 2003-2004 तथा वर्ष 2004-2005 (जून, 2004 तक) जिलेवार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। इसके अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिलाकर प्रान्त में वर्ष 2003-2004 में रु. 33073.70 लाख का आवंटन हुआ जबकि वर्ष 2004-2005 में जून, 2004 तक रु. 14600.90 लाख रु. का आवंटन हुआ। राशि आवंटन का आधार निम्न प्रकार था :-

(अ) ग्रीष्म 2003 व ग्रीष्म 2004 के पहले पिछले मानसून की समाप्ति के पश्चात् सभी क्षेत्रों की स्थिति व आने वाली ग्रीष्म में सम्भावित स्थिति का आकलन कर कार्य योजना बनाई गई।

(ब) वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में बेहतर वर्षा हुई। यद्यपि दोनों वर्षों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तथापि वर्ष 2003 में तुलनात्मक बेहतर वर्षा के कारण ग्रीष्म 2004 के सन्दर्भ में तुलनात्मक रूप से कम स्वीकृतियों की आवश्यकता हुई।

(स) नलकूप व हैण्डपम्प के सन्दर्भ में हुई स्वीकृति (संख्या) से यह स्थिति स्पष्ट होती है। स्वीकृतियां निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	ग्रीष्म संवर्धन 2003	ग्रीष्म संवर्धन 2004
शहरी क्षेत्र		
नलकूप आदि	457	359
हैण्ड पम्प	1977	1329
ग्रामीण क्षेत्र		
नलकूप आदि	912	706
हैण्ड पम्प	8618	5067

परिशिष्ट-अ

ग्रीष्म संवर्धन 2004 में स्वीकृत हैण्ड पम्प एवं नलकूपों का विवरण (ग्रामीण क्षेत्र)

क्रं. सं	क्षेत्र/जिले का नाम	ग्रीष्म संवर्धन 2004				कुल राशि लाखों में
		हैण्ड पम्प		नलकूप		
		संख्या	राशि लाखों में	संख्या	राशि लाखों में	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
	अजमेर क्षेत्र					
1.	अजमेर	529	229.10	10	40.00	269.10
2.	भीलवाड़ा	290	145.00	42	168.00	313.00
3.	नागौर	125	61.89	74	296.00	357.89
4.	टोंक	293	125.50	27	108.00	233.50
	योग	1237	561.49	153	612.00	1173.49
	बीकानेर क्षेत्र					
1.	बीकानेर	85	25.25	8	52.00	77.50
2.	चूरू	0	0.00	12	58.00	58.00
3.	गंगानगर	0	0.00	0	0.00	0.00
4.	हनुमानगढ़	0	0.00	0	0.00	0.00
	योग	85	25.50	20	110.00	135.50
	भरतपुर क्षेत्र					
1.	अलवर	185	92.50	23	98.00	190.50
2.	भरतपुर	250	125.00	46	155.00	280.00
3.	धौलपुर	122	61.00	9	35.00	96.00
	योग	557	278.50	78	288.00	566.50
	जयपुर क्षेत्र					
1.	दौसा	165	82.50	14	56.00	138.50
2.	जयपुर	450	225.00	56	224.00	449.00
3.	झुंझुनूं	222	111.00	40	155.00	266.00
4.	सीकर	10	5.00	37	143.00	148.00
	योग	847	423.50	147	578.00	1001.50

1	2	3	4	5	6	7
	जोधपुर क्षेत्र					
1.	बाड़मेर	24	14.50	24	150.50	165.00
2.	जैसलमेर	67	38.40	14	112.00	150.40
3.	जालौर	0	0.00	27	143.00	143.00
4.	जोधपुर	50	35.00	44	176.00	211.00
5.	पाली	121	60.50	42	170.00	230.50
6.	सिरोही	70	35.00	9	36.00	71.00
	योग	332	183.40	160	787.50	970.90
	कोटा क्षेत्र					
1.	बारां	382	216.50	7	28.00	244.50
2.	बूंदी	190	95.00	18	72.00	137.00
3.	झालावाड़	579	289.50	9	39.00	328.50
4.	करौली	190	95.00	28	109.00	204.00
5.	कोटा	262	131.00	13	52.00	183.00
6.	सवाईमाधोपुर	215	107.50	16	64.00	171.50
	योग	1818	934.50	91	364.00	1298.50
	उदयपुर क्षेत्र					
1.	बांसवाड़ा	0	0.00	0	0.00	0.00
2.	चितौडगढ़	0	0.00	31	124.00	124.00
3.	डूंगरपुर	3	1.50	5	20.00	21.50
4.	राजसमन्द	74	37.00	15	60.00	97.00
5.	उदयपुर	134	67.00	7	28.00	95.00
	योग	211	105.50	58	232.00	337.50
	कुल योग	5087	2512.39	706	2971.50	5483.89

शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2004 में कंटिजेंसी (ग्रीष्म संवर्धन) के तहत स्वीकृत कार्य व राशि का विवरण

क्रं. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत नलकूप खुले कुओं की संख्या	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या
1.	अजमेर	157.45	0	254
2.	टोंक	72.62	7	10
3.	नागौर	79.55	14	0
4.	भीलवाड़ा	206.51	331W+100W	64
5.	अलवर	145.13	27	27
6.	भरतपुर	260.50	27	63
7.	धौलपुर	41.50	5	25
8.	बीकानेर	4.00	0	0
9.	चूरू	90.00	8	0
10.	गंगानगर	0.00	0	0
11.	हनुमानगढ़	0.00	0	0
12.	जयपुर	1208.99	126	435
13.	दौसा	70.00	3	5
14.	सीकर	79.40	3	19
15.	झुंझुनूं	64.90	9TW+7DCB	0
16.	बाडमेर	99.78	8	0
17.	जैसलमेर	0.00	0	0
18.	जालौर	69.51	3	0
19.	सिरोही	88.97	2	0
20	जोधपुर	84.56	2TW 1 FH Deep	6
21.	पाली	22.99	2OW	10
22	झालावाड़	19.00	5	87
23	बारां	30.50	2	55

1	2	3	4	5
24.	बूंदी	21.50	0	51
25.	कोटा	16.00	3	43
26.	सवाईमाधोपुर	60.00	7	10
27.	करौली	23.00	4	10
28.	बांसवाड़ा	0.00	0	0
29.	चित्तौड़गढ़	120.66	5	40
30.	डूंगरपुर	17.00	1	14
31.	राजसमन्द	165.77	11W, 3OW. 3DCB	31
32.	उदयपुर	321.21	9TW, 8OW, 1OS	70
	योग	**3137.02**	**349TW, 10OW, 24DCB**	**1329**

परिशिष्ट-ब

DISTRICTWISE ALLOTMENT (URBAN + RURAL)

(Summer Contingency)

(Rs. In lacs)

S. NO	District	Allotment 2003-04			Allotment 2004-05		
		urban	Rural	Total	Urban	Rural	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Ajmer-Region							
1	Ajmer	591.25	527.24	1118.49	776	284.31	1060.31
2	Nagaur	94.45	1232.79	1327.24	10.94	225.49	236.43
3	Bhilwara	166.18	735.73	901.91	284.46	343.14	627.60
4	Tonk	397.62	692.50	1090.12	162	284.31	446.31
	Region	20	0	20	0	0	0
	Total	1269.50	3188.26	4457.76	1233.40	1137.25	2370.65
Bharatpur-Region							
1	Alwar	127.20	528.68	655.88	364.50	166.67	531.17
2	Bharatpur	197.55	1040.01	1237.56	224.28	429.74	654.02
3	Dholpur	158.10	515.02	673.12	65.20	258.17	323.37

1	2	3	4	5	6	7	8
	Region	50		50			
	Total	532.85	2083.71	2616.56	653.98	854.57	1508.55
Bikaner-Region							
1	Bikaner	73.90	819.28	893.18	45	225.49	270.49
2	Churu	52.20	330.56	382.76	70.21	225.49	295.70
3	Sri Gan.	214.05	1102.95	1317	154.10	284.31	438.41
4	Hanumangarh	109	474.55	583.55	30	284.31	314.31
	Region	20		20			
	Total	469.15	2727.34	3196.49	299.31	1019.61	1318.92
Jaipur-Region							
1	Jaipur	1312.40	1287.69	2600.09	727	500	1227
2	Dausa	399.75	989.50	1389.25	87	259.80	346.80
3	Sikar	374.76	703.68	1078.44	242.50	277.78	520.28
4	Jhunjhunu	153.65	1408.18	1561.83	75	457.52	532.52
	Region	32.50		32.50			
	Total	2273.06	4389.05	6662.11	1131.50	1495.10	2626.60
Kota-Region							
1	Kota	301.64	472.16	773.80	179.30	249.02	428.32
2	Bundi	41.45	327.33	368.78	15	287.58	302.58
3	Baran	33.90	723.35	757.25	20	252.29	272.29
4	Jhalawar	397.55	820.67	1218.22	118.93	738.56	857.49
5	S. Madhopur	117.70	568.82	686.52	179	287.58	466.58
6	Karoli	49.65	799.48	849.13	35	346.41	381.41
	Region	20		20			
	Total	961.89	3711.81	4673.70	547.23	2161.44	2708.67
Udaipur-Region							
1	Udaipur	198.50	1358.28	1556.78	234.50	284.31	518.81
2	Rajsamand	432.50	744.23	1176.73	234	178.43	412.43
3	Chittorghar	260	521.93	781.93	99	225.49	324.49
4	Doongarpur	21	430.84	451.84	219.50	249.02	468.52

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Banswara	12.85	272.50	285.35	47	201.96	248.96
	Region	20		20			
	Total	944.85	3327.78	4272.63	834	1139.21	1973.21
R.G.L.C. Region-Jodhpur							
1	Jodhpur	123.10	1922.71	2045.81	112.50	284.31	396.81
	total	123.10	1922.71	2045.81	112.50	284.31	396.84
C.E.Jodhpur-Region							
1	Jaisalmer	69	877.68	946.68	1	169.93	170.93
2	Barmer	134.88	1410.88	1545.76	109.35	281.05	390.40
3	Pali	282.86	748.49	1031.35	84.57	392.16	476.73
4	Jalore	111	844.72	955.72	55	253.27	308.27
5	Sirohi	67.47	581.66	649.13	122.42	228.76	351.18
	Region	20		20			
	Total	685.21	4463.43	5148.64	372.34	1325.16	1697.50
	G.Total	**7259.61**	**25814.09**	**33073.70**	**5184.26**	**9416.66**	**14600.92**

बीसलपुर परियोजना से देवली व हिण्डौली (बूंदी) हेतु पेयजल योजना

4. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना से देवली को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी क्या लागत है और यह कब तक पूरी हो जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि हिण्डौली (बूंदी) के लिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर से कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांवों में पेयजल आपूर्ति

5. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेक गांवों में पेयजल की समस्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ गांवों में पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कई योजनायें लम्बे समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल व्यवस्था सुचारु करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कुछ गांवों में आंशिक समस्या है। क्षेत्र के कुल 345 गांवों में से लाभान्वित 326 ग्रामों (1991 जनगणना के आधार पर) में मानक सेवा स्तर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधार लेते हुए सेवा स्तर निम्न प्रकार है:

सेवा स्तर	गांवों की संख्या
51 से 100 प्रतिशत	221
26 से 50 प्रतिशत	81
25 से कम प्रतिशत	24
योग	326

(2) जी नहीं।

(3) समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म 2004 में ग्राम कोगासर, छट्टासर, टालीवाला, सावनिया, ढाणी छिंला, ढाणी छिपोलाई, जैतपुर, फुलेजी व मल्कीसर (9 स्थान) में पेयजल परिवहन किया गया। दूरगामी संवर्धन हेतु इस क्षेत्र में स्वजलधारा योजना लागू है, जिसे ग्रामवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने पर संवर्धन कार्य किया जाना सम्भव हो पावेगा।

विश्वैसरिया नगर, जयपुर में पेयजल आपूर्ति

6. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है विश्वैसरिया नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कॉलोनी है? यदि हां, तो क्या वहां सरकार द्वारा पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है? यदि हां, तो क्यों व वर्तमान में कॉलोनी के निवासियों के पेयजल आपूर्ति की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या सरकार विश्वैसरिया नगर में त्रिवेणी नगर पानी की टंकी से पानी सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित क्षेत्र को जलप्रदाय योजना महेश नगर के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है जिसके तहत वर्तमान में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आर.यू.आई.डी.पी.) द्वारा पाइप लाइन डालने संबंधी कार्य किया जा रहा है जो प्रगति पर है। वर्तमान में स्थानीय निवासियों द्वारा पेयजल हेतु उनकी स्वयं की व्यवस्था की हुई है।

(2) जी हां। विश्वैसरिया नगर के कुछ भाग में त्रिवेणी नगर स्थित पानी की टंकी से व शेष भाग में महेश नगर दक्षिण में आर. यू. आई. डी. पी. द्वारा निर्माणाधीन टंकी से जल वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इस कॉलोनी को दिसम्बर, 2004 तक लाभान्वित किया जाना सम्भावित है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा क्रय की गई भूमि पर विद्युत कनेक्शन

7. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा सामान्य श्रेणी के व्यक्ति से जमीन खरीदने पर पांच वर्ष तक खरीददार को उस भूमि पर विद्युत कनेक्शन की सुविधा नहीं दी जाती? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। उक्त प्रावधानों में संशोधन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण ढिगारिया (दौसा) की भूमि पर अतिक्रमण

8. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 4(6) राज/ग्रुप-3/04 से निर्देश जारी किये थे कि ग्राम ढिगारिया, पंचायत समिति, दौसा, जिला दौसा में आवासीय भू-खण्ड के समक्ष किये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जाय? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में जिला कलेक्टर, दौसा ने पत्र क्रमांक आर. (डी)(2) 2004/560-62 दिनांक 06 फरवरी, 2004 जारी कर उप जिला कलेक्टर, दौसा, तहसीलदार, दौसा व विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा को आदेश दिये थे कि उक्त आवासीय भू-खण्ड के समक्ष भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार तीन दिवस में हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संबंध में जिला कलेक्टर, दौसा के आदेशों की पालना में संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर के आदेशों की अभी तक पालना नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जिला कलक्टर, दौसा के आदेश की पालना में संबंधित अधिकारियों द्वारा दिनांक 24-6-04 को उक्त अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा दिया गया है। पर्चा मौका की प्रति परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(4) पालना की जा चुकी है।

(5) जी नहीं। अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

(6) अतिक्रमण परिशिष्ट 'स' के अनुसार दिनांक 24-6-04 को हटाया जा चुका है।

परिशिष्ट- अ

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.4 (6) राज. ग्रुप- 3\04 जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर
दौसा।

विषय : विधान सभा प्रश्न संख्या 262/राजस्व द्वारा श्री हेमराज, सदस्य, विधान सभा।

संदर्भ : आपका पत्रांक 252 दिनांक 17-1-84

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपने प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जैरकार होना अवगत कराया है।

अतः इस संबंध में निदेशानुसार लेख है कि आवासीय भूखण्ड के प्रवेश द्वारा के आगे ही खाली भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार 7

दिवस में हटवाकर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवायें।

भवदीय
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–ब

कार्यालय जिला कलेक्टर दौसा

क्रमांक : आर 18डी (2)2004 /560–69 दिनांक 6-2-04

1. उपजिला कलेक्टर, दौसा
2. तहसीलदार, दौसा
3. विकास अधिकारी, पं.स. दौसा

विषय : विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं. 263/राजस्व/अतां. द्वारा श्री हेमराज (199) सदस्य राज. विधानसभा।

प्रसंग : शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज. सरकार जयपुर का पत्र क्रमांक : ए–4(6) राज/ग्रुप–3/04 दिनांक

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र प्राप्त होने पर लेख है कि शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभग, राज. सरकार ने प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 में दिये गये जवाब के संबंध में आवासीय भू-खण्ड के प्रवेश द्वार के आगे की खाली भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

अत: विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाकर लेख है कि ग्राम ढिगारिया के श्री शिवबक्स पुत्र उदाराम महावर व रमेश पुत्र शिवबक्स महावर द्वारा उसके आवासीय भू-खण्ड के प्रवेश द्वार के आगे की खाली भूमि पर मांगीलाल, रामफूल पुत्र नारायण महावर नि. डिगारिया द्वारा जबरन पत्थर डालकर प्रवेश बन्द भूमि हड़पने के संबंध में दिनांक 22-4-2003 को (विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा के समक्ष) प्राथना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसके संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर आवासीय भूखण्ड में प्रवेश द्वार के आगे की खाली भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार तीन दिवस के अन्दर-अन्दर हटवाकर रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि पालना प्रतिवेदन राज्य सरकार को भिजवाया जा सके।

जिला कलेक्टर,
दौसा

परिशिष्ट-स

आज दिनांक 24-6-04 को मुताबिक आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा की अनुपालना में ग्राम ढिगारिया में नवीन विवादित आबादी भूखण्ड से अतिक्रमण हटाने हेतु पहुंचा मौके पर 10 मजदूर एवं 2 ट्रैक्टर ट्रोलियों से विवादित स्थल में पड़े पत्थरों को हटावाया और विवादित स्थल से दूर डलवाया जाकर सचिव ग्राम पंचायत ढिगारिया की मौजूदगी में सुपर्दगी की गई मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों को एलानिया बताया गया कि उक्त आबादी भूमि ग्राम पंचायत की भूमि है। इस भूमि पर आगामी आदेश तक कोई भी व्यक्ति कब्जा इत्यादि नहीं करे। मौके पर विवादित स्थल को खाली करवाया और सचिव को हिदायत दी गई की उक्त विवादित भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं करना सुनिश्चित करें।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दौसा,
जिला दौसा, राज.

गोचर भूमि का गौशाला हेतु परिवर्तन

9. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गोचर भूमि को अन्य उपयोग में लेने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों/निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोचर भूमि को गौशाला हेतु उपयोग में लेना सरकार द्वारा निषेध किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार गोचर भूमि को गौशाला हेतु उपयोग में लेने के आदेश/निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है :

i) राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 का नियम 7

ii) राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कालेज, धर्मशाला, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक उपयोग व परिवर्धन हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 13-2-2001

(2) जी हां । राजस्थान गौशाला भूमि आबंटन नियम 1957 के नियम 6 के अन्तर्गत चरागाह भूमियों को गौशाला के लिये आबंटन हेतु निषेध किया हुआ है, क्योंकि चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है, भूमियों की श्रेणी में रखी गई है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक आधार कृषि के बाद पशुधन है अतः इसे ध्यान में रखते हुये गौचर भूमि की महत्ता के मध्यनजर विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत जिला जयपुर में भूमि पुनर्ग्रहण

10. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम मूंडिया पुरोहितान, केश्यावाला, तहसील जयपुर एवं ग्राम भोपावास, तहसील चौमू, जिला जयपुर में भूमि पुनर्ग्रहण की गई है? यदि हां, तो सूची भूतपूर्व जागीरदार का नाम, भूमि का रकबा व खसरा नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिनकी भूमि पुनर्ग्रहण की गई है उन्होंने खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो आवेदनकर्ताओं की सूची तथा इनमें से कितने आवेदन निरस्त किये गये, कारणों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निरस्त किये गये आवेदनों पर पुनर्विचार किया गया है? यदि हां, तो कितने आवेदनों पर? शेष आवेदनों पर विचार न

(श्री भंवरू खान)

किये जाने के क्या कारण रहे व अब इन पर कब तक विचार किया जायेगा? क्या जिनके आवेदन निरस्त किये गये हैं उन्हें सूचना दी गई? उनमें से शेष को, सूचना न दिये जाने के क्या कारण हैं?

(4) इन आवेदनकर्त्ताओं को कब तक खुदकाश्त की भूमि आबंटित कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत ग्राम मूंडिया पुरोहितान केश्यावाला, तहसील जयपुर एवं ग्राम भोपावास तहसील चौमू में भू.पू. जागीरदारों की कोई भूमि पुनर्ग्रहण कर अधिग्रहित नहीं की गई है, इसलिए सूचना शून्य है।

(2) जी नहीं। भूमि पुनर्ग्रहण कर अधिगृहण नहीं हुई है। अतः किसी ने भी खुदकाश्त भूमि आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया इसलिए कोई सूची नहीं है।

(3) जी नहीं। भूमि अधिगृहित नहीं की गई है अतः भू. पू. जागीरदारों द्वारा कोई खुदकाश्त भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये उन्हें निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) किसी ने खुदकाश्त भूमि आबंटन के लिए आवेदन ही नहीं किया है, इसलिए आवेदन कर्ताओं को भूमि आबंटन करने का सवाल ही नहीं उठता है।

ग्राम रोजवाड़ी तहसील बस्सी, जयपुर के आम रास्ते पर अतिक्रमण

11. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोजवाड़ी, तहसील बस्सी, जयपुर में खसरा नम्बर 85/1 राजस्व रिकार्ड में आबादी आम रास्ता दर्ज है? यदि हां, तो कहां से कहां तक कितनी चौड़ाई का आम रास्ता कटा हुआ है? साइट प्लान एवं ट्रेस नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 84 के खातेदारों द्वारा इस आम रास्ते की आबादी भूमि पर भी कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल कितना है?

(3) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा हल्का पटवारी को दिनांक 28 अगस्त, 2003 को नपती करने एवं अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो हल्का पटवारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान / पत्थर गढ़ी नहीं की गई है? यदि हां, तो अब कब तक सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह रास्ता खसरा नम्बर 58 में से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 115 तक है, जो खेतों में ही है। रेकार्ड में 1.02 बीघा आम रास्ता के लिए कटा हुआ है। चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। कहीं दो, तीन एवं चार गट्ठे हैं। साइट प्लान व नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है।

(2) खसरा नम्बर 84 के खातेदारों ने खसरा नम्बर 85/1 आम रास्ते एवं गै. मु. नदी पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। इनका आबादी भूमि ख. नं. 55 में अतिक्रमण था, जिनको विकास अधिकारी पं. स. बस्सी द्वारा दिनांक 15-6-04 को हटवा दिया गया।

(3) जी हां। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20-12-03 को सीमाज्ञान कर बताया तब मालूम हुआ कि वांछित रास्ता आबादी भूमि ख. नं. 55 में से होकर ग्राम में जाने वाली सड़क से ख. नं. 58 तक छोड़ा हुआ है, जिसमें कच्ची डोल, रेवडा द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी द्वारा दिनांक 15-6-04 को अतिक्रमण हटवा दिया गया।

(4) खसरा नम्बर 85/1 गै. मु. रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17-6-04 को करा दिया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील खण्डार एवं चौथ-का-बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) में उपखण्ड कार्यालयों की स्थापना

12. **श्री अशोक बैरवा (खण्डार)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने उपखण्ड कार्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में कुल कितने उपखण्ड कार्यालय नये खोले गये एवं नवीन उपखण्ड कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) क्या तहसील मुख्यालय खण्डार एवं तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर पर उपखण्ड कार्यालय संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त तहसील मुख्यालयों में उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 188 उपखण्ड कार्यालय क्रियाशील हैं। सूची परिशिष्ट '(अ)' संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-03 में 83 एवं 2003-04 में कोई उपखण्ड कार्यालय नहीं खोला गया है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए नवीन उपखण्ड कार्यालय खोलने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। परिसीमन आयोग द्वारा प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर प्रतिबन्ध के कारण फिलहाल कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य में क्रियाशील उपखण्डों की सूची

नाम जिला 1	नाम उपखण्ड 2
अजमेर	1. अजमेर 2. नसीराबाद 3. ब्यावर 4. मसूदा 5. केकड़ी 6. किशनगढ़
भीलवाड़ा	7. भीलवाड़ा 8. माण्डल 9. बनेड़ा 10. गुलाबपुरा 11. गंगापुर 12. माण्डलगढ़ 13. शाहपुरा 14. जहाजपुर
नागौर	15. नागौर 16. जायल 17. मेड़ता 18. डेगाना 19. परबतसर 20. मकराना 21. नांवा 22. डीडवाना 23. लाडनूं
टोंक	24. टोंक (प्रथम) 25. निवाई 26. पीपलू

1	2
	27. टोंक (द्वितीय)
	28. उनियारा
	29. मालपुरा
	30. टोडारायसिंह
बीकानेर	31. बीकानेर (उत्तर)
	32. लूणकरणसर
	33. डूंगरगढ़
	34. नोखा
	35. खाजूवाला
अलवर	67. अलवर
	68. रामगढ़
	69. थानागाजी
	70. बहरोड़
	71. बानसूर
	72. किशनगढ़बास
	73. कोटकासिम
	74. तिजारा
	75. मुण्डावर
	76. राजगढ़
	77. लक्ष्मणगढ़
	78. कठूमर
भरतपुर	79. भरतपुर
	80. कुम्हेर
	81. नदबई
	82. बयाना
	83. रूपवास
	84. बेर
	85. डीग
	86. नगर
	87. कामां

1	2
धौलपुर	88. धौलपुर
	89. राजाखेड़ा
	90. बाड़ी
	91. बसेड़ी
झुंझुनूं	92. झुंझुनूं
	93. चिड़ावा
	94. खेतड़ी
	95. नवलगढ़
	97. उदयपुरवाटी
सीकर	97. सीकर
	98. दांतारामगढ
	99. नीमकाथाना
	100. श्रीमाधोपुर
	101. फतेहपुर
	102. लक्ष्मणगढ़
दौसा	103. दौसा
	104. लालसोट
	105. बांदीकुई
	106. सिकराय
	107. महुवा
जोधपुर	108. जोधपुर
	109. शेरगढ़
	110. पीपाड़शहर
	111. फलौदी
	112. ऑसिया
बाड़मेर	113. बाड़मेर
	114. शिव
	115. गुढामलानी (मु. बाड़मेर)
	116. बालोतरा

1	2
जैसलमेर	117. जैसलमेर
	118. फतेहगढ़
	119. पोकरण
जालौर	120. जालौर
	121. आहोर
	122. भीनमाल
	123. सांचोर
	124. रानीवाड़ा
पाली	125. पाली
	126. बाली
	127. देसूरी
	128. सुमेरपुर
	129. सोजत
	130. जेतारण
सिरोही	131. सिरोही
	132. रेवदर
	133. आबू पर्वत
कोटा	134. कोटा
	135. दीगोद
	136. इटावा
	137. रामगंजमण्डी
	138. सांगोद
बून्दी	139. बून्दी
	140. केशवरायपाटन
	141. इन्द्रगढ़
	142. नैनवां
	143. हिण्डोली

1	2
झालावाड़	144. झालावाड़
	145. अकलेरा
	146. खानपुर
	147. भवानीमण्डी
	148. पिड़ावा
सवाईमाधोपुर	149. सवाईमाधोपुर
	150. बौंली
	151. गंगापुर
	152. बामनवास
करौली	153. करौली
	154. सपोटरा
	155. मण्डरायल
	156. हिण्डौन
	157. टोडाभीम
बारां	158. बारां
	159. मांगरोल
	160. शाहबाद
	161. किशनगंज
	162. छबड़ा
	163. अटरू
उदयपुर	164. गिर्वा
	165. वल्लभनगर
	166. मावली
	167. धरियावद
	168. सलूम्बर
	169. झाड़ोल
	170. कोटड़ा

1	2
बांसवाड़ा	171. बांसवाड़ा
	172. घाटोल
	173. कुशलगढ़
चित्तौड़गढ़	174. चित्तौड़गढ़
	175. गंगरार
	176. बेगूं
	177. रावतभाटा
	178. कपासन
	179. प्रतापगढ़
	180. निम्बाहेड़ा
	181. बड़ीसादड़ी
डूंगरपुर	182. डूंगरपुर
	183. सिमलवाड़ा (मु. धम्बोला)
	184. सागवाड़ा
राजसमन्द	185. राजसमन्द
	186. कुम्भलगढ़
	187. नाथद्वारा
	188. भीम

वर्ष 2002-2003

क्रमोन्नत/नवसृजित 83 उपखण्डों की सूची

नाम जिला	उपखण्ड का नाम व मुख्यालय
1.	2.
अलवर	1. थानागाजी
	2. बानसूर
	3. कठूमर
	4. मुण्डावर
	5. रामगढ़
	6. कोटकासिम

1.	2.
भरतपुर	7. वैर
	8. रूपवास
	9. नदबई
	10. नगर
	11. कुम्हेर
जयपुर	12. चौमूं
	13. शाहपुरा
	14. दूदू
	15. फागी
	16. विराटनगर
	17. जमवारामगढ़
नागौर	18. जायल
	19. डेगाना
	20. मकराना
	21. नावां
	22. लाडनूं
टोंक	23. निवाई
	24. उनियारा
	25. टोडारायसिंह
	26. पीपलू
चूरू	27. सरदारशहर
	28. सुजानगढ़
हनुमानगढ़	29. पीलीबंगा
	30. रावतसर
	31. टी.बी.
	32. भादरा
धौलपुर	33. राजाखेड़ा
	34. बसेड़ी

1.	2.
सीकर	35. श्रीमाधोपुर
	36. दांतारामगढ़
	37. लक्ष्मणगढ़
दौसा	38. लालसोट
	39. सिकराय
	40. महुआ
पाली	41. देसूरी
	42. सुमेरपुर
कोटा	43. दीगोद
	44. सांगोद
	45. इटावा
बूंदी	46. केशवरायपाटन
	47. लाखेरी
	48. हिण्डोली
करौली	49. सपोटरा
	50. मण्डरायल
	51. टोडाभीम
बारां	52. अटरू
	53. मांगरोल
	54. किशनगंज
उदयपुर	55. धरियावद
	56. मावली
	57. कोटड़ा
चित्तौड़गढ़	58. रावतभाटा
	59. गंगरार
भीलवाड़ा	60. जहाजपुर
	61. माण्डल
	62. बनेड़ा

1.	2.
जोधपुर	63. औसियां
	64. शेरगढ़
सवाईमाधोपुर	65. बामनवास
	66. बौंली
बीकानेर	67. लूणकरणसर
	68. श्रीडूंगरगढ़
अजमेर	69. नसीराबाद
	70. मसूदा
श्रीगंगानगर	71. घड़साना
झुंझुनूं	72. चिड़ावा
	73. उदयपुरवाटी
बाड़मेर	74. शिव
जैसलमेर	75. फतेहगढ़
जालौर	76. आहोर
	77. रानीवाड़ा
सिरोही	78. रेवदर
बांसवाड़ा	79. घाटोल
डूंगरपुर	80. सिमलवाड़ा (मु . धम्बोला)
राजसमन्द	81. कुम्भलगढ़
झालावाड़	82. खानपुर
	83. पिड़ावा

कृषि आदान-अनुदान वितरण में अनियमितता

13. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कृषि आदान अनुदान कृषकों को निर्धारित मानदण्डानुसार वितरित किया गया है? यदि हां, तो कृषकों की सूची मय राशि एवं रकबे के सदन की मेज पर रखें। अनुदान वितरण के क्या मानदण्ड हैं?

उत्तर

लघु एवं सीमान्त कृषकों को आदान-अनुदान वितरण किये जाने के निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। विभिन्न जिलों को लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण आबंटित की गयी राशि परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं। प्रश्न में चाही गयी अन्य सूचना जिलों से मंगवाई जा रही है, जो प्राप्त होने पर सदन की पटल पर रख दी जायेगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
सहायता विभाग

क्रमांक एफ.1(1)(10)सआ/सा/कृषि आदान/2002/13309-416

जयपुर, दिनांक 27 मार्च, 2003

परिपत्र

विषय : लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान-अनुदान उपलब्ध कराने बाबत।

सहायता विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(28)सआ/सा/2000/41723-80 दिनांक 24-12-2001 द्वारा आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी.एफ.) के दिशा निर्देशों के आईटम संख्या 3 (डी) में ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषक जिनकी बोई गई फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा हुआ है, को कृषि आदान-अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा संवत् 2059 की अभाव स्थिति हेतु राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उक्त सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस सहायता हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए पटवारी द्वारा प्रपत्र 1 में जमाबन्दी के आधार पर कृषक द्वारा धारित रकबे के आधार पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूचियां तैयार की जायेंगी। इस सूची में कृषक द्वारा धारित रकबा, गिरदावरी के आधार पर बोया गया रकबा और बोये गये रकबे में फसल खराबा 50 प्रतिशत या उससे अधिक को अंकित किया जावेगा। पटवारी द्वारा तैयार की गई लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूचियों की 10 प्रतिशत की जांच राजस्व निरीक्षक द्वारा की जावेगी। हल्का पटवारी अपने हल्के की सूचियां तैयार कर राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और राजस्व निरीक्षक इन सूचियों को तहसीलदार को प्रेषित करेंगे।

2. लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान सहायता तैयार की गई सूचियों के आधार पर स्वीकृति जारी करने के लिए तहसीलदार सक्षम होंगे। तहसीलदार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों की गणना के आधार पर जो राशि बनती है, आकलन जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे। जिला कलेक्टर सूचना संकलन कर राशि की मांग सहायता विभाग को प्रेषित करेंगे जहां से उनको राशि उपलब्ध कराई जावेगी। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर उनको उपलब्ध कराई गई राशि तहसीलदारों की मांग के आधार पर उनको उपलब्ध करायेंगे।

3. लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा बोये गये रकबे में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर उनकी कृषि फसल, जो रेनफेड क्षेत्र की हो, के लिए 1000 रु. प्रति हैक्टर कृषि आदान अनुदान देय होगा।

4. तहसीलदार द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा सहायता राशि का वितरण सरपंच / वार्डपंच की मौजूदगी में किया जावेगा। भुगतान के प्रमाण स्वरूप वाउचर पर उनके भी प्रतिहस्ताक्षर होंगे। कृषकों को राशि का भुगतान नगद किया जावेगा।

5. भुगतान के पश्चात् सारा अभिलेख तहसील कार्यालय में जमा करवाया जावेगा ताकि तहसीलदार वितरित की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे तथा जिला कलेक्टर इकाई कर सहायता विभाग को प्रेषित करेंगे।

6. कृषि आदान अनुदान कृषकों को राशि की उपलब्धता के अनुसार निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार दिया जायेगा:-

(अ) पात्र सीमान्त कृषक

(ब) पात्र लघु कृषक, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अथवा अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के पात्र लघु कृषक।

(स) अन्य पात्र लघु कृषक।

7. कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए जिलेवार राशि का आबंटन अलग से किया जा रहा है। इसके लिए पात्र व्यक्तियों एवं उन्हें दी जाने वाली सहायता की सूचियां अग्रिम रूप से तैयार करवा ली जावे, जिससे सहायता वितरण में विलम्ब नहीं हो।

(राम लुभाया)
शासन सचिव

प्रपत्र-1 लघु / सीमान्त कृषक

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबंदी के आधार पर धारित रकबा	रेन-फेड क्षेत्र	गिरदावरी के आधार पर बोया गया रकबा	रकबा खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक	देय अनुदान
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)(2)सआ/लेखा/बजट/2003/22562-606 जयपुर

दिनांक : 11 जुलाई, 2003

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान

विषय : लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान-अनुदान की राशि आबंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण हेतु निम्नानुसार राशि का आबंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	आबंटित राशि (रुपये लाखों में)
1.	अजमेर	708.29
2.	अलवर	1093.47
3.	बांसवाड़ा	571.83
4.	बारां	367.43
5.	बाड़मेर	113.56
6.	भरतपुर	813.18
7.	भीलवाड़ा	1062.37
8.	बीकानेर	48.42
9.	बून्दी	376.38
10.	चित्तौड़गढ़	836.15
11.	चूरू	79.79
12.	दौसा	339.16
13.	धौलपुर	390.25

1	2	3
14.	डूंगरपुर	515.75
15.	गंगानगर	85.93
16.	हनुमानगढ़	204.94
17.	जयपुर	776.17
18.	जैसलमेर	42.36
19.	जालौर	221.56
20.	झलावाड़	462.43
21.	झुन्झुनूं	536.27
22.	जोधपुर	252.58
23.	करौली	455.66
24.	कोटा	275.08
25.	नागौर	401.05
26.	पाली	608.21
27.	राजसमन्द	486.61
28.	सवाईमाधोपुर	455.66
29.	सीकर	586.14
30.	सिरोही	261.95
31.	टोंक	423.12
32.	उदयपुर	1108.25
	योग	**14960.00**

(अक्षरे रुपये एक अरब उनचास करोड़ साठ लाख मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 में निम्नांकित बजट मद से किया जाएगा:

मांग संख्या : 34

2245 : प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01 : सूखा

800 : अन्य व्यय

001 : राहत कार्यों पर व्यय

(12) : अन्य सहायता (आयोजना भिन्न)

राशि का व्यय विभागीय परिपत्र दिनांक 27-3-2003 व 10-6-2003 की शर्तों तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार किया जाएगा। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) एवं वित्त (आय-व्ययक) विभाग की अंतर्विभागीय सहमति संख्या क्रमशः 1875 दिनांक 7-6-2003 एवं 299 दिनांक 4-6-2003 की अनुपालना में जारी की जाती है।

भवदीय

ह.

शासन विशिष्ट सचिव

धनिये पर बिक्री कर

14. **श्री भरत सिंह (दीगोद)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत में कुल धनिया उत्पादन में हाड़ौती संभाग 69 प्रतिशत भागीदारी रखता है?

(2) क्या यह सही है कि धनिया का समर्थन मूल्य तय नहीं होने के कारण किसानों को उनकी उपज की लागत भी नहीं मिल रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा मसालों की खेती को प्रोत्साहन देने की क्या कोई कार्य योजना विचाराधीन है?

(3) क्या धनिये पर लगाये गये बिक्री कर को कम करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या बिक्री कर कम करने से किसानों को लाभ होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 तक देश के कुल उत्पादन का 53 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में उत्पादन हुआ है।

(2) जी हां। धनिया के लिए केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा धनिये को न्यूनतम

(कृषि मंत्री)

समर्थन मूल्य योजना में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बैराठ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

15. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के किन-किन राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), सैक्टर सुपरवाइजर, बी.एच.एस. (एफ) के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा तथा अन्य रिक्त पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें वित्त विभाग द्वारा भर्ती की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

क्र सं.	संस्था का नाम	रिक्त पद का नाम
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुरा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–1
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरसर	वाहन चालक–1
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)-1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी-1 वार्ड ब्याय-1 वाहन चालक-1 सैक्टर सुपरवाईजर-1
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीलवाड़ी	स्वास्थ्य निरीक्षक-1
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साईवाड़	सैक्टर सुपरवाईजर-1
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धानोता	सैक्टर सुपरवाईजर-1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राड़ावास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता-1
8.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, शाहपुरा	कनिष्ठ लिपिक-1 सैक्टर सुपरवाईजर-1
9.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, अमरसर	बी.एच.एस.(एफ)-1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता-1

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति

16. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां चिकित्सक तो नियुक्त है लेकिन मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त चिकित्सक लम्बे समय तक अनुपस्थित रहते हैं एवं केवल वेतन प्राप्त करने के लिये माह में एक या दो बार आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये इन चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्यालय में सामान्यत: चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहते हैं। इस सम्बन्ध में परिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सक सामान्यत: उपस्थित रहते हैं अन्यथा स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के चिकित्सालयों में रिक्त पद

17. **श्री हीरालाल (बामनवास)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की सी.एच.सी. व पी.एच.सी. पर कितने चिकित्सा अधिकारी, व विशेषज्ञों के कहां-कहां कितने-कितने पद स्वीकृत हैं जिनमें कहां-कहां कार्यरत हैं व कहां-कहां पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कहां-कहां उप केन्द्र हैं जिनमें कितने व कौन-कौनसे उप केन्द्रों पर प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र में ऐसे नवनिर्मित उप केन्द्र भवन हैं जो कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पूर्ण कराने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग को सुपुर्द नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो कहां पर और इन्हें किन कारणों से सुपुर्द नहीं किया गया?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्वीकृत उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध सूची में से प्रसाविकाओं के रिक्त पद वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम निम्न प्रकार है :

1. सितोड़ा 2. जीवद 3. गोठ 4. सुकार 5. भंवरा 6. जाहिरा 7. जयलालपुरा 8. गुगड़ोद 9. बोरदा

जिला अधिकारियों को उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देशित किया हुआ है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं.
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामनवास	वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडी)	1	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ(सर्जरी)	1	-	1
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोली	वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडी.)	1	1	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (गाय.)	1	1	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1
		चिकित्सा अधिकारी	1	1	-

1	2	3	4	5	6
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुर्जरबड़ौद	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मीनाकालोता	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरनाला	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लिवाली	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलारनाचौड़	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मित्रपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत आने वाले स्वीकृत उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण

क्रं.सं	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का नाम
1.	बिछोछ
2.	ककराला
3.	बाटोदा
4.	डाबर
5.	डूंगरवाड़ा
6.	कोहली प्रेमपुरा
7.	पट्टी खुर्द
8.	चांदन होली
9.	सुन्दरी
10.	रिवाली
11.	नारोली चौड़

12.	सुमेल
13.	खेड़ली
14.	रानोला
15.	शफीपुरा
16.	दांतासूती
17.	बेराड़ा
18.	कोयला
19.	पिपलाई
20.	सांचोली
21.	बेरखण्डी
22.	फुलवाड़ा
23.	मोरपा
24.	गंडाला
25.	कुआंगाव
26.	जस्टाना
27.	करेल
28.	सीसोलाव
29.	लाखनपुर
30.	बपूई
31.	कोलाड़ा
32.	बागड़ोली
33.	थड़ोली
34.	धोराला
35.	पीलूखेड़ा
36.	पीपलदा
37.	हनूत्या
38.	भंडोली
39.	कोडयाई
40.	पीपलवाड़ा

41.	बिन्जारी
42.	उदगांव
43.	बोर खेडा
44.	मंझेवला
45.	सीतोड़ा
46.	जीवद
47.	गोठ
48.	सुव्यार
49.	भंवरा
50.	जाहिरा
51.	जयलालपुरा
52.	बोरदा
53.	गुगड़ोद

राज्य के जिला केन्द्रों पर उच्च स्तरीय चिकित्सालयों की स्थापना

18. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के समानान्तर चिकित्सा सुविधा अन्य जिला केन्द्रों पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार हर गांव में चिकित्सा सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के 6 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर में मेडिकल कालेज स्थापित है। शेष 26 अन्य जिले चिकित्सा विभाग के अधीन हैं। इनके जिला चिकित्सालयों में सुपरस्पेशिएलिटी के पद सृजित नहीं हैं। इस कारण सवाई मानसिंह चिकित्सालय के समानान्तर चिकित्सा सुविधा इन 26 जिला केन्द्रों पर उपलब्ध कराना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर कुल 41353 गांव हैं जिनमें से 39787 गांव आबाद हैं एवं 1566 गांव गैर आबाद है। भारत सरकार के नोर्म्स के अनुसार 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में एवं 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर जन जाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का मापदण्ड निर्धारित है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य की ग्रामीण जनसंख्या 432.67 लाख है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 11298 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विपरीत 9926 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1473 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल 11399 चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के चिकित्सालयों में रिक्त पद

19. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में किस-किस स्तर के चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं, प्रत्येक में कौन–कौन से पद स्वीकृत हैं, उन पर कौन-कौन, कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में कौन-कौन से पद कहां-कहां, कब-कब से किस-किस कारण रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ की आबादी को मध्यनजर रखते हुये इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम उनमें स्टाफ के स्वीकृत पद मय पदस्थापन की दिनांक तथा पदस्थापित व्यक्ति के नाम सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का मय रिक्ति दिनांक एवं कारण सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक एवं हैल्थ सुपरवाइजर के रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा रिक्त पद भरे जा रहे हैं।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है, स्थगन हटने पर ही पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

सहायक रेडियोग्राफर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद को निर्देशक लेखा एवं कोष द्वारा भरा जाता है।

(4) ग्राम बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आता है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 1.64 लाख है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होनी चाहिये। वर्तमान में इस पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है, परन्तु जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में 150 शैय्याओं का जिला चिकित्सालय संचालित हैं, उसके द्वारा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के नागरिकों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राज्य योजना के अन्तर्गत समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ग्राम बस्सी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट—अ

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम उनमें स्टाफ के स्वीकृत पद मय पदस्थापन की दिनांक तथा पदस्थापित व्यक्ति के नाम सहित विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापित कर्मचारी का नाम	पद स्थापन का दिनांक
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	रिक्त	-
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	रिक्त	-
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	डा. श्याम लाल	30/6/03
		चिकित्सा अधिकारी	2	डा. रूपनारायण	30/4/99
				डा. शिव कुमार	23/3/01
		नर्स श्रेणी प्रथम	1	श्री कन्हैयालाल गर्ग	21/5/03
		नर्स श्रेणी द्वितीय	6	श्री कालूराम गाडरी	30/9/92
				श्री कालूलाल जाट	4/6/89
				श्री उदयवीर सिंह	24/3/92
				श्री गंगासिंह	23/6/96
				श्रीमती ब्रह्मा कुमारी	—
				रिक्त	
		रेडियोग्राफर	1	रिक्त	
		लैब टेक्नीशियन	1	श्री मांगीलाल	13/11/92
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती मंजु देवी	10/7/88
		कनिष्ठ लेखाकार	1	रिक्त	—
		वरिष्ठ लिपिक	1	श्री भैरु लाल	1/1/01
		कनिष्ठ लिपिक	1	श्री रामस्वरूप	12/2/02
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री श्यामलाल	13/5/89
				श्री ओंकार लाल	17/11/90

1	2	3	4	5	6
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा अधिकारी	2	डा. अशोक माहेश्वरी	1/4/99
				डा. सतीश गुप्ता	13/12/96
		नर्स श्रेणी प्रथम	1	श्री देवकी नन्दन	4/3/03
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5	श्री मांगीलाल	7/7/90
				श्री सोहन लाल	2/6/99
				श्री मुन्निर अहमद	18/8/03
				श्रीमती राजू सोनी	23/9/03
				रिक्त	—
		लैब टैक्नीशियन	1	श्री खुशाल सिंह	26/9/03
		सैक्टर सुपरवाइजर (फिमेल)	1	श्रीमती मरियमा पी.	2/2/99
		एम. पी. डब्ल्यू.	1	श्री मोहम्मद इस्माईल	17/9/99
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	श्री भगवान लाल	20/11/99
				श्री छगन लाल	15/11/99
				श्री कन्हैया लाल	31/8/98
				श्री कैलाश चन्द	10/7/98
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	डा.अशोक सरूपरिया (शल्य)	1/8/02
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	रिक्त (मेडीसन)	-
		चिकित्सा अधिकारी	1	डा. राकेश मून्दड़ा	9/8/03
		नर्स श्रेणी प्रथम	1	श्री मोहन लाल रेगर	15/5/98
		नर्स श्रेणी द्वितीय	5	श्री श्याम लाल रेगर	30/1/99
				श्री बच्चु सिंह	1/8/02
				श्रीमती ललिता बोहित	28/8/08
				श्रीमती शरली सानु	2/2/02
				श्रीमती मोहनीकुमारी	30/9/03
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती केसर देवी	22/4/03
		रेडियोग्राफर	1	श्री शिव कुमार	15/9/03
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	श्री पूलम सिंह	16/6/84
		लैब टैक्नीशियन	2	श्री लेहरु लाल	22/6/01
				श्री नरेश कुमार	22/4/03
		वाहन चालक	1	श्री सुरेश कुमार	23/9/98
		कनिष्ठ लेखाकार	1	रिक्त	—
		वरिष्ठ लिपिक	1	रिक्त	—
		कनिष्ठ लिपिक	1	श्री रमेशचन्द	24/7/03

1	2	3	4	5	6
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	श्री रामनिवास	1/9/88
				श्री शम्भुलाल	8/9/92
				श्री रामसिंह	1/7/90
				श्री मानसिंह	1/7/01
				श्री सुरेश चन्द	1/8/92
				श्री प्रहलाद सिंह	1/7/98
				श्रीमती माया हरिजन	1/4/94
				श्रीमती संतोष	1/9/88
				रिक्त	—
				रिक्त	—
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साडास	चिकित्सा अधिकारी	1	रिक्त	—
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	श्रीमती जुलियाना	25/9/03
		हैल्थ सुपरवाईजर (फिमेल)	1	रिक्त	—
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती सुन्दर देवी	15/7/96
		लैब टेक्नीशियन	1	श्री अब्दुल मजिद	18/7/2000
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री चुन्नी लाल	14/4/2000
				श्री उच्छव लाल	1/7/2000
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूठोली	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. प्रवीण असवाल	23/3/01
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	श्री चमन खां	1/7/2000
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती शेरली जान	14/7/96
		लैब टेक्नीशियन	1	श्री ओम प्रकाश	27/3/99
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री राजमल बारीया	23/7/2000
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरिया	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. रूपवर्षा जैन	29/8/02
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	श्री सुनिल कुमार	25/9/03
				रिक्त	—
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	श्रीमती कार्तीयानी	2/6/02
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती मंजु चौधरी	7/3/03
		लैब टेक्नीशियन	1	श्री खुलाश सोनी	7/8/02
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली	चिकित्सा अधिकारी	1	रिक्त	—
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	श्री कन्हैयालाल	1/4/97
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	रिक्त	—
		लैब टेक्नीशियन	1	श्री सोहनलाल	15/7/2002
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	श्रीमती मधुलता भट्ट	1/5/99

1	2	3	4	5	6
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्री प्रभु लाल श्री जब्बर सिंह श्री धर्म चन्द	1/1/92 1/7/88 1/7/2000
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहूना	चिकित्सा अधिकारी	1	डा. कमलेश जैन	17/11/2002
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	श्री ओम प्रकाश	1/7/99
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1	श्रीमती विजय ओझा	18/9/2002
		लैब टैक्नीशियन	1	श्री राधेश्याम	18/11/95
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री डालचन्द	4/5/70

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का मय रिक्ति दिनांक एवं कारण सहित विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगरार	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	1/3/03	स्थानान्तरण होने से पद रिक्त हुआ
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1/8/03	यथा
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1/3/02	यथा
		सहायक रेडियोग्राफर	1	12/8/00	यथा
		कनिष्ठ लेखाकार	1	13/7/01	यथा
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशमी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	1	1/4/02	स्थानान्तरण होने से पद रिक्त हुआ
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	14/5/04	पी.जी. में चयन होने के कारण
		कनिष्ठ लेखाकार	1	1/4/02	स्थानान्तरण होने से
		वरिष्ठ लिपिक	1	1/7/03	पदोन्नति होने से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	11/12/03	स्थानान्तरण होने से
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	27/10/03	मृत्यु होने के कारण

1	2	3	4	5	6
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साडास	चिकित्सा अधिकारी	1	20/5/04	पी.जी. में चयन होने से
		हैल्थ सुपरवाईजर (फिमेल)	1	28/2/02	कर्मचारी के सेवानिवृत होने से
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्देरिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	11/10/03	स्थानान्तरण होने से
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिण्डोली	चिकित्सा अधिकारी	1	17/12/03	स्थानान्तरण होने से
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1/4/03	सेवानिवृत होने से

विधान सभा क्षेत्र नैनवां के चिकित्सालयों में रिक्त पद

20. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने व कहां-कहां हैं तथा उनमें किस श्रेणी के कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिकारी / कर्मचारियों को अन्यत्र व जिला मुख्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो किसको, कब से, कहां पर, किस कारण से? क्या इस कार्यवाही से व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अव्यवस्था के चलते नैनवां क्षेत्र में खसरे का सर्वे तथा टीकाकरण कार्य समय पर नहीं होने से खसरे से मई, 2004 में दो व्यक्तियों की मौत हुई? यदि हां, तो इस संसबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) लम्बे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं तथा उक्त रिक्त पदों पर अब कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम तथा उनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही है एवं रिक्त पदों को भरा जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को संविदा पर नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परन्तु प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक लगी हुई है। लैब टैक्नीशियन एवं बहुद्देशीय कार्यकर्ता के रिक्त पदों को वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरने की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

नैनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं उनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनवा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2	1 (सर्जरी)	8/2000 से
		वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	1	5/2003 से
		चिकित्सा अधिकारी	3	-	

1	2	3	4	5	6
		नर्स श्रेणी प्रथम	3	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	8	4	5/2003 से
		प्रसाविका	2	-	
		कनिष्ठ लिपिक	1	-	
		रेडियोग्राफर	1	-	
		वार्ड ब्वाय/सफाई कर्म.	7	-	
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई	वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-	
		प्रसाविका	1	-	
		नेत्र सहायक	1	-	
		वाहन चालक	1	-	
		मलेरिया निरीक्षक	1	1	2/2001 से
		लैब टेक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय/सफाई कर्म.	2	2	3/95 से
		वरिष्ठ बहुद्देशीय कार्य. / बहुद्देशीय कार्यकर्ता			
		वरिष्ठ बहुद्देशीय कार्य.	2	2	3/95 से
		बहुद्देशीय कार्यकर्ता	12	5	5/95 से दो पद व 3/99 से 3 पद
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवास	चिकित्सा अधि.	1	1	7/2003 से
		नर्स द्वितीय श्रेणी	2	-	
		प्रसाविका	1	-	
		महिला स्वा.दर्शिका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय/सफाई कर्म.	4	-	
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,	चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	

1	2	3	4	5	6
	दुगारी	महिला स्वा.दर्शिका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		प्रसाविका	1	-	
		वार्ड ब्वाय/सफाई कर्म.	3	-	
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामनगांव	चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-	
		प्रसाविका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय	3	-	
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी	चिकित्सा अधि.	2	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
		प्रसाविका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	1	1/2001 से
		वार्ड ब्वाय	4	-	
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करवर	चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
		प्रसाविका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय	3	-	
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माटुन्दा	चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	7/01 एवं 8/2003 से
		प्रसाविका	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय/सफाई कर्म.	4	-	

1	2	3	4	5	6
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड	चिकित्सा अधि.	1	-	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-	
		प्रसाविका	1	-	
		वाहन चालक	1	-	
		लेब टैक्नीशियन	1	-	
		वार्ड ब्वाय	3	-	
10.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, जरखोदा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
		प्रसाविका	1	-	
		वार्ड ब्वाय	1	-	
11.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, भजनेरी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	
		प्रसाविका	1	-	
		वार्ड ब्वाय	1	-	
12.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, नीमखेड़ा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	2/2004से
		प्रसाविका	1	-	
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रेठोदा	प्रसाविका	1	-	
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सहण	प्रसाविका	1	-	
15.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बालापुरा	प्रसाविका	1	-	
		बहुद्देशीय कार्यकर्ता	1	1	3/99 से
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बूली	प्रसाविका	1	-	
17.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्या	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5	6
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खजूरी	प्रसाविका	1	-	
19.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, समिधि	प्रसाविका	1	-	
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गंभीरा	प्रसाविका	1	-	
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, धानुगांव	प्रसाविका	1	-	
22.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सादेडा	प्रसाविका	1	-	
23.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुरा	प्रसाविका	1	-	
24.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिसोला	प्रसाविका	1	-	
25.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, माणी	प्रसाविका	1	-	
26.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेडी	प्रसाविका	1	-	
27.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, डोकून	प्रसाविका	1	-	
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला	प्रसाविका	1	-	
29.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लाम्बा बरड़ा	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5	6
30.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नाहर गज	प्रसाविका	1	-	
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोतीपुरा	प्रसाविका	1	-	
32.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, फुलेता	प्रसाविका	1	-	
33.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरावती	प्रसाविका	1	-	
34.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंतरदा	प्रसाविका	1	-	
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गुढादेवजी	प्रसाविका	1	-	
36.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, केथुदा	प्रसाविका	1	-	
37.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बौवड़ी	प्रसाविका	1	-	
38.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, संगावदा	प्रसाविका	1	-	
39.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लालपुरा	प्रसाविका	1	-	
40.	उप स्वास्थ्य केन्द्र,जांवटीकला	प्रसाविका	1	-	
41.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बोरी	प्रसाविका	1	-	

1	2	3	4	5	6
42.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जावरा	प्रसाविका	1	-	
43.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, अजेता	प्रसाविका	1	-	
44.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रिहाणा	प्रसाविका	1	-	
45.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ख्यावदा	प्रसाविका	1	-	
46.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भेपुरा ओझा	प्रसाविका	1	-	
47.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नया गांव	प्रसाविका	1	-	
48.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रायथल	प्रसाविका	1	-	
49.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुड़िसा	प्रसाविका	1	-	
50.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, डोडी	प्रसाविका	1	-	
51.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ा सदावर्तिया	प्रसाविका	1	-	

राज्य में सड़क निर्माण हेतु सर्वेक्षण

21. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य के सुदृढ़ विकास हेतु नई छोटी दूरी की सड़कें बनाकर वर्तमान सड़कों की कई गुना दूरी कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो राज्य में ऐसी कितनी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार इस संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर समयबद्ध योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र दूदू की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

22. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डामर की सड़कों का नियमों के अनुसार कितने समय बाद पुनः डामरीकरण किया जाना निर्धारित है?

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू जिला जयपुर की कितने किलोमीटर सड़क कहां-कहां ऐसी है जिसका दस वर्ष गुजरने के बाद भी पुनः डामरीकरण नहीं किया गया? क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण अब कब तक किये जाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) डामर की सड़कों के समय-समय पर नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार मानदण्ड निर्धारित हैं:-

क्र.सं.	सड़क की श्रेणी	अपेक्षित नवीनीकरण
1	2	3
1.	राज्य मार्ग (स्टेट हाइवे) सड़कें	6-8 वर्ष
2.	मुख्य जिला सड़के	8-10 वर्ष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3
3.	अन्य जिला सड़कें	12 वर्ष
4.	ग्रामीण सड़कें	12 वर्ष

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू जिला जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 120 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनका दस वर्ष गुजरने के बाद भी पुनः डामरीकरण नहीं किया जा सका है। (सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है) इन सड़कों का डामरीकरण राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-अ

क्र.सं. 1	सड़क का नाम 2		लम्बाई (कि.मी.) 3
(अ)	राजमार्ग सड़कें (स्टेट हाइवे)		
	1. चाकसू फागी दूदू-नरना (एस.एच. 2)		10.00 किमी.
	2. दूदू मालपुरा टोडी चान (एस.एच. 37-ए)		8.00 किमी.
		कुल	18.00 किमी.
(ब)	अन्य जिला सड़कें		
	1. महला जोबनेर सड़क		2.00 किमी.
		कुल	2.00 किमी.
(सी)	ग्रामीण सड़कें		
	1. झाग से मोजमाबाद सड़क किमी. 0/0 से 3/0		3.00 किमी.
	2. लोरडी किमी. 0/0 से 5/0		5.00 किमी.
	3. पड़ासौली हरसौली रेहलाना सड़क किमी. 13/0 से 15/0		3.00 किमी.
	4. फुलेरा-बन्धे के बालाजी वाया कांचरोदा सड़क किमी. 13/0 से 18/0		5.00 किमी.
	5. आसलपुर रेल्वे स्टेशन सड़क किमी. 0/0 से 5/0		5.00 किमी.
	6. ढाणी बोराज से ढींढा सड़क किमी. 2/0 से 5/50		3.25 किमी.
	7. बोराज से बन्धे का बालाजी किमी. 0/0 से 6/0		6.00 किमी.

1	2	3
	8. बोराज से बोबास सड़क किमी. 1/500 से 6/600	5.00 किमी.
	9. बेगस से बोराज सड़क किमी. 0/0 से 11/0	11.00 किमी.
	10. कैंसर अस्पताल से महला जोबनेर रोड 0/0 से 5/0	5.00 किमी.
	11. पहुंच सड़क बिचून किमी. 0/0 से 1/0	1.00 किमी.
	12. पड़ासोली साकून सड़क किमी. 0/0 से 1/0 5/0 से 6/0 से 7/0 से 11/0	6.00 किमी.
	13. मरवा बिचून सड़क किमी. 0/0 से 6/500, 6/500 से 15/0, 25/0 से 28/0	18.00 किमी.
	14. दांतरी लदेरा साली सड़क किमी. 6/0 से 11/0	5.00 किमी.
	15. पहुँच सड़क हवसपुरा किमी. 3/0 से 10/0	7.00 किमी.
	16. पहुंच सड़क बरड़ोती 0/0 से 7/0	7.00 किमी.
	17. कोरसीना से शाकम्बरी माता मंदिर 0/0 से 4/800	4.80 किमी.
	कुल	100.00 किमी.

बाटड़ानाऊ-जाजोद (सीकर) सड़क निर्माण

23. **श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाने के क्या प्रावधान हैं? क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में उक्त योजना के तहत सड़कों का निर्माण हुआ? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाटड़ानाऊ पंचायत मुख्यालय है? यदि हां, तो इसे अब तक सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि बाटड़ानाऊ ग्राम जाजोद से 7 कि. मी. की दूरी है तथा वहां कंकरीट डालने के बाद डामरीकरण नहीं किया गया? क्या यह सही है कि वहां डामरीकरण का टेण्डर हुआ है यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बाटड़ानाऊ ग्राम में गांव के चारों

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

और प्रधानमंत्री योजना में रिंग रोड बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त रोड बनाने का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रत्येक 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

जी हांष उक्त योजना के तहत लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(2) जी हां। बाटडानाऊ वर्तमान में ग्राम जाजोद से डब्ल्यू.बी.एम. व डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

(3) बाटडानाऊ से जाजोद की दूरी (गाँव के हिस्से को जोड़कर) 8.50 किमी. है। इस सड़क पर किमी. 0/0 से 6/500 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत डब्ल्यू. बी. एम. कर डामरीकरण का कार्यादेश वर्ष 1999-2000 में दिया गया व शेष 2.00 किमी. डब्ल्यू. बी. एम. एवं डामरीकरण का कार्यादेश वर्ष 2001-2002 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य डामर स्तर तक पूर्ण हो गया है एवं एम.एन.पी. का कार्य डब्ल्यू. बी. एम. स्तर तक हुआ है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	पैकेज संख्या	नाम सड़क	लम्बाई	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1.	आरजे 28-01	नवलगढ़ से कल्याणपुरा	4.80	24.91
2.	आरजे 28-01	एनएच 11 किमी 379 से दीनवा जाटान	4.75	27.13
3.	आरजे 28-01	लक्ष्मणगढ़ सालासर सड़क से भूमा बड़ा	2.00	15.03
4.	आरजे 28-01	जाजोद से सोला	2.80	12.68

1	2	3	4	5
5.	आरजे 28-01	सुतोद से तिड़ोकी बड़ी	4.00	21.87
6.	आरजे 28-05	बदूसर से रोरू बड़ी	2.92	26.91
7.	आरजे 28-07	खेड़ी डूकिया से नरसास	9.33	71.93
8.	आरजे 28-07	जाजोद बाटड़ानाऊ सड़क से बाटड़ानाऊ	2.00	16.82
9.	आरजे 28-07	भोजासर बड़ा से डालमास	2.775	29.35
10.	आरजे 28-07	सांवलोदा से खातीपुरा	2.65	25.07
11.	आरजे 28-09	भोजासर बड़ा से भोजासर छोटा	2.00	14.73
12.	आरजे 28-13	तिड़ोकी बड़ी से तिड़ोकी छोटी	1.50	12.15
13.	आरजे 28-14	चैनपुरा से भिलूण्डा	2.25	17.43
14.	आरजे 28-15	काछवा से घिरनियां कलां	5.10	45.02
15.	आरजे 28-22	काछवा से नासनवा	2.775	18.23
16.	आरजे 28-22	लक्ष्मणगढ़ मुकन्दगढ़ सड़क से भैरूपुरा	0.750	6.86
17.	आरजे 28-23	नेछवा से झिलमिल	3.50	26.10
18.	आरजे 28-28	नेछवा झिलमिल सड़क से झाझड़	4.25	32.39
19.	आरजे 28-28	सेवद शाहपुरा सड़क से रूल्याणी पटटी	1.67	10.18

सड़क निर्माण हेतु काटे गये वृक्षों की लकड़ी का बेचान

24. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु अब तक कितने पेड़ों को काटा जा चुका है और उनसे कुल कितनी लकड़ी प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार से प्राप्त लकड़ी को नीलामी से बेचा गया? यदि हां, तो नीलामी समिति के सदस्यों की सूची एवं कुल कितनी आय हुई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन वृक्षों में जो ईमारती लकड़ी और ईंधन लकड़ी के वृक्ष थे, उनसे प्राप्त लकड़ी को अलग-अलग करके बेचा गया, यदि नहीं, तो क्यों? इससे सरकार को हुये नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, से सम्बन्धित है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

देशभूषण नगर, जयपुर पर समानान्तर (पैरलल) सड़क निर्माण

25. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा दिल्ली राजमार्ग संख्या 8 पर ट्रांसपोर्ट नगर से जल महल तक छः लाइन सड़क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजमार्ग पर गलता चौराहा के पास देशभूषण नगर आवासीय कॉलोनी स्थित है, जिसके प्लाट नं. 1 से 15 तक राजमार्ग पर खुलते हैं जो निर्मित सड़क से 25-30 फीट की दूरी पर है? यदि हां, तो क्या सड़क किनारे वर्षाती नाला बनवाने के बाद उक्त प्लाटों में जाने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्लाटों में जाने हेतु इनके सामने स्थित 25-30 फीट कच्चे

(श्री भंवरू खान)

रिक्त स्थान पर समानान्तर (पैरलल) रोड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा राजमार्ग संख्या 8 पर आर. ए. सी. हैडक्वार्टर चौराहे से कर्बला मोड तक छः लेन की सड़क के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के जुलाई, 2004 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) यह आंशिक रूप से सही है। देशभूषण नगर नाम की कॉलोनी गलता चौराहे के पास स्थित है, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त कॉलोनी में प्रवेश के लिए पृथक् से सर्विस रोड उपलब्ध है। चूंकि आर. यू. आई. डी. पी. का कार्य केवल राज मार्ग को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण तक ही सीमित है। अतः बताये गये प्लाटों के लिए कोई पेरलल रोड बनाने का विचार/प्रस्ताव नहीं है।

तहसील मुण्डावर (अलवर) के ग्रामों में सड़क निर्माण

26. **श्री बन्ने सिंह राठौड़** (ओसियां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जालावास, मनेठी से ग्राम भोजपुरी, हुलमाना खुर्द व हुलमाना कलां तक व ग्राम भोजपुरी से ग्राम पंचायत मुन्डवाड़ा कलां तहसील मुण्डावर, जिला अलवर तक किसी प्रकार की सड़क का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तीनों ग्रामों को ग्राम पंचायत व तहसील मुख्यालय से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त ग्रामों की स्थिति/प्रस्तावित रोड मेप का ब्लू प्रिंट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भोजपुरी (717) हुलमाना खुर्द (842) हुलमाना कलां (575) की आबादी (876) से कम होने से अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पंचायत मुख्यालय मुण्डनवाडा कलां सोडावास अजरका सड़क से जुड़ा होने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भोजपुरी से नहीं जोड़ा जा सका तथा अन्य किसी योजना में इन सड़कों की स्वीकृत नहीं होने के कारण निर्माण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त कार्य की स्थिति/प्रस्तावित सड़क नक्शा का ब्लू प्रिन्ट संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

27. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल कितने उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में किन-किन स्थानों पर प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापकों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेवड़ा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणीपुरा में लम्बे समय से गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा अंग्रेजी के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद रिक्त हैं जिससे बालकों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विवरण का परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण भी परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

जी हां।

(3) अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण बाधा उत्पन्न न हो इस हेतु गैस्ट फैकल्टी योजना के तहत गत वर्ष रिक्त पदों पर अध्यापकों को लगाया जाकर छात्रों को अध्यापन्न करवाने की व्यवस्था की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-क

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद				रिक्त पद				कब से रिक्त			
		प्राचार्य	व्या.	व/अ	अ.	प्राचार्य	व्या.	व/अ	अ.	प्राचार्य	व्या.	व/अ	अ.
1.	रा.उ.मा.वि., डेगाना	1	19	8	-	-	10	2	-	-	9/03 3/04 3/01 12/01 7/99 3/01 4/01 12/01 6/03 10/02	7/01 9/01	-
2.	हरसोर	1	11	6	1	-	4	1	-	-	7/01 7/97 12/01 9/03	10/00	-
3.	सांजू	1	8	6	3	-	3	-	1	-	5/04 3/96 10/02	-	3/0
4.	ईड़वा	1	4	6	2	-	3	-	-	-	9/03 10/02 4/00	-	-

1.	2.	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	रा.उ.मा.वि., जालसूकलां	1	4	6	2	-	1	3	-	-	3/01	7/01 7/01 2/02	-
6.	रा.उ.मा.वि., खुड़ीकलां	1	3	6	2	-	2	-	1	-	6/03 6/03	-	8/00
7.	रा.उ.मा.वि., पून्दलोता	1	3	4	3	-	2	2	1	-	5/03 6/03	9/01 3/01	8/01
8.	रा.उ.मा.वि., थांयला	1	9	6	2	-	4	2	-	-	3/01 7/03 7/95 5/02	6/03 10/03	-
9.	रा.मा.वि., बिखरनिया	1	-	6	4	-	-	3	1	-	-	7/01 7/01 7/01	6/03
10.	रा.मा.वि., चकढाणी	1	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	12/00
11.	रा.मा.वि., चम्पाखेड़ी	1	-	5	1	1	-	-	1	12/03	-	-	10/02
12.	रा.मा.वि., जाखेड़ा	1	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	रा.मा.वि., कीतलसर	1	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-	3/04
14.	रा.मा.वि., निमड़ीकलां	1	-	6	3	-	-	1	1	-	-	7/01	13/04
15.	रा.मा.वि., निमड़ीचांदावता	1	-	5	1	-	-	1	-	-	-	7/01	-

1.	2.	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	रा.मा.वि., सिरासना	1	-	6	1	-	-	3	-	-	-	2/04 7/00 7/00	-
17.	रा.मा.वि., पालड़ीकलां	1	-	5	3	-	-	1	-	-	-	7/00	-
18.	रा.मा.वि., हिरणीढाणी	1	-	4	3	-	-	3	1	-	-	7/99 3/01	3/01
19.	रा.मा.वि., मांझी	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	7/00	-
20.	रा.मा.वि., मेवड़ा	1	-	4	1	-	-	3	-	-	-	2/04 3/01 7/00	-
21.	रा.मा.वि., चोलियास	1	-	2	3	-	-	2	3	-	-	6/03 6/03	6/03 6/03 6/03
22.	रा.मा.वि., इग्यासनी	1	-	2	3	-	-	2	3	-	-	6/03 6/03	6/03 6/03 6/03
23.	रा.मा.वि., आलनियास	1	-	6	2	-	-	1	-	-	-	7/01	-
24.	रा.मा.वि., भैरुन्दा	1	-	6	5	-	-	4	1	-	-	11/02 12/01 10/02 7/03	7/03

1.	2.	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	रा.मा.वि., डोडियाना	1	-	6	1	1	-	-	-	9/03	-	-	-
26.	रा.मा.वि., बग्गड़	1	-	6	3	-	-	1	1	-	-	10/02	1/03
27.	रा.मा.वि., ढाणीपुरा	1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	3/01	-
28.	रा.मा.वि., डेगाना	1	4	6	3	-	1	1	2	-	6/03	12/01	3/04

राज्य के विद्यालयों में छात्र संख्या में कमी

28. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विगत वर्षों से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन कम होता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को मान्यता देने की नीति पर विचार कर रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन लगातार बढ़ा है। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को मान्यता गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। वर्तमान में मान्यता नियमों में संशोधन पर कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

29. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी विद्यालय कहां-कहां स्थित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो विभिन्न विद्यालयों में गत सत्र के छात्रों की कुल संख्या एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (जिला सवाईमाधोपुर) में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी विद्यालयों के विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) इन विद्यालयों में गत सत्र में कुल छात्रों की संख्या 41445 थी तथा उनमें 917 अध्यापक, पैराटीचर एवं शिक्षाकर्मी कार्यरत थे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर के विद्यालयों के रिक्त पद

30. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलुम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी विद्यालयों में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस सत्र में उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्थनार्थ राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी हैं। व्याख्याताओं/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों/वरिष्ठ अध्यापकों के पदों हेतु विभागीय चयन समिति का आयोजन करवाए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में भवन विहीन राजीव गांधी पाठशालाएं

31. **श्री हंगामी लाल मेवाड़ा** (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में जहां-जहां राजीव गांधी पाठशालाएं संचालित हैं, वहां राजकीय भवन नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार भवन विहीन राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पाठशाला का व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में कुल 105 राजीव गांधी पाठशालाएं संचालित हैं इनमें से 84 के राजकीय भवन हैं एवं 21 राजीव गांधी पाठशालाएं भवन विहीन हैं। वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के अभाव में पाठशाला भवन नहीं बनवाए जा सके।

(2) जी हां। उक्त विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 भवनविहीन पाठशालाओं के भवन विभिन्न योजनाओं में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बनवाए जाने सम्भव होंगे।

जिला बारां में स्कूली छात्राओं के रहवास हेतु छात्रावास

32. **श्री प्रमोद जैन** (भाया) (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला बारां में किस-किस स्थान पर स्कूली छात्राओं के रहवास हेतु कितनी-कितनी क्षमता के छात्रावास चलाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शैक्षणिक सत्र 2003-04 में कौन-कौन से छात्रावास, महिला छात्रावास, अधीक्षिका या महिला वार्डन के पदस्थापन नहीं होते हुये भी संचालित किये गये? इन छात्रावासों में कितनी छात्राओं ने रहवास किया?

(श्री प्रमोद जैन)

विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार छात्राओं के छात्रावास महिला अधीक्षिका या महिला वार्डन के अधीनस्थ ही संचालित किये जाने चाहिये? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में माध्यमिक शिक्षा के अधीन जिला मुख्यालय पर 36 छात्राओं के रहवास की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा एवं जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2003-04 में उक्त छात्रावास में महिला अधीक्षिका, महिला वार्डन के बिना संचालित किया गया है। इस सत्र में 36 छात्राओं ने रहवास किया है। समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा महिला अधीक्षिका के बिना संचालित छात्रावास एवं उनमें प्रवेशित छात्राओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट "ग" पर सदन की पटल पर रख दिया गया।

परिशिष्ट–क

बारां जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्राओं के छात्रावास एवं उनकी प्रवेश क्षमता का विवरण

क्र.सं	छात्रावास का नाम	छात्रा प्रवेश क्षमता
1.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास बारां	35
2.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास देवरी	25
3	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास गरडा	25
4	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास नाहरगढ	35

1	2	3
5	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास शाहवाद	35
6	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास अटरू	50
7	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास समरानिया	35
	योग	240

(ब) बारां जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्राओं के छात्रावास एवं उनकी प्रवेश क्षमता का विवरण

क्रं.सं	छात्रावास का नाम	छात्रा प्रवेश क्षमता
1	बारां	50
2	शाहबाद	50
3	केलवाड़ा	50
4	घटटी	50
	योग	200

परिशिष्ट—ख

(अ) बारां जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्राओं के छात्रावास जिनका संचालन वर्ष 2003–04 में बिना महिला अधीक्षिका के किया गया

क्रं.सं	छात्रावास का नाम	प्रवेशित छात्रा
1.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास बारां	32
2.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास देवरी	23
3.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास गरड़ा	25
4.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास नाहरगढ़	30
5.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास शाहबाद	32
6.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास अटरू	50
7.	राजकीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास समरानिया	35
	योग	227

(ब) बारां जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्राओं के छात्रावास जिनका वर्ष 2003 – 04 में बिना महिला अधीक्षिकाओं के संचालन किया गया

क्रं.सं	छात्रावास का नाम	प्रवेशित छात्रा
1.	शाहबाद	52
2.	घटटी	44
	योग	96

परिशिष्ट-ग

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/माध्यमिक/ब/21230/2001 दिनांक : 8-1-2002

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग

विषय : दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित बालिका छात्रावासों के संचालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 25 जिला मुख्यालयों पर निर्मित बालिका छात्रावासों के संचालन के संबंध में माननीय शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त छात्रावासों का संचालन निम्नानुसार किया जाना है :

1. बालिका छात्रावासों का संचालन स्थानीय बालिका माध्यमिक/बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास समिति के माध्यम से किया जायेगा।
2. बालिका छात्रावासों में प्रवेश निम्नलिखित प्राथमिकता से दिये जाने का निर्णय लिया गया :

   (1) विद्यालय में अध्ययन करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं एवं अल्पसंख्यकों की बालिकाओं को प्रवेश दिया जावे।

(2) शिक्षक प्रशिक्षण/बी.एड में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाएं।

(3) स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाएं।

(4) राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाएं।

(5) उपरोक्त श्रेणी की बालिकाएं उपलब्ध नहीं होने पर अधिकतम एक वर्ष के लिए कामकाजी महिलाओं को रहने की अनुमति। परंतु कामकाजी महिलाओं को छात्रावास में रखने से पूर्व प्रवेश अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनका चरित्र एवं कार्य व्यवहार प्रतिकूल न हो।

3. विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय विकास समिति द्वारा ही सर्वसम्मति से कार्यरत महिला शिक्षकों में से वार्डन निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में इच्छित महिला को लगाया जायेगा।

1. स्थानीय विद्यालय की महिला शिक्षिका।

2. पास के विद्यालय की महिला शिक्षिका।

3. जिला मुख्यालय पर स्थित अन्य बालिका विद्यालय की इच्छित महिला शिक्षिका।

4. उपयुक्त शिक्षिका उपलब्ध नहीं होने पर विद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक वर्ग की महिला कर्मचारी।

5. बालिका छात्रावास के संचालन में सहयोग हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालय विकास समिति द्वारा विद्यालय में कार्यरत सहायक कर्मचारी को मानदेय देकर विद्यालय समिति द्वारा लगाया जा सकेगा।

6. बालिका छात्रावासों में मैस का संचालन छात्राओं द्वारा सहभागिता के आधार पर स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित कर सकेगी।

7. छात्रावासों में बिजली, पानी एवं सफाई पर होने वाले व्यय का

विद्यालय विकास समिति द्वारा आकलन किया जाकर निर्धारित राशि छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं से लिया जा सकेगा।

8. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा छात्रावासों के बिजली, पानी के बिलों का भुगतान में किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं दिया जायेगा।

स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को पाबंद करें कि छात्रावासों में छात्राओं को प्रवेश दिये जाने के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करें।

हस्ताक्षर

(डा. सतीश कुमार)
उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर राजस्थान

जिला उदयपुर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

33. **श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2004-05 में सरकार कितने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है?

(2) जिला उदयपुर में वर्ष 2003-04 में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्ड के आधार पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया

(शिक्षा मंत्री)

जाकर विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में भी उपलब्ध सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत 400 उ. प्रा. वि. से मा.वि. में तथा 200 मा.वि. का उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) जिला उदयपुर में वर्ष 2003-04 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषय के 1407 पदों की अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है तथा व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

(प्रथम के बिन्दु संख्या 2 की सूचना)

विषय	ग्रेड	ग्रेड-II
भूगोल	30	-
भौतिक विज्ञान	1	-
इतिहास	23	-
हिन्दी	39	-
वाणिज्य	18	-
अर्थशास्त्र	06	-
अंग्रेजी	32	76
कृषि	06	-
राजनीति शास्त्र	15	--
चित्रकला	04	-
गणित	07	16
संस्कृत	09	-

1	2	3
समाज शास्त्र	02	-
विज्ञान	-	57
उर्दू	02	07
सामान्य ज्ञान	-	07
सिंधी	-	02
गृह विज्ञान	03	-
जीव विज्ञान	03	-

अजमेर इंजीनियरिंग कालेज में शैक्षिक स्टाफ

34. **श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)** : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर इंजीनियरिंग कालेज में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्ड के मुताबिक छात्र संख्या के लिहाज से कितना शैक्षिक स्टॉफ होना चाहिये?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर इन्जीनियरिंग कालेज निर्धारित मानदण्ड पूरे करता है? यदि हां, तो उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर इंजीनियरिंग कालेज में वर्तमान छात्र संख्या लगभग 600 है। परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप लगभग 40 शैक्षिक स्टाफ होना चाहिये।

(2) जी नहीं। वर्तमान में कुल 35 पद स्वीकृत है जिनमें से 17 पद भरे जा चुके हैं तथा 18 पद रिक्त है। रिक्त पदों में 12 पद आयोजना मद में स्वीकृत है तथा इनको भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। शेष पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3) इंजीनियरिंग कालेज अजमेर के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम बढ़ल्या अजमेर में 303 बीघा भूमि आबंटित की जा चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदण्डों के अनुसार भवन निर्माण पर अनुमानित व्यय प्रथम चरण में 8 करोड़ रुपये होगा। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2004-2005 में 22.75 लाख रुपये का प्रावधान आयोजना मद में प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय समिति के पास उपलब्ध 2 करोड़ की राशि का उपयोग भी भवन निर्माण हेतु किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

आगामी 5 वर्षों में भवन निर्माण हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-36

(स्थगित)

सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद

37. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिंचाई विभाग के रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

प्रपत्र-अ

सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या
1.	मुख्य अभियन्ता	1
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)	1
3.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी)	1
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	21

1	2	3
5.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी)	1
6.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	15
7.	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिकी)	3
8.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	150*
9.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	14
10.	अनुसंधान अधिकारी	1
11.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	6
12.	लेखाकार	1
13.	सर्वे अमीन	1
14.	सहायक उप निरीक्षक	6
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27
16.	सिपाई	6
17.	डेटा एन्टरी ओपरेटर	5
18.	खण्डीय लेखाकार	72
19.	चालक	12
20.	फोरमेन	10
21.	गेजरीडर	12
22.	हैड कांस्टेबल वायरलेस	6
23.	मुख्य प्रारूपकार	10
24.	मुख्य संकेतकार	1
25.	इन्सपेक्टर वायरलेस	2
26.	कनिष्ठ प्रारूपकार	46
27.	कनिष्ठ अनुसंधान सहायक	10
28.	कनिष्ठ लेखाकार	25
29.	कनिष्ठ लिपिक	20

*113 सहायक अभियन्ता जो विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, यदि पृत्रक विभाग में वापस आते हैं तो शुद्ध रिक्तियों 37 रह जावेंगी।

1	2	3
30.	प्रयोगशाला सहायक	3
31.	प्रयोगशाला सहायक	11
32.	मिस्त्री	7
33.	अवलोकक	6
34.	कार्यालय सहायक	52
35.	कार्यालय अधीक्षक	11
36.	निजी सहायक	5
37.	प्रोग्रामर	1
38.	संकेतकार	14
39.	वरिष्ठ प्रारूपकार	29
40.	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	13
41.	सांख्यिकी सहायक	1
42.	शीघ्र लिपिक	8
43.	सब इंसपेक्टर आपरेटर	1
44.	सुपरवाइजर (तकनीकी)	1
45.	टेलीफोन, वायरलेस ऑपरेटर	2
46.	अनुरेखक	19
47.	वरिष्ठ लिपिक	108
48.	जमादार	26
49.	सब इन्सपेक्टर (टेक्नीकल)	1
50.	सोईल एनेलाईजिस्टर	1
51.	भूगर्भ सहायक	1
52.	मेल नर्स एवं कम्पाउन्डर – 2	3
53.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	34*
54.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	1
55.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिकी)	43

*सिचाई विभाग से 310 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) पंचायत विभाग निगम

एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थानों में प्रतिनियुक्त हैं एवं 37 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) निलम्बित हैं। इन कनिष्ठ अभियन्ताओं के विभाग में लौटने, सेवा में आने पर रिक्तियों के बजाय अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो जावेंगी।

माही परियोजना से बांसवाड़ा व गुजरात राज्य को पानी का वितरण

38. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा की माही सिंचाई परियोजना किस वर्ष में बनाई गई व कब पूर्ण की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माही परियोजना का सिंचाई में बांसवाड़ा को कितना पानी व गुजरात को कितना पानी दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परियोजना का जो कमाण्ड एरिया है अब तक टेल तक पानी नहीं दिया गया? यदि हां, तो टेल तक पानी नहीं देने का क्या कारण रहा ?

(4) क्या सरकार टेल तक पानी देकर किसानों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, को कब तक?

उत्तर

(1) माही परियोजना का कार्य वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ किया गया। परियोजना की शेष डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों का कार्य प्रगति पर है। आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य को वर्ष 2005-06 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) गुजरात एवं राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 1966 में हुए अनुबन्ध के अनुसार बांध में संग्रहीत जल का बंटवारा 40:16 के अनुपात में किया जाता है।

(3) जी हां। डिस्ट्रीब्यूटरी एवं माइनरों का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। परियोजना को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर वर्ष 2005-06 तक पूर्ण कर कमाण्ड क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

गम्भीर नदी पर एनीकट निर्माण

39. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में पांचना बांध निर्माण होने के बाद पानी का लेवल नीचा चला गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में गम्भीर नदी में पानी बन्द होने के कारण वहां की जनता को पीने एवं सिंचाई के पानी की गम्भीर समस्या हो रही है?

(3) क्या सरकार गम्भीर नदी पर जगह-जगह एनीकट निर्माण कर वाटर लेवल बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। गम्भीर नदी पर एनीकट बनाने हेतु उपयुक्त धरातल नहीं होने के कारण एनीकट बनाना तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से उपयुक्त नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में बांध निर्माण

40. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सामरानाला बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसको स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण प्रारंभ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सामरानाला बीसलपुर बांध परियोजना के जल संग्रहण क्षेत्र में है। इससे बांध में पानी की आवक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: बांध बनाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

मांछली बांध (बूंदी) का अपूर्ण निर्माण कार्य

41. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में निर्माणाधीन मांछली बांध का कार्य 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था, किन्तु किसानों को मुआवजा राशि का पूरा भुगतान नहीं किये जाने से विरोध के कारण कार्य पूर्ण होने में कठिनाई आ रही है?

(2) उक्त बांध में अब कितनी राशि किसानों को मुआवजे की देय है, तथा कितनी राशि के क्लेम अनिर्णित है? किसानों की पूरी सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध के घटिया निर्माण के लिये कौन जिम्मेदार है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) अब बांध का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक वर्षों में किसानों के मुआवजा भुगतान पूर्ण न होने के फलस्वरूप किसानों के विरोध के कारण कार्य तीव्र गति से पूरा करने में कठिनाई आई थी। परन्तु वर्तमान में मुआवजा भुगतान हो जाने के कारण कोई कठिनाई नहीं आ रही है।

(2) सभी किसानों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। परन्तु कुछ किसानों ने मुआवजा भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं जो कि भराव स्तर के अत्यधिक नजदीक होने के कारण भराव स्तर की साईट पर लाईन लगाकर उनके देयता की पुष्टि आवश्यक है। भराव स्तर लाईन लगाने का कार्य प्रगति पर है। तदुपरान्त ही आवश्यक होगा तो भुगतान कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(3) बांध के घटिया निर्माण संबंधी शिकायत आने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच समाप्त होने पर कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(4) बांध का कार्य आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर माह जून 2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

रासीसर (बीकानेर) में पशु चिकित्सालय

42. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम रासीसर (बीकानेर) में पशु चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में ग्राम रासीसर (बीकानेर) में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के बजट प्रावधानों में नये पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में महाविद्यालय की स्थापना

43. श्री बृज किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में कालेज शिक्षा का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नया कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण राजधानी क्षेत्र के पास का क्षेत्र है। जयपुर में अच्छे शिक्षण संस्थान होने के कारण विद्यार्थी जयपुर आकर ही अध्ययन करना पसन्द करते हैं। विभाग की वार्षिक योजना 2004-05 में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा घोषित नवीन नीति स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से यदि विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी।

राज्य के महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

44. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विश्वविद्यालय एवं अन्य निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के प्रवेश के क्या नियम हैं?

(2) क्या सरकार वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया से संतुष्ट है? यदि नहीं, तो सरकार यथासंभव सभी छात्रों को प्रवेश सुलभ हो इस हेतु क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य के विश्वविद्यालय एवं अन्य निजी महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के प्रवेश हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत प्रवेश नियम संस्था को स्वयं बनाने का प्रावधान है। इस क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 3(2)शिक्षा- 4/ 2003 दिनांक 21.5.03 में टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक सरकार एवं अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 317/1993 में दिये गये निर्णय दिनांक 31.10.2002 के अनुसरण में निजी गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2003-2004 से कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की जाने वाली राज्य सरकार की प्रवेश नीति से छूट देते हुए उन्हें स्वयं की प्रवेश नीति बनाकर प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की गयी थी। लेकिन ऐसी संस्थाएं भी राज्य सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर की पालना हेतु बाध्य होगी तथा प्रवेश हेतु अध्ययन करने वाले अभ्यार्थियों की योग्यता सूची बना कर योग्यता क्रम में प्रवेश दिये जायेगें एवं सभी प्रदेशों में सम्बद्ध के विश्वविद्यालयों के नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के नियमों का पालन करना होता है।

(2) जी हां। सरकार वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया से संतुष्ट है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को प्रवेश नीति 2004-2005 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में उपलब्ध वर्गों के अनुसार प्रवेश दिये जा सकेंगे। यदि किसी महाविद्यालय में प्रवेश छात्र शेष रहते हैं तो उनके

(उच्च शिक्षा मंत्री)

लिए प्रति वर्ग 60 सीट से बढ़ा कर 80 सीट तक प्रवेश दिये जा सकेगें। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में निजी महाविद्यालयों की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है जिसके अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों को न्यूनतम प्रतिशत प्रावधान तक प्रवेश दिये जावेगें।

राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों का स्थाईकरण

45. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में कुल कितने स्थाई, अस्थाई शिक्षक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बिना योग्यता के शिक्षकों की भर्ती की गई? यदि हां, तो ऐसे कितने शिक्षक हैं? नाम, विभाग, विषय सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अस्थाई शिक्षकों को नियमित करने के लिये पिछला वेतन नहीं लेने का शपथ-पत्र देने पर, नियमित करने का आश्वासन दिया गया है? यदि हां, तो क्यों व किन शिक्षकों ने शपथ-पत्र दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ शिक्षकों को नियमित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में 344 स्थाई एवं 288 अस्थाई शिक्षक कार्यरत हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्ष 1996 के पश्चात् 130 अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान न्यायालय के निर्णयों/दिशानिर्देशों की पालना में की गई थी, उनमें से कुछ शिक्षक यूजीसी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, लेकिन यूजीसी द्वारा 2002 में व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किये जाने के पश्चात् उक्त सभी अस्थाई व्याख्याता योग्यताधारी बन गये हैं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

दिनांक 11.9.03 को उच्च शिक्षा राज्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुयी चर्चा में कुलपति ने प्रस्ताव किया कि यदि अस्थाई शिक्षकों को स्थाई किया जाता है तो वे पिछला वेतन नहीं लेंगे एवं राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा और इस संबंध में उन्होंने 288 शिक्षकों से शपथ-पत्र लेकर भी भिजवाये थे।

(4) जी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 19.9.03 को स्टे देने के पश्चात् किसी भी अस्थाई शिक्षक को स्थायी नहीं किया गया है।

(5) जी हां। अस्थाई व्याख्याताओं की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र बैराठ के महाविद्यालय में रिक्त पद

46. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में वर्तमान में कितने महाविद्यालय हैं? प्रत्येक महाविद्यालय में कौन-कौन से संकाय हैं, उनमें कितनी-कितनी छात्र क्षमता है और उनमें वर्तमान में कितने छात्र अध्ययनरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में प्रत्येक संकाय में प्राध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से किस-किस महाविद्यालय में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में राजकीय क्षेत्र में 2 महाविद्यालय, बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा एवं बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा संचालित है।

चिमनपुरा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय संचालित है एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में 660, वाणिज्य संकाय में 60, विज्ञान संकाय में 180 एवं कृषि संकाय में 60 छात्र क्षमता है। स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, भूगोल एवं संस्कृत में 40 विद्यार्थी प्रति विषय छात्र क्षमता है। 2003-04 में चिमनपुरा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या कला संकाय में 2028, वाणिज्य संकाय में 156, विज्ञान संकाय में 388 एवं कृषि संकाय में 228 है। स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र- छात्राओं की संख्या कला संकाय में 218 वाणिज्य संकाय में 42 है।

शाहपुरा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय संचालित है तथा कला संकाय में 120 छात्र क्षमता है एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या 433 है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट—1

(3) जी हां। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट—1

बाबा भगवानदास राजकीय, महाविद्यालय, चिगनपुरा

क्र.सं	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद कब से	कुल
1.	अंग्रेजी	3	3	0		
2.	भूगोल	14	15	1 (अधिशेष)		

1	2	3	4	5	6	7
3.	हिन्दी	10	7	3	5/03 7/03 5/04	
4.	इतिहास	4	4	0		
5.	राजनीति शास्त्र	7	7	0		
6.	संस्कृत	9	9	0		
7.	वनस्पति शास्त्र	5	5	0		
8.	रसायन शास्त्र	5	5	0		
9.	गणित	2	2	0		
10.	भौतिक शास्त्र	2	1	1	11/03	
11.	प्राणी शास्त्र	5	5	0		
12.	ए.बी.एस.टी	4	4	0		
13.	व्यावसायिक प्रशासन	3	3	0		
14.	ई.ए.एफ.एम	3	3	0		

कृषि संकाय

15	एग्रोनॉमी	1	1	0		
16	ए.एच.एण्ड डी. सी.	1	1	0		
17	एण्टेमोलॉजी	1	1	0		
18.	बायोकैमिस्ट्री	1	1	0		
19.	इकोनॉमिक्स	1	1	0		
20.	एज्यूकेशन एक्सटेन्शन	1	1	0		
21.	इंजीनियरिंग	1	1	0		
22.	हॉर्टीकल्चर	1	1	0		
23.	लिव-स्टॉक	1	1	0		
24.	पी.बी.जी	1	1	0		

1	2	3	4	5	6	7
25.	प्लान्ट पैथोलॉजी	1	1	0		
26.	सोइल साईन्स	1	1	0		

बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा

1.	अंग्रेजी	1	1	0		
2.	हिन्दी	2	1	1	7/03	
3.	राजनीति शास्त्र	2	2	0		
4.	संस्कृत	1	1	0		
5.	समाज शास्त्र	2	2	0		

संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा, राज. जयपुर

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सालय

47. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने आयुर्वेद एवं यूनानी अस्पताल संचालित हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम नथावड़ा, भादवासी, ढाढरिया कलां, ईग्यासनी आदि गांव जिनकी आबादी 1500 से लेकर 3500 तक है, अभी तक किसी भी प्रकार की चिकित्सा से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान अतिरिक्त आयुर्वेद एवं यूनानी अस्पताल खोलकर उक्त ग्रामों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में 17 आयुर्वेद औषधालय व चिकित्सालय संचालित है। इनकी सूची परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आयुर्वेद मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति का कोई औषधालय/चिकित्सालय संचालित नहीं है।

(2) पंचायत समिति डेगाना के ग्राम नथावड़ा में एलोपैथिक सब सेन्टर स्थापित है। इनमें विभागीय आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

राज्यादेश दिनांक 6.12.1999 द्वारा ग्राम नाथावड़ा में नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत किया गया था, किन्तु बजट प्रावधान के अभाव में औषधालय आरम्भ नहीं किया जा सका।

आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर नवीन औषधालय स्वीकृत कर खोलना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट—क

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में संचालित आयुर्वेद, औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान का नाम
1	2
अ- श्रेणी	
1.	सांजू
ब- श्रेणी	
2.	डेगाना ग्राम
3.	डेगाना जंक्शन
4.	नीमड़ी कला
5.	जाखेड़ा
6.	जालसू खुर्द
7.	पालड़ी कला
8.	चम्पा खेड़ी
9.	राजलोता
10.	हरसौर

1	2
11.	करौदा
12.	आलनियावास
13.	भैरुन्दा
14.	डोडीयाना
15.	सथाना कला
16.	थांवला
17.	टेहला

आयुर्वेदिक औषधालय खेजड़ी बुर्जग (फागी) में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

48. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के आयुर्वेद चिकित्सालयों में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं और उक्त को न्यूनतम कितना वेतन प्रतिदिन दिया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय खेजड़ी बुजुर्ग (फागी) में भी कई पदों पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन किस-किस पद पर कब-कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त औषधालय में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कतिपय कर्मचारियों को गत कई वर्षों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और अब इसके वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

(4) सरकार अब उक्त कर्मियों को कब तक नियमित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 34 अंशकालीन कार्मिक कार्य कर रहे हैं।

(2) राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, खेजड़ी बुर्जग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। एक व्यक्ति श्री बद्री नारायण जाट श्रम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 27.6.2001 से अंशकालीन के रूप में कार्यरत है। उक्त औषधालय में इसके अतिरिक्त कोई भी अंशकालीन कार्यरत नहीं है।

(3) उक्त औषधालय में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी को माह 27.6.2001 से फरवरी, 2004 तक का भुगतान किया जा चुका है तथा माह मार्च, 04 से मई, 04 तक के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

(4) अंशकालीन कार्मिक को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

सदस्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 1 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम | पृष्ठ संख्या